लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४४, १९६०/१८८२ (शाक)

[१ से १२ अगस्त १९६०/ १० से २१ श्रावण १८८२ (शाक)]

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On 29.11.83
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शाक)

(खण्ड ४४ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पृष्ठ

अंक २—मंगलवार, २ अगस्त, १९६०/११ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ४४ और ४७ से ५० . . . १३१—५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५, ४६ और ५१ से ७२ . . . १५३—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७८ से १४९ . . . . १६५—९८

अतारांकित प्रश्न संख्या १८२२ के उत्तर में शुद्धि . . . १९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १९९—२०१

तारांकित प्रश्न संख्या १३०८ और १८१५ के उत्तरों की शुद्धि २०१

भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद के सम्बन्ध में वक्तव्य २०१—०२

सदस्य का निरोध २०२

दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खण्ड ११ से २८ और १ . . . . २०२—१६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . २१६

मनीपुर भू-राजस्व तथा भूमि सुधार विधेयक

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २१६—४६

खण्ड २ से १७० और १ . . . . २४०—४६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २४६

त्रिपुरा-भू-राजस्व तथा भूमि-सुधार विधेयक

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २४६—५०

दैनिक संक्षेपिका २५१—५७

अंक ३—बुधवार, ३ अगस्त, १९६०/१२ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३ से ८५ . . . २५९—८३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६ से १२५ . . . २८३—३०३

अतारांकित प्रश्न संख्या १५० से २४२ . . . . ३०३—४४

दिनांक २-४-६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७०० के उत्तर में शुद्धि ३४४

विषय सूची

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३४४—५०
कार्य-मन्त्रणा समिति—	
बावनवां प्रतिवेदन	३५०
ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
पैंसठवां प्रतिवेदन	३५०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
वित्त मन्त्री की विदेश यात्रा	३५०—५१
तारांकित प्रश्न संख्या १४८४ के उत्तर की शुद्धि . . .	३५१—५२
त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि सुधार विधेयक	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३५२—५९
खण्ड २ से १९९, अनुसूची तथा खण्ड १	३५९—६०
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	३६१—८०
त्रिपुरा नगरपालिका विधि (निरसन) विधेयक—पारित . .	३८१—८२
धार्मिक न्यास विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	३८२—८५
लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण के बारे में प्रस्ताव	३८५—४०३
दैनिक संक्षेपिका	४०४—१४

अंक ४—गुरुवार, ४ अगस्त, १९६०/१३ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२६, १५८, १२७ से १३४ और १३६ .	४१५—३७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	४३८—४१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३५, १३७ से १५७ और १५९ से १६२ .	४४१—५५
अतारांकित प्रश्न संख्या २४३ से २६४ और २६६ से २९५ .	४५५—७५
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	४७५—७७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
इंग्लैण्ड में श्री फीज़ो द्वारा भारत विरोधी प्रचार . .	४७७—८३

विषय सूची

पृष्ठ

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित ४८३–८४

कार्य मन्त्रणा समिति—

बावनवां प्रतिवेदन ४८४

धार्मिक न्यास विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . . ४८४—५१२

बाग़ान श्रमिक (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ५१३—१४

दैनिक संक्षेपिका ५१५—२०

अंक ५—शुक्रवार, ५ अगस्त, १९६०/१४ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३ से १७३ और १७५ से १७८ . ५२१—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७४ और १७९ से १९९ . . ५४६—५५

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३५९ . . . ५५५—८३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ५८३—८६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली में विद्यार्थियों को दाखिले से इन्कार . . . ५८६—५८९

तारांकित प्रश्न संख्या ४८९ के उत्तर की शुद्धि . . . ५८९

सभा का कार्य ५८९–९०

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय लाख उपकर समिति ५९०

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाया जाना . ५९०

बाग़ान श्रमिक (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ५९१—९४

खंड २ से ८ और १—पारित करने का प्रस्ताव . . . ५९४—९६

रबड़ (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ५९६—६०५

विषय सूची	पृष्ठ
खंड २, ३ और १—	
पारित करने का प्रस्ताव	६०५–०६
कपास परिवहन (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—पारित	६०७
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	६०७–०८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
पैंसठवां प्रतिवेदन	६०८
औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प के पुनरीक्षण के बारे में संकल्प—	
अस्वीकृत	६०८—३१
आय की अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प . . .	६३१
कपड़े की कीमत में वृद्धि के बारे में चर्चा . .	६३२—३८
दैनिक संक्षेपिका	६३९—४६
अंक ६—सोमवार, ८ अगस्त, १९६०/१७ श्रावण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २०० से २०७ और २०९ से २११ .	६४७—७२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २०८ और २१२ से २३८ . .	६७२—८५
अतारांकित प्रश्न संख्या ३६० से ३९४ और ३९७ से ४३६ .	६८५—७१६
कथित विशेषाधिकार भंग के बारे में	७१६–१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७१७–१८
लोक लेखा समिति	
तीसवां प्रतिवेदन	७१८
दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	७१८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
जाली नोटों का चलन	७१८
सदस्य द्वारा त्याग पत्र	७१८
अत्यावश्यक सेवायें निर्वहन अध्यादेश के बारे में .	
संविहित संकल्प	
तथा	
केन्द्रीय सरकार के कुछ कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में प्रस्ताव .	७१९—६२

विषय सूची	पृष्ठ
कपड़े की कीमत में वृद्धि के बारे में चर्चा . . .	७६२—७१
दैनिक संक्षेपिका . . .	७७२—७७
अंक ७—मंगलवार, ९ अगस्त, १९६०/१८ श्रावण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २३९ से २४५, २४८, २५० से २५४, २७१ और २५५	७७९—८०३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २४६, २४७, २४९, २५६ से २५९, २६१ से २७०	८०४—१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४३७ से ४९६ . . .	८११—३६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
(१) पलाई सेन्ट्रल बैंक का बन्द होना . . .	८३६—३९
(२) छपुई खास कोयलाखान, रानीगंज में विस्फोट . .	८४१—४२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८४०
अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे), १९६०-६१ के बारे में विवरण .	८४१
अत्यावश्यक सेवायें निर्वहन अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प	
और	
केन्द्रीय सरकार के कुछ कर्मचारियों की हाल की हड़ताल के बारे में प्रस्ताव	८४२—८२
दैनिक संक्षेपिका	८८३—८७
अंक ८—बुधवार, १० अगस्त, १९६०/१९ श्रावण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७३, २७४, २७७ और २७९ से २८६ .	८८९—९१२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७५, २७६, २७८ और २८७ से ३१६	९१२—२६

विषय सूची

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या ४९८ से ५६५	९२७—५६
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	९५६—५८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९५८–५९
वर्ष १९५७-५८ के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के बारे में विवरण	९५९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियासठवां प्रतिवेदन . . .	९५९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली दुग्ध योजना .	९५९—६१
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (स्थिति, उन्मुक्तियां) तथा विशेषाधिकार विधेयक—पुरस्थापित . . .	९६१
कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव .	९६१—७५
अणुशक्ति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में . .	९७५
मतविभाजन के परिणाम की शुद्धि	९८७
दैनिक संक्षेपिका . .	९८८—९४
अंक ९—गुरुवार, ११ अगस्त, १९६०/२० श्रावण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३१७ से ३२१, ३२३ से ३२७ और ३२९	९९५—१०१७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	१०१७—२१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२२, ३२८ और ३३० से ३४९	१०२१—३०
अतारांकित प्रश्न संख्या ५६६ से ६३७ .	१०३०—६६
स्थगन प्रस्ताव—	
दिल्ली में टिटेनस का फैलना . . .	१०६३—६५
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	१०६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१०६५—६८
दरभंगा मुज़फ़्फ़रपुर ज़िलों में अकाल की स्थिति के बारे में वक्तव्य	१०६८–६९

विषय सूची

पृष्ठ

कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . १०६६—६४

खंड २ से १३ और १

पारित करने का प्रस्ताव . . १०६४—६८

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . १०६८—११०५

खंड १ और २

पारित करने का प्रस्ताव . . ११०५

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . ११०५—१२

दैनिक संक्षेपिका . . . . ११११३—२०

अंक १०—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९६०/२१ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५० से ३५४ और ३५६ से ३६१ . ११२१—४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५५ और ३६२ से ३९१ . . ११४४—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३८ से ७१६ . . . ११५९—९२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . . ११९३—९५

पलाई सेन्ट्रल बैंक . . . . .

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में ११९५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ११९५—९६

राज्य सभा से सन्देश . . . ११९६

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक सभा पटल पर रखे गये—

(१) निष्क्रांत हित (प्रथक्करण) संशोधन विधेयक, १९६० . ११९६

(२) कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण और चिह्न लगाना) संशोधन विधेयक, १९६० . . . . . ११९६

(३) औषधि (संशोधन) विधेयक, १९६० . . . ११९६

(४) प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक . . ११९६

लोक लेखा समिति—

उन्तीसवां प्रतिवेदन . . . ११८७

विषय सूची

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

हिन्दुस्तान कोयला खान, तालचेर में दुर्घटना . ११९७–९८

सभा का कार्य ११९८

समितियों के लिये निर्वाचन --

(१) काफी बोर्ड . ११९९–१२००

(२) रबड़ बोर्ड . . . १२००

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . १२००--२९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

छियासठवां प्रतिवेदन १२२९

विधेयक--पुरस्थापित --

(१) राष्ट्रीय स्मारक आयोग विधेयक (श्री नरसिंहन् का) . १२३०

(२) अन्य धर्मग्राहियों का विवाह विच्छेद विधेयक (श्री प्रकाशवीर शास्त्री का) १२३०

(३) खास तेलों पर (साबुन बनाने के लिये) प्रतिबंध विधेयक (श्री झूलनसिंह का) . १२३०–३१

(४) प्रतिरक्षा सेनायें खाद्य पदार्थ विधेयक (श्री झूलनसिंह का) . १२३१

(५) धार्मिक पूजा स्थानों का प्रत्यावर्तन विधेयक (श्री प्रकाशवीर शास्त्री का) १२३१

(६) भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक (श्री नरसिंहन् का) . १२३१–३२

वेतन की अधिकतम सीमा (गैर-सरकारी क्षेत्र में) विधेयक (श्री अ० मु० तारिक का)--वापस लिया गया--परिचालित करने का प्रस्ताव . १२३२--४९

सामाजिक प्रथायें (व्यय में कटौती) विधेयक--(श्री झूलनसिंह का)--परिचालित करने का प्रस्ताव . . . १२५०

कार्य मंत्रणा समिति --

तिरेपनवां प्रतिवेदन १२५०

दैनिक संक्षेपिका १२५१--५८

नोट :-- मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

बुधवार, ३ अगस्त १९६०

१२ श्रावण, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बंगाल तथा आसाम में चाय पर प्रवेश

+

†*७३ श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगाल और आसाम में चाय पर प्रवेश कर समाप्त करने के बारे में निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) तथा (ख) चाय पर पश्चिमी बंगाल प्रवेश कर और आसाम में वहन कर के प्रश्न पर संबंधित राज्य सरकारों से वार्ता आरम्भ की गई है जो चल रही है ।

†श्री प्र० गं० देव : क्या प्रवेश कर के कारणआसाम के चाय के बगानों में चाय का मूल्य बढ़ गया है ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : कुछ कठिनाई होने की शंका थी । अतः चाय उद्योग से और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से अभ्यावेदन आये थे । हम इस मामले पर संबंधित राज्यों से वार्ता कर रहे है ।

†श्री राम नाथन चेट्टियार : इस कर के समाप्त होने से कितने धन की हानि होगी ?

†मूल अंग्रेजी में

*88 (Ai) LSD—1

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस की गणना नहीं की गई है । उत्पादन शुल्क लगाने के लिये वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय तथा चाय बोर्ड के परामर्श से विचार किया था और यह राशि लगभग ७७०.९३ लाख रुपये थी । यह लगभग अनुमान है । हम ने अभी तक इस की निश्चित गणना नहीं की है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सच नहीं है कि इस कर के कारण साधारण चाय पर कभी कभी तीन बार से भी अधिक बार कर लिया जाता है और इस से समूचे भारत तथा विदेशों में सामान्य चाय के मूल्य पर प्रभाव पड़ रहा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : यह इस सरकार का दोष नहीं है। वह बंगाल सरकार को भी लिख सकती है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल और आसाम की सरकारें चाय पर कर लगाती हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा**: इस कारण तो हम संबंधित राज्य सरकारों से वार्ता कर रहे हैं ।

†**श्री प्र० चं० देव** : प्रवेश कर लगाने से पहिले चाय का मूल्य क्या था और अब क्या है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : आसाम सरकार ७ नया पैसा वहन कर और पश्चिमी बंगाल सरकार ६ नया पैसा प्रवेश कर लगाती हैं । अतः हमें लगभग २ आने प्रति पौण्ड मूल्य बढ़ाना पड़ता है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : माननीय मंत्री ने अभी बताया था कि यह राज्य सरकार का काम है परन्तु केन्द्रीय सरकार लिये जाने वाले चूंगी कर का कुछ भाग लेती है । अतः यह केवल राज्य सरकार का ही संबंध नहीं है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मुझे ऐसी किसी बात का ज्ञान नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या असम गवर्नमेंट और बंगाल गवर्नमेंट भी इस पर राजी हैं कि यह टैक्स हटा दिया जाये ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : बातचीत चल रही है । जैसा शुरू में मैं ने बताया है कि जब बातचीत खत्म हो जायेगी तभी तो पता चलेगा कि पूरी तरह से राजी हैं या नहीं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि आसाम की चाय पर आसाम सड़क कर और बंगाल प्रवेश कर दोनों ही लगते हैं जब कि बंगाल की चाय पर केवल बंगाल कर लगता है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस का कारण यह है कि आसाम सरकार निर्मित चाय ७ नया पैसा प्रति पौंड कर लगाती है जिस का वहन मोटर गाड़ियों यां ट्रालियों या अन्य किसी वस्तु द्वारा होता है । यह वहन कर कहलाता है । पश्चिमी बंगाल सरकार आसाम की चाय पर प्रवेश कर लगाती है । अतः इस पर दोनों कर लगते हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सरकार का विचार यह दोष दूर करने का है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह पहिले ही ऐसा कह चुकी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंडिया आफिस लाइब्रेरी

+

श्री अ० मु० तारिक :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री चिंतामणि पाणिग्रही :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री आसर :
श्री कोडियान :
श्री अनिरुद्ध सिंह :

†*७४. श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रघुनाथ सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० के० देव :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
डा० सामन्तसिंहार :
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :
श्री पांगरकर :
श्री तंगामणि :
श्री आचार :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडिया आफिस लायब्रेरी के अनिर्णीत प्रश्न पर चर्चा करने के लिये वे लन्दन में लार्ड होम से मिले थे;

(ख) क्या पुस्तकालय के हस्तान्तरण के बारे में कोई निर्णय किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया था; और

(घ) यदि कोई निर्णय नहीं किया गया तो इंडिया आफिस लाइब्रेरी प्राप्त करने के लिये सरकार और क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) मैंने सर्वथा व्यक्तिगत रूप में मि० अलपार्ट से भेंट की थी।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) परस्पर स्वीकार्य निश्चय होने तक अपनी मांग पर जोर देते रहना।

†श्री अ० मु० तारिक : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि हमारे प्रधान मंत्री की लन्दन यात्रा में उनकी भेंट फील्ड मार्शल अयूब खां से हुई थी और इस भेंट का संबंध इण्डिया आफिस लाइब्रेरी के विभाजन से था एवं बाद में वह लार्ड होम से भी मिले थे? क्या माननीय मंत्री को इन दोनों में हुई वार्ता की कोई जानकारी है?

†श्री हुमायून् कबिर : १२ मई को प्रधान मंत्री की पाकिस्तान के प्रेसीडेंट अयूब खां तथा ब्रिटेन सरकार के राष्ट्र मंडल सचिव से भेंट हुई थी। उन्होंने साधारणतया लाइब्रेरी के भावी स्वामितत्व तथा व्यवस्था के प्रश्न पर वार्ता की थी। कुछ वैज्ञानिक बातें भी उठीं थीं और यह स्वीकार किया गया था अभी वार्ता के विषय के बारे में नहीं बताया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस मामले में पाकिस्तान का विचार निश्चित रूप से ज्ञात किया गया था, यदि हां, तो वह क्या था?

†श्री हुमायून् कबिर : मैं सदन को पहिले ही बता चुका हूं कि इस मामले में भारत और पाकिस्तान ने घटनात्मक नोट रखे थे। अतः पाकिस्तान का मत जानने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री म० ला० द्विवेदी : इस पुस्तकालय को भारत को देने के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार का क्या ख्याल है और अब स्थिति क्या है?

श्री हुमायून् कबिर : ब्रिटिश सरकार का जो ख्याल है, उसके मुताबिक अगर हम चलें तो वह कभी नहीं देगी।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : प्रश्न स्वामित्व स्थापित करने का है और हमने संयुक्त मांग रखी है और हम उस मांग पर आगे कार्यवाही कर रहे हैं। इस स्थिति में हम और कोई प्रश्न उठाना नहीं चाहते।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या दस्तावेजों की फोटो-कापियां लेने के लिए भारत सरकार ने कोई सुझाव रखा है?

†श्री हुमायून् कबिर : इस मामले पर वार्ता होती रही है परन्तु पहिला प्रश्न वैधिक स्वामित्व निश्चित करने का है। ब्रिटिश सरकार का विचार है कि उनकी वैधानिक मंत्रणा के अनुसार पुस्तकालय उनका है। हमारा स्पष्ट विचार है कि पुस्तकालय अविभाजित भारत की सम्पत्ति है। अतः यह भारत व पाकिस्तान की उत्तराधिकारी सरकारों की सम्पत्ति है।

---

†मूल अंग्रेजी।

†**श्री तंगामणि** : हमें प्रसन्नता है कि इन पुस्तकों के हस्तान्तरण पर पाकिस्तान सरकार ने कोई आपत्ति नहीं की है और इस बात से सहमत है कि वे दोनों सरकारों की संयुक्त सम्पत्ति है। क्या टीपू सुलतान तथा अन्य व्यक्तियों से संबंधित ऐतिहासिक महत्व के कुछ दस्तावेज भारत को दे दिये जायेंगे ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : आजकल पुस्तकालय ब्रिटेन के अधिकार में हैं और अब उस वस्तु का विभाजन नहीं कर सकते जो अभी आपकी नहीं है।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : क्या महत्वपूर्ण दस्तावेजों व रिकार्डों की 'माइक्रो-फिल्म' कापियां बनाने का कोई संयुक्त प्रयास किया गया है ?

†**श्री हुमायून कबिर** : कभी कभी विद्वान व्यक्ति माइक्रो-फिल्म बनाने के लिए ऐसी पाण्डुलिपियां चाहते हैं परन्तु भारत सरकार माइक्रो-फिल्म बनाने के लिए कहना नहीं चाहती चाहती क्योंकि इससे हमारी मांग कमजोर हो जाती है। मैं समझता हूं कि इस बात पर पाकिस्तान सरकार हमसे पूर्णतया सहमत है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस लाइब्रेरी को तैयार करने में शुरू शुरू में रुपया भारत सरकार का खर्च हुआ था या ब्रिटिश सरकार का ?

†**श्री हुमायून कबिर** : हमारी मांग का आधार यह है कि भूमि भारत के धन से खरीदी गई थी, इमारत भी भारतीय धन से बनी थी और १९३७ तक पुस्तकालय का समूचा व्यय भारतीय राजस्व से होता था।

†**डा० मा० श्री० आणे** : यह हमारा कहना है। उनके दावे का आधार क्या है ? क्या उनका कहना है कि सब काम उनके धन से हुआ था ?

†**श्री हुमायून कबिर** : हमारी स्थिति यह सही है कि उनका कोई दावा नहीं है। परन्तु उनका विचार है, और उनके वैधानिक मंत्रणा दाताओं ने उन्हें सलाह दी है कि पुस्तकालय उनका है। मैंने वाणिज्य-कार्य के राज्य मंत्री से कहा है कि यह बात ही कि वे पांच वर्षों में भी कोई उत्तर नहीं ढूंढ सके हैं इस बात का प्रमाण है कि उनके पास कोई वैधिक तर्क नहीं है।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि चूंकि यह मसला पिछले कई सालों से इसी तरह पड़ा हुआ है, और इस के सिलसिले में हमारे मरहूम वजीर तालीम भी लन्दन गये और वजीर आजम भी गये, फिर भी यह हल नहीं हुआ तो क्या हुकूमत हिन्दुस्तान इस मसले को वर्ल्ड कोर्ट के सामने ले जाने को तैयार है।

†**श्री हुमायून कबिर** : राष्ट्रमंडलीय देशों के सम्बन्धों के बारे में कुछ अभिसमय हैं (**अन्तर्बाधा**)। परन्तु हम मामले पर कार्यवाही कर रहे, सुझाव दिये गये हैं और यह वार्ता जारी रहेगी। हम अपने दावों पर उस समय तक जोर देते रहेंगे जब तक कि कोई सहमति से निपटारा नहीं होता (**अन्तर्बाधा**) :

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में प्रबन्ध

†*७५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में प्रबन्ध के वर्तमान स्वरूप सुधार के बारे में विशेषज्ञों की रायों पर विचार कर रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) हां, श्रीमान्।

(ख) राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों में कुशल प्रबन्ध तथा संगठन पर सलाह देने के लिए विशेषज्ञों का क्रमानुसार एक फ्रांसीसी दल और एक ब्रिटिश दल बुलाया गया था। उनसे विशेषकर यह सुझाव देने को कहा गया था कि वे प्रबन्ध की जानकारी तथा नियन्त्रण प्रयोजनों के लिए कारखानों में सामयिक विभागीय विवरण तथा रिपोर्ट देने की प्रणाली की रूपरेखा बतायें। ये दल राउरकेला तथा दुर्गापुर में इस्पात कारखानों की कार-खाना व्यवस्था तथा प्रबन्ध की जांच कर रहे हैं और उनका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में भारत सरकार के श्रम अधिनियमों पर सारे उपबन्ध लागू होते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न इससे कैसे उत्पन्न होता है ? यह तो प्रश्न यह है कि क्या सरकार वर्तमान प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार करने के लिए विशेषज्ञों के मत पर विचार कर रही है। हम यहां ब्यौरे की बात नहीं कर रहे है।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार राउरकेला इस्पात कारखाने की वर्तमान प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन करने का है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : उनका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। मैं यह पूर्वानुमान नहीं लगा सकता कि वे कोई परिवर्तन की सिफारिश करेंगे। यदि करते भी हैं तो उस पर विचार किया जायेगा और यदि यह प्रतीत होगा कि परिवर्तन की आवश्यकता है तो किया जायेगा।

†**श्री जयपाल सिंह** : मंत्री महोदय ने बताया था कि सलाह केवल राउरकेला और दुर्गापुर के बारे में मांगी गई है। भिलाई को क्यों छोड़ दिया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : प्रश्न इन्हीं दोनों इस्पात कारखानों के बारे में है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : सारे इस्पात कारखाने।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : एक रूसी दल भिलाई कारखाने की भी परीक्षा कर रहा है।

†**श्री दामानी** : क्या यह विचार किया जा रहा है या किया जायेगा कि लोहा तथा इस्पात के गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ अनुभवी व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के बोर्ड में नियुक्त किया जाये और उनके अनुभव से लाभ उठाया जाय ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : हमने एक विशेषज्ञ निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त कर लिया है जो गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में था।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ने दुर्गापुर में रूसियों से 'प्रोत्साहन योजना' ग्रहण कर ली है जिसके अनुसार मजदूरों के दैनिक सिद्धान्त निर्धारित किये जाते हैं और दैनिक मजदूरों को अधिक काम के लिए अधिक मजूरी मिलती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : दुर्गापुर के लिए सिद्धान्तों संबंधी रूसी योजना के बारे में मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है।

†**श्री त्यागी** : क्या यह भिलाई में लागू है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : श्रीमान्, अभी नहीं।

सेठ अचलसिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मौजूदा इन्तजाम है वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इन्तजाम तो जारी रहेगा। पूरा इन्तजाम करने का क्या सवाल है यह मेरी समझ में नहीं आया। बड़े बड़े प्लान्ट चालू हैं उन का इन्तजाम तो हमेशा होता रहेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस दृष्टि से कि सरकार की नीति है कि मजदूरों को कम से कम प्रबन्ध में सम्मिलित किया जाय, इस का क्या कारण है कि इस से पहिले सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में श्रम विधियां तथा कारखाना अधिनियम लागू नहीं किये जाते ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : श्रम विधियां तथा कारखाना विधियां लागू होने चाहियें। यदि कोई निश्चित मामले बताये जायें तो हम वहां इन्हें लागू करायेंगे।

कुछ माननीय सदस्य उठे--

†**अध्यक्ष महोदय**: शान्ति, शान्ति। प्रश्न एक विशेषज्ञ समिति के बारे में है। माननीय मंत्री दो बार कह चुके हैं कि वह उस की जांच कर रहे हैं और समिति ने अभी अपनी अन्तिम रिपोर्ट नहीं दी है। माननीय मंत्री इस का उत्तर दे चुके हैं कि कारखाना विधान आदि कितना लागू किया जा रहा है। यदि माननीय सदस्यों का भिन्न विचार है तो वे भिन्न प्रश्न पूछें।

†**श्री मुखरिका** : इस दृष्टि से कि एक या दो इस्पात कारखाने अभी चालू नहीं हुए हैं और अन्य एक अभी चालू हुआ है, ऐसे विशेषज्ञ दल की क्या आवश्यकता है ? क्या सरकार ने महसूस किया कि इस्पात कारखाने का प्रबन्ध कुशल नहीं है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : दुर्गापुर व राउरकेला के दोनों इस्पात कारखानों में वस्तुतः उत्पादन आरम्भ हो गया है। उत्पादन व प्रबन्ध की कुछ समस्यायें है। इस बारे में हमारा विचार था कि इस की अभी जांच करना लाभदायक होगा। अतः हम ने कोलम्बो योजना के अन्तर्गत यह ब्रिटिश दल और फ्रांसीसी सहायता प्रोग्राम के अन्तर्गत फ्रांसीसी दल बुलाया है। उन्होंने मामलों की जांच की है और कुछ प्रारम्भिक सिफारिशें की हैं। अन्तिम सिफारिशें प्राप्त होने पर हम यह निश्चय कर सकेंगे कि उन का काम लाभदायक था या नहीं। दूसरों के अनुभव से लाभ उठाने में मुझे कोई झिजक नहीं है।

†**श्री नाथपाई** : क्या मंत्रालय ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिये कुछ विदेशी विशेषज्ञ बुलाने से पहिले लोक सभा की प्राक्कलन समिति की तीनों इस्पात कारखानों के प्रबन्ध तथा प्रशासन की कुशलता सम्बन्धी सिफारिशों पर विचार कर के लागू करने का प्रयत्न किया था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : प्राक्कलन समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं। और मुझे विश्वास है कि प्रबन्ध उन से लाभ उठायेगा। उस से अन्य जांच पर रोक नहीं लगती।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : प्रश्न यह था कि क्या प्रबन्ध ने प्राक्कलन समिति की सिफारिशों से लाभ उठाया या नहीं। वास्तव में दूसरी जांच का प्रश्न उस समय उठना चाहिये जब कि वे प्राक्कलन समिति की सिफारिशों से लाभ न उठायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का आशय यह जान पड़ता है । इस सदन की विशेषज्ञ समिति को जो कार्य दिया जाता है, वह उस के बारे में रिपोर्ट देती है । यदि उसी कार्य के लिये स्वयं सरकार विशेषज्ञ समिति नियुक्त करती है, तो क्या ऐसा करना उन सिफारिशों की उपेक्षा करना होगा जो विस्तृत विचार-विमर्श के बाद की गई हैं । समय समय पर यह बात उठाई गई है । प्राक्कलन समिति भी इस के लिये बहुत उत्सुक रही है कि जब वह किसी मामले की जांच कर रही तब सरकार अपनी समिति नियुक्त न करे । क्या अन्य ढंग से यह बात को टालना नहीं है । मैं चाहता हूं कि प्राक्कलन समिति की सिफारिशें पहिले लागू की जाये ताकि और कोई सिफारिशें आकर उन्हें पीछे न ढकेल सकें ।

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की उत्सुकता से सहमत हूं कि प्राक्कलन समिति की सिफारिशें अलग रहें । प्राय: वे स्वीकार हो जाती हैं । यदि स्वीकार नहीं होतीं तो संबंधित मंत्रालय इस माननीय सदन में आता है या प्राक्कलन समिति को समझाने का प्रयत्न करता है और इस की एक नियमित प्रक्रिया है । निस्संदेह इस प्रक्रिया का पालन होता है । जो मामला प्राक्कलन समिति के विचाराधीन है उस की उपेक्षा करने की कोई बात ही नहीं है ।

इन विशेषज्ञों के क्षेत्राधिकार का प्राक्कलन समिति की सिफारिशों से कोई संबंध नहीं है । संचालन, उत्पादन तथा प्रबन्ध के मामलों में अनुभवी देशों की दक्ष सलाह से लाभ उठाना चाहिये बजाय इस के कि उस पर इस प्रकार नुकता-चीनी की जाय जैसे कि कुछ माननीय सदस्य कर रहे हैं ।

दिल्ली में स्कूल

+

*७६. श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री प्र० गं० देव :
श्री नरदेव स्नातक :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री राम गरीब :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष दिल्ली में कुछ और नये स्कूल खोले गये हैं, या अगले वर्ष खुलने वाले हैं;

(ख) नये स्कूलों को कितना अनुदान देने का विचार है;

(ग) दिल्ली में कितने स्कूलों के अपने भवन नहीं हैं । और उन में कितने छात्र पढ़ते हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि इस वर्ष भी बहुत से छात्रों को अब तक किसी स्कूल में प्रवेश नहीं मिल सका ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) नये स्कूल या तो सरकार द्वारा या स्थानीय निकायों द्वारा खोले गये हैं । स्थानीय निकायों को निर्धारित नियमों के अनुसार अनुदान दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दिल्ली प्रशासन और स्थानीय निकायों के तम्बुओ में लगने वाले स्कूलों की संख्या २३७ है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या १०६,००० है ।

(घ) जी नहीं ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : दिल्ली में लगभग प्रति वर्ष यह समस्या उपस्थित होती है कि जितने छात्र होते हैं उस अनुपात में स्कूल पर्याप्त नहीं होते। तो क्या सरकार ने आगामी वर्षों के लिये कोई योजना बनायी है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जैसा कि मैं ने आप से प्रश्न का उत्तर देते हुए निवेदन किया है, जहां तक स्कूलों का ताल्लुक है, कोई समस्या नहीं है। जितने भी छात्र होते हैं उन को हाई स्कूल या या हायर सैकन्डरी स्कूलों में दाखिला मिल जाता है। हां अगर कोई छात्र किसी विशेष स्कूल में दाखिल होना चाहता है और उस में स्थान नहीं होता तो उस को कहा जाता है कि वह दूसरे स्कूल में जा सकता है। लेकिन जहां तक स्कूलों का सवाल है दिल्ली में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। यह जरूर है कि कुछ स्कूल टेंटों में चल रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि एक वर्ष के अन्दर अन्दर यह टेंट भी हटा दिये जायेंगे और इन की जगह इमारतें बना दी जायेंगी। बीस साल में जो आवश्यकतायें दिल्ली की होंगी उन का पूरा नक्शा बन चुका है और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, कारपोरेशन और म्युनिसिपैलिटी सब को बता दिया गया है कि किस तरह से दिल्ली में आगामी २० सालों में शिक्षा का का विकास होना चाहिये ।

श्री म० ला द्विवेदी : मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान पत्रों के उन समाचारों की ओर दिलाना चाहता हूं जिन में कहा गया है कि दिल्ली में इस वर्ष दस हजार छात्रों को स्थान नहीं मिल सका। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है। अगर यह सही नहीं है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर यह बात सही है तो इस के लिये क्या इन्तिजाम किया जा रहा है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह प्रश्न स्कूल स्टेज के लिये नहीं है। यह कालिज स्टेज का प्रश्न है और उस के सम्बन्ध में मैं एक दो रोज में एक स्टेटमेंट हाउस के सामने रख रहा हूं। उस में पूरी स्थिति को हाउस के सामने रख दिया जायेगा ।

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या दिल्ली में स्कूलों में सुधार करने के लिये या आजकल देशों में चल रहे स्कूलों को चलाने के लिये सरकार ने कोई आर्थिक सहायता दी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह नियमित प्रक्रिया है। जब कभी कोई संस्था आदि सहायता की प्रार्थना करती है तो सरकार सदैव ही आवेदन पत्र पर गुणों के अनुसार विचार करती है।

†**श्री अनसार हरवानी** : शिक्षा दुकानों में दी जाने वाली फीस की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है क्योंकि वे सरकारी स्कूलों आदि से अधिक हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इन शिक्षा-दुकानों से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि शिक्षा संस्थाओं में सुधार किया जाय और शिक्षा की उत्तम सुविधायें दी जायें और हम इसी के लिये निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री सूपकार** : क्योंकि सरकार आगामी वर्ष से प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य कर रही है, इस कारण मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उन भाषाई वर्गों के बच्चों के लिये क्या व्यवस्था कर रही है दिल्ली में जिन का अपना कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली: सरकार ने शिक्षा के माध्यम की एक नीति निर्धारित की है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड ने यह निश्चय किया है कि प्राइमरी शिक्षा का माध्यम जहां तक होगा बालक की मातृ भाषा रहेगी। जहां भाषाई अल्पसंख्यक रहते हैं वहां ऐसी व्यवस्था करना सरकार का काम है।

†श्री सूपकार: प्रश्न यह है कि क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : दिल्ली में प्रथा यह है कि आजकल भी विभिन्न भाषाई वर्ग अपने ही मातृ भाषा में शिक्षा पा रहे हैं। तामिल, गुजराती, महाराष्ट्र और अन्य के लिये स्कूल हैं। सरकार सभी संस्थाओं को अपनी भाषा में शिक्षा देने के लिये प्रोत्साहन दे रही है।

श्री नवल प्रभाकर : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक वर्ष के अन्दर तम्बुओं को हटा दिया जायेगा और उन के स्थान पर भवन बना दिये जायेंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि आप जो यह भवन बनायेंगे स्कूलों के लिये, वह अस्थायी होंगे या परमानेंट होंगे।

डा० का० ला० श्रीमाली : स्थायी से अगर आप का मतलब यह है कि हजारों वर्ष तक ये चलें, तब तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन वह इतने स्थायी जरूर होंगे कि बीस पच्चीस साल तक दिल्ली की आवश्यकताओं के लिये काफी हों, एक जैनेरेशन के लिये काफी हों।

†श्री भा० कृ० गायकवाड : यदि मैं माननीय मंत्री को ठीक समझ सका हूं तो उन्होंने सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा पाने वाले लड़कों की संख्या बताई है। क्या दिल्ली में कुछ सरकारी स्कूल भी हैं और यदि हां तो सरकारी स्कूलों में और सहायता प्राप्त स्कूलों में कुल कितने लड़के शिक्षा पाते हैं ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैंने कोई संख्या नहीं बताई है। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य कहां से उद्धारण दे रहे हैं।

†श्री भा० कृ० गायकवाड : एक प्रश्न के उत्तर में श्री माननीय मंत्री ने कहा था कि सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या इतनी है कि वहां पढ़ने वाले लड़कों की संख्या इतनी है।

†डा० का० ला० श्रीमाली : माननीय सदस्य की जानकारी गलत है। मैं डेरों में केवल शिक्षा पाने वाले लड़कों की संख्या बता रहा था।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अभी मंत्री जी ने कहा कि करीबन २० साल के लिए हमने योजना बना ली है। मैं जानना चाहता हूं कि उस योजना की रूपरेखा क्या है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : उसकी रिपोर्ट में पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रख दूंगा।

इस्पात का आयात

+

†*७७. { श्री सै० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९६० में विदेशों से इस्पात का आयात करने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और किस किस देश से कितना-कितना इस्पात मंगाने का विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) आशा है कि १९६० में लगभग ६००,००० टन इस्पात का आयात किया जायेगा । रुपया अदायगी करार वाले देशों से अर्थात् रूस, चैकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड, हंगरी तथा यूगोस्लाविया आदि से भारत द्वारा उन देशों के साथ किये गये करारों के अनुसार इस्पात का आयात करने के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं । रूस से ५५,५०० मैट्रिक टन इस्पात और चैकोस्लोवाकिया से ५०० टन इस्पात के तारों के आयात के सम्बन्ध में करार कर लिये गये हैं। अमेरीका विकास ऋण निधि की राशियों के बदले इस्पात के आयात और इंगलैंड, अमरीका, पश्चिमी जर्मनी, जापान, बैल्जियम हौलैण्ड और आस्ट्रेलिया आदि, से वस्तुविनिमय आयात के सम्बन्ध में व्यवस्था की जा रही है।

†**श्री सै० अ० मेहदी** : जिस इस्पात का आयात किया जा रहा है, वह किस किस्म का इस्पात है और इस देश में उसका उत्पादन प्रारम्भ करने में कितना समय लगेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : संभवतः माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि किस कोटि का इस्पात मंगाया जा रहा है । जिस प्रकार के सामान की यहां पर कमी है, वही सामान मंगाया जा रहा है । वे हैं—चादरें, तार, आदि। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि इन वस्तुओं का हमें कितने समय तक आयात करना पड़ेगा, मैं यह बता देना चाहता हूं कि अब आयात में निरन्तर कमी होती जा रही है । १९५८ में लगभग ११,७३,००० टन इस्पात का आयात किया गया था। १९५९ में केवल ७ लाख टन का आयात किया गया था और आशा है कि इस वर्ष केवल ६ लाख टन का आयात किया जायेगा। आशा है कि इस वर्ष लगभग २५ लाख टन इस्पात का उत्पादन होगा जो कि १९५९ के उत्पादन से ८ लाख टन अधिक होगा। आशा है कि चालू वर्ष में कुल ३१ लाख टन इस्पात उपलब्ध हो सकेगा जो कि १९५९ की उपलब्धी से लगभग ५ लाख टन अधिक होगा।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : इसका आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता है या कि गैर-सरकारी फर्मों के द्वारा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : दोनों के द्वारा।

†**श्री दामानी** : वस्तु विनिमय पद्धति के द्वारा कुल कितनी कीमत के इस्पात का आयात किया जाता है और किस किस वस्तु के आयात की अनुमति दी जाती है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जहां तक कुल कीमत के प्रश्न का सम्बन्ध है, उसका उत्तर देना कठिन है, क्योंकि भिन्न-भिन्न किस्म की वस्तुओं की भिन्न-भिन्न कीमतें होती हैं । अनुमानतः एक लाख टन की कीमत ६ करोड़ रुपये है। यह केवल एक मोटा सा अनुमान है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, वस्तु विनिमय प्रबन्धों के अधीन केवल उन्हीं वस्तुओं के आयात की अनुमति दी जाती है जिनकी देश में अपेक्षतया कमी है जैसे कि चद्दरें, तार, स्टेनलैस स्टील, विशेष इस्पात, आदि।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेठ गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने यह बतलाया कि हमारे यहां पर जो आयात हो रहा है वह धीरे धीरे कम हो रहा है तो क्या मैं जान सकता हूं कि यह कब तक आशा की जा सकती है कि हम को बाहर से यह सामान नहीं मंगाना पड़ेगा और जो सामान हम बाहर से मंगा रहे हैं क्या उस प्रकार का सामान भी हमारे यहां तैयार करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जहां तक पहले सवाल का सम्बन्ध है जब यह स्टील प्लांट्स पूरी तरह चालू हो जायेंगे तो हमारे देश की बहुत सी रिक्वायरमेंट्स उनसे पूरी हो जायेंगी। जहां तक उस किस्म के माल का सम्बन्ध है वह भी नये स्टील प्लांट्स में मसलन लोहे की चादरें, वायर्स वगैरह के भी बनाने का प्रबन्ध किया जा रहा है ?

†**श्री रघुनाथ सिंह :** क्या रूस, अमरीका और इंगलैंड से इस्पात की किस्में और कीमतें एक समान हैं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** वे एक समान नहीं हैं ।

†**श्री प्र० गं० देव :** क्या इस्पात सरकारी खाते में मंगवाया जा रहा है या कि गैर-सरकारी खाते में ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** अधिकांश आयात की व्यवस्था लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक अथवा राज्य व्यापार निगम की मार्फ़त जाती है। भारत में पहुंचने के बाद इस्पात को सरकारी और गैर-सरकारी आवश्यकताओं के लिये आवंटित किया जाता है।

†**श्री मोहम्मद इमाम :** आयात किये जाने वाले इस्पात की भारत पहुंचने पर कीमत देश में निर्मित इस्पात की कीमत की तुलना में कैसी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** विदेशों से आयात किये गये इस्पात की कीमत स्वदेशी इस्पात की कीमत से अधिक है ?

†**श्री मोहम्मद इमाम :** कितनी अधिक है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह विभिन्न कोटियों के अनुसार अलग अलग है। परन्तु मोटे तौर पर यदि आयात किये गये इस्पात की कीमत ६०० रुपये प्रति टन हो, तो स्वदेशी कीमत १०० या १५० रुपये कम होगी।

†**श्री त्यागी :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्वदेशी इस्पात का उत्पादन २५ लाख टन बढ़ गया है और आयात ६ लाख टन कम हो गया है क्या सरकार अब 'पूल' मूल्य का पुनरीक्षण करने की संभावना पर विचार कर रही है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जी, नहीं।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि रूस, अमरीका और यू० के० के स्टील की कीमतों में क्या अन्तर है। १०० रुपये का, २०० रुपये का या ५० रुपये का, कितने का अन्तर है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में मुख्तलिफ हैं और यह बतलाना बड़ा कठिन है। आम तौर पर जो भी सप्लायर्स हैं वह इंटरनेशनल मार्केट देख कर ही कीमत

---

†मूल अंग्रेजी में

मुकर्रर करते हैं। अब यह आखिर व्यापार की बात है और सभी देशों को पता है कि दूसरे देश से किस भाव पर स्टील मिल सकती है और जिस वक्त वह देने लगते हैं तो देख लेते हैं कि उसका फ्रेट इतना होगा और उससे कुछ रिआयत दे देते हैं। यह तो एक 'नेगोशियेशन्स' का मामला है और इस बारे में मैं कोई एक पक्का उत्तर नहीं दे सकता।

†**श्री बासप्पा :** क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्धारण किया जायेगा कि इस्पात के आयात में जहाजों के भाड़े पर कितना खर्च आ जाता है और क्या इस इस्पात को भारतीय जहाजों में लाने के सम्बन्ध में मैं कोई कार्यवाही की गयी है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** अच्छा यही है कि यह प्रश्न परिवहन मंत्रालय से पूछा जाये।

†**श्री सै० अ० मेहदी :** किन किन कम्पनियों या एजेन्सियों के द्वारा इस्पात मंगवाया जाता है और क्या इस्पात का निर्यात भी किया जाता है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यदि अलग प्रश्न पूछा जाये तो मैं जानकारी इकट्ठी करने का यत्न करूंगा। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, हमने कुछ ऐसे सामान का निर्यात किया है जो कि यहां फालतू था।

†**श्री कालिका सिंह :** क्या विदेशों से इस्पात के आयात का कार्यक्रम वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के परामर्श से तैयार किया जाता है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह वाणिज्य तथा उद्योग तथा इसका उपयोग करने वाले अन्य मंत्रालयों जैसे रेलवे तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के परामर्श से निर्धारित किया जाता है।

ऐतिहासिक स्मारक

+

*७८. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री इ० मधुसूदन राव : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड की स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में राज्य सरकारों को कितने ऐतिहासिक स्मारक सौंपे गये हैं,

(ख) क्या इन स्मारकों की देखभाल और मरम्मत के लिये केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कुल व्यय का कितने प्रतिशत ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :)** (क) केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड ने जिन ११५ स्मारकों को अरक्षित घोषित करने की सिफा-

†मूल अंग्रेजी में

रिश की थी, उन में से अब तक १०७ स्मारकों को अरक्षित घोषित कर दिया गया है और राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे इन स्मारकों को अपने हाथ में ले लें।

(ख) जी, हां।

(ग) कुल खर्च के ५०% से ज्यादा नहीं।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसी इमारतें विभिन्न राज्यों में हैं जो पुरातत्व महत्व की हैं—आर्किलौजिकल एम्पोर्टेंस की है—इस सब की जांच पड़ताल करने के लिये क्या कोई एजेंसी है जो कि समय समय पर उनकी जांच करती रहे और उनको इस विभाग के संरक्षण में लाया जा सके ? यदि ऐसा है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है या केन्द्रीय सरकार पर है ?

†**डा० म० मो० दास :** इसके लिए एक केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड है। इस बोर्ड में राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। इस बोर्ड ने एक स्थायी समिति स्थापित की है। और उसकी अनुमति के बिना हम किसी भी स्मारक पर संरक्षण खत्म नहीं करते। जब भी हम किसी स्मारक को संरक्षण से हटाते हैं, तो यह काम उस स्थायी समिति की अनुमति से ही किया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे यह जानना चाहते हैं कि जो मूर्तियां आदि विदेशों को ले जाई गई हैं उनके सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है ? क्या उन्हें प्राप्त करने का काम राज्य सरकारों का है अथवा केन्द्रीय सरकारों का ? वास्तव में वह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** माननीय उपमंत्री ने यह बताया है कि केन्द्रीय सरकार इन स्मारकों के संरक्षण पर आने वाले व्यय का ५० प्रतिशत तक भाग वहन करेगी। क्या सरकार ने अभी तक किसी भी राज्य सरकार को ५० प्रतिशत राशि अदा की है।

†**डा० म० मो० दास :** अभी तक इस अनुदान के लिये किसी भी राज्य सरकार से कोई भी आवेदन पत्र नहीं आया।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या ऐसी पुरातत्व महत्व की इमारतें भी, जो कि राष्ट्रीय महत्व की हैं, राज्य सरकारों के सुपुर्द कर दी जाएंगी और क्या इस बात की गारंटी होगी कि उनकी देख भाल ठीक तरह से होगी ?

†**डा० म० मो० दास :** जी नहीं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय महत्व के किसी भी स्मारक को राज्य सरकारों के सुपुर्द नहीं किया गया है। वास्तव में संविधान के अधीन यह केन्द्रीय सरकार का उत्तर दायित्व है कि वह अखिल भारतीय राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संधारण तक संरक्षण की व्यवस्था स्वयं करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिक और प्रविधिक जानकारी की केन्द्रीय संस्था

†

†*७९. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ३० मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बीच वैज्ञानिक और प्रविधिक जानकारी की केन्द्रीय संस्था की स्थापना के बारे में डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में स्थापित की गई समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : एक पूर्ववर्ती प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह बताया था कि एक प्रश्नावली तैयार की गई है। क्या इसे परिचालित कर दिया गया है; और यदि हां, तो किसे ?

†**श्री हुमायून कबिर** : प्रश्नावली परिचालित कर दी गई है और दो संस्थाओं के अतिरिक्त शेष सभी से उत्तर भी प्राप्त हो गए हैं ।

†**श्री तंगामणि** : पहले एक अवसर पर हमें बताया गया था कि यह केन्द्र इसलिये स्थापित किया गया है ताकि अनुसन्धानों के परिणाम सम्बन्धित संस्थाओं को उपलब्ध कराये जा सकें। क्या सरकार यह बता सकती है कि यह केन्द्र कब तक स्थापित किया जा सकेगा ?

†**श्री हुमायून कबिर** : माननीय सदस्य एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मेरे द्वारा कही गई बात का उल्लेख कर रहे हैं। परन्तु यदि वह इससे पहले अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को पढ़ें तो उन्हें ज्ञात होगा कि मैंने यह भी बताया था कि इस केन्द्र की कोई बहुत अधिक जल्दी नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में बहुत सा काम 'इनस्डाक' द्वारा पहले ही से किया जा रहा है ; इस समय इस सम्बन्ध में दो एजेन्सियां काम कर रही हैं। रूस एक में केन्द्रीयित एजेन्सी है। अमेरिका में बहुत सी केन्द्रीयित एजेन्सियां हैं। ये दोनों प्रतिद्वन्दी एजेन्सियां हैं। हम कोई भी निश्चित अथवा अन्तिम निर्णय करने से पहले सारी स्थिति पर अच्छी प्रकार से विचार कर लेना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंजीनियरिंग विशेषज्ञों का केन्द्रीय 'पूल'

+

†*८०. श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री आसर :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० मांझी :
श्री नेक राम नगो :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या गृह-कार्य मंत्री १९ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियरिंग विशेषज्ञों का केन्द्रीय "पूल" बनाने में अब तक और क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : केन्द्रीय इन्जीनियरिंग विशेषज्ञ "पूल" स्थापित करने की योजना समाप्त कर दी गई है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : एक पूर्ववर्ती प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय ने इस योजना का समर्थन नहीं किया है । मैं जानना चाहता हूं कि इस योजना को अस्वीकार करने के क्या कारण थे ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : उस मंत्रालय के केन्द्रीय इन्जीनियरिंग संगठन में पहले से ४३४ पदाधिकारी हैं । उन में से जल 'विंग' में १४३ प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी हैं और विद्युत् 'विंग' में ९७ प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी हैं । इसके अतिरिक्त द्वितीय श्रेणी के ११३ पदाधिकारी जल 'विंग' में और ८१ पदाधिकारी विद्युत् 'विंग' में हैं । उस मंत्रालय का यह विचार है कि यदि 'पूल' बना दिया गया तो वह सन्तोषजनक ढंग से काम न कर सकेगा क्योंकि जिन इन्जीनियरों को इस 'पूल' में सम्मिलित किया जायगा उन का अपने अपने राज्यों में भी स्थायी पदों पर ग्रहणाधिकार रहेगा, वे अपने राज्यों में विभिन्न वेतन क्रमों के अनुसार वेतन प्राप्त करते रहेंगे और केन्द्र को उनकी सेवायें केवल उतनी ही अवधि के लिये उपलब्ध हो सकेंगी जितने समय तक राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकता न होगी । इसीलिये उक्त विभिन्न बातों पर विचार करने के उपरान्त इस मंत्रालय ने यही निर्णय किया है कि इस प्रकार का 'पूल' बनाने से कोई विशेष लाभ न होगा ।

†**श्री नाथ पाई** : गत सप्ताह समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि हिमालय सीमान्त क्षेत्रों में संचार व्यवस्था के विकास के लिये इन्जीनियरों का एक और 'पूल' बनाया जा रहा है । क्या वह एक अलग 'पूल' होगा अथवा क्या इस 'पूल' के लिये इन्जीनियर पहले के 'पूल' से लिए जावेंगे ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं नहीं कह सकता कि इस सम्बन्ध में भी 'पूल' शब्द का प्रयोग किया गया था; परन्तु यह सच है कि सीमान्त क्षेत्रों में तैयार हो रही सड़कों की देख भाल के लिये इन्जीनियर नियुक्त किए गए हैं और वे वहां पर काम कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि :** क्या यह सच नहीं है कि सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के पास ऐसे बहुत से विशेषज्ञ इन्जीनियर हैं जिन्हें सड़क निर्माण के सम्बन्ध में पर्याप्त अनुभव प्राप्त है ? यदि हां, तो फिर नये आदमी क्यों भरती किए गए हैं ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** वे विशेषज्ञ अपने अपने काम में व्यस्त हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** अलग 'पूल' बनाने के सम्बन्ध में जो योजना थी उसे छोड़ दिया गया है।

†**श्री तंगामणि :** यह तो बड़ी अद्भुत सी बात है कि यह योजना केवल इस लिए छोड़ दी गई है कि एक मंत्रालय इस योजना से सहमत नहीं। वास्तव में इस योजना को एक अलग योजना के रूप में चालू करना चाहिये क्योंकि इस से विभिन्न परियोजनाओं में सहायता मिल सकती है।

†**श्री गो० ब० पन्त :** ये इन्जीनियर वास्तव में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के अन्तर्गत आते हैं।

केन्द्रीय आयुध डिपो, छेवकी

+

†*८१. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ३ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय आयुध डिपो, छेवकी (इलाहाबाद) में सामान की स्थानीय रूप से की गई खरीद में अनियमितताओं के सम्बन्ध में विशेष पुलिस संस्थान द्वारा की जाने वाली जांच में आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** यह मामला विशेष पुलिस संस्थापन के हाथ में है।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में विशेष पुलिस संस्थापन की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा अच्छी प्रकार से विचार कर लिया गया है और इस की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** ३ मार्च को हमें यह बताया गया था कि यह मामला विशेष पुलिस संस्थापन को सौंप दिया गया था। अब पांच महीने गुजर गये हैं, परन्तु फिर भी मामला विचाराधीन है। इसमें अब और कितना समय लगेगा ?

†**श्री रघुरामैया :** मैंने बताया है कि सरकार ने सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। विशेष पुलिस संस्थापन आवश्यकतानुसार अभियोग चलाने के लिये आरम्भिक कार्यवाही कर रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामेश्वर टांटिया।** क्या विशेष पुलिस संस्थापन ने इस बात का कोई संकेत दिया है कि कितनी राशि की गड़बड़ हुई है ;

†**श्री रघुरामैया :** जैसा कि मैंने पहिले बताया है, इस प्रश्न का सम्बन्ध स्थानीय खरीद में अनियमितताओं से है और यह प्रश्न लगभग ७९,००० रुपयों के उन बिलों से पैदा हुआ था, जो कि सम्बन्धित पदाधिकारियों के सामने पेश किये गये थे। परन्तु गबन की गई राशि इतनी नहीं है। इसी सम्बन्ध में विशेष पुलिस संस्थापन ने जांच की थी और उसे ज्ञात हुआ है कि कुछ राशि का गबन हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या विशेष पुलिस संस्थापन ने उस राशि का निर्धारण किया है ?

†**श्री रघुरामैया :** जी, नहीं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** ३ मार्च को हमें यह बताया गया था कि विशेष पुलिस संस्थापन की रिपोर्ट फरवरी में प्राप्त हो गई थी। अब माननीय मंत्री ने यह भी बताया है कि पुलिस द्वारा कुछ एक व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे दायर किये जा रहे हैं। क्योंकि इस मामले का सम्बन्ध स्थानीय वस्तुओं से था, इस लिये हम यह पूछना चाहते हैं कि क्या इस में कोई ठेकेदार भी अन्तर्गत है और यदि है तो क्या उनके विरुद्ध विशेष पुलिस संस्थापन द्वारा जांच की जा रही है ?

†**श्री रघुरामैया :** जी, हां

माउंट आबू में खेल-कूद का प्रशिक्षण

†

*८२. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री वें० प० नायर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओलिम्पिक खेलों के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिये माउंट आबू में क्या व्यवस्था की गई है ;

(ख) इस प्रशिक्षण में कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं ; और

(ग) सरकार इन खिलाड़ियों को क्या सुविधायें दे रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० श्रीमाली) :** (क) से (ग). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) माउंट आबू में प्रशिक्षण शिविर का अयोजन अव्यवसायिक खिलाड़ी संघ (एमेच्योर एथलैटिक फैडरेशन) ने किया था। राजस्थान राज्य खेल परिषद् ने प्रशिक्षण और निवास की सुविधाएं प्रदान कीं। राजकुमारी खेल प्रशिक्षण योजना और रेलवे खेल नियन्त्रण मंडल से साज-सामान प्राप्त किया गया था। कूदने के मानकों (जम्पिंग स्टेंडर्डस) की तरह का बहुत भारी सामान स्थानीय रूप से प्राप्त किया गया था। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के

†मूल अंग्रेजी में

लिए ५ भारतीय प्रशिक्षक लगाये गये जिनमें राजकुमारी खेल प्रशिक्षण योजना द्वारा भेजे गए चार प्रशिक्षक भी शामिल हैं। शिविर में प्रशिक्षण देने के लिए एक अमरीकी प्रशिक्षक भी लगाया गया।

(ख) चुनाव परीक्षणों से पहिले प्रशिक्षण के लिए २७ खिलाड़ी अस्थायी रूप से चुने गये थे।

(ग) चूंकि शिविर का आयोजन अव्यवसायिक खिलाड़ी संघ (एमेच्योर एथलैटिक फैडरेशन) ने किया था, इसलिए सरकार द्वारा खिलाड़ियों को सुविधाएं देने का प्रश्न ही नहीं उठता था। फिर भी सरकार ने शिविर पर अनुमोदित खर्च के ७५ प्रतिशत के बराबर अनुदान देना स्वीकार कर लिया है। शिविर का लेखा प्राप्त होने पर अनुदान की ठीक रकम का निश्चय किया जाएगा।

श्री नवल प्रभाकर : इस विवरण को देखने से ज्ञात होता है कि एक प्रशिक्षक अमरीकी लगाया गया है। वह किस की ओर से लगाया गया है?

डा० का० ला० श्रीमाली : राजकुमारी कोचिंग स्कीम की ओर से।

श्री नवल प्रभाकर : इस शिविर में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है?

डा० का० ला० श्रीमाली : पूरी रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं आई है। अगर माननीय सदस्य नोटिस देंगे, तो मैं यह सूचना उन को दे दूंगा। लेकिन २७ में से ३ महिलायें थीं। उन को माउंट आबू की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया था। लेकिन सही नम्बर कितना था, यह नोटिस मिलने पर बता दूंगा।

†**श्री अ० क० गोपालन :** विवरण में यह बताया गया है कि चुनाव के लिये किये गये ट्रायल्स (परीक्षणों) से पहिले २७ खिलाड़ियों को अस्थाई रूप से चुना गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि चुनाव के लिये 'ट्रायल्स' कहां किए गये थे और इन २७ व्यक्तियों को अस्थाई रूप से किसने चुना?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** 'एमेच्योर एथलैटिक फैडरेशन' ही चुनाव के लिये उत्तरदायी है और 'ट्रायल्स' भी उसी के द्वारा किए जाते हैं।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या सरकार का ध्यान इस प्रेस रिपोर्ट तथा श्री जाल पर्दीवाला जो कि भारत के एक अत्यन्त प्रतिष्ठित खेल प्रशिक्षक हैं, की इस रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है कि अन्तिम प्रशिक्षण के समय मार्ग (ट्रैक) उचित प्रकार से नहीं बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त उन्हें जो भोजन दिया गया था वह बहुत घटिया दर्जे का था, क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस सम्बन्ध में सरकार कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि इसकी व्यवस्था फैडरेशन द्वारा की जाती है और प्रत्येक बात की ओर ध्यान रखने की जिम्मेवारी उन्हीं की है। इस प्रकार के प्रविधिक मामलों का ध्यान रखना सरकार का काम नहीं है।

†**श्री वें० प० नायर :** विवरण से यह ज्ञात होता है कि खर्च की मंजूर राशि में से ७५% राशि सरकार दे रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के कैम्पों के

---

†मूल अंग्रेजी में

चलाने में सरकार कितना नियंत्रण रखती है ताकि उन प्रतियोगियों को उचित अवसर प्रदान किया जा सके जिन्हें रोम भेजा जा रहा है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** सरकार इसके खर्चे के सम्बन्ध में निश्चित रूप से रिपोर्ट मांगेगी (**अन्तर्बाधा**)....सरकार ने इसके लिए अभी तक अनुदान नहीं दिया। सरकार ने तो केवल सिद्धांत के रूप में ७५% अनुदान देना स्वीकार किया है। उस फैडरेशन से एक रिपोर्ट मांगी जायगी, यदि सरकार को यह तसल्ली हो गई कि धन राशि का उचित रूप से प्रयोग किया गया है तभी सरकार अनुदान देगी परन्तु मेरा यह अनुमान है कि माननीय सदस्य सम्भवत: इस बात पर जोर नहीं देंगे कि सरकार फैडरेशन के आन्तरिक प्रविधिक मामलों का भी ध्यान रखे। यदि सरकार यह काम भी करने लगे तो उससे फैडरेशन का स्वायत्त अधिकार ही समाप्त हो जायेगा।

†**श्री वें० प० नायर :** नहीं मेरा यह मतलब नहीं था।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस प्रकार की फैडरेशन एक निश्चित ढंग से काम करती है और सरकार को उस के स्वायत्त अधिकार को मानना पड़ता है। सरकार उस के दिन प्रतिदिन के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और न ही वह ऐसा करेगी।

†**श्री वें० प० नायर** : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि जब भी इस देश में ओलम्पिक खेलों में भाग लेने के लिए खिलाड़ी भेजे जाते हैं तो उनमें हमारे देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न निहित होता है। अत्यन्त विश्वस्त सूत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि प्रशिक्षण कैम्प प्रारम्भ होने के बाद ओलम्पिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षार्थिणों को उचित प्रकार की सुविधाएं नहीं प्रदान की गई थीं। मैं तो केवल यहीं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस की ओर आकृष्ट किया गया है ; और यदि हां, तो प्रशिक्षार्थियों को उत्तम प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** माननीय सदस्य को ज्ञात है कि सरकार ने इस प्रयोजन के लिए एक खेल परिषद् (स्पोर्ट्स काउंसिल) नियुक्त की है। उस परिषद् में देश के प्रतिष्ठित खेल विशेषज्ञ सम्मिलित हैं। अनुदान सम्बन्धी सिफारिश करने से पहले वह परिषद् प्रत्येक आवेदन-पत्र के गुणावगुणों पर अच्छी प्रकार से विचार कर लेती है। अच्छी प्रकार से विचार करने के उपरान्त ही वह अनुदान के लिए सिफ़ारिश करती है। वह सरकार इस के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती। आखिर कुछ जिम्मेवारी फैडरेशन की अपनी भी तो है। सरकार के लिए यह सम्भव नहीं कि वह इन सभी मामलों की चिन्ता करती रहे।

लुब्रिकेंट्स का निर्माण

†*८३. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री जीन चन्द्रन् :
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में लुब्रिकेंट्स (स्नेहन-तेल) के निर्माण के लिये कारखाना स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संयंत्र की स्थापना में सहयोग देने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) प्रारम्भ में इस योजना की आर्थिक समस्याओं पर और अधिक विचार करने के लिए एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा।

(ग) जी हां।

(घ) उस के ब्यौरों पर अभी विचार किया जा रहा है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** विदेशों से मंगवाए जाने वाले लुब्रिकेंट्स पर प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की जाती है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मुझे इस प्रश्न के लिए पूर्वसूचना की आवश्यकता है क्योंकि आयात तथा उसकी कीमत का प्रश्न इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता, परन्तु मैं इस बात की ओर संकेत कर देना चाहता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक कुल हमें ४½ लाख टन लुब्रिकेंट्स की आवश्यकता होगी।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में इस प्रकार की कोई योजना सम्मिलित ही नहीं है। क्या योजना आयोग इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का विचार रखती है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मेरा यह सुझाव है कि माननीय सदस्या इन बातों का उल्लेख उस समय करे जिस समय सभा में तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर चर्चा की जायेगी।

श्री जीन चन्द्रन : क्या इस कारखाने के स्थान के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी नहीं। जैसा कि मैंने पहले बताया है उस के सम्बन्ध में अभी तक विचार किया जा रहा है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या यह कारखाना सरकारी क्षेत्र में कायम होने वाले बरौनी कारखाने के एक भाग के रूप में होगा और क्या यह सहयोग प्रविधिक में होगा अथवा पूंजी के क्षेत्र में ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इस सम्बन्ध में यत्न किया जा रहा है कि कम चिकनाहट का एक लाख टन लुब्रिकेटिंग आयल, जैसा कि एक्सल आयल, स्टीम सिलेंडर आयल तथा आम मशीनरी आयल, के उत्पादन के कार्यक्रम को बरौनी के उत्पादन कार्यक्रम में ही सम्मिलित कर दिया जाए। जिस लुब्रिकेंट कारखाने के सम्बन्ध में यह प्रश्न पूछा गया है, वह एक अलग परियोजना है और वह कारखाना बरौनी के एक भाग के रूप में नहीं होगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या यह कारखाना गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा और इसके लिये अफसर कहां से प्राप्त किए जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इस सम्बन्ध में मैं अपनी राय स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता क्योंकि अभी तक इस विषय में बात चीत हो रही है और योजना प्रतिवेदन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। अन्तिम निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि इसके लिये देश और विदेश से कितने संसाधन प्राप्त हो सकेंगे।

†**श्री वामानी :** क्या यह परियोजना सरकारी क्षेत्र में होगी या कि गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैंने इसी प्रश्न का अभी अभी उत्तर दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री यह कहना चाहते हैं कि यह मामला अभी तक विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है कि क्या यह सरकारी क्षेत्र में हो या गैर-सरकारी में। मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री ने श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के उत्तर में यही बात बताई है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जी हां, फिलहाल यही स्थिति है।

खनिजों का अभिशोधन[1]

†*८४. **श्री वाडीवा :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ७ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज अभिशोधन समिति की प्रस्थापनाओं पर कहां तक विचार किया जा चुका है ;

(ख) क्या किन्हीं सिफारिशों पर कोई निर्णय किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या समिति ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये कुछ लक्ष्यों की सिफारिश की है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय की तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करते समय उन्हें ध्यान में रखा गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग). खनिज अभिशोधन समिति खनिज सलाहकार बोर्ड की एक उप-समिति थी, इसलिये इस समिति की सिफारिशों पर निर्णय तब किया जायेगा जब बोर्ड अपनी आठवीं बैठक में, जो आज भूपाल में हो रही है, इस रिपोर्ट पर विचार कर लेगा ;

(घ) और (ङ). जी हां।

†**श्री तंगामणि :** माननीय मंत्री महोदय ने खनिज सलाहकार बोर्ड का उल्लेख किया है, जिसकी बैठक आज भूपाल में हो रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि इसके सदस्यों को रिपोर्ट पेश की गई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मेरा विचार है कि अवश्य पेश की गई होगी किन्तु इस सम्बन्ध में मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Beneficiation.

†**श्री नरसिंहम्** : प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्रोमाइट–अयस्क के अभिशोधन कार्यक्रम की सिफारिश की गई थी। इसमें इस बात का उल्लेख था :—

> "देश में उत्तम किस्म के अयस्कों के निक्षेप बहुत थोड़े हैं, इसलिये भारतीय खान कार्यालय को राष्ट्रीय धातवीय प्रयोगशाला के सहयोग से भारत के विभिन्न भागों में मिलने वाले घटिया किस्म के अयस्कों के अभिशोधन सम्बन्धी अनुसंधान का काम प्रारम्भ करना चाहिये।"

इसे देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि देश के विभिन्न भागों में क्रोमाइट अयस्कों के अभिशोधन के लिये क्या पग उठाये जायेंगे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरा ख्याल है कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता और दूसरे यह कार्यवाही के लिये सुझाव है।

†**श्री तंगामणि** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को पता है कि जमशेदपुर की राष्ट्रीय धातवीय प्रयोगशाला में मैंगनीज के अभिशोधन के सम्बन्ध में अनुसन्धान हो रहा है ? यदि हां, तो इस अनुसन्धान से क्या लाभ उठाया जा रहा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है किन्तु मोटे रूप से मैं यह कह सकता हूं कि वहां पर इस महत्वपूर्ण पहलू के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने का कार्य हाथ में लिया गया है। मुझे पूर्ण आशा है कि इस अनुसन्धान के फलस्वरूप देश को लाभ होगा। मैं केवल यही कह सकता हूं।

†**श्री अमजद अली** : श्रीमन्, इस समय ११.५५ बजे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न संख्या ९३ को जिसमें सारी सभा की समान रूप से रुचि है, लिया जाये। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा १२३ के अन्तर्गत विधि मंत्रालय को कुछ विशेष वर्गों के लोगों की श्रेणियां निर्धारित करनी थीं। यह कार्य अभी तक नहीं किया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री नरसिंहम्।

†**श्री नरसिंहम्** : श्रीमान्! प्रश्न संख्या ८४ के भाग (घ) और (ङ) में यह पूछा गया है कि क्या समिति ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये कुछ लक्ष्य निर्धारित करने की सिफारिश की है और क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा गया था। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तीसरी योजना में क्रोमाइट अयस्कों के अभिशोधन की व्यवस्था की गई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : तीसरी योजना का प्रारूप सदस्य महोदय के पास है। वह उसका अध्ययन कर सकते हैं और यदि वह कोई सुझाव देना चाहें तो वह मुझे दे सकते हैं अथवा सभा में जब इस पर चर्चा की जायेगी तो अपना विचार प्रकट कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उच्चन्यायालय के न्यायाधीश

†*८५. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों के कितने रिक्त स्थान कितने समय से पड़े हुए हैं ;

(ख) १९६०, १९६१ और १९६२ में कितने न्ययाधीश अवकाश प्राप्त करने वाले हैं ;

(ग) इन रिक्त स्थानों की (१) जल्दी तथा (२) राज्य के बाहर से भरने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझे जाने वाले व्यक्तियों की अखिल भारतीय सूची तैयार करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के दो स्थायी स्थान खाली हैं। एक १३ जुलाई, १९६० से और दूसरा २७ जुलाई, १९६० से। मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि उड़ीसा की पदालि के एक स्थायी स्थान को अभी खाली रखने का निश्चय किया गया है तथा तीन अन्य पदों पर अभी तक नियुक्तियां नहीं की गयीं। अभी तक उन पदों के लिये हमारे पास प्रस्ताव नहीं आये।

(ख) १९६० के शेष भाग में, १९६१ और १९६२ में क्रमश: ४,२७ और ९ न्यायाधीश अपने पदो से निवृत्त हो रहे हैं।

(ग) स्थायी आदेशों के अनुसार, राज्य सरकारों के लिये यह आवश्यक है कि वे किसी स्थायी पद के रिक्त होने से तीन महीने पहले तक उस स्थान की पूर्ति के लिये अपनी प्रस्थापनाएं भेज दें ।

राज्यों ने भारत सरकार की इस नीति को स्वीकार कर लिया है कि उच्च न्यायालयों में कुछ पदों पर बाहर के राज्यों के लोग नियुक्त किये जाने चाहियें और परिस्थितियों के अनुसार और सम्बन्धित प्राधिकारियों की सहमति से ऐसी नियुक्तियां की जाती हैं ।

(घ) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझे जाने वाले व्यक्तियों की तालिकायें निम्नलिखित राज्यों से प्राप्त हुई हैं:—

१. आन्ध्र प्रदेश
२. जम्मू और काश्मीर
३. मध्य प्रदेश
४. मद्रास
५. उड़ीसा
६. राजस्थान
७. पश्चिम बंगाल

---

†मूल अंग्रेजी में

८. उत्तर प्रदेश

९. केरल ।

शेष राज्यों से तालिकाओं के प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि कुल जितने व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त किये गये हैं उनमें से कितने व्यक्ति "बार" (Bar) से लिये गये एवं इस सम्बन्ध में सामान्य प्रथा क्या है ?

†श्री गो० ब० पन्त : इस सम्बन्ध में पहल राज्य सरकारों के हाथ में होती है और वे या तो 'बार' के अथवा न्यायिक सेवा के लोगों के सम्बन्ध में अपनी प्रस्थापनाएं भेजती हैं।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

शिक्षा का केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड

†*८६. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा के केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड की बेसिक शिक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति ने यह सिफारिश की है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले नये स्कूल केवल बेसिक प्रणाली के ही होने चाहिएं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : आवश्यक जानकारी वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) समिति ने सिफारिश की है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के सम्बन्ध में जितने नये स्कूल खोले जायें, वे जहां तक हो सके 'बेसिक' प्रणाली के ही होने चाहिएं ।

(ख) सिद्धान्ततः इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है। किन्तु प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को प्राप्त करने की व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए, शुरू शुरू में कुछ स्कूल पुरानी किस्म के हो सकते हैं। किन्तु सभी प्राथमिक स्कूलों को १९६५–६६ से पहले पहले बेसिक स्कूलों में बदलने का विचार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कनाडा की फर्म से फालतू पुर्जों की खरीद

†*८७. **श्री प्रासर :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री सूपकार :
श्री भक्त दर्शन :
श्री मुरारका :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सेना की मशीन से चलने वाली गाड़ियों के लिये पुर्जों की सप्लाई के हेतु कनाडा की एक फर्म के साथ किये गये सोदे की जांच करने के लिये कैबिनेट सचिव, श्री विष्णु सहाय की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निर्देश पद क्या हैं ; और

(ग) प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जायेगा।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री को० रघुरामैया)** : (क) जी हां।

(ख) समिति को दिये गये निर्देशों की जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ग) अनुमान है कि समिति अपना प्रतिवेदन दो महीने के अन्दर दे देगी।

विवरण

समिति को निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं :—

(एक) फर्म के साथ बिना टैंडर मांगे बातचीत करने के औचित्य की जांच ;

(दो) इस बात की जांच करना कि एक ही कम्पनी से बातचीत करके ठेका करने में जो ऊंची कीमतों का खतरा रहता है क्या उससे सरकार के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त उपाय किये गये थे ;

(तीन) ठेके को अन्तिम रूप देने से पहले फालतू कलपुर्जों की आवश्यकता का अनुमान न लगाने के कारणों की जांच करना ;

(चार) उन कारणों का पता लगाना, जिनके फलस्वरूप फर्म को फालतू कलपुर्जों की बिक्री रद्द करनी पड़ी ;

(पांच) यह देखना कि क्या ठेके को उसके उपबन्धों और शर्तों के अनुसार सन्तोषजनक रूप से पूरा किया गया ;

(छः) यदि कोई भूल हुई तो उसके लिये जिम्मेवार व्यक्तियों का पता लगाना और भविष्य के लिये इन त्रुटियों को दूर करने के लिये उपाय बताना ; और

(सात) कोई अन्य बात जिस पर समिति स्वविवेकानुसार विचार करना उचित समझे।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल के लिये छिद्रण-कार्य

†*८८. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री पांगरकर :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने स्थानों पर इस समय छिद्रण-कार्य चल रहा है ;

(ख) छिद्रण-कार्य करने वाले दल किस-किस देश के हैं ;

(ग) क्या भारत के किसी भाग में कुछ तेल अथवा पेट्रोल पाया गया है ; और

(घ) क्या उतनी मात्रा वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये पर्याप्त है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) सात स्थानों पर, कैम्बे, अंकलेश्वर, कोसम्बा, शिबसागर, होश्यारपुर और ज्वालामुखी में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तथा आसाम में ब्रह्मपुत्र घाटी में आयल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में छिद्रण कार्य करने वाले दल भारतीय हैं जो रूसी और रूमानियन विशेषज्ञों के पथ-प्रदर्शन में काम कर रहे हैं। आयल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा जो छिद्रण कार्य हो रहा है वह आसाम आयल कम्पनी के दलों द्वारा जिनमें भारतीय और अंग्रेज़ कर्मचारी काम करते हैं, किया जा रहा है।

(ग) जी हां, नाहरकटिया, हगरीजन और मोरन में। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को कैम्बे और अंकलेश्वर में तेल और गैस तथा ज्वालामुखी में गैस भी मिली है।

(घ) नाहरकटिया, हगरीजन और मोरन के तेल क्षेत्रों में से वाणिज्यिक आधार पर तेल आदि निकाला जा सकता है। कैम्बे में भी इसकी सम्भावना है। कैम्बे, अंकलेश्वर और ज्वालामुखी के सम्भाव्य संसाधनों का अनुमान लगाया जा रहा है।

नौसेना विमान केन्द्र[१]

†*८९. श्री कोडियान :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री १९ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक नौसेना विमान केन्द्र के निर्माण के लिये उपयुक्त स्थान चुनने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कौन-सा स्थान चुना गया है ; और

(ग) उपरोक्त केन्द्र के निर्माण कार्य के कब से आरम्भ होने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Naval Air Station.

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

खम्भात क्षेत्र में तेल

†*९०. श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :
श्रीमती रेणुका राय :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री आचार :
डा० क० ब० मेनन :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का अनुमान लगा लिया गया है कि खम्भात क्षेत्र में कितना तेल उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो तेल का अनुमानित निक्षेप कितना है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसका अनुमान कब तक लगा लिया जायेगा ; और

(घ) अभी तक कितने कुयें खोदे गये हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) अभी तक नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नही होता।

(ग) इस बजट वर्ष के अन्त तक छः महीनों के अन्दर अन्दर।

(घ) सात कुएं पूरे हो गए हैं। आठवें की जांच की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में लड़कियों की शिक्षा

†*९१. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगाल राज्य में लड़कियों की शिक्षा के लिये वहां की सरकार को १९५९–६० और १९६०–६१ के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि नियत की गयी है ;

(ख) पश्चिम बंगाल की सरकार ने कितनी धन-राशि मांगी थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) राज्य सरकार ने किन-किन योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी थी और वे कौन-कौन सी योजनायें हैं जो मंजूर की जा चुकी हैं तथा प्रत्येक के लिये कितना धन दिया गया है ;

(घ) १९५९–६० में कितनी धनराशि व्यय की गयी ; और

(ङ) जब से दुर्गाबाई देशमुख समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ है तब से लड़कियों की शिक्षा के विस्तार के लिये क्या कोई नई योजनायें बनाई गयी हैं और पश्चिम बंगाल के लिये ये योजनायें कहां तक मंजूर की गयी हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क), (ख) (ग), (घ) और (ङ) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) केन्द्री द्वारा आवंटन :

१९५९–६० .	४.५० लाख रु०
१९६०–६१	४.२४ लाख रु०

(ख) जितनी धन-राशि मांगी गयी थी :

१९५९–६० . . .	५.३४ लाख रु०
१९६०–६१ . . .	९.०० लाख रु०

(ग) राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित उप-योजनाएं पेश की गयीं थीं और उनके लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में ४.५० लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी थी :

	रु० (लाखों में)
(एक) ग्राम्य क्षेत्रों में अध्यापिकाओं के लिये मुफ्त निवास-स्थान की व्यवस्था	४.३९
(दो) स्कूल-माताओं की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण	०.७०
(तीन) शिक्षण-कार्य अपनाने की इच्छुक लड़कियों को छात्रवृत्तियां	०.२१
(चार) छात्रायों को उपस्थिति-वृत्तियां	०.०४
	५.३४

आशा है कि उपरोक्त योजनाएं १९६०–६१ में जारी रहेंगी जिसके लिये ४.२४ लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गयी है।

(घ) १९५९–६० में किया गया व्यय . . . ६.६४ लाख रु०

(ङ) कई नई योजनाएं बनायी गयी हैं और राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे तीसरी योजना के लिये लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा का कार्यक्रम तैयार करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

नये तेल शोधक कारखानें

†*९२. श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन् :
श्री विभूति मिश्र :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री पहाड़िया :
श्री आसर :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री हेम राज :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री न० म० देब :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैम्बे और अंकलेश्वर में पाये गये तेल को साफ करने के लिये भारत सरकार सरकारी क्षेत्र में दो नये तेल शोधक कारखानों की स्थापना करने वाली है;

(ख) यदि हां, तो इन नये तेल शोधक कारखानों की क्षमता कितनी होगी;

(ग) इनकी कब तक स्थापना हो जाने की संभावना है; और

(घ) ये किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) अभी नहीं ।

(ख), (ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१

†*९३. **श्री अमजद अली** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १२३ और उप-धारा ७(जी) के अनुसार सरकारी नौकरी वाले लोगों की जो श्रेणियां निर्धारित की जानी हैं क्या वे निर्धारित कर दी गयी हैं;

(ख) क्या ऐसा करना आवश्यक समझा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उनका इसे किस रूप में क्रियान्वित करने का विचार है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरतवीस)** । (क) जी नहीं ।

(ख) वर्तमान निर्णय यह है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १२३(७) के खंड (छ) के अन्तर्गत कोई नियम बनाना आवश्यक नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी म

नई दिल्ली में पत्थर के कोयले का सम्भरण

†*९४. **श्रीमती सुचेता कृपलानी :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, १९६० में समाप्त होने वाली छमाही में राजधानी में पत्थर के कोयले (सौफ्ट कोक) की नियमित सप्लाई न होने का कारण काफी हद तक, कोयले के कोटा-होल्डरों, विशेष रूप से नयी दिल्ली के कोटा-होल्डरों, को रेलवे वैगनों का न मिल सकना था;

(ख) क्या यह भी सच है कि नयी दिल्ली के पत्थर के कोयले के कोटा-होल्डर कलकत्ते में कोयला नियंत्रक से इस बात का अनुरोध करते रहे हैं कि उन्हें तत्काल 'ब्लाक रेक' दिये जायें ताकि वे विहित अवधि के भीतर भीतर अपना कोटा मंगालें, लेकिन उनका अनुरोध हमेशा ठुकरा दिया गया है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) उपरोक्त अवधि में कोयले के सप्लाई में कोई बाधा नहीं आयी । वास्तविकता यह है कि इसी अवधि में दिल्ली में कोयले का रक्षित भंडार इकट्ठा करना सम्भव हो सका ।

(ख) कोयला नियंत्रक को दिल्ली के साफ्ट कोक कोटा-होल्डरों से साफ्ट कोक के यातायात के लिये 'ब्लाक रेक' दिये जाने के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से भेजे गये बहुत से आवेदन-पत्र प्राप्त हुए । इन आवेदन-पत्रों में की गयी मांग को इसलिये पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि किसी भी आवेदन-पत्र भेजने वाले का कोटा इतना नहीं था कि उसे 'ब्लाक रेक' दिये जा सकें । किन्तु इससे कोयले के दिल्ली में आने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं पड़ी क्योंकि सामान्य रूप से दिये गये 'इन्डैंट' के लिये मंजूरी दी जाती रही थी और तदनुसार कोयला आता जाता रहा ।

विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों का सम्मेलन

†*९५. **श्री हेम राज :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री आसर :
श्री हाल्दर :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में खड़कवसला में विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था उसमें चर्चा के मुख्य विषय क्या थे;

(ख) उसमें क्या निर्णय किये गये;

(ग) उनमें से कौन कौन से क्रियान्वित किये जा रहे हैं और उन पर कितना व्यय किया जायेगा; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या उसके द्वारा की गयी और सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों का विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क), (ख), (ग) और (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का अभिप्राय; छात्रों में अनुशासनहीनता, नैतिक और धार्मिक शिक्षा; राष्ट्रीय सेवा; संख्या की सीमा; और परीक्षा पद्धति में सुधार ।

(ख), (ग) और (घ). सिफारिशों की एक प्रति संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १९]** इन को सभी विश्वविद्यालयों में क्रियान्वित के लिये भेजा गया है । भारत सरकार ने एक सिफारिश कर ली है और शेष उन सिफारिशों की, जिनसे वह सम्बन्धित है, जांच की जा रही है ।

पनडुब्बी विध्वंसक युद्ध-पोत[1]

†*९६. **श्री कालिका सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पनडुब्बी विध्वंसक युद्ध-पोत 'ब्यास' और 'बेतवा' भारतीय नौ सेना को आत्म-निर्भर बना देंगे; और

(ख) यदि नहीं, तो भारतीय नौ सेना में और नौ पनडुब्बियां और विध्वंसक युद्ध-पोत लाने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी नहीं । किन्तु इन विध्वंसक युद्धपोतों से भारतीय नौसेना की शक्ति-नौयुद्धकला की दृष्टि से कुछ और बढ़ जायेगी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रिजर्व बैंक में अनुसूचित बैंकों के निक्षेप

†*९७. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों से कहा है कि वह अपनी तात्कालिक और मुद्दती देनदारियों में होने वाली वृद्धि की पचास प्रतिशत रकम रिज़र्व बैंक में जमा कर दें; और

(ख) यदि हां, तो रिज़र्व बैंक ने किन कारणों से वित्तीय वर्ष के आरम्भ में यह ऋण 'कोचन'[2] आरम्भ कर दिया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: (क) रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी तात्कालिक और मुद्दती देनदारियों में ११ मार्च, १९५९ के पश्चात होने वाली वृद्धि की पच्चीस प्रतिशत रकम रिज़र्व बैंक में जमा कराने का निदेश दिया था । ६ मई, १९६० से इसे बढ़ा कर ५० प्रतिशत कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Anti Submarine Frigate.

[2]Credit Squeeze.

(ख) आवश्यक रक्षित धनराशि में वृद्धि करने का उद्देश्य बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण के प्रसार को और उसके द्वारा मुद्रा सप्लाई के प्रसार और वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकना है ।

इस्पात के कारखानों की लागत

†*९८. **श्री मुरारका :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्राक्कलन समिति (द्वितीय लोक-सभा) के तेंतीसवें प्रतिवेदन के पैरा १४५ में उल्लिखित इस बात की ओर, जिस पर उसके ८७वें प्रतिवेदन के पैरा १३ में पुनः जोर दिया गया है, आकृष्ट किया गया है कि तीनों इस्पात के कारखानों के प्राक्कलनों और वास्तविक लागत की उचित तुलना के लिये प्राक्कलनों का विश्लेषण, अन्तर के लिये उचित गुंजाइश रखते हुए, समान आधार पर होना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सदरार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से हमें पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त हो गये हैं । उनका विश्लेषण यह देखने के लिये किया जा रहा है कि क्या वे समान आधार पर हैं । यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें यथा सम्भव समान आधार पर लाने के लिये उनका पुनरीक्षण किया जायेगा ।

लक्ष्मी बैंक लिमिटेड का दिवाला निकलना

†*९९. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री आसर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में लक्ष्मी बैंक लिमिटेड का दिवाला निकल गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें रुपया जमा करने वालों का क्या होगा; और

(ग) भविष्य में रुपया लगाने वालों के हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गयी अथवा की जाने वाली है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) रिज़र्व बैंक द्वारा ३० मई, १९६० को आवेदन पत्र भेजे जाने पर महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने लक्ष्मी बैंक लिमिटेड के विघटन का आदेश दे दिया और अदालत के 'रिसीवर' और न्यायालय से सम्बद्ध सरकारी 'लिक्विडेटर' को वहां 'लिक्विडेटर नियुक्त कर दिया ।

(ख) और (ग). बैंक के दीवाले की कार्यवाही उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार होगी और बैंक की लेनदारियों के प्राप्त होने पर बैंक में रुपया जमा कराने वालों को बैंक के आदेशानुसार अदायगी की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नयी कोयला खानें चलाना

†*१००. { श्रीमती रेणुका राय :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र को नये कोयला उत्पादन क्षेत्रों में काम करने की अनुमति देने का निश्चय कर लिया है; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो उसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). सरकार की सामान्य नीति यह है कि गर-सरकारी उद्योग के प्रसार को उसी क्षेत्र तक सीमित रखा जाये जो उनके द्वारा पहले से चलायी जाने वाली खानों के आस पास हैं और उनके खनन पट्टों के अन्तर्गत शामिल हैं। इस नियम का अपवाद केवल किन्हीं खास मामलों में किया जाता है, वह भी तभी यदि सम्बद्ध क्षेत्र बिल्कुल छोटे हों अथवा सरकारी उद्योग क्षेत्र में विकास के लिये उनकी आवश्यकता न हो।

बैंकिंग के बारे में भारत-पाक करार

*१०१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४९ में हुए भारत-पाक बैंकिंग करार को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या स्थिति है;

(ख) पाकिस्तान स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं ने क्या प्रगति की है; और

(ग) इस समय इन बैंकों की क्या स्थिति है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) से (ग). १९४९ के भारत-पाकिस्तान बैंकिंग करार और इसके मुताबिक किये गये फैसलों में खास तौर से इस बात का इन्तज़ाम है कि पश्चिम पाकिस्तान में बैंकों की जो लेनदारियां हैं उनकी वसूली के लिए उन्हें सहूलियतें दी जायें। इस करार को अमल में लाने की ओर कुछ खास तरक्की नहीं हुई है और पता लगा है कि बैंकों की लगभग ५ करोड़ रुपये की लेनदारी में से अब तक सिर्फ़ १६.३३ लाख रुपया ही वसूल हो सका है।

कोयला खान उपकरणों के पुर्जे

†*१०२. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **इस्पात खान और इंधन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों की मशीनों के कुछ पुर्जे बनाने वाली केन्द्रीय वर्कशाप का निर्माण आरम्भ हो गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) मशीनों तथा उपकरणों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा के रूप में कुल कितना व्यय होगा ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा इस वर्ष फरवरी में वर्फखाना में वर्कशाप के लिये भूमि ले ली गयी थी । तब से ले कर कुल 'फ्लोर एरिया' का पांचवां भाग तैयार कर लिया गया है और चार शैड बनाये जा चुके हैं । इनशेडों में मशीनें लगाने के लिये नींवें डालने का कार्य हो रहा है । शेष शैड जल्दी ही बन कर तैयार हो जायेंगे और अप्रैल, १९६१ से वर्कशाप पूरी तरह से चालू हो जायेगी । अधिकांश मशीनें पहुंच चुकी हैं ।

(ग) ९० लाख रुपये । किन्तु दरअसल विदेशी का खर्च काफी कम होगा क्योंकि साजसामान संयुक्त राज्य अमरीका के फालतू प्रतिरक्षा भंडार से बहुत सस्ते भावों पर खरीदा गया है ।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

†*१०३. **श्री मोहम्मद इलियास :**
श्रीमती रेणुका राय :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास वित्त प्रशासन के कार्यालय बन्द कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका असर कितने कर्मचारियों पर पड़ा है;

(ग) क्या इन कर्मचारियों के लिये दूसरे काम की व्यवस्था कर दी गयी है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो तो इन कर्मचारियों को दूसरी नौकरियां प्राप्त करने, मदद देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का इरादा है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) सरकार ने पुनर्वास वित्त निगम के विघटन की दिशा में पहली कार्यवाही यह की है कि ३० जून, १९६० को कारोबार के खत्म होने पर इसका परिसमापन कर दिया है;

(ख) इस समय निगम में लगभग ३०० कर्मचारी काम कर रहे हैं । परिसमापन के साथ साथ वह उत्तरोत्तर फालतू होते जायेंगे ।

(ग) और (घ). चार कर्मचारियों ने दूसरी नौकरियां ढूंढ ली हैं और उन्हें निगम द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है ।

(ङ) निगम के कर्मचारियों के लिये अन्य नौकरियां ढूंढने के लिये हर प्रकार की कोशिश की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ब्रिटेन में बैंक-दर

†*१०४. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन की बैंक-दर ५ प्रतिशत से बढ़ कर ६ प्रतिशत हो जाने की भारत में क्या आर्थिक और वित्तीय प्रतिक्रिया हुई है; और

(ख) क्या भारत सरकार इस प्रकार की वृद्धियों के सम्बन्ध में भारत की बैंक-दरों में भी वृद्धि करने वाली है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) और (ख). इंग्लैंड की बैंक-दर में परिवर्तन होने से भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है । ऐसे परिवर्तन सभी देशों द्वारा अपनी अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को देखते हुए की जाती हैं । उसी प्रकार भारत की अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार ही इस सम्बन्ध में भारत की नीति चलती है ।

पुलिस द्वारा जब्त किये गये नोट

†*१०५. **श्री अगाड़ी :**
श्री वोडयार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के अलग अलग राज्यों में पुलिस ने विभिन्न कीमत वाले कुल कितने और कितने मूल्य के जाली नोट १५ जुलाई, १६६० तक पकड़े और मामलों का अन्तिम रूप से निबटारा होने तक अपने पास रखे; और

(ख) क्या यह सच है कि देश की पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों में जाली नोट अधिक संख्या में पाये जाते हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) जहां तक जाली नोटों के कुल योग का सम्बन्ध है, जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उनसे यह निष्कर्ष नहीं निकलता । तथापि सीमान्त राज्यों और अन्य राज्यों में हर वर्ष हर कीमत के नोटों की अलग-अलग स्थिति रहती है ।

खनिज संसाधन

†*१०६. **श्री गोरे** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के खनिज संसाधनों के गहन और सुसंगठित विवाहन के लिये किसी निकाय की स्थापना करने वाली है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) उसका स्वरूप, कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व क्या होंगे ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग). सरकार ने ५ सितम्बर, १६५६, १४ नवम्बर, १६५६, १५ नवम्बर, १६५८ और २१ मार्च, १६६० को क्रमश:

---

†मूल अंग्रेजी में

नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और पाइराइट्स एण्ड केमिकल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड स्थापित कर दिये थे। इसके अतिरिक्त भारत सरकार और उड़ीसा सरकार दोनों ने मिल कर १६ मई, १९५६ को उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड स्थापित किया था। इन निगमों के ज्ञापनों तथा अन्तर्नियमों की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

खानों के भारतीय विभाग को भी यह काम सौंपा गया है कि वह यह देखे कि सारे एकक खनिज निकालने का काम उचित रूप से करें।

संस्कृत संस्थाओं[1] को अनुदान

†*१०७. **श्री प्र० गं० देव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की संस्कृत संस्थाओं को अनुदान देने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) अब तक कौन-कौन से अनुदान दिये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) शिक्षा मंत्रालय ने एक योजना बनाई है जिस के अन्तर्गत स्वयंसेवी संस्कृत संगठनों/संस्थाओं/पाठशालाओं के लिये संस्कृत की उन्नति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट कार्यों के लिये अनावर्त्तक अनुदान दिये जाते हैं।

(ग) लगभग १.७६ लाख रुपये।

केन्द्रीय हिन्दी शिक्षक महाविद्यालय, आगरा

*१०८. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरे में केन्द्रीय हिन्दी शिक्षक महाविद्यालय खोलने पर सरकार ने कितना व्यय किया है; और

(ख) इस महाविद्यालय में कौन-कौन सी सुविधायें दी जा रही हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) ७९७ रुपये।

(ख) महाविद्यालय हिन्दी शिक्षकों को प्रशिक्षण देने और हिन्दी शिक्षण में अनुसन्धान के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त यह उच्च हिन्दी साहित्य और विभिन्न भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अध्ययन की भी सुविधाएं प्रदान करेगा।

नाट्य शालायें

†*१०९. **श्री अ० मु० तारिक** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नाट्यशालाओं को प्रोत्साहन देने और लोकप्रिय बनाने के लिये कोई निश्चित कदम उठाये हैं; और

---

*मूल अंग्रेजी में

[1] Sanskrit Organisations

(ख) यदि हां, तो अब तक उठाये गये कदमों का ब्योरा क्या है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). हां, श्रीमान् । इस सम्बन्ध में कुछ कदम यह उठाये गये हैं :—

नाट्यशालाओं तथा खुली नाट्यशालाओं का निर्माण; नाट्यशालाओं तथा सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता; नाटक के लिये छात्रवृत्तियां; गोष्ठियों तथा नाटक प्रतियोगिता का आयोजन करना । इसके अतिरिक्त, संगीत नाटक अकादमी सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता देती है, नाटक खेलने तथा नाटक लिखने के लिये इनाम देती है तथा उसने एक नेशनल स्कूल आफ ड्रामा एण्ड एशियन थियेटर भी स्थापित किया है ।

बरौनी का तेल शोधन कारखाना

†*११०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बरौनी के तेल शोधन कारखाने की परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट मिल गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तेल अन्वेषण का कार्य में विदेशी सहायता

†*१११. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री परुलकर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २४ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में तेल की खोज करने और तेल निकालने के सम्बन्ध में अन्य देशों से बातचीत समाप्त हो गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।
(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अन्तर्राष्ट्रीय नाटक समारोह

*११२. **श्री नवल भाकर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान, और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय नाटक समारोह में भाग ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें भाग लेने वाले कलाकारों को चुन लिया गया है; और

(ग) इन कलाकारों को किस ढंग से चुना गया है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया कि उनका मतलब किस अन्तर्राष्ट्रीय नाटक उत्सव से है और निकट भविष्य में होने वाले किसी नाटक उत्सव के बारे में हमें कोई खबर नहीं है ।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होते ।

चलचित्र वित्त निगम

†*११३. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **वित्त** मंत्री २१ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चलचित्र निगम की स्थापना के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : इस बीच चलचित्र वित्त निगम स्थापित हो चुका है और बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स गठित कर दिया गया है । निगम की अधिकृत पूंजी १ करोड़ रुपये है जिसमें से २० लाख रुपये उसकी प्रारम्भिक निर्गमित पूंजी है जो कि पूर्णतः सरकार द्वारा दी गई है ।

जम्मू में लोह-अयस्क और चूने के पत्थर के निक्षेप

†*११४. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू से लगभग ८० मील दूर कालाकोट कोयला खान के पास लौह-आयस्क और चूने के पत्थर के निक्षेप पाये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) लौह अयस्क के निक्षेप पौनी-बरख मेताह और कंडली क्षेत्रों में पाये गये थे । कंडली क्षेत्र में लगभग ५० लाख टन के लौह अयसक के निक्षेप पाये गये हैं । १९५९–६० में कंडली, क्षेत्र में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा जो जांच की गई थी, उसके अनुसार कुछ अधिक मात्रा में लौह अयस्क के मिलने की आशा नहीं प्रतीत होती क्योंकि अयस्क कहीं पर है और कहीं पर बिल्कुल नहीं ।

जम्मू तथा काश्मीर की सरकार ने यह बताया है कि कालाकोट के आस पास चूने की एक काफी मोटी पट्टी पाई गई है । जम्मू तथा काश्मीर की सरकार का भूतत्वीय तथा खनन विभाग शीघ्र ही इस सबंध में विस्तृत खोज करेगा ।

विश्वविद्यालयों में औद्योगिक बस्तियां

†*११५. { **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री सरजू पांडे : }

क्या शिक्षा मंत्री १६ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के चुने हुए विश्वविद्यालयों में लघु औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने की योजना में और क्या प्रगति हुई है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

यह निश्चय किया गया है कि चालू योजना काल में पटना, उत्कल, उसमानिया, जादवपुर तथा राजस्थान के विश्वविद्यालयों में औद्योगिक बस्तियां स्थापित की जायें । इन बस्तियों में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों की उपयुक्त योजनायें तैयार करने के लिये केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के औद्योगिक बस्तियों के निदेशक से चर्चा करने के लिये इन विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कहने पर एक अध्यापक नियुक्त किया है ।

केरल में मेग्नेटाइट के निक्षेप

†*११६. **श्री कोडियान :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र के कुछ भागों में अभी हाल ही में मेग्नेटाइट के निक्षेप मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वहां मिलने वाले मेग्नेटाइट की मात्रा का कोई अनुमान लगाया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) हां, श्रीमान् । यह बताया गया कि कोजीकोडे तथा पालघाट जिलों में कई स्थानों पर लौह अयस्क उपलब्ध है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) हां, श्रीमान् । लौह अयस्क की मात्रा के बारे में बारह स्थानों का जो अस्थायी अनुमान लगाया है उसके अनुसार ५० फुट की गहराई तक लगभग १७० लाख टन लौह अयस्क मिल सकेगा।

कोयले की कमी

†*११७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कोयले की कमी के कारण आगरे में मई के अन्तिम सप्ताह में बिजली की सप्लाई बन्द हो गई थी और कारखानों को कई दिनों तक बन्द करना पड़ा था ;

(ख) कोयले की कमी के क्या कारण थे ; और

(ग) क्या यह सच है कि राजस्थान के कई नगरों में कोयले की सामान्य रूप से कमी है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि राजस्थान के नगरों में असामान्य रूप से कमी हो गई थी यद्यपि यह संभव है कि यातायात की स्थिति खराब होने तथा साथ ही साफ्ट कोक को लाने ले जाने के मामले में कुछ कम प्राथमिकता देने के कारण उसकी मांग पूरी न हुई हो ।

चिन्ह लगा कर मतदान की प्रणाली

†*११८. **श्री सै० अ० मेहदी** : क्या **विधि** मंत्री ११ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४०७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिन्ह लगा कर मतदान की प्रणाली के संबंध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पिछड़े हुए क्षेत्रों में भी इसे लागू किया जायेगा ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख). यह सामान्यतः मान लिया गया है कि चिह्न लगाकर मत देने की प्रणाली का कुछ पिछड़े और दूरस्थ स्थानों को छोड़ कर, जहां परिवहन तथा अन्य कठिनाइयों के कारण बैलट प्रणाली को जारी रखना आवश्यक हो सकता है, सम्पूर्ण देश में अगले निर्वाचनों में अनुसरण किया जायेगा । इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों से इस प्रश्न की आगे जांच करने तथा जहां ऐसी कठिनाइयां हैं उन क्षेत्रों के बारे में रिपोर्ट देने के लिये कहा गया है ।

पुनर्वास वित्त प्रशासन ऋण

†*११९. **श्री मुरारका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा वसूल किये जाने वाले ऐसे कितने रुपये के ऋण हैं, जिनकी प्राप्ति का समय बीत चुका है ; और

(ख) इसमें कितने रुपये के प्रतिभूत ऋण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) ३१ दिसम्बर, १९५९ तक पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा वसूल किये जाने वाले ऐसे ऋणों की राशि, जिनकी प्राप्ति का समय बीत चुका है, ११४ लाख रुपये का ब्याज मिलाकर ५१३ लाख रुपये है ।

(ख) ऐसी धनराशि के बारे में, जिसकी प्राप्ति का समय बीत चुका है, इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं है और इसे एकत्र करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी । तथापि सारी बकाया राशि की जानकारी उपलब्ध है । ७६८.८२ लाख की कुल बकाया राशि में से जैसी कि ३१ दिसम्बर, १९५९ की स्थिति थी, ३५०.८१ लाख रुपये की राशि, जिसके बारे में यह विचार किया गया कि वह वसूल हो जायेगी, पूरी तरह से प्राप्त कर ली गई और ३१८ लाख रुपये की राशि के बारे में भी यह आशा है कि वह वसूल हो जायेगी यद्यपि पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुई है ।

कनाट प्लेस में हत्या

†*१२०. श्री प्र० गं० देव :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री पहाड़िया :
श्री अजित सिंह सरहदी
श्री वारियर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री पुन्नूस :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हेमराज :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १६ मई, १९५० को कनाट प्लेस में दिनदहाड़े एक व्यक्ति की हत्या की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). १६ मई, १९६० को ११-४५ म० पू० बजे गुलजारा सिंह नामक एक व्यक्ति को, जो मिन्टो सर्कस से सिंधिया हाउस की ओर मोटर साइकिल से जा रहा था, चार व्यक्तियों ने बर्मा शेल के कार्यालय के सामने मार डाला । सारे अभियुक्त पकड़ लिये गये हैं और उन पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक संबंध

*१२१. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के विचार से हाल ही में लाहौर में भारत और पाकिस्तान के लेखकों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो भारत के कितने लेखक इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे; और

(ग) सम्मेलन में मुख्य-मुख्य क्या निर्णय किये गये ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) . सम्मेलन के लिये भारत सरकार को कोई निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ लेकिन ऐसा पता चला है कि भारत के नौ लेखकों ने इस में भाग लिया था । पुस्तकों और प्रकाशनों की अदला-बदली, भाषाओं के शिक्षण और अनुसंधान, सत्साहित्य के प्रकाशन और प्रतिनिधि मण्डलों के आने जाने आदि के बारे में प्रस्ताव पास किये गये थे । दोनों देशों के लेखकों से यह अपील भी की गई थी कि वे सद्भावना पैदा करने वाले विषयों पर लिखें ।

दिल्ली में शिक्षा संबंधी कार्यकारी दल

†*१२२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री सरजू पांडे :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री न० म० देव :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **शिक्षा** मंत्री १९ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२७८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिल्ली की शिक्षा समस्याओं का अध्ययन करने के लिये नियुक्त किये गये कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(ख) कार्यकारी दल ने मुख्य-मुख्य बातें यह मालूम की हैं :

(१) पांच वर्ष की चौथी अवधि अर्थात् १९७६-८१ के आरम्भ तक दिल्ली की जनसंख्या लगभग ३५.७ लाख और औसत रूप से २०० विद्यार्थी प्रति स्कूल

†मूल अंग्रेजी में

हो जायेगी। ६-११ वर्ष के आयु-वर्ग की जन संख्या में जो वृद्धि होगी उसकी पूर्ति के लिये १७१२ अतिरिक्त एक सेक्शन वाले प्राथमिक स्कूलों की आवश्यकता होगी। इन स्कूलों में ८,५६० अध्यापक रखे जायेंगे। इसी प्रकार मिडिल स्कूल की शिक्षा के लिये ६५२ मिडिल स्कूलों की आवश्यकता होगी और उनमें ५,८६८ अध्यापक रखे जायेंगे। प्रत्येक स्कूल में २५० विद्यार्थी होंगे। हायर सेकेन्डरी शिक्षा के लिये ५३२ अतिरिक्त स्कूलों की आवश्यकता होगी और उनमें ४,७४० अध्यापक रखे जायेंगे। डबल सेक्शन खोलकर प्रत्येक स्कूल में २०० विद्यार्थी होंगे।

(२) उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में यह मान कर चलने पर कि एक कालेज में औसतरूप से १,२५० विद्यार्थी होंगे, लगभग ३२ अतिरिक्त कालेजों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रत्येक कालेज के लिये अनुमानतः १० एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ेगी जिसका अर्थ यह है कि अगले २० वर्षों में केवल कालेजों के लिये ही ३२० एकड़ भूमि का प्रबन्ध करना होगा। इसके अतिरिक्त, उपयुक्त आधार पर खेल के मैदानों आदि का प्रबन्ध करना आवश्यक होगा।

भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यकीय सेवा

†*१२३. श्री अ० मु० तारिक :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री आसर :

क्या गृह-कार्य मंत्री २९ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५३१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यकीय सेवा की स्थापना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : दोनों सेवाओं के लिये नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और जैसे ही वे मंजूर कर लिये जायेंगे, वे प्रकाशित कर दिये जायेंगे।

नौ-सेना के छोटे जहाजों का निर्माण

†*१२४. सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री ३ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नौ-सेना के छोटे जहाजों का भारत में निर्माण करने का प्रस्ताव इस समय किस प्रक्रम पर है?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या) : भारत में नौसेना के कुछ प्रकार के छोटे जहाज बनाना आरम्भ किया गया है। नौसेना के और नये नये किस्म के छोटे जहाज बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है। सारी बातें बताना लोक हित में नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेश जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों की जांच

†*१२५. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सूपकार :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री आसर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में अध्ययन करने के लिये जाने के इच्छुक भारतीय विद्यार्थियों की जांच करने की प्रणाली चालू करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना क्या है और इसके किस तिथि से लागू किये जाने की सम्भावना है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

सेना इंजीनियरिंग सेवा

†१५०. श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ६ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२११ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों तथा सीनियर बैरक स्टोर्स पदाधिकारियों के स्थायी पद भरे जा चुके हैं ; और

(ख) सेना इंजीनियरिंग सेवा के कुछ अस्थायी पदों को स्थायी बनाने के प्रस्तावों पर सरकार जो विचार कर रही थी, उसका क्या परिणाम हुआ है ।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जहां तक असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों के पदों का संबंध है, विभागीय पदोन्नति समिति ने योग्य पदाधिकारियों को स्थायी बनाने की बात मंजूर कर ली है ।

सीनियर बैरक स्टोर्स पदाधिकारियों को स्थायी बनाने के आदेश जल्दी ही निकलने वाले हैं ।

(ख) इस पर अभी विचार किया जा रहा है । इस प्रश्न को जल्दी से जल्दी तय करने की पूरी कोशिश की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सचिवालय में हिन्दी

†१५१. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २२ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २४२० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सचिवालय में हिन्दी सिखाने की योजना चालू होने के बाद से भारत सरकार के श्रेणी १ और २ के कितने पदाधिकारियों ने हिन्दी सीखी है ; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत इस समय कितने पदाधिकारी हिन्दी सीख रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) १,१४३ ।

(ख) ५३८ ।

आंध्र प्रदेश में पुरातत्व संबंधी सर्वेक्षण

†१५२. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में प्राचीन मन्दिरों तथा अन्य ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने स्थानों का सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा उसका विस्तृत ब्योरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) हां, श्रीमान् । आन्ध्र प्रदेश के मेडाक तथा करनूल जिले का एक-एक गांव करके सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

(ख) अब तक १२२४ गांवों का सर्वेक्षण किया जा चुका है । मोटे तौर से सर्वेक्षण के निम्न लिखित परिणाम निकले हैं :–

मेडाक जिला––

मेडाक जिले का सर्वेक्षण करने पर बड़े-बड़े पत्थरों से बने दो स्थान मिले हैं, जिनमें एक मुट्टंगी में है और दूसरा पतनचेरू में है । इन स्थानों पर पत्थर के कई वृत पाये गये हैं । पतनचेरू में काले और लाल बर्तन (पत्थर के काम के), भूरे रंग के चित्रित बर्तन और लाल पालिश किये हुये बर्तन पाये गये हैं । इसमाइल-खानपेट में पत्थर की छोटी-छोटी चीज़ें और बड़े पत्थरों के पालिश किये हुये काले बर्तनों के टुकड़े तथा सातवाहन काल के खुदे हुये चमड़े के रंग के माला के दाने पाये गये हैं । डोमरगू में लाल रंग के छींटों वाली चट्टानी भूमि पर छोटी-छोटी चीज़ें मिली हैं । इस स्थान पर भीतर से खुरुकल बिल्लौर जैसे चमकीले पत्थर तथा हाथ के बने हुये भूरे रंग के कुछ बर्तन भी मिले हैं ।

करनूल जिला––

करनूल जिले में बड़े-बड़े पत्थरों से बने दो स्थान मिले हैं जिनमें से एक पट्टी कोंडा के निकट पर्वतीकोंडा तथा बासीवरल्लकोंड में है और दूसरा अलूर तालुके में असपरी में है । काले और लाल बर्तन तथा काली पालिश के बर्तन जोन्नागिरी, कोंडूमूरू, पेंचिकलापडू, वुडोदेपडू, उत्कल तथा आर० कोन्तलपडू में मिले हैं । इस क्षेत्र में चालुक्य वंश के आरम्भ के मन्दिर तथा शिलालेख

---

†मूल अंग्रेजी में

भी मिले हैं। हट्टीवेल्लामल्लू, अडोनी तालुक में काले तत्थर की कई छोटी-छोटी चीजें मिली हैं। काले और लाल किस्म के बड़े पत्थर की कुछ चीजें भी मिली हैं जिन पर बहुत अच्छी पालिश चढ़ी हुई है और बहुत अच्छी हैं। कुप्पागुल्लू में पत्थर के औजार तथा बड़े-बड़ पत्थरों के काली और लाल चीजें तथा बीच के किस्म की काली पालिश की चीजें पाई गई हैं। काकानूर के निकट एक टीले पर भूरे रंग के चित्रित बर्तन मिले हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं और जिन पर चीनी मिट्टी से आड़ी तिरछी रेखायें बनी हुई हैं। काले और लाल बर्तन भी मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि सातवाहन काल तक वहां अच्छी खासी आबादी होगी।

उड़ीसा के लिये लोहे की चादरें

†१५३. श्री पांगरकर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में उड़ीसा सरकार द्वारा लोहे की कितनी चादरें मांगी गईं; और

(ख) यह मांग किस सीमा तक पूरी की गई तथा उड़ीसा को विभिन्न विकास परियोजनाओं के हेतु लोहे की और चादरें देने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) १६,३५८ टन।

(ख) ११,८५५ टन। राज्यों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिये उपलब्ध माल का समान वितरण किया जाता है।

बम्बई के लिये 'साफ्ट और हार्ड कोक'

†१५४. श्री पांगरकर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में साफ्ट कोक और हार्ड कोक का कितना अभ्यंश बम्बई सरकार को दिया गया ;

(ख) क्या सरकार से बम्बई के लिये अभ्यंश बढ़ाने के लिये कहा गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) १९५९-६० की सम्पूर्ण अवधि के लिये बम्बई राज्य को साफ्ट कोक और हार्ड कोक का निम्नलिखित अभ्यंश दिया गया :—

साफ्ट कोक .	१३५८७ माल डिब्बे
हार्ड कोक . .	५२३९ माल डिब्बे

(ख) और (ग). इंजीनियरिंग कारखानों तथा फौलादघरों के लिये जून, १९५९ से प्रति मास ६१ माल-डिब्बे तक बी० पी० हार्ड कोक का अभ्यंश बढ़ाने के लिये प्रार्थना की गई थी और इसको पूरी तरह से मान लिया गया था। साफ्ट कोक का अभ्यंश बढ़ाने के लिये कोई प्रार्थना नहीं की गई थी।

भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग

†१५५. श्री पांगरकर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा १९५९-६० में मध्य प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया ; और

(ख) उसके क्या परिणाम हुये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और तेल मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) १९५९-६० में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जिन-जिन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया, उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

१. नक्शे तैयार करना :

सागर, देवास और सुरगुजा जिले ।

२. खनिजों संबंधी खोज :

पन्ना में हीरा;

जैतवाडा में गेरू,

सीधी में चांदी की चट्टानें;

बैलादिला, छोटा नागपुर तथा बास्तर में लौह अयस्क;

सिंगरौली में कोयले के लिये खुदाई, और छोटा डोंगर में तांबा ।

३. हासदेव, होशंगाबाद तथा नरसिंहपुर जिलों में पानी सप्लाई करने की समस्यायें ।

(ख) नक्शे तैयार करना : १२७० वर्ग मील क्षेत्र के क्रमबद्ध और १०० वर्ग मील क्षेत्र के ब्योरे वार नक्शे तैयार कर लिये गये हैं ।

खनिज संबंधी खोज : हीरे के नमूने धोये जा रहे हैं ।

३—५फुट मोटी और ८०—१५० फुट लम्बी गेरू की चट्टान पाई गई । सीधी जिले में कहीं-कहीं पर तांबा पाया गया ।

छोटा डोंगर में सल्फाइट खनिज पाया गया किन्तु उसमें तांबे की मात्रा बहुत कम है । सिंगरौली में लगभग ६०७० लाख टन कोयले के मिलने का अनुमान है ।

दिल्ली में भूतपूर्व सैनिकों के लिये बस्तियां

†१५६. श्री डी० चं० शर्मा: क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के भूतपूर्व सैनिकों के लिये दिल्ली में अभी तक कितनी बस्तियां स्थापित की जा चुकी हैं;

(ख) उन बस्तियों में कितने व्यक्ति रह रहे हैं ; और

(ग) उन्हें अनुदान के रूप में अभी तक कितनी राशि दी जा चुकी है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) कोई भी नहीं । दिल्ली के भूतपूर्व सैनिकों के लिये दिल्ली में कोई भी वृद्धि, औद्योगिक अथवा आवास बस्ती स्थापित नहीं की गयी है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत में पाकिस्तानी

†१५७. {श्री डी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में ऐसे कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के मामले हैं जो कि बीसा की अवधि बीत जाने के बाद भी भारत में रहते रहे हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने व्यक्तियों की वीसा की अवधि बढ़ा दी गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार

†१५८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में केन्द्रीय सरकार के अधीन काम करने वाले कितने पुलिस कर्मचारियों को अभी तक भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार किया गया है ; और उनके विरुद्ध मुकदमे चलाये गए हैं; और

(ख) उक्त अवधि में शानदार काम करने पर कितने पुलिस कर्मचारियों को इनाम दिये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) जून, १९६० तक ४।

(ख) जून, १९६० तक ३१४८

उड़ीसा में पुरातत्व संबंधी खुदाई

†१५९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९–६० में उड़ीसा में कोई पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई की गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी नहीं, केवल रत्नगिरि की खुदाई का काम पूरा किया गया था।

(ख) दो मठों के फर्श और नींव की और खुदाई की गई और उनमें से एक के नीचे एक और पहले के मठ का पता चला है जिसमें कांसे की कुछ वस्तुएं भी मिली हैं। इसके अतिरिक्त ईंटों के एक मन्दिर के भग्नावशेष भी निकले हैं;

वाणिज्य शिक्षा

†१६०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १९ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर वाणिज्य शिक्षा और पोलिटैक्निक के डिप्लोमा कोर्सों में वाणिज्य सम्बन्धी शिक्षा लागू करने और व्यावसायिक निकायों तथा शिक्षा संस्थाओं में समन्वय उत्पन्न करने के सम्बन्ध में विस्तृत सुझाव देने के लिये नियुक्त की गयी तीन उपसमितियों के काम में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायन कबिर)** : (क) और (ख). तीनों उप-समितियों द्वारा की गयी प्रगति का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(१) पोलिटैक्निकस में डिप्लोमा कोर्सों से सम्बन्ध रखने वाली उपसमिति ने यह सिफारिश की है कि पोलिटैक्निक स्कूलों में 'कमर्शियल प्रेक्टिस' सम्बन्धी दो वर्षों का पूर्णकालिक अथवा चार

†मूल अंग्रजी में

वर्षों का अल्पकालिक डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ किया जाये । उस कोर्स में अनिवार्य विषयों के रूप में अंग्रेजी, वाणिज्यिक गणित (कमर्शियल अरिथमेटिक) आरम्भिक पुस्तपालन (एलीमेंटरी बुक कीपिंग), वाणिज्यिक भूगोल (कमर्शियल ज्योग्राफी), वाणिज्य के तत्व (एलीमेंट्स ऑफ कामर्स) और टाइप राइटिंग सम्मिलित हों और निम्नलिखित विषयों में से एक विषय ऐच्छिक विषय के रूप में हो.—

आशुलिपि (शार्टहैण्ड); लेखाकर्म (एकाउन्टैंसी); विदेश व्यापार कार्य (फारेन ट्रेड प्रेक्टिस); बैंकिंग कार्य (बैंकिंग प्रैक्टिस); सचिवालय सम्बन्धी कार्य (सेक्रेटेरियल प्रेक्टिस); बिक्री कला (सेल्समेन शिप) ।

(२) व्यवसाय निकायों और शिक्षा संस्थाओं में समन्वय सम्बन्धी समिति ने यह सिफारिश की है कि व्यावसायिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में और अधिक समन्वय की आवश्यकता है और वाणिज्य स्नातकों को सामान्य विषयों से छूट दिलाने के लिये व्यावसायिक संस्थाओं के सहयोग से उपयुक्त योजनायें तैयार कर ली जायें ।

किसी भी विद्यार्थी को एक समय पर एक से अधिक व्यावसायिक विषय पढ़ने की अनुमति न दी जाये ।

(३) माध्यमिक शिक्षा में वाणिज्य सम्बन्धी उपसमिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है ।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों की सूचियां

†१६१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री सिदय्या :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १९ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े हुए वर्गों की सूचियों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : जैसा कि पूर्ववर्ती प्रश्न के उत्तर में बताया गया था, केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की ही सूचियों का पुनरीक्षण किया जा रहा है । मध्य प्रदेश को छोड़ कर शेष सभी राज्य सरकारों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हो गये हैं ।

गाजीपुर जिले में स्मारक

†१६२. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के कितने स्मारकों और प्राचीन इमारतों की जिम्मेवारी केन्द्रीय पुरातत्व परामर्शदात्री समिति द्वारा ले ली गयी है;

(ख) क्या उक्त समिति ने लार्ड कार्नवालिस की कब्र को भी अपने अधीन ले लिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इसकी रक्षा का काम किस संस्था को सौंपा गया है;

(घ) क्या केन्द्रीय पुरातत्व विभाग गाजीपुर के ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर खुदाई का काम प्रारम्भ करने का विचार रखता है; और

(ङ) यदि हां, तो वह काम कब तक प्रारम्भ किया जायगा।

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) केन्द्रीय पुरातत्व परामर्शदात्री समिति नामक कोई समिति नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) इस समय भारत स्थित ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा इस इमारत की देखभाल की जा रही है।

(घ) जी नहीं,

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

†**१६३. श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये केन्द्र द्वारा अभी तक कुल कितनी राशि बांटी गयी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : उत्तर प्रदेश में कोई भी अनुसूचित आदिम जाति नहीं है। जहां तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है, उनके बारे में जानकारी निम्नलिखित है :—

केन्द्रीय सेक्टर . . . २२.१४ लाख रुपये

राज्य सेक्टर . . . १७.०४ लाख रुपये।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त

†**१६४. श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त ने १९५८–५९ और १९५९–६० में उत्तर प्रदेश का कितनी बार दौरा किया था; और

(ख) वह किस किस स्थान पर गये थे ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) १३ बार।

(ख) देहरादून, मसूरी, ऋषिकेष, इलाहाबाद, मांण्डेरा, भाहपुर, कादिपुर, दुर्जनपुर, कालपी, लखनऊ, मुरादाबाद, पौंटा, देवीनगर, निहालगढ़, कालसी, बद्रीपुर, डांडा, लखोण्ड, गाजीपुर तथा वाराणसी।

उत्तर प्रदेश के उच्चन्यायालय में लम्बित मामले

†**१६५. श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में गत दो, तीन और पांच वर्षों के कितने कितने मामले लम्बित पड़े हुए हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

मानव भारती नर्सरी तथा शिशु शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, दिल्ली

†१६६. **श्री अ० क० गोपालन**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव भारती नर्सरी तथा शिशु शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र (केवल स्त्रियों के लिये) दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है; और

(ख) यदि हां, तो उसे किन किन कोर्सों के प्रशिक्षण के लिये मान्यता दी गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आगरे का किला

†१६७. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में आगरे के किले की मरम्मत प्रारम्भ की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य पूरा हो गया है;

(ग) वहां पर किस प्रकार की मरम्मत की गयी है;

(घ) क्या मरम्मत का कार्य विभाग द्वारा किया गया था या कि ठेकेदार द्वारा;

(ङ) क्या कार्य को बीच में ही छोड़ दिया गया था; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मरम्मत के कुछ एक मुख्य कार्यों जैसे कि दीवाने आम की छत पर नई कंक्रीट डालने के अतिरिक्त मोती मस्जिद और अन्य स्थानों पर कुछ एक छोटी छोटी मरम्मतें भी की गयी थीं।

(घ) कुछ कार्य विभाग द्वारा और कुछ ठेकेदारों द्वारा।

(ङ) और (च). पुरातत्व विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य में कुछ भी बाधा नहीं पड़ी। परन्तु जो भाग प्रतिरक्षा मन्त्रालय के अधीन थे, उनमें मरम्मत के कार्य को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था ताकि वह पुरातत्व विभाग के सिद्धान्तों के अनुसार किया जा सके।

गजेटिड अफसर

†१६८. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि से गजटिड अफसरों के क्या क्या नाम और पदनाम हैं जिन्हें १९५९-६० में अवकाश प्राप्त करना था, परन्तु उनके सेवा काल को बढ़ा दिया गया था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : जानकारी इकत्रित की जा रही है और उसे यथा समय सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल में प्रविधिक शिक्षा

†१६९. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में प्रविधिक शिक्षा के विकास के लिये केरल राज्य को सहायक-अनुदान के रूप में कितनी राशि दी गयी ; और

(ख) वह राशि किन किन प्रयोजनों के लिये दी गयी थी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: (क) ९,४४,९१८ पये ।

(ख) अनुदान निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना अथवा विकास के लिये दिये गये थे :—

संस्था का नाम	मंजूर किये गये अनुदान			
	इमारत का निर्माण अनावर्तक	सामान—अनावर्तक	आवर्तक	कुल
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
१. गैर-सरकारी संस्थायें—				
अलगप्पा नगर पोलिटैक्निक				
अलगप्पा नगर .	—	२,७१८	१६,२००	१८,९१८
२. एन० एस० एस० पोलिटैक्निक, पण्डालम . .	१,८०,०००	९०,०००	—	२,७०,०००
३. श्री रामा पोलिटैक्निक, त्रिपरेयर . . .	१,४८,०००	४४,०००	—	१,९२,०००
४. श्री नारायण पोलिटैक्निक, क्विलोन . .	५०,०००	२५,०००	—	७५,०००
५. कारमल पोलिटैक्निक, अलप्पी	३७,०००	—	—	३७,०००
	४,१५,०००	१,६१,७१८	१६,२००	५,९२,९१८

सरकारी संस्थायें

(विस्तार)

१. इंजीनियरिंग कालेज, त्रिवेन्द्रम
२. गवर्नमेंट पोलिटैक्निक, कोजिकोडे . } ३,५२,००० रुपये
३. गवर्नमेंट पोलिटैक्निक, कलामासरी .

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय लोक प्रशासन संस्था

†१७०. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या वित्त मंत्री २९ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ तथा १९५९-६० में भारतीय लोक प्रशासन संस्था में दाखिल होने वाले गैर-सरकारी विद्यार्थियों से फीस के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई थी; और

(ख) १९५९-६० में उस संस्था में सरकारी और गैर-सरकारी कुल कितने विद्यार्थी दाखिल हुए थे और उनसे कुल कितनी फीस प्राप्त हुई थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) गैर-सरकारी विद्यार्थियों से १९५८-५९ और १९५९-६० में क्रमशः २३४० और ५४०० रुपये प्राप्त हुए थे ।

(ख) १९५९-६० में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या तथा उनसे प्राप्त हुई फीस के आंकड़े निम्नलिखित हैं :-

	विद्यार्थियों की संख्या		फीस की राशि
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	
गैर-सरकारी	१०	२१	५४०० रुपये
सरकारी	—	३	१४१० रु०
कुल	१०	२४	६८१० रुपये

अमरीका से ऋण

†१७१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकी विकास ऋण निधि से भारत को अब तक कुल कितना ऋण प्राप्त हुआ है;

(ख) इसमें से कितनी राशि का ३१ जुलाई, १९६० तक उपयोग कर लिया गया था; और

(ग) विकास ऋण निधि से प्राप्त किये गये ऋणों पर कितना ब्याज देना बकाया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) १ अरब, ३० करोड़, ५७ लाख रुपये ।

(ख) ५० करोड़ ६२ लाख रुपये ।

(ग) ८७ लाख रुपये देने थे और वे दे दिये गये हैं ।

इस्पात कारखानों में मजदूरों की छंटनी

†१७२. { **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्रीमती मिनिमाता : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के तीनों इस्पात कारखानों में जुलाई १९६० तक क्रमशः कितने मजदूरों को छंटनी में निकाल दिया गया था; और

(ख) जुलाई, १९६० तक उनमें से कितने व्यक्तियों को पुनः काम में लगा लिया गया था ?

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) ३० जून, १९६० तक भिलाई और दुर्गापुर से क्रमशः ५२०९ और ६५ मजदूरों को निकाला गया था। ३० जून, १९६० तक रूरकेला में किसी भी व्यक्ति को नहीं निकाला गया था।

(ख) ३० जून, १९६० तक भिलाई से निकाले गये व्यक्तियों में से ५५६ व्यक्तियों को नौकरी के लिये चुन लिया गया है और उनमें से ४७ व्यक्तियों ने नये काम पर जाना प्रारम्भ भी कर दिया है। ३० जून, १९६० तक दुर्गापुर से निकाले हुए व्यक्तियों में से १७ व्यक्तियों को फिर से काम दे दिया गया था।

(जुलाई के महीने के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)

दुर्गापुर में रोलिंग मिलें

†**१७३. श्री प्र० गं० देव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने की रोलिंग मिलों ने ९ मई, १९६० को कार्य प्रारम्भ कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) ९ मई, १९६० को ४२ की ब्लूमिंग मिलों पर और ११ मई, १९६० को ३२" की इन्टरमिडियेट मिल पर तजुरबे के रूप में कार्य प्रारम्भ किया गया था। बिलट मिल १७-६-१९६० को चालू की गयी थी।

(ख) जून, १९६० तक दुर्गापुर में ३२७९ टन ब्लूम और ५१६ टन बिलट को रोल किया गया था।

लड़कियों के लिये रिमाण्ड होम

†**१७४. श्री प्र० गं० देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में लड़कियों के लिये रिमाण्ड होम चालू हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी राशि खर्च की गयी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) एक रिमाण्ड होम स्थापित हो गया है, और उसमें कार्य इसी महीने शुरू हो जायेगा।

(ख) ३० जून, १९६० तक ११,६३३ रुपये।

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक

१७५. { **श्री म० ला० द्विवेदी** :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक से सम्बन्धित काम पूरा हो गया है,

(ख) क्या इस स्मारक के निर्माण के लिये पंजाब सरकार ने भी कोई वित्तीय अंशदान किया था; और

(ग) यदि हां, तो अंशदान की राशि क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर): (क) काम की मुख्य मदें क रीब करीब पूरी हो गई हैं। अब जो छोटी मदें बाकी हैं उनका खर्च अनुमानित खर्च के करीब ५ प्रतिशत होगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता।

मेक्सिको बैंकिंग पद्धति के सम्बन्ध में रिपोर्ट

†१७६. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रक्षित बैंक द्वारा मेक्सिको की बैंकिंग पद्धति का अध्ययन करने के लिये मैक्सिको भेजे गये विशेषज्ञ ने कोई रिपोर्ट पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट में क्या क्या सुझाव और सिफारिशें दी गयी हैं ; और

(ग) मेक्सिको बैंकिंग पद्धति में ऐसी कौनसी विशेषता है जिसके लिये यहां से एक विशेषज्ञ को भेजने की जरूरत पड़ गयी थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख) मेक्सिको की कृषि विकास पद्धति का अध्ययन करने लिये वहां भेजे गये रिजर्व बैंक के पदाधिकारी की रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है।

(ग) मेक्सिको ने हाल के कुछ क वर्षों में कृषि विकास के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है और यह ज्ञात हुआ है कि उसने कृषि के विकास तथा फसल के उत्पादन के लिये वित्तपोषण की विशेष व्यवस्था की है। इसलिये मेक्सिको की ग्राम्य ऋण पद्धति तथा अन्य मामलों का अध्ययन करना आवश्यक था।

भ्रष्टाचार के मामले

१७७. **श्री नरदेव स्नातक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९-६० में केन्द्रीय सरकार के कुछ पदाधिकारी अपने देश के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार के कार्यों के अपराधी पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) १९५९-६० में केन्द्रीय सरकार की सिविल सिब्बन्दी का कोई राजपत्रित (गजेटेड) पदाधिकारी अपने देश के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार के कार्यों का अपराधी नहीं पाया गया।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चुनाव याचिका

†१७८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **विधि** मंत्री ३ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौधरी बलबीर सिंह द्वारा चौधरी अमर सिंह के विरुद्ध दायर की गई चुनाव याचिका के निपटाने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस बारे में कब तक निर्णय कर दिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) ३ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ के उत्तर में जनवरी, १९६० तक की प्रगति बता दी गई थी । उस के बाद न्यायाधिकरण की सात बैठकें हुई हैं । ८ गवाहों से जिरह पूरी हो चुकी है और १ गवाह से जिरह थोड़ी हो चुकी है। प्रतिवादी की चार अर्जियां भी दिपटा दी गई हैं । श्री डी० डी० सेठ, एडवोकेट, इलाहाबाद, ने जोकि इस चुनाव न्यायाधिकरण के सदस्य थे, त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि उन के लिये बार बार पंजाब जाना संभव नहीं था । आयोग उस रिक्त स्थान पर किसी और ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के सम्बन्ध में प्रबन्ध कर रहा है जोकि इस कार्य के लिये अधिक समय दे सके ।

(ख) यह बताना बड़ा कठिन है कि इस मामले को कब तक निपटा दिया जायेगा ।

गुड़गांव में भारतीय वायुसेना के सिगनल केन्द्र में आग

†**१७९. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** १४ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तब से गुड़गांव में भारतीय वायुसेना के सिगनल केन्द्र में आग की घटना सम्बन्धी रिपोर्ट पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्ष मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) तथा (ख) . रिपोर्ट अभी सरकार के विस्तृत विचाराधीन है ।

सेवा अधिनियम, १९५० में संशोधन

†**१८०. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १४ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि "अपराधी नहीं" उपपत्ति के अनुसमर्थन के उपबन्ध हटाने के लिये सेना अधिनियम, १९५० में संशोधन करने का प्रश्न किस स्थिति में है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : सेना अधिनियम, १९५० में कोर्ट मार्शल की "अपराधी नहीं" उपपत्ति के अनुसमर्थन का उपबन्ध हटाने के लिये संशोधन सहित अनेक संशोधनों का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है । इन सब मामलों में अन्तिम निश्चय करने में कुछ और समय लगेगा ।

प्रामाणिक विधि शब्दावलि

†१४१. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रामाणिक विधि शब्दावली तैयार करने एवं संविधियों का हिन्दी में अनुवाद करने के लिये, जैसा कि राष्ट्रपति ने सरकारी भाषा संबंधी अपने निदेश में सिफारिश की है, विधि विशेषज्ञों का स्थायी आयोग की नियुक्ति के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस का विस्तार क्या है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : सरकार आयोग के कर्मचारियों के बारे में राज्य सरकार से परामर्श कर रही है और यथाशीघ्र आयोग बनाने का विचार रखती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डिफेंस कालोनी में बालक की हत्या

†१८२. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री इकबाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री ३० मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५६० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डिफेंस कालोनी में एक तीन वर्षीय बालक की हत्या के मामले की जांच पड़ताल का क्या परिणाम रहा ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। जांच पूरी करने के लिये पुलिस आगे कार्यवाही कर रही है।

मोटर स्प्रिट

†१८३. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २१ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर विचार कर लिया है कि मोटर स्प्रिट के आवश्यकता से अधिक उत्पादन तथा अन्य उत्पादों की कमी की असमानता दूर करने के लिये क्या और उपाय किये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये जायेंगे ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) तथा (ख). समिति विस्तृत प्राक्कलनों, उपलब्ध जानकारी मुख्य पैट्रोलियम उत्पादों का १९६६ तक प्रति वर्ष होने वाला उपभोग और उन प्राक्कलनों के प्रदेशानुसार वितरण का काम करती रही है। इस प्रकार असमानता की मात्रा यथासंभव निर्धारित की जा रही है। असमानता समाप्त करने के संभाव्य विभिन्न उपायों पर भी और विचार किया जा रहा है।

दिल्ली के गांवों में राष्ट्रीय छात्र-सना दल के शिविर

१८४. श्री नवल प्रभाकर : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के बड़बाला और चंढोला गांवों में मई, १९६० में राष्ट्रीय छात्र-सेना दल के शिविर लगाये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो छात्र-सैनिकों ने क्या क्या कार्य किये ; और

(ग) इन शिविरों में कितने छात्र-सैनिकों ने भाग लिया ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) से (ग). दो छात्र सेना दल शिविर लगाये गये थे—एक छात्रों का मिश्रित श्रेणी और समाज सेवा शिविर, चंढोला में, तीन मई से १६ मई, १९६० तक, और दूसरा २७ अप्रैल से ८ मई, १९६० तक, बड़वाला में, छात्राओं का समाज सेवा शिविर।

इन दोनों शिविरों में छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये काम का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है :—

चंढोला शिविर

छात्रों ने चंढोला को डेरा महरौली की बड़ी सड़क से मिलाने वाली ४०० गज लम्बी कच्ची सड़क बनाई। इस में १२०५६ घन फुट मिट्टी का काम हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बड़वाला शिविर

छात्राओं ने सफाई और स्वास्थ्य आन्दोलन चलाया। उन्हों ने गांव की स्त्रियों को शारीरिक और अपने आस पास की स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा दी, शिक्षा कक्षायें चलाई और सफाई आन्दोलन चलाया।

चंढोला शिविर में १०० छात्रों ने भाग लिया और बड़वाला शिविर में ३३ छात्राओं ने।

मकान के किराये का भत्ता

१८५. श्री नवल प्रभाकर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों और पदाधिकारियों को मकान के किराये का भत्ता देना बन्द करने का निश्चय किया है जिन के अपने मकान हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त निर्णय को कार्यान्वित करने का कितने कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष निधि

†१८६. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुल ४५ लाख डालर, जिन के बारे में आशा थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष निधि भारत में पांच बड़ी परियोजनाओं के लिये मंजूर करेगी, प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस अनुदान से लाभान्वित होने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार ने यह वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) तथा (ख). संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष निधि की कार्यकारिणी परिषद् ने अपने मई, १९६० के सत्र में निम्न भारतीय परियोजनाओ के लिये संयुक्त राष्ट्र की विशेष निधि से ४,५१६,७००,०० डालर की सहायता मंजूर की थी :—

	राशि (डालरों में)
(१) उच्च मत्स्यपाल प्रशिक्षण संस्था . .	६१०,३००,००
(२) संभावी जल-विद्युत् स्थानों की जांच पड़ताल की अखिल भारतीय योजना . . .	२,३६१,४००,००
(३) वृहत् कलकत्ता की पीने के पानी के संभरण और नाली योजना का सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल .	३२४,१००,००

†मूल अंग्रेजी में

(४) केन्द्रीय खनन अनुसन्धान केन्द्र, धनबाद, और	६९५,९००,००
(५) केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजिनियरी अनुसन्धान केन्द्र, नागपुर	५२५,०००,००
कुल	४,५१६,७००,००

(ग) तथा (घ). इन परियोजनाओं की संचालन योजनायें बनाने के लिये वार्ता हो रही है।

अन्दमान द्वीप समूह में गन्धक

†१८७. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री अमजद अली :
श्री न० म० देब :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान और निकोबार द्वीपसमह में गन्धक (फ्री सल्फर) पाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस का आशातीत मात्रा, किस्म, खनन के लिये किये गये प्रबन्ध का और इस बहुमूल्य खनिज का और पता लगाने के लिये किये गये उपायों का सामान्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि भारत में और कहीं गन्धक पाई जाती है तो कहां कहां और इस के वार्षिक उत्पादन तथा लगभग मूल्य के आंकड़े क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तथा (ख). भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने १९५९-६० में गन्धक के लिये अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमह में प्रारम्भिक जांच पड़ताल की थी। तब काफी अच्छी किस्म की गन्धक पाई गई थी। फिर भी, अब तक जो भी किया गया है बहुत ही प्रारम्भिक है। अतः मात्रा, किस्म, आदि सम्बन्धी पूर्ण व ठीक जानकारी अभी नहीं दी जा सकती। निक्षेपों का निर्धारण करने के लिये और जांच पड़ताल करने की योजना बनाई जा रही है।

(ग) गन्धक काश्मीर की पुगा घाटी, आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिला और गढ़वाल जिले के सुताल गांव में पाया गया है। आजकल इन में से किसी भी स्थान पर खुदाई नहीं हो रही है। गढवाल और आन्ध्र प्रदेश के निक्षेप आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं हैं।

हिमाचल प्रदेश में बंजारे

१८२. **श्री पद्म देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५६, १९५७, १९५८ और १९५९ में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में कितने लोग बंजारे का सा जीवन व्यतीत कर रहे थे ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :) हिमाचल प्रदेश में बंजारों का सा जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की संख्या लगभग १२,१३३ है। १९५१ के बाद इन लोगों की कोई जनगणना नहीं हुई है और इसलिये अलग अलग वार्षिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

हिमाचल प्रदेश के न्यायिक आयुक्त के दौरे

१८९. श्री पद्म देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में हिमाचल प्रदेश के न्यायिक आयुक्त ने कितने जिलों का दौरा किया और वह प्रत्येक जिले में कितनी बार गये ;

(ख) वर्ष भर में प्रत्येक जिले में कितने मुकदमे निपटाये गये ; और

(ग) न्यायिक आयुक्त के दौरे के बारे में अर्थात् शिमला और अन्य स्थानों में उन के ठहरने की अवधि के सम्बन्ध में क्या नियम हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) से (ग). एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रख दिया है।

(क) १९५९ में दौरा किये गये जिलों का नाम	१९५९ में प्रत्येक जिले में जितनी बार दौरा किया
मण्डी	४
चम्बा	१
विलासपुर	४
सिरमौर	४

(ख) निपटाये गये मुकदमों की संख्या

मण्डी	९०
चम्बा	१७
बिलासपुर	१११
सिरमौर	२१

(ग) न्यायिक आयुक्त के दौरे के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है। वह अपने मुख्यालय, शिमला में कुछ मास ठहरते हैं और बाकी वर्ष में दौरे पर रहते हैं।

ब्रिटेन से विमान वाहक पोत की खरीद

†**१९०. श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडार वाला एक विमान वाहक पोत ब्रिटेन से खरीदा जा रहा है ; और

(ख) क्या भारत ने इसे चलाने के लिये व्यक्तियों को प्रशिक्षित बना लिया है और पन-डुब्बी विरोधी यंत्र के बिना यह कहां तक लाभदायक रहेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) यह कदाचित आई० एन० एस० विक्रान्त का उल्लेख है जिस का निर्माण कुछ समय से हो रहा है।

(ख) भारतीय नौसेना के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी इस जहाज़ में काम करेंगे जैसे कि वे बेड़ा के अन्य जहाजों पर काम करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

'विक्रान्त' में ऐसे यंत्र हैं जो आजकल नौसेना की जरूरतों को, जिन में नौसेना का पनडुब्बी-विरोधी कार्य भी सम्मिलित है, पूरा करते हैं ।

भिलाई में उप-उत्पाद संयंत्र

†१९१. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात कारखाने में तीसरी कोक भट्टी पूरी होने पर उप-उत्पादों के कौन से संयंत्र आरम्भ किये जायेंगे ; और

(ख) इन उप-उत्पादों के संयंत्रों की उत्पादन क्षमता क्या है और उन का क्या ब्यौरा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) भिलाई इस्पात कारखाने में तीसरी कोक भट्टी पूरी होने पर 'बेंज़ाल' की प्राप्ति और शोधन एवं कोलतार निकालने के संयंत्र चलाये जायेंगे ।

(ख) इन उप-उत्पाद संयंत्रों का अन्तिम वार्षिक उत्पादन निम्न है :—

उप-उत्पाद	मात्रा (टनों में)
अमोनियम सल्फेट	१६,३००
मोटर बेन्ज़ाल	५०
शुद्ध बेन्ज़ाल	६,२४०
शुद्ध टोलौल	१,४९०
काइलीन	५००
साल्वेन्ट्स	४००
स्टिल रेज़ीड्यस	४००
साल्वेन्ट नेफथा	७००
फीनाल तेल	८६०
नेफथालीन तेल	२,८२०
ऐब्ज़ारप्शन तेल	३,४००
ऐन्थरासीन तेल	१,०६५
प्रेस्ड नेफथालीन	१,७००
अशोधित ऐन्थरासीन	८९०
अशोधित फीनाल	८००
पिच	२१,६८०

विद्युत तथा सिंचाई सुविधाओं के लिये उपबन्ध

†१९२. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-अमरीका खाद्यान्न करार से, जिस पर मई १९६० में वाशिंगटन में हस्ताक्षर हुए थे, विद्युत् तथा सिंचाई की सुविधाओं, आदि का निर्माण करने के लिये ५०० करोड़ रु० से अधिक राशि उपलब्ध होगी ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को इस निधि में से आवंटन किस प्रकार किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) करार के अन्तर्गत देश के सन्तुलित आर्थिक विकास की परियोजनाओं के लिये ऋण तथा अनुदान के रूप में लगभग ५१२ करोड़ रु० उपलब्ध होंगे। राशि विद्युत् तथा सिंचाई की सुविधाओं के निर्माण के लिये निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) केवल पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित परियोजनाओं को ही चुना जायेगा। समूचे साधनों की गणना करते समय इस राशि को सम्मिलित कर लिया गया है इसलिये राज्यवार आवंटन करने का प्रश्न ही नहीं है।

अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकें

†१९३. **श्री अब्दुल सलाम:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा के लिये पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में एकरूपता संबंधी कोई नीति-निर्णय है ;

(ख) अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा योजना की कार्यान्विति के लिये कागज़ की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो अनुमान क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं, श्रीमन्।

(ख) तथा (ग). इस मामले पर राज्य सरकारों और संघ प्र शासित राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से वार्ता की जा रही है।

इस्पात संबंधी आवश्यकता

†१९४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे, जिस में निम्नलिखित जानकारी दी हुई हो :

(क) १९५९-६० में देश में इस्पात का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) १९५९-६० में कितने इस्पात की आवश्यकता थी ;

(ग) १९५९-६० में इस्पात का कितना आयात किया गया ; और

(घ) १९६०-६१ में कितने इस्पात की आवश्यकता है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : आवश्यक जानकारी नीचे दी जा रही है :—

(क) १९५९-६० में इस्पात का उत्पादन . . .	१९ ०२ लाख टन
(ख) १९५९-६० की आवश्यकता का अनुमान, पुरस्कर्ता प्राधिकारियों द्वारा आवंटन के लिये की गई मांग के आधार पर लगभग	४० लाख टन
(ग) १९५९-६० में किया गया आयात . .	७·५२ लाख टन
(घ) १९६०-६१ की आवश्यकता का अनुमान, पुरस्कर्ता प्राधिकारियों द्वारा आवंटन के लिये की गई मांग के आधार पर	०·४७ लाख टन

†मूल अंग्रेज़ी में

उच्च-न्यायालय में काम के घंटे

†१९५. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १६ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५९ के **उत्तर** के **सम्बंध** में यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्च-न्यायालयों में छुट्टियों की संख्या को कम करने **और** काम के घंटों में वृद्धि करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : १६ फरवरी, १९६० को तारांकित प्रश्न संख्या १५९ का उत्तर दिये जाने के पश्चात् पटना उच्च-न्यायालय ने चालू वर्ष में अपने काम करने के दिन बढा कर २१० कर दिये हैं । आसाम और उड़ीसा में यद्यपि उन्होंने १९६० में २१० दिन काम करना मान लिया था किन्तु अभी तक इसे कार्यान्वित नहीं किया गया **और** सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ इस विषय पर पत्र-व्यवहार हो रहा है ।

किसी भी उच्च-न्यायालय के काम करने के घंटों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

अपराध निवारण ब्यूरो

†१९६. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री पद्म देव :
श्री पांगरकर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १६ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७२ के **उत्तर** के **सम्बन्ध** में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपराधों की रोकथाम और अपराधियों के सुधार के लिये ब्यरो की स्थापना के सम्बंध में आज तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस के कब तक कार्य शुरू करने की सम्भावना है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) ब्यूरो के लिये स्थान का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(ख) जब स्थान मिल जायेगा ।

राष्ट्रीय सेनाछात्र दल

†१९७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सेनाछात्र दल का पुनर्गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ; और

(ग) कितने राज्यों में इस योजना को नये तरीकों से लागू किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) राष्ट्रीय सेनाछात्र दल में 'राष्ट्रीय सेनाछात्र राइफल्स' नामक एक नया वर्ग बनाया गया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) इस सेना के सभी वर्गों का उद्देश्य एक ही है और इन में कोई रूपभेद नहीं किया गया।

इन्फैन्टरी यूनिटों के समान, जो स्थल सेना मे आम तौर पर होते हैं, राइफल्स् के पास हल्के शस्त्रास्त्र होते हैं। 'एन० सी० सी० राइफल्स' में भर्ती दो अथवा तीन वर्षों के लिय होती है, प्रत्यक वर्ष कालेज के शैक्षणिक वर्ष के साथ साथ प्रारम्भ और समाप्त होता है। इस अवधि में ३६० 'पीरियडों' का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम समाप्त करना पड़ता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत शारीरिक प्रशिक्षण, ड्रिल, गश्त लगाना (पेट्रोलिंग), मानचित्रों को देखने की कला, स्वास्थ्य सफाई, सन्देश लेखन, सेना का इतिहास, पैदल सेना (इन्फैन्टरी) के उप-एककों का संगठन, प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) आग बुझाना, लोगों को बचाने और असानक अधिकारियों की सहायता करना शामिल है।

इस के अतिरिक्त, प्रशिक्षण के दूसरे अथवा तीसरे वर्ष जैसी कि प्रणाली हो—के समाप्त होने पर 'एन० सी० सी० राइफल्स' के पदाधिकारियों और छात्र-सैनिकों को १४ दिन के एक प्रशिक्षण कैम्प में जाना पड़ता है। लड़के 'बी' और 'सी' प्रमाणपत्र परीक्षाओं में उसी प्रकार बैठ सकते हैं जिस प्रकार कि एन० सी० सी० के वरिष्ठ डिवीज़न के सेनाछात्र (कैडट) बैठते हैं।

लड़कियों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण भी उसी प्रकार का होता है जैसा कि एन० सी० सी० के लड़कियों के डिवीज़न की वरिष्ठ शाखा के सदस्यों को दिया जाता है। इस नये वर्ग के सदस्यों को सिगनलिंग, नर्सिंग और अन्य बातों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। नर्सिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम काफी व्यापक और विस्तृत है और तीन वर्षों में २७५ पीरियडों में विभाजित है। इस में अस्पतालों में किया जाने वाला क्रियात्मक कार्य भी शामिल है।

एन० सी० सी० की वरिष्ठ शाखा की लड़कियों की भांति एन० सी० सी० राइफल्स (महिला) की सदस्यायें भी जी–१ और जी–२ प्रमाणपत्र परीक्षाओं में बैठ सकती हैं।

एन० सी० सी० राइफल्स का आवर्तक व्यय, एन० सी० सी० के समान केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा मिल कर किया जाता है।

(ग) एन० सी० सी० राइफल्स योजना को सभी राज्यों में लागू किया गया है।

इस्पात संयंत्रों में प्रविधिक कर्मचारी

†१९८. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उद्योग क्षेत्र के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में इस समय कितने प्रविधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं और उन की राष्ट्रीयता क्या है ;

(ख) इस्पात उद्योग के लिये हमारे अपने व्यक्तियों को विदेशों में प्रशिक्षण देने का क्या प्रबन्ध है ; और

(ग) सरकारी उद्योग क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का संचालन पूर्णतया भारतीय स्वयं कब तक करने लगेंगे ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सरकारी उद्योग क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की स्थापना और संचालन के हिन्दुस्तान स्टील में निम्नलिखित विदेशी टेक्नीशियन काम कर रहे हैं :—

रूरकेला	१ यूगास्लाव
भिलई	५८१ रूसी
दुर्गापुर	९५ अंग्रेज

इस के अतिरिक्त रूरकेला और दुर्गापुर में ठेकेदारों के पास बहुत से विदेशी काम कर रहे हैं ।

(ख) लगभग २००० कनिष्ठ इंजीनियरों को सोवियत रूस, इंग्लैंड, पश्चिम जर्मनी और आस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध किया गया है ।

(ग) सरकारी उद्योग क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का प्रबन्ध अधिकांशतः भारतीय लोगों के हाथ में है किन्तु कुछ वरिष्ठ और मध्यम स्तर की प्रविधिक जगहों पर विदेशी टेक्नीशियनों लगाना पड़ता है । किन्तु जब उन स्थानों के लिये उपयुक्त भारतीय कर्मचारी उपलब्ध हो जायेंगे तो उन्हें उन के स्थान पर लगा दिया जायेगा ।

दिल्ली में अपहरण की घटनाएं

†१९९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष १९५९-६० के दौरान अपहरण और बलात्कार की ऐसी कितनी घटनायें हुई जिन में टैक्सियों, स्कूटरों और चार सीटों वाले मोटर- साइकिल रिक्शाओं के ड्राइवरों का हाथ था ;

(ख) क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ऐसी अधिक घटनायें हुई हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) अपहरण की ऐसी केवल एक घटना हुई थी और बलात्कार की ऐसी कोई घटना नहीं हुई ।

(ख) पिछले वर्ष ऐसी कोई घटना नहीं हुई ।

(ग) किसी विशेष कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं है ।

निर्वाचन याचिकाएं

†२००. श्री पांगरकर : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में इस समय कितनी निर्वाचन याचिकायें विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या सभी निर्वाचन याचिकायें १९५७ के निर्वाचन से सम्बन्धित हैं अथवा उससे पहले के निर्वाचन से ; और

(ग) भारत के सभी उच्च न्यायालयों में इस समय कुल कितनी निर्वाचन याचिकायें विचाराधीन हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) उच्चतम न्यायालय में ९ निर्वाचन याचिकाओं (सभी विधान सभाओं से सम्बन्धित हैं) की अपीलें विचाराधीन हैं ।

(ख) इन में से ८ का सम्बन्ध १९५७ के सामान्य निर्वाचन से है और एक का सम्बन्ध दिसम्बर, १९५८ में हुए उप-चुनाव से है ।

(ग) विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुल सात निर्वाचन याचिकायें (२ का सम्बन्ध लोक-सभा से और ५ का विधान सभाओं से है) विचाराधीन हैं । इन सभी याचिकाओं का सम्बन्ध १९५७ के सामान्य निर्वाचनों से है ।

उपरोक्त स्थिति २० जुलाई, १९६० को थी ।

इम्फाल में पानी की कमी

†२०१. **श्री अमजद अली** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान ६ मई, १९६० के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि इम्फाल में पानी की कमी के कारण पानी की एक बाल्टी ५० न० पै० में बिक रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस भयंकर सूखे के परिणामस्वरूप होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां । जांच करने से पता चला है कि यद्यपि उत्तर पूर्वी मौनसून पवनों के न आने और दक्षिण पश्चिमी मौनसून पवनों के देर से आने के कारण इम्फाल में पिछली गर्मियों में पानी की कमी थी किन्तु पानी की इतनी भीषण कमी कभी नहीं हुई कि नागरिकों को पानी खरीदना पड़ा हो । वहां के कुछ लोग पानी मंगाने के लिये प्रायः पैसे दे कर प्रबन्ध करते हैं और इस वर्ष भी वह ऐसा ही करते रहे ।

(ख) वांगरवाई लेकाई १००० गैलन के एक जलाशय की स्थापना की गई और उस में निंगथेम पुरवरी नामके एक गहरे तालाब से पम्पों द्वारा पानी पहुंचाया गया । शहर में बहुत से पानी के सार्वजनिक नल लगाये गये थे । एक नली भी लगायी गयी थी ताकि लोग सीधे तालाब से पानी ले सकें । इम्फाल नगरपालिका को ५४,००० रु० का ऋण दिया गया था ताकि दूसरे तालाबों में पानी भरा जा सके । मनीपुर जलपूर्ति समिति ने पानी को ट्रकों द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्रों में भेजने की व्यवस्था की थी । मुख्य आयुक्त ने अपनी स्वविवेक निधि में से इस समिति को १००० रु० मंजूर किया ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए ऋण

†२०२. **श्री वें० प० नायर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये निम्नलिखित देशों से अब तक कुल कितना ऋण लिया जा चुका है :—

१. संयुक्त राज्य अमरीका
२. इंग्लैंड
३. सोवियत रूस
४. जापान

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक देश में से लिये गये ऋण में कितनी रकम उपभोक्ता-वस्तुओं पर व्यय की गई और कितनी पूंजी वस्तुओं पर ; और

(ग) प्रत्येक देश से लिये गये ऋण पर कुल कितना ब्याज दिया जाता है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २०]

(ख) इन में से प्रत्येक देश से लिये गये ऋण और उधार का उपयोग पूंजी-वस्तुओं और कच्चे औद्योगिक माल का, जिस में उर्वरक भी शामिल है, आयात करने में और आर्थिक विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने में खर्च होने वाली रुपया मुद्रा को पूरा करने में किया जाता है। इन ऋणों के किसी अंश को वास्तविक उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च नहीं किया गया।

(ग) विदेशी ऋणों की रकम इकट्ठी नहीं ली जाती बल्कि विभिन्न समयों पर, जब विकास परियोजनाओं/कार्यक्रम के सम्बन्ध में कुछ आयात किया जाता है, किस्तों में ली जाती है। बकाया राशि (लिये गये ऋण की राशि में से पुनर्अदायगी की किस्त को घटा कर) पर समय समय पर ब्याज निकाला जाता है। कई ऋणों की पूरी अधिकृत रकम अभी नहीं ली गई। कई दूसरे ऋणों की अधिकृत रकमों का अभी बिल्कुल कोई अंश नहीं निकाला गया। इसलिये इस समय यह बताना बड़ा कठिन है कि प्रत्येक देश से मिले ऋण की कुल अधिकृत घन-राशि पर कितना ब्याज देना पड़ेगा। किन्तु प्रत्येक देश से लिये गये प्रत्येक ऋण पर ब्याज की दरों का ब्योरा सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दे दिया गया है।

नौ-सेना नियम

†२०३. **श्री सैं० अ० मेहदी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौ-सेना के विनियमों के पुनरीक्षण का कार्य समाप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो शाही नौ-सेना नियम, १९३८ और इन नये नियमों में क्या अन्तर है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी नहीं। भारतीय नौ-सेना के विनियमों के पुनरीक्षण के कार्य को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने का प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

स्थल सेना के मुख्य-कार्यालय में असैनिक पद

†२०४. **श्री सैं० अ० मेहदी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री २ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थल सेना के मुख्य कार्यालय में स्टाफ कैप्टेन के आठ पदों पर असैनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति हो गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस का क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय रुपये की विनिमय दर

†२०५. श्री सै० अ० मेहदी : क्या वित्त मंत्री २४ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में मार्च से जुलाई, १९६० तक भारतीय रुपये की विनिमय दर क्या रही है; और

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में यह ऊंची है अथवा नीची ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : खुले बाजार में विनिमय दरों सम्बन्धी जानकारी समाचारपत्रों में छपने वाले समाचारों से ही प्राप्त हो सकती है; कोई मान्यता प्राप्त प्राधिकारी इसे नियमित रूप से प्रकाशित नहीं करता। वस्तुतः कई देशों में खुले बाजार में विनिमय करना गैर-कानूनी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य पूर्व एशिया के कुछ देशों के खुले बाजार में जुलाई १९५९, मार्च, १९६० और जुलाई, १९६० में १०० भारतीय रुपयों की विनिमय दर इस प्रकार थी :—

देश		जुलाई १९५९	मार्च १९६०	जुलाई १९६०
श्रीलंका .	(रु०)	११५.००	१०६.५०	१०६.५०
नेपाल	(रु०)	१६३.६०	१६४.३०	१६२.०० (अप्रैल में)
बर्मा .	(कायात)	२३३.००	१९४.००	१८६.००
हांगकांग	(एच के$)	१०५.००	८३.५०	८२.००
सिंगापुर .	(एस$)	५३.७०	५२.००	५१.००
ईराक .	(दीनार)	६.५०	जानकारी नहीं	६.५०
बेरूत . . .	(पियास्तर)	६५.७५	,,	४४.५०

किन्तु भारत से होने वाले निर्यात और भारत में विदेशों से होने वाले आयात सम्बन्धी सभी अधिकृत सौदों में सरकारी विनिमय दर के हिसाब से भुगतान होता है, जो अपरिवर्तित रहती है।

निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

†२०६. श्री बि० दासगुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की प्रादेशिक गोष्ठियां आयोजित की हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो देश भर में कुल कितनी गोष्ठियों का आयोजन किया गया और उनमें कितने राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां।

(ख) अभी तक तीन गोष्ठियां आयोजित की गयी हैं और उनमें १२ राज्यों और ५ संघ राज्य-क्षेत्रों ने भाग लिया।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां

†२०७. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिये १९६०-६१ के लिये कितनी रकम की मंजूरी दी गयी है; और

(ख) क्या कुछ धन-राशि पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों के लिये भी स्वीकार की गयी है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार को ३,५२,४०० रु० दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश में कोई अनुसूचित आदिम जाति नहीं है।

(ख) जी हां। इस कार्य के लिये ४,४३,२०० रु० की मंजूरी दी गयी है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिये खेतीयोग्य भूमि

†२०८. **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री रा० च० व्यास :
श्री दीन बन्धु परमार :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री गंगानगर में भूतपूर्व सैनिकों को दी गई खेती योग्य भूमि का कब्जा अभी तक उन्हें नहीं दिया गया है;

(ख) कितने भूतपूर्व सैनिकों को अभी तक भूमि नहीं दी गई है;

(ग) कितने भूतपूर्व सैनिकों को भूमि देने के आदेश दे दिये गये हैं, किन्तु उन्हें व्यक्तिगत रूप से भूमि नहीं दी गई है, और उन्हें सरकारी भूमि जोतने के लिये बाध्य किया जा रहा है; और

(घ) क्या यह सच है कि उन भूतपूर्व सैनिकों को भी एक जगह भूमि नहीं दी जा रही है जो सहकारी टकाकी अद्रप-खेती कर रहे हैं अपितु उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में भूमि दी जा रही है जिसके फलस्वरूप सहकारी खेती के आन्दोलन को धक्का पहुंच रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) से (घ). सूचना राजस्थान सरकार से इकट्ठी की जा रही है और यथा-समय लोक सभा के पटल पर रख दी जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिक और अर्हता प्राप्त इंजीनियर

†२०९. श्री कालिका सिंह : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारत के विश्वविद्यालयों और उच्च प्रौद्योगिक शिक्षा प्रदान करने वाले कालेजों में वैज्ञानिक और उच्च शिक्षा प्राप्त इंजीनियर तैयार करने का प्रस्तावित कार्यक्रम क्या है;

(ख) आजकल भारतीय विश्वविद्यालयों में कला, शुद्ध विज्ञान और विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिक पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है (कृपया प्रत्येक पाठ्यक्रम के पूरे आंकड़े और उनका प्रतिशत अनुमान भी दें); और

(ग) क्या मंत्रालय ने ब्रिटेन के विज्ञान मंत्री की अध्यक्षता में वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी सलाहकार परिषद् द्वारा इंग्लैंड की सरकार को पेश की गयी रिपोर्ट का अध्ययन किया है; और यदि हां, तो उसकी तुलना में हमारा कार्यक्रम कैसा है ?

†श्री हुमायूं कबिर: हमारा विचार यह है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना की अवधि के अन्त में प्रति वर्ष तैयार होने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की संख्या इस प्रकार होनी चाहिए :—

(एक) विज्ञान के स्नातक . .	४५,०००
(दो) विज्ञान में एम० ए०	७,०००
(तीन) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी (टेक्नालाजी) के स्नातक	११,४७५
(चार) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के एम० ए० .	१,५००

(ख) १९६० में कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करके निम्नलिखित छात्र निकलेंगे :—

वर्ग	संख्या	कुल संख्या का प्रतिशत
१. कला के स्नातक	६३,९०५	५८.७
२. कला में एम० ए०	१३,२५६	१२.२
३. विज्ञान के स्नातक	२३,५५६	२१.७
४. विज्ञान के एम० ए०	३,६०४	३.३
५. इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के स्नातक . .	४,४७८	४.१
	१,०८,७९१	

(ग) जी, नहीं, किन्तु दोनों देशों के विकास के सामान्य स्तर को देखते हुए हमारा कार्यक्रम पूर्ण रूप से सन्तोषजनक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रमंडल शिक्षा सम्पर्क एकक, लन्दन

†२१०. श्री कालिका सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उप-कुलपति डा० वी० एस० झा ने लन्दन में राष्ट्रमंडल शिक्षा सम्पर्क एकक के निदेशक का पद सम्भाल लिया है;

(ख) यदि हां, तो कब और उनको कितना वेतन और भत्ते आदि मिलते हैं;

(ग) उनको इस पद के लिये कैसे चुना गया;

(घ) क्या लन्दन में यह नया पद बनाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस पद का वेतन आदि कौन सी सरकार देगी ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) जी हां।

(ख) २० अप्रैल, १९६० से; वेतन ४५०० पौंड प्रति वर्ष और भत्ते २००० पौंड प्रति वर्ष।

(ग) राष्ट्रमंडल शिक्षा सम्पर्क समिति ने राष्ट्रमंडल के विभिन्न देशों द्वारा मनोनीत व्यक्तियों में से डा० वी० एस० झा को चुना।

(घ) जी हां।

(ङ) इस पद का वेतन राष्ट्रमंडल शिक्षा सम्पर्क एकक द्वारा दिया जायेगा। एकक का वार्षिक व्यय अनुमानत: १७,००० पौंड है जिसमें राष्ट्रमंडल के सभी देशों का हिस्सा होता है। भारत का भाग ९.२५ प्रतिशत है जो लगभग १५७५ पौंड (२१,००० रु०) है।

निषिद्ध वस्तुओं का पकड़ा जाना

†२११. श्री पुन्नूस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारियों ने अब्दुल कदार नामक व्यक्ति के पास से बहुत बड़ी मात्रा में निषेधित विलास सामग्री बरामद की थी जो २० मई, १९६० को एक एयर इंडिया विमान द्वारा सिंगापुर से बम्बई हवाई अड्डे पर उतरा था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ये वस्तुएं एक सुसंगठित अंतर्राष्ट्रीय गिरोह द्वारा जिसका भारत के लोगों से सम्पर्क है भारत में चोरी से लाई गई थी; और

(ग) क्या इस मामले से सम्बन्धित लोगों को पकड़ लिया गया है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) अभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह सिद्ध हो कि वे वस्तुयें तस्कर व्यापारियों के एक सुसंगठित अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह द्वारा, जिसका भारत के लोगों से सम्पर्क है, भारत में चोरी से लाई गई थीं। परन्तु जांच करने से यह अवश्य पता लगा है कि तस्कर व्यापार में एक से अधिक व्यक्ति संबद्ध हैं।

(ग) वह यात्री श्री वपारिया अब्दुल कदार पकड़ लिया गया है और उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। अभी तक अन्य कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिहार विधान-सभा के लिये उप-चुनाव

†२१२. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार शरीफ़ (बिहार राज्य) में विधान सभा के लिये उप-चुनाव के लिये मई में हुए मतदान के ठीक पहले मतदाताओं की सूची में नये नाम जोड़े गये थे;

(ख) यदि हां, तो कितने नाम जोड़े गये;

(ग) क्या इस बारे में किसी राजनीतिक दल द्वारा कोई विरोध किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विरोध पर विचार किया है ?

†विधि उपमंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) से (घ). २२ मई, १९६० को हुए बिहार उत्तर निर्वाचन-क्षेत्र से बिहार विधान सभा के लिये उप-चुनाव से कुछ दिन पूर्व जनता के कुछ व्यक्तियों और एक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ने निर्वाचक पंजीयन अधिकारी को बताया कि निर्वाचन-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले तीन विशिष्ट क्षेत्रों के बहुत से पात्र मतदाताओं के नाम अन्तिम रूप से प्रकाशित निर्वाचन नामावलि से निकाल दिये गये हैं। निर्वाचन पंजीयन अधिकारी ने इसकी जांच करवाई और यह पता लगा कि इन क्षेत्रों के १०३७ मतदाताओं के नाम निर्वाचन-नामावलि से निकाल दिये गये थे। तब उन्होंने राजनीतिक दलों से परामर्श किया। साम्यवादी दल के श्री विजय कुमार यादव ने कहा कि न तो इन नामों को सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता है और न ही निर्वाचन पंजीयन अधिकारी को ऐसा करने का कोई अधिकार है। तथापि, क्योंकि इतनी अधिक संख्या में पात्र मतदाताओं को मत देने से वंचित नहीं रखा जा सकता, निर्वाचन पंजीयन अधिकारी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक आवेदन-पत्र भेजा कि वह निर्वाचन-नामावलि के एक विशेष भाग के पुनरीक्षण के लिये निर्वाचन आयुक्त से कहे। जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि विशेष रूप से पुनरीक्षण करना जरूरी है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष रूप से पुनरीक्षण के प्रस्ताव पर अनुमति के लिये निर्वाचन आयोग से कहा। आयोग ने प्रस्ताव को मान लिया और १७ मई, १९६० को विशेष रूप से पुनरीक्षण का आदेश दिया। तदनुसार उन पात्र मतदाताओं के नाम, जिनके नाम नामावलि में नहीं थे, उस में सम्मिलित किये गये और फिर निर्वाचन पंजीयन पदाधिकारी द्वारा नामावलि का प्रकाशन किया गया।

इस प्रकार उपरोक्त क्षेत्र के बारे में निर्वाचन नामावलि का विशेष रूप से पुनरीक्षण विधि के अनुसार किया गया।

कृष्णा और खम्मम जिलों का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†२१३. श्री रामी रेड्डी : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रोमाइट के निक्षेपों के लिये आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा और खम्मम जिलों में भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) क्या कोई खोजने का या खनन-कार्य आरम्भ किया गया है अथवा आरम्भ करने का प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) **कृष्णा जिला** : वर्ष १९३७ में कौंडा पल्ली के समीप पहाड़ियों में क्रोमाइट के छोटे निक्षेप पाये गये थे। यह अयस्क दो किस्म का है—सख्त व नरम। और इसका भंडार थोड़ा है।

खम्मम जिला : खम्मम जिले में क्रोमाइट के होने की जांच १९५७-५८ में की गयी थी। क्रोमाइट अधिकतर पोलवांचा तालुक में इमाम नगर, जन्नवरम और लिंगमपेट में छितरे रूप में और मादिरा तालुक में डेन्डकुरू और गौरावरम में पुंज रूप में मिलता है। पोलवांचा तालुक में अयस्क का भंडार २००० से २५०० टन तक है परन्तु अयस्क घटिया किस्म का है।

(ग) यह पता लगा है कि पीछे किसी समय में कौन्डा पल्ली निक्षेप के खनन के बारे में काय किया गया था। खम्मम में एक पूर्वेक्षण लाइसेन्स था और एक खनन पट्टा था, परन्तु किसी उत्पादन का पता नहीं चला है। खम्मम में एक खनन पट्टा और कृष्णा जिले में दो खनन पट्टे चालू हैं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये समुद्र पार की छात्रवृत्तियां

२१४. **श्री बै० च० मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ और १९५९-६० में उनके मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित समुद्र पार की छात्रवृत्तियों के अभ्यंश का पूरा-पूरा उपयोग कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) १९६०-६१ के लिए ये छात्रवृत्तियां देने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए समुद्रपार की छात्रवृत्ति योजनाओं के पुनरीक्षण के लिए जो जांच-समिति नियुक्त की थी उसकी रिपोर्ट न मिलने के कारण १९५८-५९ के कोटे के अन्तर्गत चुनाव करने के लिए समय पर कदम न उठाये जा सके। फिर भी १९५८-५९ के कोटे की १२ छात्रवृत्तियां १९५९-६० के दौरान में दी गयी थीं। चूंकि १९५८-५९ की १२ छात्रवृत्तियां वास्तव में १९५९-६० ही में दी गई थीं, इसलिए १९५९-६० का कोटा स्वीकृत नहीं किया गया।

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को समुद्रपार की १२ छात्रवृत्तियां देने की जो योजना मूलतः १९५९-६० तक स्वीकृत थी, उसे अब १९६०-६१ से ५ वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए अनुमोदित कर दिया गया है। १९६०-६१ में दी जाने वाली १२ छात्रवृत्तियों के लिए संघीय शासन सेवा आयोग ने विज्ञापन दे दिया है और उनके लिए आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख १-८-१९६० है।

---

†मूल अंग्रेजी में

"इण्डियन आरकेलॉजी (१९५८-५९)—ए० रिव्यू"

†२१५. श्री बै० च० मलिक : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इन्डियन आरकेलॉजी (१९५८-५९)—ए रिव्यू" नामक पुस्तक देश की प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस का प्रकाशन कितनी प्रादेशिक भाषाओं में हो चुका है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी, नहीं। परन्तु "इण्डियन आरकेलॉजी" नामक एक पुस्तक का जो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी हुई थी, मुख्य मुख्य प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कर दिया गया है और उसके अनुवाद के प्रकाशन का कार्य राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पुरातत्वीय विभाग का उत्तर-पश्चिमी सर्किल

†२१६. श्री बै० च० मलिक: क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्वीय विभाग के उत्तर-पश्चिमी सर्किल के सदर मुकाम को दिल्ली से बाहर ले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली/नई दिल्ली में कार्यालयों की बढ़ी हुई संख्या को कम करने के लिये।

पश्चिमी बंगाल में स्मारक

†२१७. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय पुरातत्वीय विभाग के अधीन पश्चिमी बंगाल में स्मारकों के संरक्षण पर पिछले दो वर्षों में कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : ₹२,०४७ रुपये।

पंजाब में योग्यता-व-साधक छात्रवृत्तियां

†२१८. श्री दलजीत सिंह : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में वर्ष १९५९-६० और १९६०-६१ में अब तक प्रत्येक प्राविधिक संस्था को कितनी योग्यता-व-साधन छात्रवृत्तियां आवंटित की गयी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : योग्यता-व-साधन छात्रवृत्ति योजना के अधीन पंजाब में १९५९-६० में प्रविधिक संस्थाओं को दी गयी छात्रवृत्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :

संस्था का नाम	आवंटित की गयी छात्रवृत्तियों की संख्या
१. प्रथम डिग्री कोर्स संस्थायें	
१. गुरु नानक इंजीनियरिंग कालेज, लुधियाना .	७
२. पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चन्डीगढ़ . . .	१४
३. थापर इंस्टीच्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी, पटियाला	७
४. टेक्नोलाजिकल इंस्टीच्यूट ऑफ़ टेक्स्टाइल, भिवानी . .	४
५. डिपार्टमेन्ट आफ़ फ़ारमास्यूटिक्स, पजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ .	१
६. डिपार्टमेन्ट आफ़ केमिकल इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़	२
२. डिप्लोमा कोर्स वाली संस्थायें	
७. गवर्नमेन्ट पॉलीटेक्नीक, अम्बाला	४
८. गुरु नानक इंजीनियरिंग कालेज, लुधियाना . . .	२
९. ऐम० सी० टेक्निकल इंस्टीच्यूट, जालंधर . . .	२
१०. नेशनल इंस्टीच्यूट आफ़ इंजीनियरिंग, होशियारपुर .	२
११. पंजाब पॉलीटेक्नीक, नीलोखेडी . .	४
१२. रामगढ़िया पालीटेक्नीक, फगवाड़ा . .	३
१३. ताराकरन एस० डी० टेक्नीकल इंस्टीच्यूट, बैजनाथ .	१
१४. थापर पॉलीटेक्नीक एण्ड स्कूल आफ़ इंजीनियरिंग, पटियाला	२
१५. पंजाब इन्स्टीच्यूट आफ़ टेक्सटाईल टेक्नोलॉजी, अमृतसर .	१
१६. सेन्ट्रल पालीटेक्नीक, चण्डीगढ़	४
कुल	६०

शिक्षा वर्ष १९६०-६१ के लिये छात्रवृत्तियों के आवंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कृषि बस्तियां

†२१९. श्री दलजीत सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां वर्ष १९५९-६० में और १९६०-६१ में अब तक केन्द्रीय पुरस्कृत योजनाओं के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कृषि बस्तियां आरम्भ की गयी हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उसी अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि का अनुदान मंजूर किया गया ?

†गृह कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) और (ख). राज्य सरकार से जानकारी मांगी गयी है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

पंजाब में इस्पात पुनर्वेल्लन मिलें (रीरोलिंग मिल्स)

†२२०. श्री दलजीत सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के चालू होने के बाद से पंजाब में इस्पात पुनर्वेल्लन मिलों (रीरोलिंग मिल्स) की स्थापना के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) अब तक कितने लाइसेंस दिये जा चुके हैं ?

इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) १८४ ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने के बाद से पंजाब में नई पुनर्वेल्लन मिलों (रीरोलिंग मिल्स) को कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है । तथापि, जो यूनिटें पहले विद्यमान थीं, उनको मान्यता देने के बारे में, जिन्हें अभी तक मान्यता प्रदान नहीं की गयी थी, सामान्य निर्णय के परिणामस्वरूप, २३ यूनिटों को मान्यता प्रदान कर दी गयी है ।

पंजाब के लिये लोहे की चादरें

†२२१. श्री दलजीत सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ में पंजाब राज्य सरकार की लोहे की चादरों की कितनी मांग थी; और

(ख) यह मांग किस हद तक पूरी कर दी गयी है और पंजाब को विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिये और अधिक लोहे की चादरें देने के बारे में सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) वर्ष १९६०-६१ की प्रथम छमाही (अप्रैल से सितम्बर, १९६०) की अवधि में पंजाब राज्य सरकार की ६०,५४१ टन लोहे की चादरों की मांग थी । वर्ष १९६०-६१ की दूसरी छमाही के लिये मांग का पता नहीं है ।

(ख) प्रथम छमाही की मांग के विरुद्ध पंजाब राज्य को १८,९५६ टन का आवंटन किया गया । अन्य राज्यों के मामलों में भी यह मांग पूरी नहीं की जा सकी । चादरों की कमी है परन्तु यथा सम्भव अधिक चादरों का संभरण करने के लिये हर प्रयत्न किया जा रहा है । राउरकेला इस्पात संयंत्र में चादरों का उत्पादन आरम्भ होने पर स्थिति में सुधार होने की सम्भावना है ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त

†२२२. श्री दलजीत सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ में अब तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का कितनी बार दौरा किया ; और

(ख) उन्होंने जिन स्थानों का दौरा किया, उनके क्या नाम हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क)

१. पंजाब और राजस्थान	दौरा नहीं किया
२. हिमाचल प्रदेश	दो बार।

(ख) सलोगरा, रामपुर, वांगटू, चोल्टू, काल्पा, चीनी, कारचम, सांगला और किलबाग।

पंजाब में स्मारक

†२२३. श्री दलजीत सिंह : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९५९-६० और १९६०-६१ में अब तक पंजाब में केन्द्रीय रक्षित स्मारकों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी है; और

(ख) उसी अवधि में प्रत्येक रक्षित स्मारक पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २१]

पचास हजार से अधिक आय पर आय-कर देने वाले

†२२४. श्री दलजीत सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के होशियारपुर और कांगड़ा जिलों में, पृथक पृथक ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन पर वर्ष १९५९-६० में पचास हजार रुपये से अधिक की वार्षिक आय पर आय-कर लगाया गया।

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : वर्ष १९५९-६० में पंजाब के होशियारपुर और कांगड़ा जिलों में उन व्यक्तियों की संख्या क्रमशः १२ और ७ है जिन पर पचास हजार से अधिक की आय पर आय-कर लगाया गया।

लोहे की चादरों का संभरण

†२२५. पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विस्तार योजनाओं और १९६० में तीन इस्पात संयंत्रों में उत्पादन आरम्भ होने के कारण लोहे और इस्पात के उत्पादन में हुई वृद्धि के फल स्वरूप विभिन्न राज्यों के लोहे और इस्पात के कोटे में वृद्धि कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गयी है; और

(ग) जनवरी, १९६० के बाद से कितना निर्यात किया गया है?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) (क) जी, हां।

(ख) आगे से प्लेटों, चादरों और तारों को छोड़ कर सब प्रकार के इस्पात को राज्य सरकारों की छः मासिक मांग में उल्लिखित आवश्यकता को पूरा किया जायेगा। उल्लिखित कमी वाले सामान का उपलब्धता के अनुसार आवंटन किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों को उनके कोटे के विरुद्ध इस्पात के कुल आवंटन के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :--

(टनों में)

१९५८-५९	१९५९-६०	१९६०-६१ की प्रथम छमाही (अप्रैल से सितम्बर, १९६०)
५९७,९८४	१,३७२,९४२	१,२६०,९०१

(ग) जनवरी, १९६० के बाद से निर्यात का ब्योरा निम्न प्रकार है :

कच्चा लोहा	५०,१०० टन
इस्पात की पट्टियां	१०,७२५ टन
इस्पात के पिंड	१,४४३ टन
इस्पात के बिलेट (डंडे)	५८८ टन
तैयार इस्पात	२,४७७ टन

अजन्ता की गुफायें

†२२६. श्री प्र० चं० बरुआ :क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अजन्ता की गुफाओं की दीवारों की चित्रकारी बड़ी तेजी से खराब हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसको खराब न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जावेगी ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) केंद्रीय पुरातत्वीय विभाग की रसायन शाखा उसके संरक्षण के लिये कार्यवाही कर रही है ।

इस्पात का प्रतिधारण मूल्य

†२२७ { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हाल्दर :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख इस्पात उत्पादकों द्वारा इस्पात के प्रतिधारण मूल्यों में वृद्धि के लिये कोई अभ्यावेदन किया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने दावे के बारे में जांच कर ली है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). दावों की जांच हो रही है ।

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, मद्रास

†२२८. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री रेक राम देवी :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था की मुख्य इमारत का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) और (ख). जी, हां। निर्माण-कार्य १५ अक्तूबर, १९५९ को आरम्भ हुआ था और लगभग ३ लाख रुपये की लागत का काम हो चुका है ।

परीक्षा-फलों की घोषणा

†२२९. श्री रा० गरीब : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों में भर्ती के संबंध में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि विभिन्न बोर्डों और विश्वविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के परिणाम इन कालेजों में भर्ती की तारीखें समाप्त होने के कहीं बाद घोषित किये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) इस प्रकार की कोई कठिनाई अब तक तो सरकार की निगाह में आयी नहीं है । जहां तक उन कालेजों का संबंध है जो केन्द्र के अधीन नहीं है, उनके अधिकांश प्रवेशार्थी उन्हीं राज्यों के निवासी होते हैं जिनमें ये संस्थायें स्थित होती हैं और भर्ती की तारीख आम-तौर पर अर्हतादायक परीक्षा के परीक्षाफलों की घोषणा की तारीख के अनुसार ही निर्धारित की जाती है । खड़गपुर और बम्बई की उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्थाओं की तरह की केन्द्रीय प्रबन्ध के अधीनस्थ संस्थाओं में ऐसे सभी प्रवेशार्थियों को प्रवेश-परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जाती है जिन्होंने अर्हतादायक परीक्षा दी तो हो लेकिन उनका परीक्षा-फल अभी निकला न हो ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

शिबपुर के वानस्पतिक उद्यान

†२३०. { श्री हाल्दर :
श्री हो० ना० मुकर्जी :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-काय मत्रालय द्वारा आयोजित वनस्पति-शास्त्रियों के ग्रीष्म-कालीन शिविर ने यह सिफारिश की है कि शिवपुर के वानस्पतिक उद्यानों का प्रबन्ध केन्द्र को अपने हाथ में ले लेना चाहिये ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार इस प्रस्ताव पर बिचार करेगी ; और

(ग) इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

पंजाब में अनधिकृत ढंग से तम्बाकू की खेती

†२३१. **श्री राम गरीब** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५९ की इतनी ही अवधि के आंकड़ों की तुलना में पंजाब राज्य में चालू वर्ष में अनधिकृत ढंग से तम्बाकू की खेती में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिला कांगड़ा और गरदासपुर में इस प्रकार की खेती की उचित रोक-थाम नहीं की जाती और दोषी व्यक्ति दंड पाने से बच जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो अपराधियों को दंडित कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और क्या सरकार ने इन जिलों में इस की खेती के लिये चालू वर्ष में कुछ लाइसेंस दिये हैं ; और यदि हां, तो किन आधारों पर ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अनधिकृत ढंग से तम्बाकू की खेती का क्षेत्र १-१-६० से ३०-६-६० में ६.४२ एकड़ रहा जब कि १९५९ की इसी अवधि में यह १.८९ एकड़ था ।

(ख) जहां तक सरकार को पता है, इसका उत्तर नकारात्मक है । १-१-६० से ३०-६-६० के बीच गुरदासपुर जिले में ३.५४ एकड़ भूमि में अनधिकृत रूप से खेती करते की ६ घटनायें हुई हैं । उसी अवधि के दौरान में कांगड़ा जिले में १६ सेंट क्षेत्र के एक मामले के बारे में मुकदमा कायम किया गया है ।

(ग) अपराधियों के खिलाफ़ समुपयुक्त प्राधिकार द्वारा इस विषय के नियमों के अधीन कार्यवाही की जाती है । इन नियमों में प्रत्येक मामले में अधिक से अधिक १००० रुपये तक जुर्माने की व्यवस्था है । केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ के अधीन तम्बाकू की खेती के लिये लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती और कांगड़ा और गुरदासपुर जिलों में तो सुखाये जाने वाले तम्बाकू का परिमाण ४० पौंड से कम होने पर सुखाने तक के लाइसेंस की जरूरत नहीं होती ।

नकदी संभालने के लिये विशेष वेतन

†२३२. **श्री राम गरीब** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नक़दी संभालने वाले व्यक्तियों को विशेष वेतन दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो किस क्रम के अनुसार यह विशेष वेतन दिया जाता है ;

(ग) क्या यह विशेष वेतन कैशियर द्वारा हर महीने संभाली जाने वाली नक़दी के आधार पर निश्चित किया जाता है या उन कर्मचारियों की संख्या के आधार पर जिनमें यह नक़दी बांटी जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो नक़दी संभालने के लिये विशेष वेतन मंजूर करने के मामलों की जांच के लिये सरकार द्वारा क्या क्रम निर्धारित किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) विशेष वेतन की अनुमति निम्नलिखित क्रम के अनुसार दी जती है :—

हर महीने बांटी जाने वाली नक़दी का परिमाण	हर महीने ग्राह्य विशेष वेतन की दर
४,००० रुपये तक	कुछ भी नहीं। परन्तु यदि पद-धारी से ज़मानत ली जाती हो तो उसे ५ रुपये विशेष वेतन दिया जा सकता है।
४,००० रुपये से १०,००० रुपये तक . .	१० रुपये।
१०,००० रुपये से १५,००० रुपये तक . .	१५ रुपये।
१५,००० रुपये से २०,००० रुपये तक . . .	२० रुपये।
२०,००० रुपये से २५,००० रुपये तक . .	२५ रुपये।
२५,००० रुपये से ऊपर . . .	३० रुपये।

(ग) विशेष वेतन कम से कम ६ महीने की अवधि में बांटी गयी वास्तविक नक़दी की औसत राशि के आधार पर नियत किया जाता है। यह उन कर्मचारियों की संख्या के आधार पर नियत नहीं किया जाता जिनमें यह नक़दी बांटी जाती है।

नये वित्त आयोग की नियुक्ति

†२३३. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या निकट भविष्य में कोई नया वित्त आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव है?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

एम० ई० एस० के कर्मचारी

†२३४. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या प्रतिरक्षा मंत्री २ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२५२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० ई० एस० के २०६ कर्मचारियों को वेतन-वृद्धि की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान करने के बिलों की अभी लेखा-परीक्षा अधिकारी जांच कर रहे हैं और आशा की जाती है कि भुगतान जल्द ही कर दिया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां

†२३५. श्री हाल्दर :
श्री नागी रेड्डी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आवंटित राशि में से मार्च, १९६० तक (अलग अलग) कितना व्यय किया जा चुका है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों ने १९५९-६० में किये गये वास्तविक व्यय की सूचना अभी तक नहीं दी है। अनसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये मार्च, १९६० तक का प्राक्कलित व्यय (अर्थात, १९५६-५७ से १९५८-५९ तक का वास्तविक व्यय और १९५९-६० का अनुमित व्यय) क्रमश: २०.३० करोड़ रुपये और २८.८२ करोड़ रुपये है ।

उड़ीसा डिवीजन में जीवन बीमे का काम

†२३६. डा० सामन्त सिंहार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के उड़ीसा डिवीजन ने १९५९ में कुल कितनी राशि के और कितने जीवन बीमे के प्रस्ताव किये ;

(ख) कितने प्रस्ताव अंतिम रुप से मंजूर हुए और उस वर्ष के बीमों की कुल कितनी राशि होती है ;

(ग) उस डिवीजन में कितनी पालिसियां चल रही हैं और कितने प्रतिशत पालिसियां प्रतिवर्ष व्यपगत हो जाती हैं ;

(घ) प्रीमियम की कितनी रसीदों का समायोजन अभी होना शेष है ; और

(ङ) प्रीमियम की रसीदों के समायोजन में औसतन कितना समय लगता है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) उड़ीसा राज्य में निगम के कटक डिवीजन को ५.७४ करोड़ रुपये के बीमे के १६,१४३ प्रस्ताव प्राप्त हुये थे ।

(ख) ५.६१ करोड़ रुपये के बीमे के १५,८५० प्रस्ताव, जिन में १९५८ के खाते के १० करोड़ रुपये के ३०२ प्रस्ताव भी शामिल हैं, मंजूर किये गये और ५.१० करोड़ रुपये के बीमे के १४,३७४ प्रस्ताव पूरे किये गये ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) लगभग १ से ७ दिन तक ।

उड़ीसा के लिये जीवन बीमा निगम का लक्ष्य

†२३७. डा० सामन्त सिंहार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के उड़ीसा डिवीजन के लिये १९५९ का बीमे का लक्ष्य कितना था और यह लक्ष्य किस हद तक पूरा कर लिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि एक औद्योगिक क्षेत्र का लक्ष्य अनौद्योगिक क्षेत्र के लक्ष्य के बराबर ही होता है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

जिला कांगड़ा (पंजाब) में स्मारक

†२३८. श्री दिनेश सिंह : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कांगड़ा (पंजाब) के प्रत्येक रक्षित स्मारक की देख रेख और विशेष मरम्मत के लिये १९५९–६० और १९६०–६१ में कुल कितनी राशि दी गयी थी ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :

क्रमांक	स्मारक का नाम	देख रेख और विशेष मरम्मत के लिये १९५९–६० में दी गयी राशि		देख रेख और विशेष मरम्मत के लिये १९६०–६१ में दी गयी राशि	
		देख रेख	विशेष मरम्मत	देख रेख	विशेष मरम्मत
		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
१.	कांगड़े का किला, कांगड़ा	४,२७४	३,५००	४,२८२	५,०००
२.	मसरूर का मंदिर .	१,०१०	—	१,०७२	—
३.	बैजनाथ का मंदिर	१,०१०	२,५००	१,०७२	—
४.	नग्गर का मंदिर .	१,०१०	—	१,०७२	—
५.	बजौरा का मंदिर	१,०१०	—	१,०७२	—
६.	दस्सलका मंदिर .	९७६	—	१,०५४	—
७.	जगत सुख का मंदिर .	९७६	—	१,०५४	—
८.	कोटला दुर्ग का मंदिर .	—	२,०००	—	—

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५

†२३९. श्री दलजीत सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ के अधीन १९५९–६० और १९६०–६१ में हिमाचल प्रदेश में कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : १९५९ में और जुलाई, १९६० के अन्त तक नौ व्यक्तियों पर मुक़दमा चलाया गया था ।

†मूल अंग्रेजी में

तेलुगु उपन्यास "नारायण राव"

†२४०. { श्री अगाड़ी :
श्री बोडयार :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २२ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६५७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी तेलुगु उपन्यास 'नारायण राव' का उड़िया भाषा में अनुवाद करा रही है ;

(ख) क्या अनुवाद के संबंध में जनता द्वारा प्रगट किये गये विरोध के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबीर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अधिक ऊंचाई पर काम करने वाले सैनिक

†२४१. श्री जं० ब० सि० बिष्ट : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक ऊंचाई पर काम करने वाले सैनिकों को कुछ विशेष वेतन अथवा भत्ते दिये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, उन्हीं क्षेत्रों में काम करने वाली सशस्त्र पुलिस के वेतन-भत्तों की तुलना में वह कैसे बैठते हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लौह अयस्क का उत्पादन

†२४२. श्री यादव नारायण जाधव : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्षों की तुलना में १९५९ में लौह-अयस्क का उत्पादन बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो देश में इसके उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं;

(ग) १९५९ में कुल कितनी लौह अयस्क का निर्यात किया गया था; और

(घ) लौह-अयस्क का उत्पादन किन-किन स्थानों को किया गया था ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) १९५९ में लौह अयस्क के उत्पादन के अस्थायी आंकड़े ७,९३५,००० टन हैं ।

(ग) २,७६५,५०० टन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) १९५९ में मुख्यतः निम्नलिखित देशों को लौह अयस्क का निर्यात किया गया था :—

१. जापान ।

२. चेकोस्लोवाकिया ।

३. इटली ।

४. यूगोस्लाविया ।

५. पोलैण्ड ।

६. पूर्वी जर्मनी ।

७. पश्चिमी जर्मनी ।

८. नीदरलैंड्स ।

९. फ्रांस ।

---

२ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७०० के उत्तर में शुद्धि

धनबाद में खान और व्यावहारिक भूतत्व शास्त्र का भारतीय स्कूल

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : २ अप्रैल, १९६० को लोक सभा में श्री बांगशी ठाकुर के अतारांकित प्रश्न संख्या १७०० के उत्तर में यह बताया गया था कि धनबाद के खान और व्यावहारिक भूतत्वशास्त्र के भारतीय स्कूल में भर्ती के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को दी गयी सुविधाओं में से एक है :—

"(३) प्रवेश परीक्षा शुल्क में २५ प्रतिशत रियायत देना ।"

ठीक-ठीक स्थिति यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों से २ रुपये ५० नये पैसे शुल्क लिया जाता हैं जबकि अन्य लोगों के लिये शुल्क १० रुपये है । इस प्रकार ७५ प्रतिशत रियायत दी जाती है । इसलिये दिये गये उत्तर के उपरोक्त भाग के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाना चाहिये :—

"(३) प्रवेश परीक्षा शुल्क में ७५ प्रतिशत रियायत देना ।"

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली बिक्री-कर नियमों में संशोधन

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: मैं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम १९४१ की धारा २६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिल्ली बिक्री कर नियम, १९५१ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २६ मई, १९६० के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ४ (१९)/५८-फिन० (ई०) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिए संख्या एल० टी० २१९५/६०]

---

†मूल अग्रजा में

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम तथा कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचनायें

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत लोहा और इस्पात (नियन्त्रण) आदेश, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १४ मई, १९६० की एस० ओ० संख्या ११९२।

(ख) दिनांक ४ जून, १९६० की एस० ओ० संख्या १४२३।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० २१९६/६०]

(२) कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम १९५२ की धारा १७ की उपधारा (४) के अन्तर्गत कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २ जुलाई, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७४२ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० २१९७/६०]

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अधीन निकाली गयीं अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा २ के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन), नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २ जुलाई, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७२३ की एक प्रति।

(२) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा २ के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २ जुलाई, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७२४ की एक प्रति।

(३) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा २ के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३० अप्रैल, १९६० की जी० एस० आर० ४८३।

(ख) दिनांक १ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६११।

(ग) दिनांक ११ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६३६।

(घ) दिनांक २ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ७२५।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १४ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५३० ।

(ख) दिनांक ११ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६३७ ।

(ग) दिनांक १६ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ७७८ ।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये क्रमशः एल० टी० संख्या २१९८/६०, २१९९/६०, २२००/६० और २२०१/६०]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, सम्पदा शुल्क अधिनियम, सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) अधिनियम, संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) अधिनियम, केन्द्रीय विक्रीकर अधिनियम, तथा लोक ऋण अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)**: मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८, की धारा ४३ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अंतर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २३ अप्रैल, १९६० की जी० एस० आर० ४३९ ।

(ख) दिनांक २१ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५५६ द्वारा संशोधित दिनांक ३० अप्रैल, १९६० की जी० एस० आर० ४८८ ।

(ग) दिनांक ७ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५१५ ।

(घ) दिनांक १४ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५३८ ।

(ङ) दिनांक २८ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५७६ ।

(च) दिनांक २८ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५७७ ।

(छ) दिनांक ४ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६१६ ।

(ज) दिनांक ४ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६१७ ।

(झ) दिनांक ४ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६१८ ।

(ञ) दिनांक ४ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६१९ ।

(ट) दिनांक ११ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६६० ।

(ठ) दिनांक १८ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६८७ ।

(ड) दिनांक २५ जून, १९६० की जी० एस० आर० ७०१ ।

(ढ) दिनांक २५ जून, १९६० की जी० एस० आर० ७०२ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ण) दिनांक २ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ७३१ ।

(त) दिनांक २ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ७३२ ।

(थ) दिनांक २ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ७३३ ।

(द) दिनांक ९ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ७६४ ।

(ध) दिनांक २३ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ८१७ ।

(न) दिनांक २३ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ८१८ ।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० २२०२/६०]

(२) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ और समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रत्याहृत (प्रसाधन) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २३ अप्रैल, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४४० की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० २२०३/६०]

(३) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा साधन सामग्री (उत्पादन-शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ४ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६१५ ।

(ख) दिनांक ७ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५१४ ।

(ग) दिनांक २१ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५५५ ।

(घ) दिनांक १८ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६८६ ।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० २२०४/६०]

(४) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १४ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५३५ ।

(ख) दिनांक २८ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५७४ ।

(ग) दिनांक १६ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ७९२ द्वारा संशोधित दिनांक २८ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५७५ ।

(घ) दिनांक ४ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६२० ।

(ङ) दिनांक २५ जून, १९६० की जी० एस० आर० ७०३ ।

(च) दिनांक २५ जून, १९६० की जी० एस० आर० ७०४ ।

(छ) दिनांक २ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ७३४।

(ज) दिनांक २ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ७३५।

(झ) दिनांक २३ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ८१९ द्वारा संशोधित दिनांक ९ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ७६५।

[पुस्ताकलय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० २२०५/६०]

(५) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २३ अप्रैल, १९६० की जी० एस० आर० ४४३।

(ख) दिनांक २३ अप्रैल, १९६० की जी० एस० आर० ४४४।

(ग) दिनांक १८ जून, १९६० को जी० एस० आर० ६८९।

(घ) दिनांक २ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ७३७।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० २२०६/६०]

(६) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १० जून, १९६० की जी० एस० आर० ६६२।

(ख) दिनांक १० जून, १९६० की जी० एस० आर० ६६३।

(ग) दिनांक ३० जून, १९६० की जी० एस० आर० ७५३।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० २२०७/६०]

(७) सम्पदा शुल्क अधिनियम, १९५३ की धारा ३८ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ११ जून, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६५७ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० २२०८/६०]

(८) सम्पदा शुल्क अधिनियम, १९५३ की धारा ८५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत सम्पदा शुल्क नियम, १९५३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २ जुलाई, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १६१९ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० २२०९/६०]

(९) सम्पदा शुल्क और रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) अधिनियम, १९५७ की धारा ६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३० अप्रैल, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १०७८ में प्रकाशित सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन नियम, १९६०।

(ख) दिनांक ३० अप्रैल, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १०८० में

प्रकाशित रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) संशोधन नियम, १९६०।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० २२१०/६०]

(१०) संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) अधिनियम, १९५७ की धारा ५ की उपधारा(२) के अन्तर्गत दिनांक ३० अप्रैल, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १०७९ में प्रकाशित संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन नियम, १९६० की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० २२११/६०]

(११) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (वितरण) (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम १९५७ की धारा ६ की उप धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ३० अप्रैल, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १०८१ में प्रकाशित अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन नियम, १९६० की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० २२१२/६०]

(१२) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, १९५६ की धारा १३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री-कर (पंजीयन और निकासी) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ११ जून, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६६१ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० २२१३/६०]

(१३) लोक ऋण अधिनियम, १९४४ की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत लोक ऋण नियम, १९४६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १४ मई, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२३१ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० २२१४/६०]

(१४) आय-कर अधिनियम १९२२ के अन्तर्गत निकाली गई दिनाक १४ जून, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६९२ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० २२१५/६०]

पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: मैं पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, १९४८ की धारा १८ की उपधारा (२) के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त होने वाली छमाही के लिये पुनर्वास वित्त प्रशासन के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० २२१६/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्य मंत्रणा समिति

बावनवां प्रतिवेदन

†**श्री राने** (बुलडाना) : मैं कार्य मन्त्रणा समिति का बावनवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

पैंसठवां प्रतिवेदन

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (जंजगीर): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पैंसठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

वित्त मंत्री की विदेश यात्रा

†**श्री सै० अ० मेहदी** (रामपुर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह इसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"हाल में उन्होंने जो विदेश यात्रा की थी, उसके परिणाम"

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: ७ जून को मैं भारत से रवाना हुआ था और यूगोस्लाविया, पोलैण्ड, जेकोस्लाविया, पश्चिमी जर्मनी, रूस तथा संयुक्त अरब गणराज्य की यात्रा करने के बाद १२ जुलाई को लौटा। रूस और पश्चिमी जर्मनी में मैं क्रमशः १० दिन व ७ दिन ठहरा, पर अन्य देशों में मैं केवल ३–४ दिन ही ठहरा।

इन देशों की सरकारों के निमन्त्रण पर मैं वहां गया था। इनमें से कुछ देशों के वित्त, अर्थ विभाग या विदेशी व्यापार विभाग के मंत्री पहले भारत आ चुके थे और उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से अपने देश आने का निमन्त्रण दिया था। अतः मेरी उन देशों को यह यात्रा एक प्रकार से सद्भावना यात्रा थी, जिनके साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं और मैं किसी खास उद्देश्य, जैसे अपने देश के विकास कार्य के लिये आर्थिक सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से इस यात्रा पर नहीं गया था। वास्तव में मेरी यात्रा के कुछ समय पूर्व इनमें से कुछ देशों से पूंजीगत सामान तथा मशीनरी आदि के आयात के लिये हमें ऋण सम्बन्धी सुविधायें देने के प्रयोजन से वित्तीय सहयोग के बारे में करार हो चुके थे।

केवल पश्चिमी जर्मनी में मेरी यात्रा के दौरान एक करार हुआ जो एक तो १०००० लाख डालर के कुल ऋण में से ३०० लाख डालर की तीसरी व अन्तिम किस्त के सम्बन्ध में था—यह ऋण पश्चिमी जर्मनी सरकार हमारी दूसरी योजना के अन्तिम तीन वर्षों के लिये देने के लिये १९५८ में सहमत हुई थी—और दूसरे रूरकेला इस्पात परियोजना के बारे में ३१ मार्च, १९६१ तक हमें जो भुगतान करना था, उसके दो तिहाई हिस्से को फिलहाल ४ वर्ष और आगे तक स्थगित करने के सम्बन्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

में था। ये निश्चय २४ जून, १९६० को नई दिल्ली व बॉन से साथ-साथ एक विज्ञप्ति में जारी किये गये थे, जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २२]**

इस यात्रा का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि मुझे उन देशों की सरकारों के मंत्रियों तथा वित्त व उद्योग के महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों से मिलने का तथा अपने अपने आर्थिक ढांचों में उनकी कार्यविधि को निकट से देखने का अवसर मिला। मैं प्रेसीडेण्ट टीटो, प्रधान मंत्री सीरैंकीवेज़, प्रधान मंत्री सिरोकी, चान्सलर आडिनाअर वाइस-चान्सलर एरहार्ड, प्रधान मंत्री ख्रुश्चोव, उप प्रधान मंत्री मिकोयान, प्रेसीडेन्ट नासर तथा सभी देशों के वित्त मंत्रियों व अन्य वरिष्ठ मंत्रियों से मिला। इन लोगों से मिल कर मैंने लाभ उठाया। मैंने उन्हें बताया कि हमारा आर्थिक लक्ष्य व हमारी आर्थिक नीतियां क्या हैं; हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति क्या है; हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य, उसकी व्याप्ति तथा प्राथमिकतायें क्या हैं और उनको पूरा करने के लिये मोटे तौर पर हमें कितनी विदेशी मुद्रा की अवश्यकता होगी।

सभा को पता है कि हमारे सामने विदेशी मुद्रा की कठिनाई चली आ रही है। हमारा उद्देश्य यह है कि हम अपने विकास के लिये आवश्यक मशीनरी व उपस्करों का उत्पादन बढ़ा कर और बुनियादी उद्योगों को विकसित करके इस कठिनाई को दूर करें। जब तक हमारा विकास नहीं हो पाता, तब तक बड़े पैमाने पर हमें विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी——जैसा कि योजना की रूपरेखा में कहा गया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस यात्रा में मैंने विभिन्न लोगों से जो बातचीत की उनसे मुझे पता लगा कि हमारे विकास कार्यों के प्रति उनमें सहानुभूतिपूर्ण रुचि है और वे यह समझते हैं कि हमारी क्या समस्यायें हैं और क्या जरूरतें हैं। सभी देशों में हमें व्यापार में यथासम्भव सहयोग की इच्छा मिली और वे देश हमारे आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों में भरसक सहायता करने के लिये तैयार हैं। उनका सहयोग और उनकी सहायता हमें किस रूप में और कितनी मात्रा में मिलेगी, इस विषय पर अधिक ब्यौरे-वार ढंग से तथा अधिक निश्चित रूप से हम समय-समय पर चर्चा करते रहेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या १४८४ के उत्तर की शुद्धि

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : श्री माझी ने ऐच्छिक संस्कृत संगठनों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के बारे में एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर देते समय यह कहा गया था कि इनको सहायता देने की कोई सक्रिय कार्यवाही नहीं की गयी है। परन्तु इस बारे में सही बात यह है कि सहायता देने का कार्यक्रम बना लिया गया है और १९५८-५९ तथा १९५९-६० में कुछ संस्थाओं को सहायता दी भी गयी है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने, हिन्दी भाषी राज्यों में संस्कृत को अनिवार्य बनाने के बारे में एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था जिसके उत्तर में यह बताया गया था कि राज्य सरकारों की राय जानने के बाद ही इस विषय पर विचार किया जायगा। वास्तविक स्थिति यह है कि इस विषय पर शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड तथा केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड ने विचार कर लिया है और अन्तिम रूप से यही निर्णय दिया गया है कि तीन-भाषाओं की शिक्षा देने की योजना को न बदला जाये। उस योजना के अन्तर्गत मातृभाषा/प्रादेशिक भाषा के साथ साथ संस्कृत का शिक्षण देने की भी व्यवस्था है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[डा० का० ला० श्रीमाली]

श्री यादव नारायण जाधव के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि प्रामाणिक प्राइमर प्रकाशित करने की मुख्य योजना बना ली गयी है पर इस प्रश्न पर निश्चयात्मक ढंग से तभी विचार किया जायगा जबकि राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हो जायेंगे । परन्तु ठीक स्थिति यह है कि इस योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और इसकी घोषणा कर दी गयी है ।

त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि सुधार विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री दातार द्वारा २ अगस्त, १९६० को प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :—

> "कि त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्र में भू-राजस्व संबंधी कानून को समेकित और संशोधित करने तथा सम्पदाओं के अर्जन और भूमि सुधार संबंधी कुछ अन्य उपायों का उपबन्ध करने वा ले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये । "

†**चौ० रणवीर सिंह** (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, त्रिपुरा का एक बहुत छोटा सा इलाका है जिसके अन्दर छोटे छोटे गांव कोई ३६२६ के करीब हैं, और वहां पर कोई २६ लाख एकड़ के करीब भूमि है । उसमें से मुश्किल से तीन लाख ९० हजार एकड़ भूमि के अन्दर चावल पैदा होता है । वैसे तो एक छोटा इलाका होने के नाते इस सदन का उसके लिए बहुत ज्यादा समय लेना सही नहीं है । लेकिन इसमें कई एक नीति के सवाल पैदा होते हैं । जहां तक लैंड रेवेन्यू का वास्ता है इस सदन में कई दफा आम तौर पर कोई आदमी कोई राय नहीं रख सकता क्योंकि यहां पर कर की नीति दूसरे सेक्टर पर आधारित है, उस का वास्ता तनख्वाह पाने वालों से रहता है या उनसे रहता है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में पैदावार करते हैं ।

इस सिलसिले में कल मैं कह रहा था कि जो सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरियाज़ हैं उन के ऊपर जो खर्च होता है वह आम इलाकों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है । अगर मेरे आंकड़े सही नहीं हैं तो मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय उन को सही कर दें । मुझे पता लगा है कि वहां पर सर्वे हो रहा है जोकि सन् १९६४ तक खत्म हो जायगा और वहां पर इस सर्वे में ही एक करोड़ ३३ लाख रुपया खर्च होगा । इस छोटे से इलाके के सर्वे पर इतना खर्च होगा । मेरा दावा है कि और राज्यों में तो कंसालीडेशन के ऊपर भी इतना खर्चा नहीं आता है ।

इस के साथ साथ वहां पर जो इंटरमीजियरी, जमींदार, इनामदार या जागीरदार, खत्म किये जा रहे हैं उन को जो मुआवजा दिया जायगा वह एक करोड़ १८ लाख के करीब होगा । वह भी खासा बड़ा मुआवजा है और इस प्रदेश के लिये जो नीति अपनाई जा रही है उस का पता नहीं क्या कारण है । उत्तर प्रदेश में जो नीति अपनाई गई थी उस से यहां भेद किया गया है । उत्तर प्रदेश में अगर किसी जागीरदार या जमींदार की जमीन पर कोई दूसरा काश्त करता था तो उस काश्त करने वाले को भूमिधरी का हक दे दिया गया था और उन के लिये कोई जमीन रिज्यूम करने का अधिकार नहीं रखा गया था । लेकिन इस कानून के तहत—गोकि यह बहुत देर बाद आया है—उत्तर प्रदेश से कुछ उलटा तरीका रखा गया है । सरकार अब उन जागीरदारों या जमींदारों पर

---

†मूल भाषी में

कुछ मेहरबान हो गई है और उन को हक देना चाहती है कि अगर वह खुद काश्त करना चाहें तो उन को जमीन दी जायेगी हालांकि इतने सालों से उन के पास जमीन थी और उन्होंने खुद काश्त नहीं की। मुझे मालूम नहीं कि क्यों इस मंत्रालय को ऐसा खयाल है कि अब वह खुद खेती करने लगेंगे।

जहां तक सीलिंग का वास्ता है, इस में कुछ भाइयों के ख्याल के बमूजिब, और हमारे में से बहुत ज्यादा भाइयों के खयाल के मुताबिक शायद सीलिंग लगाना देश के अन्दर जरूरी था, खास तौर से जमीन के ऊपर। यद्यपि हमारे साथियों में से बहुत यह सोचते हैं कि प्लानिंग कमीशन के जो अधिकारी साढ़े तीन और चार हजार तनख्वाह पा रहे हैं उन के ऊपर भी सीलिंग लगनी चाहिये थी। इसी तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में जिन की लाखों और करोड़ों रुपये की सालाना आमदनी है उन के ऊपर भी कोई सीलिंग लगनी चाहिये थी। इस भेद को जोकि सीलिंग के सिलसिले में है, जोकि जमीन और कारखानों और तनख्वाहों के बारे में किया जाता है, उस को तो शायद कोई बरदाश्त कर भी ले लेकिन देश के अन्दर कर नीति के भेद को बरदाश्त नहीं किया जा सकता खास कर जबकि देश में हर एक को हमारा संविधान, जिस को कि कांग्रेस पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री ने बनाया था, बराबर का राय का हक देता है।

इस बात की तरफ देश का ध्यान दिलाया था आन्ध्र प्रदेश की असेम्बली ने। वहां एक प्रस्ताव पास किया गया था कि दस एकड़ से कम भूमि का जो मालिक है उस से कोई लैंड रेवेन्यू न लिया जाय। इसी तरह से पंजाब असेम्बली ने भी एक प्रस्ताव पास किया था कि पांच एकड़ से जिस के पास कम भूमि हो उस के ऊपर लैंड रेवेन्यू न हो।

श्री त्यागी (देहरादून): उन की जमीन वापस ले लेनी चाहिये।

चौ० रणवीर सिंह : त्यागी जी कहते हैं कि उन की जमीन वापस ले ली जाय। मैं पूछता हूं कि आप और मैं जो सदस्य हैं इस सदन के, हमारी ३६०० की आमदनी पर कोई कर नहीं लग सकता, तो हमारी तनख्वाह भी क्यों न वापस ले ली जाय। तो यह तो सवाल है नीति का। हमारे देश ने एक नीति निर्धारित की है कि ३६०० तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन दुःख की बात है कि यहां पर भी काश्तकार के साथ भेदभाव की नीति पर चला जा रहा है। मुझे उम्मीद थी कि त्रिपुरा का बिल और जो दूसरे बिल लैंड रेवेन्यू के बारे में आये हैं, उन में हिन्दुस्तान की सरकार दूसरी सरकारों को रास्ता दिखायेगी। आन्ध्र और पंजाब की सरकारें अपनी नीति पर नहीं चल सकीं क्योंकि प्लानिंग कमीशन के मुकाबले में वे बहुत छोटी चीज हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार तो प्लानिंग कमीशन को बनाती है। इसलिये मुझे उम्मीद थी कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में देश को रास्ता दिखायेगी और दूसरे राज्यों के लिये आसानी पैदा करेगी।

इस सिलसिले में मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के वाल्यूम तीन के पेज २१६ पर एक खाता पेश किया गया है जिस में बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की आमदनी में लैंड रेवेन्यू का क्या औसत था। उस में बतलाया गया है कि सन् १७९३-९४ में भूमि कर से जो आमदनी होती थी उस का केन्द्र की और राज्य सरकारों की टोटल आमदनी में ६९ परसेंट का औसत था। सन् १८३९-४० में यह ज्यादा से ज्यादा गया जबकि यह ७०.६ फीसदी हो गयी। लेकिन १९३८-३९ में यह १६.१ फीसदी था और सन् १९५३-५४ में यह घट कर सिर्फ ८.६ फीसदी हो गया था। यह तो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की तमाम आमदनी में हिसाब लगाया गया था। अगर आप यह देखना चाहें कि राज्य सरकारों की आमदनी के अन्दर लैंड रेवेन्यू का क्या हिस्सा था तो आप को उस के आंकड़े पेज २१७ पर मिलेंगे।

[चौ० रणवीर सिंह]

उन में दिया गया है कि सन् १९२२ में तमाम राज्य सरकारों की आमदनी में भूमि कर का औसत था ५९.८, जोकि सन् १९४७ में २३.२ फीसदी हो गया और सन् १९५२ में २०.३ फीसदी हो गया, पर न मालूम किस वजह से सन् १९५४ में वह २६.६ फीसदी हो गया।

इसी तरह से जो हमारे देश में फाइनेंस कमीशन बने हैं उन्होंने भी इस का अन्दाजा लगाया है। और सन् १९५२ के फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक केन्द्रीय और राज्य सरकारों की जो आमदनी थी उस के अन्दर भूमि कर का हिस्सा सन् १९३७-३८ में १०.२ था और सन् १९४४-४५ के अन्दर वह हिस्सा ५.९ है। सन् ४६–४७ में ५.५ फीसदी है जो केन्द्रीय और राज्य सरकारों की आमदनी के अन्दर लैंड रेवेन्यू का हिस्सा बनता है। इसी तरीके से आगे चल कर उसी रिपोर्ट के अन्दर जो सारी राज्य सरकारों की आमदनी है उस के अन्दर हिस्सा जो दिखाया गया है वह इस तरह से है। सन् ५०–५१ के अन्दर यह १३ फीसदी था और ५१–५२ में यह १२.५ फीसदी था और ५२–५३ के जो बजट एस्टिमेट्स हैं उन के अन्दर यह १४.६ फीसदी था। इस के कुछ आंकड़े फाइनेंस कमिशन सन् १९५७ ने दिये हैं। उस में ५५–५६ के आंकड़ों के हिसाब से मुख्तलिफ रियासतों की और प्रदेशों की उन्होंने आमदनी दी है और उस का उन के लैंड रेवेन्यू से और भूमि कर से क्या औसत है वह भी दिया है। आंध्र में तकरीबन वह सब से ऊंचा तो नहीं लेकिन १, २ को छोड़ कर बाकी सब से ऊपर तीसरे नम्बर पर है। वह २१.४ फीसदी है लेकिन इस के बावजूद भी उस के मुकाबले में आसाम में जायें तो इस का औसत आसाम की एक स्टेट की आमदनी के मुकाबले में ९.३ फीसदी है। बिहार में १४ फीसदी है। बम्बई के अन्दर ९.३ फीसदी है। हैदराबाद में १९.२ फीसदी है। मध्यभारत में २५.४ फीसदी है। मध्यप्रदेश में १६ फीसदी है, मद्रास में ८.४, मैसूर में ९, उड़ीसा में ७.७, पैप्सू में १०.१, पंजाब में ७.५ और राजस्थान में २१.४ फीसदी है। उत्तरप्रदेश के अन्दर वह जरूर कुछ ज्यादा है। इस के अलावा जो आंकड़े हमें पंजाब सरकार के मिले हैं जो लेटेस्ट हो सकते हैं, ५८–५९ के आंकड़ों के हिसाब से हमारे स्टेट की जो कुल रेवेन्यू रैसीट्स थीं वह ५० करोड़ और २१ लाख रुपय की थीं और उस में से जो लैंड रेवेन्यू से भूमि कर से जो नैट आमदनी हुई जो नैट रेसीट्स मिलीं वह २.९ करोड़ की हैं और जोकि सारी आमदनी का पांच बटा सात फीसदी हैं। लेकिन यह तो सारे भूमि कर का हिसाब है। पंजाब सरकार ने जो अंदाजा लगाया था उस के हिसाब से ३६ या ४० करोड़ का कुल खस्सारा बनता था और उस के लिये उस ने यह सिफारिश की थी कि हम इस को दूसरे तरीके से पूरा करेंगे लेकिन पता नहीं किस वजह से प्लानिंग कमिशन ने उन दोनों सरकारों की सिफारिशों को नहीं माना और उन को मजबूर किया कि वह जो पहली नीति है कि किसान को चाहे घाटा क्यों न हो उस के ऊपर भी टैक्स लगेगा, माने। दूसरे भाई जो तनख्वाह लेते हैं या इंडस्ट्रीज़ से आमदनी कमाते हैं, चाहे वह कितना बड़े से बड़ा आदमी क्यों न हो, चाहे बिड़ला हो अथवा टाटा, उस की ३६०० रुपये की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा।

इस के अलावा मैं कुछ आंकड़े गवर्नमेंट की रिपोर्ट में से सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। पंजाब के अन्दर जो एक बोर्ड आफ एकोनामिक एनक्वायरी बैठा था और उस ने अपनी रिपोर्ट में २२ किसानों का खाता दिखाया है कि कितनी उन की आमदनी होती है और इस का उस रिपोर्ट में अंदाजा लगाया गया है। उस के अन्दर जो २२ कुनबे हैं और उन २२ कुनबों में से ज्यादा से ज्यादा जिस के पास जमीन थी वह ५५ एकड़ जमीन थी जोकि आज सीलिंग के तहत खत्म हो जायेगी और कम से कम जो जमीन थी वह ४.९३ एकड़ थी। उस खाते से जो एव्रैज आमदनी आई वह १७०२ रुपये है और ज्यादा से ज्यादा जो आमदनी आई है वह २९७१ रुपये और ८७ नये पैसे बनती है। अब अध्यक्ष महोदय, इस से आप बखूबी अंदाज लगा सकते हैं कि किसानों की क्या हालत है और किन हालात में वे टैक्स देते हैं। उस की खाते और दूसरी जरियों से होने वाली आमदनी भले ही

३६०० रुपये से कम हो । वह सीलिंग वाला काश्तकार हो और चाहे उस के पास ५५ एकड़ भी हो, मैं उसी पंजाब की बोर्ड आफ एकोनामिक एनक्वायरी की जो रिपोर्ट है उस के बारे में कुछ आंकड़े देना चाहता हूं । एक किसान को अगर जिस तरीके से एक व्यापारी हिसाब लगाता है, अगर वह हिसाब लगाया जाय तो फी एकड़ कितनी नैट इनकम होती है इस का अंदाज उन्होंने ३२ रुपये के ऊपर दिया है और उन्हों ने हर एक इलाके का अलग अलग हिसाब लगाया है । पहाड़ी इलाके के बारे में लिखा है कि उन्हें फी एकड़ के ऊपर घाटा रहता है और वह ७८ रुपये का घाटा है । इसी तरीके से जो पहाड़ से नीचे के इलाके हैं उन में १३२ रुपये फी एकड़ के हिसाब से घाटा रहता है अगर बनिये वाला हिसाब लगाया जाय । जो सेंट्रल पंजाब है उस के अन्दर ५५ रुपये फी एकड़ घाटा रहता है . . .

†**अध्यक्ष महोदय : यह सब किस प्रकार संगत है ?**

चौ० रणवीर सिंह : मैं यह सिद्ध करना चाहता था कि जो लैंड रेवेन्यू इस कानून के द्वारा किसानों से लिया जायेगा वह कितना गलत है और देश की कर नीति में कितना भेदभाव विद्यमान है । एक तरफ तो वे भाई हैं जिन को कि जमीन पर काश्त करने से व्यापारी हिसाब की हैसियत से घाटा रहता है लेकिन इस के बावजूद भी उन के ऊपर कर लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यह सदन् जब कानून् बनाता है तो जो आदमी तनख्वाह लेते हैं या इंडस्ट्रीज चलाते हैं और उस से आमदनी करते हैं उन को सरकार ३६०० रुपये तक की होने वाली आमदनी पर टैक्स से छूट देती है । अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह जो भेदभाव बर्तने की नीति है यह ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं की जा सकेगी । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय या तो अभी इस कानून में ही आवश्यक तबदीली करें और अगर इसमें वह तबदीली नहीं कर सकते तो इस देश के तमाम प्रदेशों के रेवेन्यू मिनिस्टर्स की एक कान्फ्रेंस बुलायें और वहां इस कर निर्धारण नीति के बारे में कोई उचित फैसला कर लें । अभी कल जब मनीपुर बिल के ऊपर बहस हो रही थी तो उस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि यह तो बहुत बड़ा सवाल है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े सवाल को हल करना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है और यह कोई अपोजीशन के मेम्बर्स की या कांग्रेस पार्टी के मेम्बर की ज़िम्मेदारी नहीं हो सकती है । हम या अपोजीशन का कोई साथी अपनी तौर पर कानून को बदल नहीं सकता है । उचित यह था कि अब से पहले उन को इस लैंड रेवेन्यू के बारे में क्या सिस्टम और पालिसी रक्खी जाय इस सवाल को हल करने के लिये एक कान्फ्रेंस बुलानी चाहिये थी । जहांतक सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरियाज का ताल्लुक है उन के लिये तो सीधी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पर ही है और इस पर विचार करना चाहिये था कि उस के बारे में क्या सिद्धान्त निश्चित किये जायें और खास तौर पर जब हम एक कानून बनाने जा रहे हैं तो हमें इस के लिये विशेष सावधानी बर्तनी चाहिये थी और इस किस्म की एक कान्फ्रेंस पहले होनी चाहिये थी । अब अगर ऐसी कान्फ्रेंस पहले नहीं हुई और उस कान्फ्रेंस के बगैर मंत्री महोदय इस बिल के अन्दर कोई फर्क नहीं डाल सकते हैं तो मैं कहूंगा कि मंत्री महोदय तमाम राज्यों के रेवेन्यू मिनिस्टर्स की एक कान्फ्रेंस बुलायें ताकि हिन्दुस्तान के किसानों के साथ न्याय का सलूक हो और आज जो कर नीति के सम्बन्ध में भेदभाव बर्ता जाता है और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है वह समाप्त हो ।

†**श्री बांगशी ठाकुर** (त्रिपुरा—रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं सामान्यतया इस विधेयक का समर्थन करता हूं किन्तु मुझे कुछ बातों पर अपने विचार प्रकट करने हैं ।

खंड २ के उपखंड (ण) द्वारा अपंग पुरुषों को खेती करने के मामले से उत्पन्न होने वाली बातों से कुछ रियायत दी गई है, परन्तु खंड २ के उपखंड (त) द्वारा यह रियायत बेकार बन जाती है । इस

†मूल अंग्रेजी में

असंगतता को दूर करना लाभदायक है । इसी तरह जिन लोगों को खंड १५(१) के अधीन हानि उठानी पड़ेगी उन का बचाव खंड १४ के अधीन हो सकता है । विधेयक को लागू करते समय इस पहलू पर भी विचार करना चाहिये ।

जहां तक लगान का सम्बन्ध है यह निश्चय कर लिया गया है कि उत्पादन का आठवां भाग लगान के रूप में लिया जाय । त्रिपुरा में एक कनी भूमि में ८ मन चावल पैदा होते हैं । इस हिसाब से लगान १० रुपये बैठता । परन्तु अब तक वहां एक कनी भूमि का लगान ८ आने से ३ रुपये तक के बीच लिया जाता रहा है । इस कारण लगान के निर्धारण के मामले पर काफी विचार करना चाहिये ।

जहां तक खंड १८६(२) का सम्बन्ध है, मैं इस के बारे में कुछ विशेष बात नहीं कहना चाहता । परन्तु १० मई, १९५७ के बाद काफी हेरबदल हुई है । अतः संभावना यही है कि इस खंड के विरुद्ध लोग न्यायालय की शरण ले सकते हैं । इस अधिनियम के लागू होने पर त्रिपुरा के पुराने कानून निरसित हो जायेंगे । इस कारण मैं प्रार्थना करता हूं कि इसे लागू करते समय वहां की परम्पराओं का ठीक से ध्यान रखा जाय ।

श्री हाल्दर (डायमण्ड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : बारह वर्ष के विचार विमर्श के बाद अन्ततोगत्वा यह विधेयक सभा के समक्ष आ ही गया है । यद्यपि संयुक्त समिति ने इसे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का भरसक प्रयत्न किया है तथापि इस के कुछ उपबंध असंगत एवं हानिकारक हैं । उदाहरणार्थ स्वयं खेती करने का बहाना कर के बहुत से लोग कृषकों को बेदखल कर सकते हैं ।

माननीय मंत्री ने यह बात कही कि पश्चिमी बंगाल में भी ऐसा कानून बना है । परन्तु उन्हें शायद यह पता नहीं कि इस का प्रभाव वहां पर कैसा हुआ है । वहां पर हज़ारों कृषकों को बेदखल कर दिया गया है । इसलिये इस दिशा में विधेयक में उचित संशोधन करना चाहिये । इसी तरह खंड १५(१) जोकि भूमि पर अवैध कब्जे के बारे में है, भी हटा देनी चाहिये । श्री दशरथ देब ने भी इस उपबन्ध का विरोध किया है ।

जहां तक भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारित करने का सम्बन्ध है, मैं तो यही कहूंगा कि जब तक इस मामले में उठोस उपाय नहीं किये जायेंगे तब तक लोग इस से भी बच निकलेंगे । मैं यह प्रार्थना भी करूंगा कि खंड ४७ को भी हटा दिया जाय । त्रिपुरा के बारे में भी आठवां हिस्सा पैदावार का लगान के रूप में रखा गया है । यह ठीक नहीं है । त्रिपुरा का इलाका पहाड़ी है इसलिये वहां पर ज्यादा लगान लगाने की जरूरत नहीं है ।

†**श्री कालिका सिंह** (आज़मगढ़) : सरकार ने इस प्रकार के कानूनों से मध्यवर्ती लोगों को बीच में से परे हटाने की कोशिश की है । आशय यह है कि भविष्य में जमींदारी न रहे । पर इस विधेयक को देखने पर पहले ही हमें रैयत शब्द की परिभाषा दिखाई पड़ी है । रैयत की परिभाषा है कि जो लोग जमीनों के मालिक हैं और लगान अदा करते हैं उन्हें रैयत कहा जायेगा । इस के इन के नीचे भी कुछ लोग हैं जिन्हें अधीन रैयत कहा जायेगा । इन की हैसियत कृषकों जैसी होगी । इस तरह से फिर वही प्रणाली शुरू हो जायेगी । रैयत को इस विधेयक के अन्तर्गत लगभग वैसे ही अधिकार प्राप्त हैं जैसेकि भूमिदारों या जमींदारों को पहले प्राप्त थे । ऐसे अधिकार खंड ९९(१)(ख) के अधीन रैयत को दिये गये हैं । इसलिये जमींदारी का उन्मूलन करने की बजाय हम स्वयं जमींदारी शुरू कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक अधीन रैयत का सम्बन्ध है, यदि वे इस विधेयक के उपबन्धों का उल्लंघन करते हैं तो उन को रैयत बेदखल भी करवा सकती है । इस बात को देखते हुए यह कहना पड़ता है कि भूमि की स्थिति में सुधार करने की बजाय हम पीछे की ओर ही गये हैं ।

इसके अलावा एक और बात है । सार्वजनिक स्थलों के हकूक सरकार ने अपने आप ले लि हैं परन्तु व्यवहार न्यायालय अब उन्हीं मामलों को सुन सकेंगे जिन में सरकार किसी पक्ष के तौर पर न हो । यह बात सिद्धान्ततः गलत है । यदि इसी विषय को ले कर मामले को उच्चतम-न्यायालय में ले जाया जाय तो यह विधेयक अंध घोषित हो जायेगा । व्यवहार न्यायालयों का क्षेत्राधिकार अक्षुण्ण बना रखा जाना चाहिये ।

जहां तक लगान का सम्बन्ध है उस बारे मैं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुगलों के राजस्व-काल में पैदावार का छठा भाग लगान के रूप में लिया जाता था और यह १/२ रुपया प्रति एकड़ बैठता था । अन्य देशों में भी लगान उचित नीति से ही लिया जाता है । जिन लोगों के खेतों में केवल गुजारे लायक फसल होती है उन्हें लगान से छूट दी जाती है परन्तु भारत में सभी को लगान देना पड़ता है ।

अब यदि सरकार भू-कर लगाना चाहती है तो उन गरीब किसानों से लगान लेना बन्द कर दे जिन के खेत छोटे हैं और वे गुजारा भी कठिनाई से कर सकते हैं । इस तरह की छूट दे कर भू-कर लगाना श्रेयस्कर रहेगा ।

आगे चल कर विधेयक में यह बात भी कही गई है कि कतिपय सम्पदाओं का स्वामित्व समस्त रुकावटों से मुक्त हो कर, सरकार में निहित होगा । इसी प्रकार के शब्द उत्तर प्रदेश के एक विधेयक में भी प्रयोग हुए थे और मामला इलाहाबाद उच्च-न्यायालय में पहुंचा था । यदि इस प्रकार के शब्दों से चिरभोगाधिकारों को समाप्त कर दिया तो सामान्य जनता को भारी कठिनाई होगी । हमें इस विषय पर पहले से ही सोच लेना चाहिये, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कानून में बाद में संशोधन करना पड़ा था ।

पृष्ठ ३१ पर पट्टे की व्यवस्था है । उस के अनुसार रैयत अपनी जमीन को पट्टे पर दे सकती है किन्तु पट्टे की रकम धारा १११ में निर्दिष्ट अधिकतम मात्रा से अधिक न होगी । जब हम पट्टे की व्यवस्था करते हैं तो इस का सीधा सादा अर्थ यह है फिर से जमींदारी व्यवस्था का आरोप होना आरंभ हो जायेगा । हमें इस विधेयक में रियाया या रैयत शब्द का प्रयोग ही नहीं करना चाहिये था । इसकी बजाय हमें यहां पर भूमिदार शब्द का प्रयोग करना चाहिये था ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: श्रीमान्, अधिकांश सदस्यों ने सामान्य बातें कही हैं । सामान्य बातों का उत्तर देना अधिक उपयुक्त नहीं होगा । इस के साथ ही विधेयक के उपबन्धों के बारे में भी काफी कुछ कहा गया है ।

जहां तक लगान का सम्बन्ध है, बहुत से सदस्यों ने यह कहा कि कुछ भूमि तक किसानों को लगान से छूट दी जाय । पंजाब के एक माननीय मित्र ने यह भी बताया कि पंजाब विधान-सभा ने इस दिशा में एक संकल्प पारित किया था किन्तु योजना आयोग ने इसे स्वीकार नहीं किया ।

एक अन्य सदस्य ने बताया कि सारे भारत से १०० करोड़ रुपया लगान के साधन से प्राप्त होता है । इस कारण इस मामले में अधिकतर राज्य सरकारें ही कुछ कार्यवाही कर सकती हैं । भारत सरकार का इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस प्रश्न पर राज्य विधान सभाओं में ही विचार किया जाना चाहिये । इस मामले का प्रभाव राज्य सरकारों के वित्तीय साधनों पर ही पड़ने वाला है अतः वे ही युक्तियुक्त रीति से इस पर विचार कर सकती हैं । राज्य सरकारें चाहे कुछ भी कार्यवाही करें, इस समय ऐसी सारी भूमि पर लगान लगाया जाता है जो खेती योग्य है या जिसमें खेती की जा सकती है । यही बात इस विधेयक में भी की जा रही है । इस सम्बन्ध में खंड १६ के अन्दर व्यवस्था की गयी है । मैंने पहले भी बताया था कि लगान की मात्रा ऐसे मामलों में नगण्य सी है । त्रिपुरा में ८ आने से लगा कर ३ रुपये तक प्रति एकड़ है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हों ने यह कहा था कि अब यह १० रुपये प्रति एकड़ हो गई है ।

†**श्री दातार** : इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है । उनका विश्वास है कि सरकार द्वारा किये गये सर्वेक्षणों के बाद ऐसी वृद्धि शायद हो जाय । अभी तक त्रिपुरा में भूमि का बन्दोबस्त ठीक ढंग से नहीं किया गया है । जब तक भूमि का ठीक से बन्दोबस्त नहीं किया जा सकता तब तक प्रशासन की हालत में कदापि सुधार नहीं किया जा सकता । इसलिये सरकार ने ठीक से बंदोबस्त करने की योजना बनाई है । इस काम पर काफी समय और काफी पैसा लगेगा परन्तु यह लाभदायक होगा । जमीन की किस्में देखी जायेंगी और उसी आधार पर काम किया जायेगा । किन्तु खंड १६(२) में यह व्यवस्था भी साथ साथ कर दी गई है कि प्रशासन विशेष सहायता आदि को बन्द कर के कई प्रकार की रियायतें इस मामले में दे सकता है । मैंने कल भी बताया था कि जिन वर्षों में फसल नहीं होगी, उन वर्षों में लगान नहीं लिया जायेगा । इन हालात में यह कहना उचित नहीं कि लगान ज्यादा है या इससे गरीब किसानों पर ज्यादा बोझ पड़ेगा । लगान का भार अधिक नहीं है और किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिये कि इस कारण कानून में सारवान् परिवर्तन किया जाय ।

एक अन्य सदस्य ने स्वयं खेती करने की बात के बारे में कुछ शंका प्रकट की थी । भूमि सुधार का सिद्धान्त यही है कि भूमि केवल उसी के पास रहे जो या खुद खेती करता है या अपनी निगरानी में खेती कराता है । निगरानी में खेती कराने वालों को हम ने रियायत दी है; अन्यथा काफी कठिनाइयां हमारे सामने आ सकती हैं । कभी कभी कोई अवयस्क ही मालिक हो सकता है । ऐसे मामलों में हमें अवश्य रियायत करनी पड़ती है । खुद निगरानी भी तभी हो सकती है जबकि मालिक जमीन के निकट ही रहते हों ।

एक माननीय सदस्य ने पट्टों का पूरा विरोध किया है । परन्तु कभी कभी यह भी आवश्यक हो जाता है । पट्टा खुद ही बुरा नहीं होता; इसका अस्थायित्व बुरा है । इसलिये इस विधेयक में व्यवस्था की गई है कि पट्टे खंड १०५ के अनुसार तैयार हों । इसके अन्तर्गत जमींदार पर कुछ शर्तें लागू होंगी ।

श्री कालिका सिंह ने पूछा कि क्या हम जमींदारों को रखेंगे । हम उनका पूर्ण उन्मूलन नहीं कर सके । परन्तु हमने उन पर कई प्रकार की निषिद्धियां लगा दी हैं । आप किसी अवयस्क का उदाहरण ले लीजिए । ऐसे मामलों में क्या यह आशा की जा सकती है कि वह खुद खेती करें । उसे पट्टे पर देने का अधिकार होना चाहिए । अधिक महत्व की बात तो यही है कि पट्टे पर भूमि लेने वाले किसान को जमींदार की दया पर ही रहना पड़े । खण्ड १०५ में कहा गया है कि पट्टे की अवधि पांच वर्ष की होगी; यह अवधि और आगे तक भी चलेगी जब तक कि पट्टे पर भूमि लेने वाला अपने अधिकारों का हनन न कर ले ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत सरकार की यही इच्छा है कि त्रिपुरा तथा मनीपुर के दूरस्थ क्षेत्रों का पूर्ण विकास किया जाय। इसी कारण हम सभा के समक्ष इस कानून को ले आये हैं। सरकार त्रिपुरा तथा मनीपुर पर उनकी आय से कहीं अधिक रुपया खर्च कर रही है। मुझे विश्वास है कि इस विधेयक के पारित होने के बाद वहां के राजस्व प्रशासन की हालत में काफी सुधार हो जायेगा और वहां का काम उन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार चलेगा जैसे अन्य अधिकांश राज्यों का चलता है।

अधिकतम भूमि सीमा के प्रश्न पर विचार करने के बाद यही तय किया गया है कि निचली अधिकतम सीमा २५ प्रतिमान एकड़ों तक रखी जाय। अधिक से अधिक सीमा ५० प्रतिमान एकड़ निश्चित कर दी गयी है। हम ने प्रतिमान एकड़ों में यह सीमा निर्धारित क्यों की इस बात की व्याख्या मैं कल कर चुका हूं। त्रिपुरा में जमीन कई प्रकार की है इसी कारण प्रतिमान एकड़ों का व्यवहार किया गया है। अब मुझे आशा है कि सभा इस विधेयक का समर्थन करेगी और इसे पारित करेगी।

†**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है कि :

"त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्र में भू-राजस्व सम्बन्धी कानून को समेकित तथा संशोधित करने तथा सम्पदाओं के अर्जन और भूमि सुधार सम्बन्धी कुछ अन्य उपायों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"खंड २ से १७० तक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ से १७० तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री बातार :** खण्ड १७१ मुआवजे के बारे में है। जो सिद्धान्त हम दिल्ली तथा मनीपुर के बारे में अपना चुके हैं वही इसमें अपनाना चाहते हैं। अतएव मैं एक संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि :

पृष्ठ ६१, पंक्ति ९ से २४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"Equal to twenty times the net annual income from such land.

Explanation—For the purposes of sub-section (1) the net annual income from any land shall be deemed to be one-fifth of the value of the average yearly gross produce of the land, Calculated in such manner as may be prescribed."

("ऐसी भूमि की शुद्ध वार्षिक आय के बीस गुने के बराबर।

व्याख्या : उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिए किसी भूमि की शुद्ध वार्षिक आय, उस भूमि की औसत वार्षिक कुल उपज के मूल्य के पांचवें हिस्से के बराबर मानी जायेगी और उसका हिसाब ऐसी रीति से लगाया जायेगा जैसी कि निर्धारित की जाय।")

†**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

पृष्ठ ६१, पंक्ति ९ से २४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"Equal to twenty times the net annual income from such land.

Explanation—For the purposes of sub-section (1) the net annual income from any land shall be deemed to be one-fifth of the value of the average yearly gross produce of the land, Calculated in such manner as may be prescribed."

("ऐसी भूमि की शुद्ध वार्षिक आय के बीस गुने के बराबर ।

व्याख्या : उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिए किसी भूमि की शुद्ध वार्षिक आय, उस भूमि की औसत वार्षिक कुल उपज के मूल्य के पांचवें हिस्से के बराबर मानी जायेगी और उसका हिसाब ऐसी रीति से लगाया जायेगा जैसी कि निर्धारित की जाय ।")

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"खण्ड १७१, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १७१ संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड १७२ से १८३ विधेयक में जोड़ दिए गये ।

†**श्री दातार :** खण्ड १८४ में मेरा एक संशोधन है । मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ६७, पंक्ति २१ के स्थान पर "under" (अधीन) रखा जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ ६७ में, पंक्ति २१ के स्थान पर 'under' (अधीन) रखा जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"खण्ड १८४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १८४, संशोधित रूप में विधेयक में, जोड़ दिया गया ।

खण्ड १८५, से १९९ तक विधेयक में जोड़ दिए गये ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

†**श्री दातार :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मोटर परिवहन कर्मचारियों के कल्याण और उनके काम की शर्तों को विनियमित करने की व्यवस्था करने वाले बिल को ४५ सदस्यों की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें ३० सदस्य अर्थात्, श्री भोगजी भाई, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, श्री कमल कृष्ण दास, श्री रामधनी दास, श्री जालजी भाई कोया भाई डिडोड, श्री मूलचन्द दुबे, श्री इलयापेरूमाल, श्री नारायण गणेश गोरे, श्री अन्सार हरवानी, श्रीमती पार्वती कृष्णन्, डा० मेलकोटे, श्री वेंकटराव श्रीनिवासराव नलदुर्गकर, श्री एम० पलनियाण्डी, श्री काशीनाथ पाण्डे, श्री पन्नालाल, श्री करसनदास परमार, श्री बाला साहेब पाटिल, श्री पु० रामस्वामी, श्री राम गरीब, श्री रामशंकर लाल, श्री त० ब० विट्ठल राव, श्री विश्वनाथ राय, श्री साधू राम, श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री ब्रजराज सिंह, श्री बनारसी प्रसाद सिंह, श्री श्रद्धाकर सूपकार, श्री मिसुला सूर्यनारायणमूर्ति, श्री राम सिंह भाई वर्मा, श्री गुलजारी लाल नन्दा इस सभा के हों और १५ सदस्य राज्य सभा के हों;

कि समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के पहले दिन तक अपना प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों तथा रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफ़ारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा अपने द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम लोक-सभा को बताये ।"

मुझे इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है जिसके द्वारा मोटर परिवहन उद्योग में लगे हुए बहुत से कर्मचारियों को विधिक सुरक्षा मिलेगी । सभा यह जानती है कि अब भी इन कर्मचारियों के काम की शर्तें तथा उनकी सेवा कुछ श्रम विधियों के द्वारा विनियमित होती है । लेकिन पहली बार ही हम एक ऐसी स्वतंत्र विधि बना रहे हैं जिसके द्वारा मोटर परिवहन उद्योग में लगे हुए कर्मचारियों को व्यापक रूप में विधिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा । संविधान के अनुसार हमें सभी कर्मचारियों के लिये काम की अच्छी शर्तों का प्रबन्ध करने का प्रयत्न करना चाहिये और कारखानों, खदानों तथा बागानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये अलग से विधि हैं । यह वर्तमान विधेयक इस श्रेणी में एक अतिरिक्त वृद्धि होगी और सेवा नियोजन के उस दूसरे क्षेत्र

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आबिद अली]

में कमी की पूर्ति करेगी जो कि महत्वपूर्ण होता जा रहा है । देश की आर्थिक क्रियाओं के विस्तार के साथ मोटर परिवहन उद्योग बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है तथा अधिक से अधिक कर्मचारियों को सेवा में ले रहा है । अतः यह उपयुक्त है कि सेवा नियोजन के दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अनुसार ही इस क्षेत्र में भी काम की शर्तें और सेवा नियोजन विधि द्वारा विनियमित कर दिये जायें । सरसरी तौर पर इस विधि के क्षेत्र के अन्तर्गत तुरन्त ही लगभग २ लाख कर्मचारी आ जायेंगे ।

माननीय सदस्य कह सकते हैं कि मोटर परिवहन कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय विधि के बारे में पिछले कुछ वर्षों से चर्चा हो रही है । वस्तुतः एक गैर सरकारी सदस्य का विधेयक १९५५ में पुरस्थापित किया गया था । स्थायी श्रम समिति ने १९५६ में अपने पन्द्रहवें सम्मेलन में इस पर विचार किया था और हम ने उपबन्धों की विस्तृत जांच करने के लिये, जिनको कि इस प्रस्तावित विधि में सम्मिलित किया जा सके, एक विशेष समिति बनाई थी । विशेष समिति के इस प्रतिवेदन पर फिर विचार हुआ और यद्यपि पूर्णतः सहमति तो प्राप्त न हो सकी किन्तु बहुत से उपबन्धों के बारे में एक मत था ।

इस विधेयक में निहित अधिकांशतः उपबन्ध ऐसे हैं जिनके बारे में सबकी सहमति मिल चुकी है । जिन उपबन्धों के बारे में समझौता नहीं हो सका था उनको इस विधेयक में मोटर परिवहन उद्योग की विशेष शर्तों को दृष्टिगत रख कर श्रम विधियों के आधार पर सम्मिलित कर लिया गया है ।

इस समय हमारा विचार इस विधेयक को उन उपक्रमों पर लागू करने का है जहां कि दस या उससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं । हालांकि कुछ कर्मचारी इस प्रस्तावित अधिनियम के क्षेत्र से बाहर रह जायेंगे । क्योंकि एक सीमा निर्धारित करनी होती है चूंकि इसे बहुत छोटे छोटे उपक्रमों पर लागू नहीं किया जा सकता । फिर भी राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिये गये हैं कि वे उनको उन उपक्रमों पर भी लागू कर सकें जिन में कि पांच कर्मचारी कार्य करते हों । विद्युत से चलने वाले कारखानों के मामले में भी कारखाना अधिनियम को लागू करते समय कर्मचारियों की संख्या १० रखी है ।

काम के घंटे, आराम, बीच की छुट्टी, साप्ताहिक अवकाश, सवेतन वार्षिक छुट्टी, कल्याण सम्बन्धी सुविधाओं आदि के बारे में इस विधेयक के उपबंध भी कारखानों, खदान और बागान में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होने वाले विधेयक के समान हैं । इस विधेयक में कुछ बातें अलग भी हैं जो कि मोटर परिवहन उद्योग की विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए रखी गई है । मोटर परिवहन उपक्रमों द्वारा की जाने वाली सेवाओं को तीन भागों में बांटना, अर्थात्, नगर-सेवा, दूर के यात्रियों की सेवा तथा माल ढोने की सेवा, भी आवश्यक है । यह वर्गीकरण इसलिये किया गया है ताकि प्रत्येक वर्ग की विशेष सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुसार विधिक विनियमन उपयुक्त रहें ।

मैं विधेयक में निहित प्रस्तावों की विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा । यह विधेयक एक प्रकार से कर्मचारियों के एक महत्वपूर्ण वर्ग पर लागू करने के लिये नया है । इस विधेयक के कुछ उपबन्ध जटिल हैं जिनकी अच्छी छानबीन करने की आवश्यकता है । इसीलिये इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपा गया है । आशा करता हूं कि सभा इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : सन् १९५५ में एक गैर सरकारी सदस्य ने भी इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किया था। लेकिन सरकार ने इस विधेयक के प्रस्तुत करने में पांच वर्ष लगा दिये हैं। दूसरी योजना के शुरू में हमें बताया गया था कि इस प्रकार की विधि के लिये एक समझौता हो गया है। स्थायी श्रम समिति ने अपने अधिवेशन में जो अक्तूबर १९५८ में बम्बई में हुआ था इस बात पर जोर दिया था कि इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने में सरकार को अधिक देर नहीं करनी चाहिये। सभा में भी कई बार यह बात उठाई गई है कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने में देरी करना न्यायोचित नहीं है। परिवहन कर्मचारियों के दो संघों ने भी अपने शिमला के अधिवेशन में सन् १९५९ में ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने के बारे में सरकार द्वारा देर करने की नीति भी आलोचना की थी। खैर अब यह विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया है और हम इसका स्वागत करते हैं।

इस विधेयक के द्वारा मोटर परिवहन कर्मचारियों को अब भी कुछ वे सुविधाएं नहीं दी गई हैं जो कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिली हुई हैं। मेरा विचार है कि इस विधेयक से लगभग ५ लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा।

मेरा विचार है कि ऐसे उपबन्ध को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव का विरोध कोई गम्भीरता से नहीं होगा। लेकिन मेरा निवेदन है कि यह संयुक्त समिति इस बारे में अपना प्रतिवेदन इस सत्र के अन्त तक दे दे ताकि इस सत्र के समाप्त होने से पूर्व ही यह अधिनियम बन जाय। कर्मचारियों की ऐसी राय है कि यह जल्दी ही बन जाये।

देश में सामान्य परिवहन की स्थिति का अवलोकन करते हुए सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति ने बताया है कि यात्री-सेवा का लगभग सभी राज्यों में राष्ट्रीयकरण हो गया है। लेकिन यह राष्ट्रीयकरण कुल सेवा-परिवहन का बहुत थोड़ा सा भाग है। माल ढोने की सम्पूर्ण सेवा, तथा यात्री-सेवा का तीन-चौथाई भाग अभी तक गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। लम्बी यात्राओं के लिये सड़क परिवहन में चलाई गई डी-लक्स बसों का सभी ने स्वागत किया है। इसलिये यह आवश्यक है कि इन सेवाओं में काम करने वाले परिवहन कर्मचारियों की स्थिति भी वैसी ही हो जैसी कि रेलों में काम करने वाले कर्मचारियों की है।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जिन पर कि संयुक्त समिति विचार करे। पहली बात तो यह है कि इस विधेयक को जम्मू और काश्मीर में लागू करने का उपबन्ध नहीं है। अतः वहां के परिवहन कर्मचारियों को भी इस विधेयक का लाभ मिले। दूसरी बात यह है कि इस विधेयक को सभी राज्यों में एक ही तारीख से लागू किया जाना चाहिये। तीसरी बात यह है कि इस विधेयक के अनुसार राज्यों को जो अधिकार दिये गये हैं उन्हें और भी व्यापक बनाया जाये और इस बात की कोई सीमा निर्धारित न की जाये कि राज्य सरकारें ५ से कम कर्मचारी रखने वाले उपक्रमों पर इसे लागू नहीं कर सकतीं।

इसके परिभाषा वाले खण्ड में भी दोष है। कन्डक्ट का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। अतः कन्डक्ट का नाम भी होना चाहिये।

चौथी बात यह है कि खण्ड ३ में नगरीय सेवा का उल्लेख किया गया है। मेरा विचार है कि नगरीय सेवा के अन्तर्गत माल ढोने की बात भी आ जाती है लेकिन यह बात स्पष्ट नहीं है जो कि होनी चाहिए वर्ना माल ढोने वाले लारी मालिक इस विधेयक में आने से बच जायेंगे और वे लाभ कमायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

पांचवीं बात यह है कि निरीक्षण कर्मचारियों की व्यवस्था भी की गई है। इसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन ये व्यक्ति उचित योग्यताप्राप्त होने चाहियें। ये लोग न केवल प्रविधिक रूप से योग्य हों बल्कि इन्हें श्रमिक सम्बन्धों का भी उचित प्रशिक्षण मिलना चाहिए।

छटी बात यह है कि खण्ड ९ में कर्मचारियों के लिये कैन्टीन की व्यवस्था की योजना है लेकिन इसके लिये कर्मचारियों की संख्या १०० से घटा कर ५० कर देनी चाहिये। साथ ही इसके लिये मोटरों की मरम्मत आदि का काम करने वाले कर्मचारियों को भी सम्मिलित कर लेना चाहिये।

खण्ड १० में आराम करने के लिये आवास की व्यवस्था की गई है। यह कदम स्वागत करने योग्य है। मेरा निवेदन है कि इन आवासों की उचित देखभाल का प्रबन्ध होना चाहिये। खण्ड ११, १२ और १३ के अनुसार वर्दी, चिकित्सा सहायता एवं प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई है जो निश्चय ही अच्छा कदम है। ५वें अध्याय में कुछ विवादास्पद बातें हैं। ओवरटाइम का भत्ता उस समय में किये गये कार्य के अनुसार होने चाहियें।

इस विधेयक की एक अच्छी बात यह भी है कि आराम के घंटों की व्यवस्था की गई है। इस विधेयक के अनुसार कर्मचारी काम करने के बाद कम से कम ९ घंटे आराम कर सकेगा लेकिन मेरा सुझाव है कि ९ के बजाय १२ घंटे कर देने चाहियें।

धारा २१(१) में साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था की गई है। मेरा निवेदन है कि यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि यह अवकाश सवेतन होगा।

खण्ड २७ के अनुसार वेतन भुगतान अधिनियम यात्री परिवहन सेवा में लागू किया गया है न कि लारी सेवा में लेकिन फिर भी यह एक अच्छा कदम है।

खण्ड २९ के अनुसार उपार्जित अवकाश की व्यवस्था की गई है मेरा निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि २० दिन काम करने के बाद एक दिन का उपार्जित अवकाश मिल सके।

खण्ड ३०(२) के अनुसार यदि कर्मचारी उपार्जित अवकाश पर जाता है तो उसे इस अवकाश के दौरान का वेतन मिलेगा। यह एक अच्छी व्यवस्था है।

अध्याय ५ में प्रतिदिन काम के घंटे तथा सप्ताह में काम करने के घंटों की व्यवस्था की गई है। लेकिन यह निश्चित नहीं किया गया है कि एक दिन में अधिक से अधिक इतने घंटे काम कर सकेगा। अतः मेरा निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि वह १० घटों से अधिक कार्य न कर सके।

बड़े बड़े शहरों में दुमंजली बसें चलती हैं मेरा निवेदन है कि दुमंजली तथा सामान्य बसों के कर्मचारियों में भेद किया जाना चाहिये। अगर इस विधेयक की सुविधाओं को टैक्सी चालकों पर भी लागू कर दिया जाये तो इससे न केवल मालिकों और कर्मचारियों को ही लाभ पहुंचेगा बल्कि जनता और टैक्सी चालकों में भी अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो जायेंगे।

कर्मचारी द्वारा वास्तव में कितने घंटे काम किया गया—तत्सम्बन्धी परिभाषा में स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। क्यों वास्तव में काम शुरू करने और उसे समाप्त करने के बाद भी कुछ घंटे काम करना पड़ता है अतः उन घंटों को भी उसमें काम के घंटों में जोड़ा जाना चाहिये।

लम्बी यात्री-सेवा में काम करने वाले ड्राइवरों को बीच में आराम करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये है संयुक्त समिति उन पर विचार करेगी ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश): वैसे तो मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं लेकिन काम के घंटों को ठीक ढंग से नहीं फैलाया गया है । तथा अन्य दूसरी सुविधाएं जो कि इन कर्मचारियों को मिलनी चाहियें थीं नहीं दी गई हैं ।

मोटर सेवा को तीन भागों में बांटा गया है यह एक अच्छी बात है । परिवहन सेवा का पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है यह भी एक अच्छा कदम है । काम के घंटों की जो व्यवस्था की गई है उससे प्रतीत होता है कि यह विधेयक प्रगतिशील नहीं है । मेरा निवेदन है कि सरकार नगरों में बस चलाने वाले चालकों के लिये एक दिन के काम के घंट ७ से अधिक न करे क्योंकि उनको काफी मानसिक थकान हो जाती है । और सप्ताह में काम के घंटे ४२ होने चाहियें तथा एक दिन में ६ घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये । ऐसा करने से शहरों में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में भी कमी हो जायेगी ।

लम्बी यात्रा सवारी सेवा तथा माल ढोने वाली सेवा में काम करने वाले कर्मचारियों के काम के घंटों में भी कमी की जानी चाहिये । काम के दौरान में आराम की व्यवस्था कुछ ऐसी है जिससे कर्मचारियों को लाभ नहीं होता अतः इसमें भी सुधार होना चाहिये । मेरा निवेदन है कि शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों के काम के घंट ७ होने चाहियें और उन्हें इस बीच ¾ घंटे का आराम भी मिलना चाहिये । मेरा सुझाव है कि परिवहन प्रशासन को एक कार्यक्रम बनाना चाहिये जिससे कि कर्मचारी उसके अनुसार कार्य कर सकें । ऐसे कार्यक्रम की अनुपस्थिति में काम करना बड़ा कठिन हो जायेगा ।

ओवरटाइम की व्यवस्था अच्छी है । लेकिन मजूरी भुगतान के मामले में यह विधेयक प्रगतिशील नहीं है । कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों जैसे चालक, कन्डक्टर, निरीक्षक आदि के लिये सरकार न्यूनतम मजूरी निश्चित करे । मेरे विचार से ऐसा करने में कोई हानि नहीं है ।

१०० से अधिक काम करने वाले कर्मचारियों के लिये कैन्टीन खोलने की व्यवस्था की गई है लेकिन जहां ६५ कर्मचारी हैं वहां क्या होगा ? मेरा निवेदन है कि खाने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए ।

दिन में काम करने वालों के लिये भी आराम करने के आवास की व्यवस्था होनी चाहिये । इस विधेयक में वर्दी की संख्या निर्धारित की जानी चाहिये, अर्थात् कम से कम चार वर्दी दी जायेंगी । चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की भी व्यवस्था की जानी चाहिये ।

कुछ परिभाषाएं ठीक नहीं हैं । संयुक्त समिति उन पर विचार करे और उनको स्पष्ट बनाये । उदाहरणार्थ, काम के घंटे, मोटर परिवहन कर्मचारी, रनिंग टाइम, आदि की परिभाषाएं ठीक नहीं हैं ।

मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि क्या यह मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम राज्यीय परिवहन सेवाओं पर भी लागू होगा । अगर यह उन पर लागू नहीं होता है तो मेरा विचार है कि गैर-सरकारी उपक्रमों को दंड देने से क्या लाभ ? अतः मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि राज्यीय परिवहन सेवाओं पर भी यह अधिनियम लागू होगा ।

अन्त में मैं निवेदन करता हूं कि संयुक्त समिति इन सभी बातों पर विचार करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । मुझे प्रसन्नता है कि परिवहन श्रमिकों की मांग पर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया ।

श्री तगामणि और श्री नौशीर भरूचा की बात से मैं सहमत हूं । मेरा अनुभव है कि ड्राइवरों व कन्डक्टरों की जो आठ घंटे-९ घंटे प्रतिदिन की ड्यूटी है वह अधिक है और बहुत कठोर है, अत: उसमें कमी की जानी चाहिए । इससे कर्मचारियों की कार्यकुशलता भी बढ़ सकती है ।

वेतन तथा छुट्टियों के सम्बन्ध में मैं श्री भरूचा की बात से पूर्णत: सहमत हूं । इस विधेयक का पूरा लाभ नहीं होगा, जब तक कि परिवहन कर्मचारियों के वेतन तथा उनकी छुट्टियों के सम्बन्ध में सुधार नहीं किया जाता । उन्हें न्यूनतम वेतन—पन्द्रहवें श्रम सम्मेलन के निर्णय के अनुसार—मिलना चाहिए । अत: विधेयक में इन बातों का भी समावेश होना चाहिए ।

जहां तक विधेयक से मुक्त होने का संबंध है, यदि राज्य सरकार अपने उपक्रमों को इससे मुक्त रखेगी, तो गैर-सरकारी उपक्रम भी हो-हल्ला मचायेंगे । ...यें इस प्रकार तो इस विधेयक का बुरा हाल हो जायेगा और इसका कोई लाभ नहीं होगा ।

इसके अतिरिक्त पहाड़ों पर बस ले जाने वाले ड्राइवरों को ६०००–७००० फुट की ऊंचाई पर जाना होता है; वहां मार्ग भी दुर्गम है । अत : उन ड्राइवरों को कुछ विशेष सुविधायें दी जानी चाहिएं ।

(पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए ।)

यदि मुक्त होने संबंधी उपबन्ध को रखा गया, तो यह विधेयक व्यर्थ हो जायेगा । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इस संबंध में हमें एक आश्वासन दे कि विधेयक का क्या भविष्य होगा ।

मेरा निवेदन है कि काम के घण्टे कम करके ७ कर दिये जायें । इस संबंध में संयुक्त समिति आंकड़े इकट्ठे कर सकती है और उसके आधार पर निश्चय कर सकती है ।

अन्त में मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि सयुक्त समिति इन सब बातों पर विचार करेगी ।

†**श्री बासप्पा** (तिपतुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । इस विधेयक की काफी समय से प्रतीक्षा की जा रही थी । मुझे आशा है कि संयुक्त समिति माननीय सदस्यों द्वारा कही गयी बातों को ध्यान में रख कर उन पर विचार करेगी ।

परिवहन उद्योग में लगभग २ से ५ लाख तक कर्मचारी हैं । इस विधेयक की मांग बहुत समय से थी । इस का महत्व इस लिए और भी है क्यों कि अनेक राज्य इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं ।

परिवहन उद्योग के कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है । इस विधेयक के द्वारा भी उन्हें अनेक सुविधायें मिलेगी । उन्हें हर प्रकार का संरक्षण दिया जाना चाहिए । ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली बसों की हालत बहुत खराब है और वहां ड्राइवरों को अनेक कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं । अत : सरकार इस बात का भी प्रबन्ध करे कि उन्हें पर्याप्त सुविधायें व आराम मिले ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि संयुक्त समिति सब बातों पर अच्छी तरह विचार करेगी ।

†**श्री महागांवकर** (कोल्हापुर) : मैं भी इस विधेयक का स्वागत करता हूं । इस विधेयक को लागू करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वह १० से कम पर ५ से कम नहीं नहीं कर्मचारियों वाले उपक्रमों पर यह विधेयक लागू करे ।

इस संबंध में मेरा निवेदन है कि महाराष्ट्र में अनेक व्यक्ति ऐसे हैं, जो स्वयं बसें आदि चला कर अपनी जीविका कमाते हैं । उन्हें सब प्रकार के करों का भार भी उठाना पड़ता है । अतः ऐसे लोग राज्य का मुकाबिला नहीं कर सकते । इस प्रकार गैर-सरकारी क्षेत्र में परिवहन उद्योग को भारी क्षति होगी । अतः मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री व संयुक्त समिति इस संबंध सहानुभूति-पूर्ण ढंग से विचार करें ।

आप इस संबंध में इन्सपेक्टर नियुक्त करने जा रहे हैं । पुलिस विभाग के लोग मोटर वालों से हफ्ता लेते हैं—यह रिश्वत है, जो गाड़ी में मात्रा से अधिक माल भरने के बदले में पुलिस उनसे लेती है । रात में माल के ठेलों के चलने की अनुमति नहीं है पर रिश्वत देकर रात में भी ठेले खूब चलते हैं । इसके अतिरिक्त पुलिस वाले ठेलों व बसों वालों को बहुत परेशान करते हैं । मेरा निवेदन है कि संयुक्त समिति इन सब बातों पर भी ध्यान दे ।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मेरा निवेदन है कि संयुक्त समिति इस बात पर विचार करे कि इस विधेयक का क्या प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ेगा । मेरी बात का मतलब यह न समझा जाये कि कर्मचारियों के हितों की हमें चिन्ता नहीं है । हमें उनके हितों की चिन्ता है । उनके काम के घण्टे कम किये जाने चाहिएं तथा उनको अच्छा वेतन व अन्य सुविधायें दी जानी चाहिएं । साथ ही उपभोक्ताओं के हित का भी ध्यान रखना परम आवश्यक है । प्रायः होता यह है कि मोटर या बस का मालिक अपना टैक्स यात्रियों पर लाद देता है । इस प्रकार उपभोक्ता पर बहुत भार पड़ता है और वह दुखी हो जाता है ।

अतः मेरा निवेदन है कि संयुक्त समिति कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुये, उपभोक्ताओं के हितों के संबंध में भी विचार करे ।

श्री हेमराज (कांगड़ा) : सभापति महोदय, जो विधेयक आज सदन के सामने पेश हुआ है उस के लिये मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं इस विधेयक का बहुत दिनों से इन्तजार था । लेकिन, जैसा श्री तंगामणि ने फरमाया, पांच साल के बाद आखिरकार गवर्नमेंट इस नतीजे पर पहुंची है कि इस को सदन के सामने लाया जाय । यह ठीक है कि इस वक्त जो विधेयक है वह मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की जो मांगें हैं उन को काफी हद तक पूरा करता है, लेकिन इस के साथ ही मैं समझता हूं कि मौजूदा पोजीशन में कुछ हालतें ऐसी हैं जिन की तरफ हमारी ज्वायेंट कमेटी को ध्यान देना चाहिये ।

इस वक्त आप ने मोटर ट्रांस्पोर्ट वर्कर्स की जो डेफिनिशन दी है उस में कुछ कमियां मालूम होती हैं । जहां जहां पर हमारी मोटर ट्रांस्पोर्ट कम्पनियां काम कर रही हैं, मैं खास तौर पर पंजाब के मुताल्लिक कह सकता हूं क्योंकि बाकी जगहों का मुझे तजुर्बा नहीं, उन में से हर एक जगह पर उन्होंने अपनी अपनी वर्कशाप्स साथ रक्खी हैं । इस में आप ने मोटर ट्रांस्पोर्ट वर्कर्स की जो परिभाषा दी है उसमें जो लोग उन वर्कशाप्स में काम करते हैं, उन के मुताल्लिक कोई जिक्र नहीं किया गया है । इस डेफिनिशन में जो टेक्नीशियन्स हैं, मैकेनिक्स हैं, उन के मुताल्लिक कोई जिक्र नहीं है । मैं समझता हूं कि वर्कर्स की परिभाषा में उन का भी जिक्र आना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेमराज]

एक और बात जो मैं देख रहा हूं वह यह है कि बहुत सी कोआपरेटिव सोसायटीज़ बन गई हैं मोटर ट्रांस्पोर्ट की। उन ट्रांस्पोर्ट सोसायटीज़ में जो शेअरहोल्डर्स हैं वही ड्राइवर्स हैं, वही चेकर्स हैं, वही कंडक्टर्स हैं और वही क्लीनर्स हैं। इस तरह की चीज़ें वहां पर चल रही हैं। कानून में इन के बीच कैसे भेद किया जा सकता है? एक आदमी बतौर शेअर होल्डर के मालिक भी है लेकिन उसी कम्पनी से चूंकि वह ज्यादा फायदा उठाना चाहता है इस लिये उस में चेकर भी बन जाता है, ड्राइवर भी बन जाता है, क्लीनर भी बन जाता है। इस तरह से उस को दोहरा फायदा उठाने का मौका मिल जाता है। इस बारे में भी ज्वायेंट कमेटी में अच्छी तरह विचार होना चाहिये।

मुझ से पहले मेरे एक लायक दोस्त ने एक और बात का जिक्र किया था। वह यह है कि आप ने जो परिभाषा दी है अंडरटेकिंग की, उस में प्राइवेट कैरियर्स लिखा है। "प्राइवेट कैरियर्स" में जो काम करने वाले हैं उन के बारे में यह था कि जिस कम्पनी में पांच वर्कर्स एन्गेज्ड हों उन के लिये स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है और जहां १० आदमी एन्गेज्ड होते हैं उन के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन जहां पर एक या दो ही आदमी एन्गेज्ड गिये जाते हैं प्राइवेट कैरियर्स में उन के बारे में क्या होगा यह पता नहीं चलता। ऐसे प्राइवेट कैरियर्स की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन जो विधेयक पेश किया जा रहा है उस में उन के मुताल्लिक कोई जिक्र नहीं है। इस के ऊपर भी हमारी ज्वायेंट कमेटी को विचार करना चाहिये। इस कमेटी में कई ऐसी बातें रक्खी जा सकती हैं जिस से इस तरह के केसेज कवर हो जायें।

इस के साथ ही साथ जैसा हमारे श्री बनर्जी ने फरमाया है, सब से बड़ा नुक्स जो आप इस में रख रहे हैं, वह यह है कि आखिरी सेक्शन जो एग्जेम्पशन्स का है, उस में आप ने स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे अख्त्यार दे दिये हैं जिन के जरिये वह जिस को चाहें एग्जेम्ट कर सकते हैं। आज हर एक जगह सुनते हैं कि करप्शन बहुत ज्यादा है, नेपाटिज्म बहुत ज्यादा है। इस तरह से आप स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथों में एक और हथियार दे रहे हैं कि उस का फायदा उठा कर वह जिस से बेहतर सुलूक करना चाहें उन को एग्जेम्पशन दे सकते हैं और जितने भी ऐक्ट पास किये गये हैं उन को टालने के काबिल बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि जो सेक्शन ४० का सब क्लाज २ है उसको आपको इस बिल में नहीं रखना चाहिए। उससे पहले आप सेक्शन ४० के सब सेक्शन १, पार्ट १ और २ में जरूरी एग्जेम्प्शन दे चुके हैं। इसलिए सैक्शन ४० का सब क्लाज़ २ इस बिल में नहीं रहना चाहिए।

एक और चीज है जो वेजज के चैप्टर में आ गयी है। मैं कुछ इस सिलसिले में मोटर ट्रांस्पोर्ट वर्कर के मुताल्लिक कहना चाहता हूं। एक वर्कर सरविस करता है लेकिन कुछ दिन बाद उसकी हैल्थ फेल हो जाती है या उसके घर में ऐसी मौत हो जाती है जिसकी वजह से उसको नौकरी छोड़नी पड़ती है। उसे अभी सरविस में पांच या ६ महीने ही हुए हैं। जहां तक ऐसे लोगों का ताल्लुक है उनके लिए भी कोई क्लाज आना चाहिए ताकि जितनी सरविस उन्होंने की है उसका फायदा उनको भी मिल सके। मैं समझता हूं कि यह चीज भी आपको इसमें रखनी चाहिए।

एक वक्ता ने फरमाया था कि इसमें लफ्ज "कंडक्टर" नहीं आया है। शायद जो आपने लफ्ज क्लीनर इसमें इस्तैमाल किया है उसमें कंडक्टर आ जाता है। मैं समझता हूं कि लफ्ज कंडक्टर इसमें आना चाहिए।

एक बात और आपने रखी है जिसके मुताल्लिक बहुत सारे वक्ताओं ने ऐतराज किया है। आप एक कानून बना रहे हैं। हमने अक्सर देखा है कि जब भी आपने कानून बनाकर उसका इंम्प्लीमेंटेशन स्टेट्स पर छोड़ा है तो उसमें स्टेटों को दो दो चार चार साल लग गए हैं। आपने एनफोर्समेंट

के लिए इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को और अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है । लेकिन इसमें तो आप स्टेटों को अख्तियार दे रहे हैं कि चाहे वे इसको इम्प्लीमेंट करें या नहीं करें। इस सूरत में तो जो स्टेट चाहेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन न हो वह इसको एनफोर्स ही नहीं करेंगे । इस तरह से यह कानून बनाने का हमारा मतलब हल नहीं होगा । इसलिए जो आपने इसको स्टेट गवर्नमेंट्स की मर्जी पर छोड़ा है इस बारे में मुझे उम्मीद है कि ज्वाइंट कमेटी गौर करेगी और ऐसा प्रावीजन रखेगी कि इसको स्टेट गवर्नमेंट्स इम्मीजिएटली लागू करें ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं । साथ ही मुझे उम्मीद है कि जो सुझाव मैं ने दिए हैं उन पर ज्वाइंट कमेटी गौर करेगी और यह विधेयक इससे भी बेहतर हालत में फिर हाउस के सामने आएगा ताकि हम इसको जल्दी से जल्दी पास कर सकें और मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की जो हालत है, उसको सुधार सकें ।

†**श्री काशीनाथ पांडे** (हाता) : मैं श्रम मंत्रालय का आभारी हूं कि उसने यह विधेयक प्रस्तुत किया है । इससे पहले के दो अधिनियमों से परिवहन कर्मचारियों को कोई विशेष लाभ नहीं था । इस विधेयक से आशा है कि वह परिवहन कर्मचारियों को पर्याप्त लाभ पहुंचा सकेगा ।

सब से पहली बात इस विधेयक के संबंध में मुझे यह कहनी है कि पविहन उद्योग कोई कारखाना नहीं है । अतः "दस से कम" और "५ से कम नहीं" आदि शर्तों को हटा दिया जाना चाहिए । कार्य की मात्रा व खतरा तो सभी के लिए बराबर है चाहे किसी उपक्रम में एक ही कर्मचारी हो या बहुत से कर्मचारी हों । अतः मेरा निवेदन है कि संयुक्त समिति इस बात पर विचार करेगी कि इन शर्तों को हटा दिया जाये ।

साथ ही यदि किसी परिवहन उपक्रम का एक विभाग कारखाना अधिनियम के अधीन आता हो, तो भी उसे इस विधेयक के अधीन संरक्षण व सुविधायें मिलनी चाहिएं ।

काम के घंटों के फैलाव के संबंध में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जैसा कि श्री तंगामणि ने कहा, अन्यथा उसका दुरुपयोग होने का भय है । अतः इसके संबंध में जो खण्ड है, उस पर ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है ।

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए मंत्री का प्रस्ताव बहुत ही उपयुक्त है । मैं विधेयक का स्वागत करता हूं ।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं श्रम मंत्री महोदय को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मोटर कम्पनियों में काम करने वाले कार्यकर्त्ता हैं उनका काम सुविधा से चले और मोटरों के मालिक उनको परेशान न कर सकें तो उनके लिए हर पहलू को देखते हुए इस विधेयक के जरिए कानूनी व्यवस्था करने की कोशिश की है ।

सभापति महोदय, मुझे इसमें एक बात की कमी लगी जिसका इसमें जिक्र नहीं है । और वह कमी यानी आज हमारे देश का जो ढांचा है उस ढांचे को हम समाजवादी ढांचे में ढालना चाहते हैं तो जब तक कि वह कम्पनियां सरकारी नहीं बनातीं तो उन वर्करों की कार्यकर्त्ताओं की कम्पनी बनाने की तरफ इसमें कोई इशारा नहीं किया है । यही नहीं यह ठीक है कि शायद श्रम मंत्रालय का इस से सीधा सम्बन्ध न हो लेकिन इस विधेयक को बनाते हुए अगर इस में कहीं दर्ज किया जाता कि जिस तरीके से जमींदारी ली जाती है, सीलिंग लगाते हैं तो यहां पर भी आज कार्यकर्त्ता काम

---

†मूल अंग्रेजी में

[चौ० रणवीर सिंह]

करते हैं दस से ज्यादा जिस कम्पनी में उस कम्पनी के कार्यकर्त्ता अगर कोआपरेटिव सोसाइटी का मेम्बर बनना कबूल करे तो उस सारी कम्पनी को एक मुआविजे के साथ उन कार्यकर्त्ताओं को दे दिया जाय ताकि उस को सुचारू रूप से वह चालू रख सकें और फिर न चीफ़ इंस्पैक्टर की जरूरत रहने वाली है और न इंस्पैक्टर साहब की जरूरत रहेगी क्योंकि उस कम्पनी को वर्कर्स अपने लिए ही चलायेंगे। उस ऐस्पैक्ट का इसमें कहीं जिक्र नहीं है। यही नहीं आज हालत बड़ी अजीब है। बहुत सारे भाई हैं जो ड्राइवर्स भी हैं और वैसे कागज में तो शायद ट्रक्स के मालिक कुछ दूसरे भाई दिखाये हुए हैं कि जिनके पास परमिट है। असल में वे मोटर ट्रक्स के मालिक भी हैं, रुपया भी उन का है, खुद ही ड्राइवर्स हैं लेकिन उन के पास परमिट नहीं है। परमिट किसी और के नाम है और वह ३५ या ४०,००० की गाड़ी भी मजबूरन उन्हीं के नाम करनी पड़ती है। मेरी समझ में यह एक समाजवादी ढंग के सामाजिक ढांचे में कुछ जाचत नहीं जंचता है क्योंकि जहां हम वर्कर्स का हित देखते हैं और यह देखते हैं कि उन के साथ कैसा व्यवहार हो, तनख्वाह कैसे मिले, उनको छट्टी मिले, उनके लिए केंटीन की उत्तम व्यवस्था हो और उनके आराम करने के लिए रैस्ट रूम्स का समुचित प्रबन्ध हो वहां हमें यह चीज भी देखनी चाहिए लेकिन उसका इसमें कोई जिक्र नहीं है। मुझे मालूम नहीं कि श्रम मंत्रालय के बिल में इस का कोई ढंग से जिक्र आ सकता है या नहीं। मैं तो मानता हूं कि श्रम मंत्रालय को जब हमें श्रमिकों की भलाई के लिए उसे चलाना है तो उसे कोई फंड ऐसा बनाना होगा जैसे कि मुजारों को आराम देने के लिए और जमीन देने के लिए पैसा रखते हैं उसी तरह इस काम के लिए श्रम मंत्रालय के पास भी पैसा हो। इस कम्पनी को लेने और उसे मुआविजा देने में लाखों रुपये लोग सिर्फ परमिट के नाम पर कमाते हैं। मैं पूछता हूं कि ऐसे लोगों को जिनके कि नाम परमिट हैं तो उन्हें यह कम्पनी बनाने का क्यों अधिकार हो जब कि वह कार्यकर्त्ता नहीं हैं। कार्यकर्त्ता आगे आने के लिए तैयार हैं वे परमिट्स भी लें और उसमें इतना पैसा भी जुटायें। यह सरकार हर एक धंधे में छोटा बड़ा कारखाना लगाना चाहती है और सरकार कोटेज इंडस्ट्रीज में कारखाने खोलने के लिए कहीं ५० फीसदी, ६० फीसदी तो कहीं ८० फ़ीसदी तक पैसा देती है तो क्यों न उन गरीब आदमियों के लिए पैसा देकर कोई फंड हम बना दें ताकि उस से कार्यकर्त्ताओं को आराम मिले।

इस के अलावा सभापति महोदय, यह बात सही है कि बहुत सारी बातों की तकलीफ कानून बनाने से हट जाती है लेकिन अगर खाली कानून बना देने से तकलीफ हटने वाली होती तो हमने इस देश के अन्दर पिछले १२, १३ साल में इतने कानून बना दिये हैं कि शायद इस देश में कोई दुखी ही नहीं रहता। लेकिन हालत यह है कि जब तक आर्थिक व्यवस्था ठीक न हो, कानून कैसा ही क्यों न हो, उसका फायदा श्रमिकों को या मालिकों को पहुंचता नहीं है।

आप जानते हैं कि इस बिल के अन्दर तीन किस्म के रूट्स का उन्होंने जिक्र किया है। एक सिटी रूट्स, दूसरे लम्बे रूट्स और तीसरे शौर्ट रूट्स। अब लम्बे रूट्स पर जो चलने वाले हैं उनका मुकाबला रेलवे मंत्रालय से है जो कि बहुत मजबूत है और जिसके कि अन्दर देश का बहुत अधिक रुपया लगा हुआ है। इसीलिए लम्बे रूट पर चलने वाले ड्राइवर्स को वहां लाइसेंस नहीं मिलेगा क्योंकि लम्बे रूट्स होने के कारण कई राज्य उसमें आ जाते हैं और हो सकता है कि एक स्टेट वाला दूसरी स्टेट वाले के ऊपर कोई टैक्सेशन लगा दे भले ही अब तक ऐसा न हो लेकिन कोई स्टेट कह तो सकती है कि जिस ड्राइवर को हमने अपने यहां लाइसेंस नहीं दे रक्खा है वह जब तक इतनी फीस अदा न करे वह हमारी सीमा में ड्राइव नहीं कर सकता। इसी तरीके से कम्पनियों की बात है। अगर किसी कंम्पनी के पास लम्बे रूट पर जाने के लिए परमिट नहीं है तो उससे श्रमिकों को फायदा नहीं पहुंच सकता है। वह फायदा तभी पहुंच सकता है जब कि हम उन श्रमिकों को कम्पनी बनाने

का मौका दें। श्रमिकों की ही कम्पनी हो और श्रमिकों को ही लेकर कोआपरेटिव सोसाइटी बना लें और रेलवे मंत्रालय के मुकाबले में खड़े होने का मौका हो। मैंने सुना है कि आज जो सामान बम्बई से दिल्ली आता है अगर ईमानदारी से जैसे हिसाब का खाता पड़ता है उसके हिसाब से देखा जाय और ज्यादा किराया वह कम्पनी न ले तो मोटर ट्रक से सामान को यहां तक लाना कम कीमती है बनिस्बत रेलवेज के कम भाड़ा पड़ेगा। रेलवेज के मुकाबले में उसमें सुविधाएं भी बहुत सारी होती हैं और उसमें खर्चा भी कम होता है और हो सकता है कि आगे आने वाले जमाने में शायद रेलवेज उनके मुकाबले में न खड़ी हो सके। हो सकता है कि आगे आने वाले जमाने में इस देश में भी और देशों की तरह लम्बी सर्विसेज पैसेंजर्स के लिए चालू हो जायें जैसे कि अन्यत्र आदमी हजारों हजारों मील एक कम्पनी की बस में जाते हैं और हो सकता है कि इस देश के अन्दर भी वैसी लम्बी सर्विसेज चालू हो जायें। जहां हमारी कोशिश है कि हम श्रमिकों के हित को सदा अपने सामने रक्खें और उनको आराम पहुंचायें उसके साथ ही साथ हमें यह नहीं भूल जाना है कि हमारा जो रेलवे मंत्रालय है और जो ऐसी बड़ी बड़ी लम्बे रूट्स पर चलने वाली कम्पनियां हैं, यह बड़ी बड़ी कम्पनियां उनके रास्ते में तरह तरह से रोड़ा बन कर खड़ी होती हैं और हमें जैसे मैंने शुरू में कहा वह कम्पनीज श्रमिकों की कोआपरेटिव्ज् हों और हमें ऐसी श्रमिकों की कम्पनीज और कोआपरेटिव्स को बढ़ावा देना चाहिए। शायद सही तौर पर और कानूनी तौर पर हम उनको उतना फायदा न पहुंचा सकें लेकिन जैसे मैंने कहा अपने ढंग से हम उनको जरूर फायदा पहुंचा सकते हैं।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : आज से लगभग २५ वर्ष पूर्व यह उद्योग सरकार के हाथों में नहीं था बल्कि गैर-सरकारी लोगों के हाथों में था। इस के बाद हमारी कांग्रेस सरकार इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर रही है। अतः इस उद्योग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए ऐसे विधेयक का होना बहुत ही आवश्यक है। मैं समझता हूं कि राज्य परिवहन पर भी यह विधेयक लागू होगा। मैं समझता हूं कि इस उद्योग के कर्मचारियों पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू होता है।

इस विधेयक द्वारा लाखों कर्मचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, यह प्रसन्नता की बात है। आशा है कि संयुक्त समिति में विधेयक में और भी सुधार हो जायेगा।

आशा है संयुक्त समिति इस पर निष्पक्ष भाव से विचार करेगी।

सरदार अ० सिं० सहगल (जंजगीर) : सभापति महोदय, मोटर ट्रांस्पोर्ट के बारे में जो बिल माननीय मंत्री महोदय लाये हैं, मैं उस का स्वागत करता हूं। लेकिन इस के साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल को देखने से यह मालूम होता है कि वायेबल यूनिट्स को तो इस से ज़रूर फ़ायदा होगा, लेकिन को-आपरेटिव बेसिस पर वर्क करने वाली यूनियन्ज़ की दिक्कतों को दूर करने के बारे में इस बिल में कोई ज़िक्र नहीं है। हमें कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इन यूनियन्ज़ को रजिस्ट्रेशन के बारे में जो दिक्कतें आती हैं, वे दूर हो सकें। मैं आप के सामने मध्य प्रदेश का ज़िक्र करने के लिए तैयार हूं कि को-आपरेटिव बेसिस पर गाड़ियां चलाने के लिए जो दरख्वास्तें दी जाती हैं, उन के बारे में कितनी दिक्कतें हैं। उन बेचारों को कई महीनों तक दौड़ना पड़ता है और उन के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बिल के ज़रिये या प्रान्तीय सरकारों को लिख कर इन यूनियन्ज़ को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

जहां तक इस बिल की क्लासिज़ का ताल्लुक है, मैं यह कहना चाहता हूं कि चैप्टर ४ में, जो कि वैलफ़ेयर एंड हैल्थ के बारे में है, यह व्यवस्था की गई है कि जब तक काम करने वाला

†मूल अंग्रेज़ी में

[सरदार अ० सिं० सहगल]

आदमी सर्टिफ़िकेट नहीं ले लेता है, तब तक उस को काम में नहीं लिया जायगा । यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ़ से जो डाक्टर रहेगा, उस का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह किसी इनफ्लुएन्स में न आये और ठीक तरह के सर्टिफ़िकेट उन लोगों को दे ।

चैप्टर ५ में आवर्ज़ एंड लिमिटेशन्ज़ आफ़ एम्पलायमेंट के बारे में लिखा है :—

"किसी एक दिन में १२ घण्टे से अधिक नहीं होगी और चार सप्ताहों में २५२ घंटे से अधिक नहीं होगी ।"

यह ठीक है, लेकिन इस के साथ ही साथ जो आदमी काम करने जाता है, उस को यह देख लेना चाहिए कि जिस गाड़ी को ले कर वह जा रहा है, वह ठीक हालत में है या नहीं । यह भी उस का कर्तव्य हो जाता है । यदि उस को इस विषय में सर्टिफ़िकेट नहीं मिलता है कि गाड़ी ठीक हालत में है, तो उस को कभी भी उस गाड़ी को सड़क पर चलाने के लिए नहीं देना चाहिए । होता क्या है कि मालिक लोग उस को कह देते हैं कि गाड़ी ले कर जाओ और वह गाड़ी ले कर चला जाता है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि वह गाड़ी ठीक तरह से चल सकेगी या नहीं । मालिकों को तो सिर्फ पैसा कमाने की गर्ज़ होती है और उस गर्ज़ से वह इस तरह का काम करते हैं । हम को विचार करना चाहिए कि इस चीज़ को किस तरह से रोका जा सकता है ।

हमारे यहां मोटर-गाड़ियों और खासकर सामान ढोने वाली गाड़ियों का बहुत ज्यादा नुक्सान होता है । उस का सिर्फ एक कारण है और वह यह कि ड्राइवर कोई थोड़ी चीज़ ले लेते हैं और उस के नशे में वे गाड़ी ले जाते हैं । इस बारे में डाक्टर का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए और इस तरह के लोगों को कभी भी गाड़ी ले जाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उन के कारण पैसेंजर्ज़ और माल ढोने वाली गाड़ियों को बहुत नुक्सान होता है। वे जा कर कहां गिरते हैं, इस बारे में मैं क्या अर्ज़ करूं । इसलिए यह जरूरी है कि इन सब बातों की हम व्यवस्था करें । अगर वहां काम करने वाले लोग व्यवस्थित रूप से काम करें, तो यह नुक्सान नहीं हो सकता है ।

गाड़ियों में मीटर न होने के कारण ड्राइवर जितनी तेज़ी से चाहे, गाड़ी ले जाते हैं । इसलिए उन में ठीक और पक्का मीटर होना चाहिए, जिस से वे गाड़ी की रफ़्तार ज्यादा न बढ़ा सकें ।

जहां तक चैप्टर ७ में वेजिज़ एण्ड लीव का सवाल है, मैं कहूंगा कि कानून के ज़रिये क्लीनर्ज़, ड्राइवर्ज़ और चैकर्ज़ वगैरह की तन्ख्वाह के बारे में हर जगह के लिए कायदे बनाये जाने चाहिएं । अभी थोड़े रोज़ का वाकया है कि करीब करीब महीने पर तक की हड़ताल खास-कर मेरे जिले में चली और बड़ी मुश्किल से, कमिश्नर के इन्टरवीन करने पर, वायेबल यूनिट के लोग आ कर काम्प्रोमाइस कर सके । हम उन की हालत को देखते थे, हम बात करते थे, लेकिन कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं था । अपने यहां के कमिश्नर महोदय को हम ने सारी बातें बताईं, तो उन्होंने अपनी राय उन लोगों के बारे में दी और कहा कि यह मेरी राय है और मेरी राय के मुताबिक आप को इस मामले को तय करना चाहिए । यदि अफ़सर अच्छा है, तो मामला ज़रूर तय हो जाता है, लेकिन अगर अफ़सर वायेबल यूनिट्स का साथ दे, तो वह कभी भी फ़ैसला नहीं होने देगा और ग़रीब आदमियों को देखने वाला कोई नहीं होगा ।

अन्त में यह कह कर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं कि को-आपरेटिव संस्थाओं की हम को मदद करनी चाहिए और उन को प्रोत्साहन देना चाहिए ।

†श्री क० ड० परमार (अहमदाबाद–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इसकी आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी। मैंने देखा है कि परिवहन कर्मचारियों का शोषण किया जाता है उन्हें १३ और १५ घण्टे प्रति दिन काम करना पड़ता है। इसी कारण दुर्घटनायें भी होती हैं।

दूसरी बात यह है कि उनके लिये ३० रुपया का न्यूनतम वेतन कम होगा। इससे उन्हें संतोष नहीं हो सकेगा।

इस विधेयक के लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। संयुक्त समिति में मैं इन सब बातों को स्पष्ट करूंगा।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर): सभापति महोदय, जो बिल इस समय सदन के सामने है उसका चारों तरफ से अभिनंदन और स्वागत हुआ है। देश में मोटरों से दिन प्रति दिन बढ़ रही यात्रियों की संख्या को देखते हुए इस बिल की बहुत आवश्यकता थी और इसको आना ही चाहिये था और इसको सदन को स्वीकार भी करना चाहिये था।

इस बिल में काम के बारे में, ओवर टाइम के बारे में जो व्यवस्थायें की गई हैं तथा जो सहूलियतें दी गई हैं, वे स्वागत योग्य हैं। लेकिन एक प्रश्न के उत्तर में हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जो कुछ बताया था उसकी चर्चा मैं यहां पर करना चाहता हूं। उन्होंने बताया था कि जिन पर यह लागू है उन पर लागू रहेगा। लेकिन मुझे कुछ थोड़ा सा सन्देह हो गया है इस बिल की क्लाज ४० को देखने से। इस क्लाज की सब-क्लाज २ में कुछ एग्जेम्पशंस दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी ट्रांसपोर्ट कम्पनी को इसकी परिधि से बाहर रख सकती है। इस बिल के पास हो जाने के बाद तथा इसके एक्ट बन जाने के बाद जो अधिनियम बनेंगे उनमें वह एग्जेम्पशन दे सकती है। इसमें लिखा हुआ है कि उप-धारा (१) के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार किन्हीं नियोजकों को इस अधिनियम के उपबन्धों से या उनके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों से मुक्त कर सकेगी।

इसका मतलब यह हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि वह किसी को एग्जेम्पशन दे दे। आप जानते ही हैं, सभापति महोदय, कि मोस्टली स्टेट ट्रांस्पोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में है। अब इस बिल के पास हो जाने के बाद कोई भी स्टेट गवर्नमेंट यह कह सकती है कि स्टेट की जो बसें हैं और उन में जो लोग काम करते हैं उन पर इसको लागू कर सकना इतना सम्भव नहीं है जितना कि प्राइवेट सैक्टर में सम्भव है, इस वास्ते उस पर यह लागू नहीं होगा। यह बात नहीं होनी चाहिये। यदि इसको लाग करना है तो सभी पर लागू करना चाहिये और अगर लागू नहीं करना है तो किसी पर भी लागू नहीं करना चाहिये। आप जो काम के घंटों के बारे में सहूलियतें दे रहे हैं, छुट्टी के मामले में सहूलियतें दे रहे हैं, ओवर-टाइम के बारे में सहूलियतें दे रहे हैं, उन से किसी को भी महरूम नहीं किया जाना चाहिये। यह बिल प्रवर समिति के पास जा रहा है और मैं प्रवर समिति से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विचार करे और देखे कि कोई ऐसा लैकुना तो नहीं बचा रह गया है जिसके जरिये से किसी एक विशेष समुदाय को इसके लाभों से वंचित रखा जा सकता है। जो लाभ आप देने जा रहे हैं वे सभी को मिलने चाहियें।

शुरू में ही जब मैंने दफा ३ को देखा तो उसके अन्दर भी मुझे कुछ गोलमाल सा ही दिखाई दिया है। इसमें कहा गया है कि जो एम्पलायर है वह रजिस्ट्रेशन के लिए एप्ल ई करेगा। अब सरकार भी एम्प्लायर है और वह भी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लाई करे, कैसे करेगी इसका

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सिंहासन सिंह]

कुछ पता नहीं। जो मौजूदा कानून है उसके अन्दर मुझे मालूम नहीं क्या होता है। जो बसें स्टेट चलाती है उनके बारे में जो रिजनल ट्रांस्पोर्ट आफिसर्स हैं, उनकी स्वीकृति लेती है या नहीं लेती है . . .

श्री आबिद अली : लेती है।

श्री सिंहासन सिंह : लेती है तो अच्छी बात है मगर उनके बारे में जो परमिट सिस्टम होता है, वह कुछ थोड़ा बहुत अलग तरह का होता है। अब जब आप एक नियम बना रहे हैं तो वह सभी पर एक सा ही लागू होना चाहिये। इसमें इस तरह से अगर लिख दिया जाय कि एम्पलायर मींस दी स्टेट आल्सो नाट ओनली दी प्राइवट कंसर्न तो अच्छा रहेगा। एम्पलायर की परिभाषा को इस तरह से अगर बढ़ा दिया जाय कि स्टेट भी उसमें आ जाय और किसी तरह की किसी को एग्ज़ेम्पशन न मिले तब तो इसका सार्वभौमिक रूप हो सकता है, अन्यथा इससे लाभ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर विचार कर लिया जाये।

आपने इस में घंटों के बारे में कुछ लिखा है कि इतने घंटे उनसे काम लेना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इसी तरह से यह भी लिख दिया जाये कि इस रफ्तार से तेज़ रफ्तार पर वे गाड़ी को नहीं चला सकते हैं तो अच्छा होगा। अक्सर देखा गया है कि रात के वक्त वे बहुत तेज़ चलाते हैं और इससे कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। हम लोग जब कोल माइंस का दौरा कर रहे थे उस वक्त हम ने कई गाड़ियां उलटी हुई देखी थीं, ट्रक्स उलटे हुए पड़े पाये थे। खास तौर पर हाईवेज़ जो हैं जैसे ग्रांड ट्रंक रोड है या दूसरी सड़कें हैं उन पर गाड़ियों को बहुत तेज ले जाया जाता है और इसके नतीजे के तौर पर टक्करें हो जाती हैं और गाड़ियां उलट जाती हैं। हमें देखना चाहिये कि हर गाड़ी में रफ्तार दिखाने वाला मीटर लगा हो और यह भी देखना चाहिये कि जो रफ्तार मुकर्रर हो उससे तेज़ रफ्तार पर वे न चलें। कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं रहनी चाहिये जिसके अन्दर रफ्तार जो अधिक से अधिक हो सकती है, वह मुकर्रर न हो। अगर ऐसा किया गया तो जो इस तरह की एक्सीडेंट्स की घटनायें हो जाती हैं, वे बहुत कम हो जायेंगी।

इसके बारे में मैं दो तीन चीजें अर्ज़ करना चाहता हूं। देखा गया है कि अगर कोई गाड़ी उलटी पड़ी हुई होती है तो उसको देखने वाला कोई नहीं होता है। यह भी हमें बताया गया है कि रात के वक्त ट्रकों इत्यादि को ड्राइवर खूब तेज़ चलाते हैं और पी कर के चलाते हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि देखा जाये कि कोई भी ड्राइवर पी करके गाड़ी न चलाये। ज्यादातर एक्सीडेंट इसी कारण से होते हैं कि ड्राइवर पी कर गाड़ियां चलाते हैं और उनको पता नहीं होता कि किस स्पीड पर गाड़ी जा रही है . . .

चौ० रणवीर सिंह : ठंडी हवा लगती है।

श्री सिंहासन सिंह : यह बात भी ठीक है। लेकिन जब वे तेज़ी से चलाते हैं तो उनको पता भी नहीं रहता है कि सामने कौन है और इस तरह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि कोई ऐसा भी प्राविज़न इसमें होना चाहिये कि अगर कोई पी करके चलाये तो उसको पैनेलटी होगी, दण्ड मिलेगा। प्रायः देखा गया है कि जो पी कर चलाते हैं वे रात के समय ही चलते हैं। हो सकता है कि उससे उनको दम आता हो लेकिन इस तरह की कोई भी दलील कोई वज़न नहीं रखती है। आप ने इसमें कहा कि एक वक्त में वह पांच घंटे लगातार काम नहीं

करेगा और उसके बाद कुछ और कर चुकने के बाद या आराम कर चुकने के बाद उससे आठ घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है। लेकिन इस के साथ ही साथ इस में आपको इस चीज़ को भी रखना चाहिये कि वह पी कर न चलायें।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और प्रवर समिति से प्रार्थना करता हूं कि वह इस सदन को इस बिल को इस रूप में वापिस भेजे जिस से बस रखने वालों का, चढ़ने वालों का, मुसाफिरों का, बसों में काम करने वालों का हित हो, सब को सहूलियतें पहुंचें, सब को आराम पहुंचे और जो मुसाफिर उनमें सफर करता है उसको इसकी तसल्ली हो कि वह सही सलामत अपने डैस्टिनेशन पर पहुंच जायेगा और किसी के नशे के कारण उसका जीवन खतरे में नहीं पड़ेगा।

श्री प० ला० बारूपाल (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, जो विधेयक इस समय विचाराधीन है, यह बहुत ही अच्छा विधेयक है और इसका स्वागत किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं एक दो सुझाव देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि ये जो मोटर गाड़ियां हैं ये राष्ट्र की सम्पत्ति हैं। मुझ से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिये हैं और मैं चाहता हूं कि उन पर विचार हो लेकिन मेरा जो सुझाव है वह दूसरा ही है। मैं आपके द्वारा या केन्द्रीय सरकार के द्वारा राज्य सरकारों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि चूंकि आज बस की या ट्रक की कीमत कम से कम ४० हज़ार या ५० हज़ार या ६० हज़ार है तो ऐसा कोई भी काम नहीं होने दिया जाना चाहिये जिससे वह जल्दी ही खराब हो जाये, उसको जल्दी ही क्षति पहुंचे। इतनी भारी कीमत लगा करके जिस रूट पर वे बस को चलाते हैं, गवर्नमेंट के टैक्स भरते हैं तो यह तो देखा जाना चाहिये कि सड़क ठीक ठाक हो। यह बात अलग है कि उनको बस लाइसेंस या रूट परमिट लेने में कितनी दिक्कत होती और इसमें उनको कितना खर्चा करना पड़ता है। इस बात को लेने वाला और देने वाला ही जानता है कि कैसी रिश्वतखोरी चलती है। रूट पर जो बस चलती है उस वक्त देखा जाता है कि जो सड़क होती है वह इतनी खराब होती है कि एक ही साल के अन्दर वह ५० हज़ार की बस बैठ जाती है और किसी काम की नहीं रहती। जब सरकार इतने उनसे टैक्स लेती है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि जिस सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, उस सड़क को अच्छी हालत में क्यों नहीं रखा जाता है। वह सड़क तो बहुत अच्छी होनी चाहिये। पहले तो रोड पर पैसा खर्च नहीं किया जाता है और अगर किसी तरह से खर्च किया भी जाता है और वह बननी शुरू हो जाती है तो प्रायः देखा गया है कि एक तरफ तो वह बनती जाती है और दूसरी तरफ टूटती जाती है। गो इसका विचाराधीन विषय से सीधा सम्बन्ध नहीं है लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि जब मोटर मालिक रोता है कि उसके टैक्स अदा कर देने के बाद भी रोड बनती नहीं है . . . . .

†**सभापति महोदय** : इस विधेयक का सड़कों की हालत से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री प० ला० बारूपाल : मैं भी समझता हूं कि यह विषयान्तर बात है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस पर विचार होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जैसा हमारे माननीय सदस्य श्री सिंहासन सिंह जी ने कहा कि जब ड्राइवर लोग गाड़ी चलाते हैं तो चूंकि वे होश में नहीं होते हैं इस वास्ते बहुत से एक्सीडेंट हो जाते हैं और इसकी जांच होनी चाहिये। जब ड्राइवर पी कर चलाते हैं तो मस्ती में वे चलाते हैं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प० ला० बारूपाल]

और उनको पता नहीं रहता है कि कितनी रफ्तार से गाड़ी जा रही है किधर जा रही है और किधर नहीं जा रही है और इसका नतीजा यह होता है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसके बारे में गवर्नमेंट को उचित कदम उठाने चाहियें और देखना चाहिये कि वे ऐसा न कर सकें।

जब लाइसेंस दिये जाते हैं तो प्रायः देखा गया है कि जिस के पास दस लाइसेंस हैं उसको पंद्रह दे दिये जाते हैं और जिस के पास एक भी नहीं है उसकी कोई परवा नहीं की जाती है। उसने क्या कसूर किया है कि उसको एक भी लाइसेंस नहीं दिया जाता है। एक को २० या २५ लाइसेंस दे देना और दूसरे को एक भी नहीं देना उचित नहीं है। जिन के पास कोई धंधा नहीं है अगर वे कोआपरेटिव सोसाइटी बना कर लाइसेंस मांगते हैं तो उनको पहले लाइसेंस दिये जाने चाहिए। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज का विशेषकर ध्यान रखा जाये।

एक यह भी बात है कि जो चैकर्स होते हैं, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वे भी इनको बहुत कुछ कोरप्शन की ओर ले जाते हैं उन पर भी नजर रखी जानी चाहिये। जब ये बसों वाले कोई अपराध करते हैं तो ये लोग खा पी कर उनको माफ कर देते हैं। सवारियां ज्यादा बिठा लेते हैं, भेड़ों की तरह उनको बसों में भर लेते हैं और जब चैकर आता है तो उसको ये कुछ दे देते हैं और वह इनको छोड़ देता है। ऐसा नहीं होना चाहिये। यह भी देखा गया है कि जो टिकट दिये जाते हैं उन पर सही नम्बर नहीं होते हैं और उसके अन्दर भी गोलमाल चलता है, इसको भी रोका जाना चाहिये।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो रोड्स हैं उनको सही हालत में रखा जाना चाहिये ताकि बसें जल्दी खराब न हो जाया करें।

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) : सभापति महोदय, इस बिल का मैं भी समर्थन करता हूं। एक बात जो इस में नहीं की गई, मैं उस की ओर माननीय मंत्री महोदय का और ज्वायंट कमेटी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मोटर ट्रांस्पोर्ट वर्कर्स के लिये जितनी अच्छी बातें इस में रखी गई हैं उन में एक और बात की व्यवस्था कर दी जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। अपनी सारी जिन्दगी मोटर ट्रांस्पोर्ट में काम करने के बाद बुढ़ापे में जब कोई आदमी रिटायर हो तो उसके लिये भी प्राविडेंट फंड की व्यवस्था होनी चाहिये जैसे कि अंडरटेकिंग्स में है। इस विधेयक में इस की व्यवस्था नहीं की गई।

श्री आबिद अली : इसमें नहीं है, लेकिन व्यवस्था है।

श्री राधे लाल व्यास : उसका जिक्र इस में भी आना चाहिये।

श्री आबिद अली : जरूरत नहीं है। प्राविडेंट फंड ऐक्ट के लिहाज से वह ले सकता है।

श्री राधे लाल व्यास : लेकिन उस पर अब तक अमल नहीं हो रहा है।

श्री आबिद अली : हो रहा है।

श्री राधे लाल व्यास : नौकरों के लिये मैंने देखा है कि कहीं भी प्राविडेंट फण्ड नहीं है, कोई भी उनको देने वाला नहीं है। अगर प्राविडेंट फण्ड एक्ट लागू हो गया है तो यह देखना चाहिये कि जब मोटर ट्रांसपोर्ट में सर्विस करने वाले आदमियों के लिये जो व्यवस्था है उस पर अगर अमल नहीं होता है तो शासन ध्यान दे और जो भी अमल नहीं कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाय।

दूसरी बात जो मुझे निवेदन करनी थी वह यह है कि इसमें आपने हर एक आदमी को अधिकार तो दे दिया है कि जिसके यहां चाहे एप्लिेशन दे सकता है, लेकिन होता क्या है ? मैं आपको अपने यहां की बात बतलाऊं। एप्लिकेशन देने के लिये बहुत बड़े क्षेत्र में केवल एक शहर रहता है। जैसे हमारे यहां इन्दौर को ले लीजिये। अगर किसी को दरख्वास्त देनी हो तो डेढ़ सौ मील चल कर वहां जाये। उसके बाद जब लाइसेंस मंजूर हो जाय तो उसको लेने के लिये जाये, अगर लाइसेंस की फीस भी जमा करानी हो तो भी इन्दौर जाय। वह रतलाम, शाजापुर या उज्जैन में जमा नहीं करा सकता। इसके लिये जो रूल्स बनाये जायेंगे उनमें ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे कि लोगों को तकलीफ न हो जो भी रुपया जमा कराना हो वह आसानी से किसी भी खजाने में जमा हो जाय और कलेक्टर की मार्फत दरख्वास्त चली जाया करे। इस की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये। हर एक केन्द्र पर लोगों को शिकायत है कि पैसा बहुत खर्च होता है। न सिर्फ खर्च ही बहुत होता है बल्कि दिक्कत भी बहुत होती है और उसके बाद भी यह आशा नहीं की जा सकती कि एक या दो दिन में काम हो जायेगा। इस सम्बन्ध में रूल बनाया जाना चाहिये कि वह अथारिटी के पास तो जायें लेकिन उसके साथ दरख्वास्त देने, पैसा जमा कराने और लाइसेंस को प्राप्त करने की सहूलियतें मिलें। जहां का भी रहने वाला कोई आदमी हो वहां की जो सरकारी चैनेल हो उसकी मार्फत दरख्वास्त पहुंचा सके और लाइसेंस प्राप्त कर सके।

ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर (अमृतसर) : सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मुझे बड़ी खुशी है कि यह ऐक्ट पार्लियामेंट में वर्कर्स के सम्बन्ध में पास हो रहा है। इसकी बड़ी जरूरत थी और मैं इस का हर लिहाज से समर्थन करता हूं।

मैं इसके सम्बन्ध में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जिस कम्पनी में १० वर्कर्स हैं उनको तो सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करेगी और जिनमें पांच वर्कर्स हैं उन को स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करेगी। लेकिन ऐसा भी है कि बहुत सी कम्पनियों में एक या दो आदमियों से ज्यादा नहीं रहते। बेहतर यह होगा कि जिन में दो या तीन आदमी ही हों उनको ही परमिशन दी जाय ताकि वह अच्छी तरह से अपना काम चला सकें। हम यह भी देखते हैं कि वर्कर्स की सहूलियत के लिये कानून पास किया जा रहा है, सब बातें की जा रही हैं। हर एक बात का ख्याल किया जा रहा है, उनकी छुट्टियों, टाइम वगैरह, सब पर ध्यान दिया जा रहा है तब जो टैक्सी, ट्रक्स या स्कूटर वगैरह की परमिशन दी जाय वह अगर वर्कर्स को दी जाय तो ज्यादा अच्छा है। उनकी अच्छी तरह से जांच कर ली जाय कि वह अच्छी तरह से चलाना जानते हैं या नहीं, और उनके पास लाइसेंस हो, तो उनका खयाल रक्खा जाय। बजाय इसके कि वह किसी और का काम करें खुद अपना काम करें। अगर उन लोगों को परमिशन दी जाय तो इससे जो दूसरे ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं, जो कि इस काम में दिलचस्पी रखते हैं, वह अपना काम और अच्छा कर सकते हैं और उसके जरिये ट्रांसपोर्ट को और अच्छा बना सकते हैं।

मुझे इसके मुताल्लिक सिर्फ यही बात कहनी थी और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

†**श्री आबिद अली** : मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने इस विवाद में भाग लेकर लाभदायक सुझाव दिये हैं। यह भी बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस विधेयक का समर्थन सभा के लगभग सभी पक्षों ने किया है। विरोधी पक्ष ने जो थोड़ी बहुत आलोचना की है वह शायद औपचारिक प्रकार की ही है। वाद विवाद के दौरान बाद में बोलने वाले कुछ माननीय सदस्य यदि विधेयक के उपबन्धों को और ध्यान से देखने का प्रयत्न करते तो सम्भवतया वह हम कुछ लाभदायक सुझाव दे सकते थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आबिद अली]

सम्भवतया वह यह समझते थे कि हम लाइसेंसिंग प्रक्रिया, यात्रियों की संख्या आदि के बारे में मोटर परिवहन अधिनियम मे संशोधन करना चाहते हैं। किन्तु यह विधेयक मोटर परिवहन उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा की दशा के सम्बन्ध में है और मोटर गाड़ी आदि की लाइसेंसिंग प्रक्रिया अथवा उससे सम्बन्धित मामलों के बारे में नहीं है।

राजस्थान के माननीय सदस्य तथा पूर्व खान देश के मित्र, श्री भरूचा ने न्यूनतम मजूरी के बारे में प्रश्न पूछे। मैं बताना चाहता हूं कि इस उद्योग में लगे हुए कर्मचारियों पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू है। माननीय सदस्य जानते हैं कि समय समय पर इस मजूरी में संशोधन किया जाता है।

मैं मानता हूं कि इसमें पर्याप्त विलम्ब हुआ है परन्तु साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिये कि देश में यह इस प्रकार का पहला विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसी कारण इस पर कई समितियों, जैसे त्रि-दलीय समिति, विशेष समिति, प्रविधिक समिति आदि द्वारा विचार किया जाना जरूरी था। यदि माननीय सदस्य इस तथ्य पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से यही कहेंगे कि कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

मैं यह भी चाहता हूं कि इस विधेयक को दोनों सभा जल्दी से जल्दी पारित कर दें और इसे अधिनियम बना दिया जाये। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि प्रस्ताव में दी गई तिथि में कोई परिवर्तन किया जाये। यदि माननीय सदस्य भी इसको शीघ्र अधिनियम बनाने के लिये उत्सुक हों तो वह संयुक्त समिति में इस पर शीघ्रता से विचार कर सकते हैं और इस सत्र में ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते है। यह उनकी इच्छा पर है। यदि चालू सत्र में ही यह विधेयक दोनों सभाओं में पारित हो जाये तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी।

एक शिकायत यह की गई है कि इसको जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू करने का कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह विधेयक संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और संविधान के अनुसार समवर्ती सूची की मद से सम्बन्धित कोई विधान जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जान बूझ कर जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर इसको लागू न करना चाहते हों।

पंजाब के माननीय मित्र ने कहा कि दस कर्मचारियों वाली संस्थाओं पर केन्द्र का तथा पांच कर्मचारियों वाली संस्थाओं पर राज्यों का नियन्त्रण होगा। मैं बताना चाहता हूं कि जब इस विधेयक को अधिनियम बना दिया जायेगा उस समय इन सभी संस्थाओं पर राज्य सरकारों का ही नियन्त्रण रहेगा। सभी राज्यो को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह चाहें तो इसको पांच कर्मचारियों वाली संस्था तक पर लागू कर सकते हैं।

एक बात यह कही गई है कि जिस व्यक्ति के पास एक मोटर हो तब क्या होगा। यदि कर्मचारी पांच से कम हों तो वे इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आयेंगे। जिन मालिकों के यहां पांच से कम कर्मचारी हैं उनके बारे में कोई कठिनाई नही है।

एक प्रश्न यह उठाया गया कि राज्य सरकार छूट के खण्ड का लाभ उठा कर, स्वयं छूट ले सकती है। मैं समझता हूं कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिये। परन्तु यदि कोई सरकार इन खण्डों से छूट चाहेगी तो वह ऐसा अपनी विधान सभा में इस अधिनियम का संशोधन करके छूट ले सकती है। इसलिये इस खण्ड को निकाल देने से भी जो डर है वह दूर नहीं हो जाता; लेकिन इस प्रकार से सोचने की जरूरत नहीं है।

हमारा विचार है कि कन्डक्टरों को भी शामिल कर लिया जाये । परन्तु यदि हमें बताया गया कि कहीं पर कोई कमी है और कन्डक्टरों को इसमें शामिल नहीं किया गया है तो हम निश्चित रूप से ऐसा संशोधन कर देंगे जिससे कन्डक्टर शामिल हो जायें । कारखानों, गैराजों तथा अन्य स्थानों के कर्मचारियों पर कारखाना अधिनियम पहले ही लागू है ।

पंजाब तथा राजस्थान के माननीय सदस्यों ने भविष्य निधि का उल्लेख किया । परिवहन उद्योग में लगे हुए कर्मचारियों पर भविष्य निधि अधिनियम लागू कर दिया गया है और मालिकों तथा कर्मचारियों से अब भी भविष्य निधि में अंशदान लिया जा रहा है । यदि माननीय सदस्यों को इसके बारे में कुछ पता हो कि कहीं पर परिवहन उद्योग के कर्मचारियों से भविष्य निधि के लिये अंशदान नहीं लिया जा रहा है तो वे हमें बतायें; हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे ।

भाषणों के दौरान में न्यूनतम मजूरी का भी जिक्र किया गया है और मैंने माननीय सदस्यों के सुझावों को समझ लिया है । राज्य परिवहन उपक्रमों के कर्मचारी इसके अन्तर्गत आ जाते हैं । मेरा निवेदन है कि यदि हमें संयुक्त समिति में विचार के समय इसके सम्बन्ध में कोई गड़बड़ या कमी नजर आयेगी तो इसमें संशोधन कर दिया जायेगा । इसमें शंका की कोई बात नहीं है । राज्य परिवहन उपक्रमों के कर्मचारी इस विधान के अन्तर्गत अवश्य आ जायेगें ।

काम के घण्टों के बारे में में मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि भारत में काम के घण्टे घटाये जाने के बजाये बढ़ाये जाने चाहियें । हमारे देश के लिये यह समय ऐसा है जब हमें अधिक काम करना चाहिये । मोटर परिवहन उद्योग में आप देखिये कि मोटरों के मूल्य बढ़ गये हैं, मरम्मत तथा चालन लागत बढ़ गई है मजूरी भी बढ़ गई है । इस हालत में यदि काम के घंटे कम कर दिये जायें तो काम करने के लिये अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी और ऐसा करना यात्रियों के हित में नहीं होगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यह सरकार की राय है अथवा आपकी राय है ।

†**आबिद अली** : मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि हमारे देश में काम के घण्टे बढ़ने चाहियें । अनुचित बातों के बारे में कुछ कहा गया । बम्बई में जब राज्य परिवहन निगम ने गैर-सरकारी गाड़ियों को लिया था उस समय निगम ने जो मजूरी निश्चित की थी वह मजूरी गैर सरकारी परिवहन चालकों द्वारा दी जाने वाली मजूरी से कम नही थी । कई मामलों में तो यह तिगुनी कर दी गई थी । यह कहा गया था कि जिन राज्यों में इस उद्योग का प्रशासन राज्यों के हाथ में है वहां पर राज्यों ने अपनी शक्तियों का अनुचित लाभ उठाया है और कर्मचारियों को उचित वेतन नहीं दिये हैं । तथ्यों के तथा आंकड़ों के आधार पर यह आरोप ठीक नहीं है ।

एक माननीय सदस्य ने पहाड़ों पर चलने वाली गाड़ियों का जिक्र किया । मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर काम दुर्घटनायें होती हैं; पहाड़ों पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर बड़े अनुभवी तथा होशियार होते हैं ।

मैं मानता हूं कि दुर्घटनायें होती । परन्तु दुर्घटनायें तो सभी स्थानों पर होती हैं । यों ही घूमते हुए भी आदमी गिर पड़ता है; तो यह भी एक दुर्घटना हुई । दुर्घटनायें तभी समाप्त हो सकती हैं जब गाड़ियां चलना ही एक दम बन्द हो जायें । मेरा कहना तो यह है कि पहाड़ों में दुर्घटनायें बहुत कम होती हैं ।

मेरे मित्र श्री नौशीर भरूचा ने बम्बई के सम्बन्ध में बताया । यह सच है कि मेरा उनका सम्बन्ध बी० ई० एस० टी० से बहुत दिनों तक रहा है, उनका नियोजक के रूप में और मेरा कर्मचारी के रूप

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आबिद अली]

में। उन्हें तथा मुझे दोनों को दो मंजिली बसों के चलाये जाने का अनुभव है। यह बड़ा कठिन काम होता है। हमारे बम्बई के ड्राइवर बड़े होशियार हैं और इसीलिये वहां पर बहुत कम दुर्घटनायें होती हैं। उनकी सेवा का रिकार्ड बहुत अच्छा है। और उनको इसी कारण पैसे का भी कुछ लाभ हो जाता है क्योंकि अब ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि जिसके रिकार्ड में लिखा होगा कि उसने कोई दुर्घटना नहीं की है तो उसको इसके लिये बोनस दिया जायेगा। पहले उन्हें दुर्घटना न करने पर चार या पांच तक बैज दिये जाते थे।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि घाटों पर रात्रि में गाड़ी चलाना बन्द कर दिया गया है। परन्तु मेरी सूचना के अनुसार बम्बई-पूना सड़क पर से यह प्रतिबन्ध हटा दिया गया है। कर्मचारियों की सहकारी समितियों को बड़ा प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे कर्मचारी सहकारी संगठन बनायें।

†**श्री ब्रज राज सिंह** (फिरोज़ाबाद) : इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है।

†**श्री आबिद अली** : हमने भी बहुत कुछ किया है; माननीय सदस्य को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि बम्बई नगर में वही व्यक्ति टैक्सी रख सकता है जो स्वयं ड्राइवर हो।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : आप समस्त भारत के लिये मन्त्री हैं अथवा केवल बम्बई के लिये ?

†**श्री आबिद अली** : दिल्ली में भी रिक्शावालों ने अपनी सहकारी संस्थायें बना रखी है। सम्भवतया माननीय सदस्य को यह पता नहीं है।

राष्ट्रीयकरण के मामले में भी समस्त देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूं मैंने माननीय सदस्यों के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है उन सभी पर संयुक्त समिति में विचार किया जायेगा।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि मोटर परिवहन कर्मचारियों के कल्याण की व्यवस्था करने तथा उनके काम की दशा को विनियमित करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें ३० सदस्य अर्थात् श्री भोगजी भाई, चौ० ब्रह्म प्रकाश, श्री कमल कृष्ण दास, श्री रामधनी दास, श्री लालजीभाई को याभाई डिन्डोड, श्री मूलचन्द दुबे, श्री इलया पेरूमाल, श्री नारायण गणेश गोरे, श्री अन्सार हरवानी, श्रीमती पार्वती कृष्णन्, डा० मेलकोटे, श्री वेंकटराव, श्री निवासराव, नलदुर्गकर, श्री पलनियाण्डी, श्री काशीनाथ पाण्डे, श्री पन्नालाल, श्री करसनदास परमार, श्री बाला साहेब पाटिल, श्री पु० रामस्वामी, श्री रामगरीब, श्री रामशंकर लाल, श्री त० ब० विट्ठल राव श्री विश्वनाथ राय, श्री साधूराम, श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री ब्रजराज सिंह, श्री बनारसी प्रसाद सिंह, श्री श्रद्धाकर सूपकार, श्री मिसुला सूर्य नारायण मूर्ति, श्री रामसिंह भाई वर्मा, श्री गुलजारी लाल नन्दा इस सभा के हों और १५ सदस्य राज्य-सभा के हों;

कि समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होगी;

---

†मूल अंग्रेजी में

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के पहले दिन तक अपना प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों तथा रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें; और

कि यह सभा, राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा अपने द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम लोक-सभा को बताये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

त्रिपुरा नगरपालिका विधि (निरसन) विधेयक

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि त्रिपुरा के संघ राज्य-क्षेत्र में लागू नगरपालिका विधि का निरसन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक में कोई भी पेचीदगी नहीं है। मैं आपको इस विधेयक की पृष्ठभूमि संक्षेप में बताता हूं। सभा को मालूम है कि त्रिपुरा नगरपालिका अधिनियम, १३४९ टी० ई० (१९३९) भूतपूर्व महाराजा के शासनकाल में अधिनियमित किया गया था और उसी के अन्तर्गत अगरताला नगरपालिका समिति गठित की गई थी। उस अधिनियम के समय अगरताला इस राज्य (जो अब संघ राज्य क्षेत्र है) का मुख्य नगर होते हुए भी आकार में काफ़ी छोटा था। उसके बाद से इस नगर की जनसंख्या और इसका व्यापार काफी फैल गया है और अभी फैलता ही जा रहा है। इसलिये अब पहले का त्रिपुरा नगरपालिका अधिनियम इस आधुनिक नगर की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पता।

त्रिपुरा नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत करारोपण की शक्तियां, अत्यन्त सीमित हैं और उसमें गो गो के मूल्यांकन का तरीका भी बड़ा त्रुटिपूर्ण है। यहां तक कि अधिनियम में सड़कों पर रोशनी और जल सम्भरण, इत्यादि के लिये कर लगाने की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसके अन्तर्गत तो अगरताला नगरपालिका समिति नगरपालिका की भूमि पर होने वाले अनधिकृत कब्जे को भी नहीं हटा सकती।

अगरताला नगरपालिका समिति का खर्च उसकी अपनी आय से पूरा नहीं हो पाता। वह अपनी वर्तमान आय केवल पर अपना आय-व्ययक नहीं बना सकती। वित्तीय दृष्टि से उसकी हालत नाजुक है। इसीलिये उसे केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से अपना काम चलाना पड़ता है।

चूंकि वर्तमान नगरपालिका अधिनियम नगर की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाता और चुनाव के सम्बन्ध में भी उसकी व्यवस्था स्पष्ट नहीं है, इसीलिये अगरताला की जनता एक अर्से से एक अधिक प्रगतिशील नगरपालिका विधि लागू कराने की मांग कर रही है। अभी कुछ साल पहले अगरताला नगरपालिका समिति के सभी आयुक्तों ने एक साथ त्यागपत्र दे दिया था। तब से समिति का प्रशासन त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त के हाथ में है।

ऐसी परिस्थिति के कारण, हमने यही ठीक समझा है कि पहले के उस अधिनियम को निरसित कर दिया जाये और वहां बंगाल नगरपालिका अधिनियम, १९३२ (१९३२ का बंगाल अधिनियम १५) लागू कर दिया जाये, जो उससे कहीं अधिक पूर्ण है।

[श्री करमरकर]

संघ राज्य क्षेत्र (विधियां) अधिनियम, १९५० की धारा २ के अनुसार, एक अधिसूचना द्वारा किसी भी राज्य में प्रवृत अधिनियमन को संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तारित किया जा सकता है, लेकिन उसके स्थान पर संघ राज्य क्षेत्र में पहले से प्रवृत विधि को अधिसूचना द्वारा निरसित नहीं किया जा सकता। इसीलिये इस विधेयक में व्यवस्था की गई है कि बंगाल नगरपालिका अधिनियम, १९३२ जिस तिथि से त्रिपुरा में लागू किया जायेगा, उसी तिथि को त्रिपुरा राज्य नगरपालिका अधिनियम १३४९ टी० ई० निरसित हो जायेगा।

इसमें कोई विवादग्रस्त बात नहीं है। आशा है कि इस पर कोई अधिक चर्चा हुए बिना ही सभा इसे स्वीकृत कर देगी।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। कोई सदस्य इस पर नहीं बोल रहे हैं; इसलिये मैं इसे मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्र में लागू नगरपालिका विधि का निरसन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : अब सभा इस पर खण्डवार विचार करेगी। मैं सभी खण्डों को एक साथ लेता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ और ३, खण्ड १, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ और ३ खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री करमरकर** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]।

धार्मिक न्यास विधेयक

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कुछ धार्मिक न्यासों के अधिक अच्छी निरीक्षण तथा प्रबन्ध का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये

---

†मूल अंग्रेजी में

जिस में ३० सदस्य अर्थात् मैं उन के नाम बाद में बता दूंगा ।"

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है ; क्या प्रस्तावित संयुक्त समिति के सदस्यों के नाम बाद में देना प्रक्रिया के अनुकूल होगा ?

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : कोई भी प्रस्ताव बिना नामों के पूर्ण नहीं हो सकता ।

†**सभापति महोदय** : भाषण समाप्त होने से पहले नाम बता दिये जायेंगे ।

†**श्री हजरनवीस** : ".....और १५ सदस्य राज्य-सभा के हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक-तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्त तक अपना प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें ; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफ़ारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा अपने द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम लोक सभा को बताये ।"

काफी दिनों से हमारे देश की जनता ने सभी ओर से मांग उठाई है कि धार्मिक न्यासों के रूप में प्रशासित विभिन्न न्यासों को सरकारी संविहित प्राधिकार द्वारा नियंत्रित करने और उन की निगरानी करने के लिये एक विधान बनाया जाना चाहिये ।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : एक औचित्य प्रश्न है । कार्य-सूची में कहा गया है कि प्रस्ताव करते समय सदस्यों के नाम बता दिये जायेंगे ।

†**श्री हजरनवीस** : मैं अभी प्रस्ताव कर ही रहा हूं । सदस्यों के नाम इस प्रकार है : श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्, श्री संबंदम, श्री तिरुमल राव, श्री वेंकटा सुब्बैया, श्री राधेलाल व्यास, श्री रा० स० तिवारी, श्री जगन्नाथ राव, श्री ओझा, श्री स्वामी, डा० पशुपति मंडल, श्रीमती मफीदा अहमद, श्री अजित सिंह सरहदी, श्री मा० ला० वर्मा, श्री च० कृ० नायर, श्री कृष्ण चन्द्र, श्री मानवेन्द्र शाह, श्री नरदेव स्नातक, श्री म० ना० सिंह, श्री भोली सरदार, श्री वोडयार, श्री वें० ईयाचरण, श्री चिन्तामणि पाणिग्रही, श्री साधन गुप्त, श्री प्रकाशवीर शास्त्री, पंडित ब्रजनारायण 'ब्रजेश', श्री शिवराज, श्री खुशवक्त राय, श्री रंगा, श्री अ० कु० सेन, श्री खाडिलकर और मैं स्वयं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या यह संख्या ३० है ?

†**श्री हजरनवीस** : मेरा ख्याल है कि ३० ही है ।

†**सभापति महोदय** : माननीय मंत्री को यह पहले देख लेना चाहिये ।

†**श्री हजरनवीस** : इस प्रकार के विधान की मांग काफी दिनों से उठ रही थी । इस विधेयक का यह मंशा बिलकुल नहीं है कि किसी भी ढंग से न्यासों के अपने प्रबन्ध में, उन की अन्दरूनी बातों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजरनवीस]

में हस्तक्षेप किया जाये । इस का मंशा केवल इतना है कि जब सार्वजनिक न्यास बता कर न्यासों के लिये कुछ अधिकारों और विशेषाधिकारों का दावा किया जाता है, तो फिर ऐसे न्यास को पंजीयित होना चाहिये और उन को सरकार के सामने घोषित करना चाहिये कि वे सार्वजनिक न्यास हैं । दूसरे यह कि इन न्यासों को अपने उद्देश्य भी लिखित रूप में रखने चाहियें । तीसरी बात यह कि इन न्यासों को समय-समय पर अपने लेखे सरकार के सामने रखने चाहियें । चौथे यह कि न्यासों की सम्पत्तियां और निधियां इतनी सुरक्षित रहनी चाहियें कि यदि उन के प्रबन्धक चाहें भी तो उस में कोई गोल-माल न कर सकें ।

धार्मिक और पूर्त न्यासों के अतिरिक्त, अन्य न्यासों की आय पर आयकर और दूसरे कर लगेंगे लेकिन धार्मिक और पूर्त न्यासों की आय और निधियों को, ऐसी निधियों को—जो धार्मिक और पूर्त कार्यों पर व्यय की जाने के लिये हों,—भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ४(३)(क) के अन्तर्गत करारोपण से विमुक्ति दी गई है । इस का मतलब यह है कि वे किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं होतीं । उन निधियों को उन कार्यों के लिये ही खर्च किया जा सकता है जिन के लिये वे रखी जाती हैं । धार्मिक तथा पूर्त न्यासों की आय का एक बड़ा भाग ऐसा होता है जो सरकारी कोष में जाता, यदि न्यासों को न दिया जाता ।

†**श्री जयपाल सिंह** : माननीय मंत्री ने ३० के स्थान पर ३१ सदस्यों के नामों का सुझाव दिया है ।

†**श्री हजरनवीस** : अगर ऐसा है तो इस में से मेरा नाम हटा दिया जाये ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुकने के बाद यह नहीं किया जा सकता ।

†**सभापति महोदय** : अभी प्रस्ताव रखा ही जा रहा है । माननीय मंत्री ने अपना भाषण समाप्त नहीं किया है ।

†**श्री हजरनवीस** : मेरा सुझाव है कि मेरा नाम उस में शामिल न किया जाये । उस में चूंकि विधि मंत्री का नाम मौजूद है, इसलिये मैं उपमंत्री के रूप में संयुक्त समिति की सभी बैठकों में सम्मिलित हो सकता हूं ।

†**सभापति महोदय** : क्या माननीय मंत्री अपना नाम वापस लेने की घोषणा करते हैं ?

†**श्री हजरनवीस** : मैं अपना नाम वापस लेता हूं ।

†**सभापति महोदय** : ठीक है ।

†**श्री हजरनवीस** : मैं बता रहा था कि यदि उन को करों से विमुक्ति न दी गई होती, तो धार्मिक और पूर्त निधियों में दिया जाने वाला धन का अधिकांश भाग राजकोष में ही आता । चूंकि राज्य उन धार्मिक तथा पूर्त निधियों को उन के न्यासों के उद्देश्यों के अनुसार व्यय करने देने की अनुमति देती है, इसलिये यह भी जरूरी हो जाता है कि सरकार इस बात की जांच करे कि उन को न्यास के घोषित धार्मिक तथा पूर्त उद्देश्यों पर ही व्यय किया जा रहा है या नहीं । इस विधेयक का यही सीमित क्षेत्र है ।

धारा २ के जरिये एक व्यवस्था की गई है, जिस के जरिये विधेयक की इन व्यवस्थाओं को लागू कराया जायेगा । इस विधेयक में दो या तीन ही मुख्य बातें हैं । पहली तो यह कि पंजीयन

†मूल अंग्रेजी में

होगा । दूसरी यह कि न्यासों के लेखों की जांच पड़ताल की जा सकेगी । तीसरी यह कि न्यासों की सम्पत्ति सुरक्षित रहेगी, और यदि सम्पत्ति धन के रूप में है, तो उसे एक विशेष ढंग से विशेष प्रत्याभूतियों में ही विनियोजित किया जा सकेगा । न्यास अधिनियम निजी न्यासों ही पर लागू होता है । उस में भी ऐसी ही व्यवस्थायें की गई हैं । चौथी बात यह कि इन संस्थाओं के प्रबन्धकगण सरकार से अनुमति लिये बिना किसी भी चल सम्पत्ति को यहां-वहां नहीं कर सकेंगे । प्रबन्धकगण को इस के लिये इस अधिनियम को लागू करने वाले अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी । ऐसा अधिकारी 'आयुक्त' कहलायेगा । इसीलिये हम ने खंड २(क) में 'आयुक्त' की परिभाषा कर दी है कि धारा ३ की उपधारा (१) के अन्तर्गत नियुक्त किया गया धार्मिक न्यासों का आयुक्त ही इस का आयुक्त माना जायेगा । खण्ड ३ में आयुक्त के कर्तव्य गिनाये गये हैं । उस में कहा गया है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना कर के किसी व्यक्ति को राज्य का धार्मिक न्यास आयुक्त नियुक्त कर सकेगी, जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों और सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।

राज्य सरकारें यदि चाहें तो एक अधिसूचना के जरिये अपनी आवश्यकतानुसार जितने ठीक समझे उतने उप-आयुक्तों और सहायक आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकेंगी ।

खण्ड २(ग) में "हित-बद्ध व्यक्ति" की परिभाषा दी गई है, और उस के दर्जे तथा कर्त्तव्यों को स्पष्ट किया गया है । उस की परिभाषा महत्वपूर्ण है । किसी धार्मिक न्यास से "हितबद्ध व्यक्ति" का अर्थ है कोई भी वह व्यक्ति जो उस न्यास से सम्बन्धित किसी भी धार्मिक संस्था में जा कर वहां पूजा-प्रार्थना करने या धार्मिक कृत्य करने, या पूजा-प्रार्थना या धार्मिक कृत्य के अवसर पर उपस्थित रहने का अधिकारी हो, या उस न्यास के तत्वावधान में किये जाने वाले धार्मिक या पूर्त कृत्यों में भाग लेने का अधिकारी हो . . . . . ."

†**सभापति महोदय** : माननीय मंत्री अपना भाषण कल जारी रखें । अब हम दूसरा कार्य लेंगे ।

लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण के बारे में प्रस्ताव

श्री रामकृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अध्ययन के लिये श्री बलवन्तराय गोपाल जी मेहता की अध्यक्षता में नियुक्त किये गये दल के प्रतिवेदन में बताई गई और आन्ध्र प्रदेश, मद्रास तथा राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों में अपनाई गई लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण की योजना पर विचार करती है ।"

जहां तक इस मोशन का संबंध है सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस टीम को मुकर्रर करने की जरूरत क्यों महसूस हुई । यह आम तौर पर महसूस किया जाता था कि कम्युनिटी प्राजैक्ट (सामुदायिक परियोजना) और नैशनल एक्सटेंशन स्कीम (राष्ट्रीय विस्तार योजना) का जो काम है वह तसल्लीबख्श नहीं हो रहा है, इसलिये जरूरत थी कि एक कमेटी या टीम नियुक्त की जाती जो देश के तमाम हिस्सों का दौरा करती और यह मालूम करती कि किस तरीके से खर्चा कम किया जा सकता है, फिजूलखर्ची रोकी जा सकती है और किस तरह से ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जा सकता है तथा एफिशेंसी बढ़ाई जा सकती है । इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुये इस टीम की नियुक्ति हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जो टर्म्स आफ रेफ्रेंस (पदनिर्देश) इस टीम के थे वे बहुत वाइड (व्यापक) थे और उसको इस बारे में भी अपनी राय देनी थी कि किस तरीके से एफिशेंसी को बढ़ाया जा सकता है और जिले के अन्दर जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, अगर वह ठीक तरीके से काम नहीं करती है तो उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है।

इस रिपोर्ट को देखने से ही शुरू में सफा ५ से पता चलता है कि टीम का क्या कहना है। टीम ने ठीक तौर पर ही इस चीज को महसूस किया है। उसका कहना है कि इनको सब से कम सफलता जनता को उत्साहित करने में मिली है।

कहने का मतलब यह है कि जब यह तहरीक देश के अन्दर जारी की गई तो सब से वाहिद मकसद यह था कि लोगों के अन्दर इनिशियेटिव पैदा किया जाये, पापुलर इनिशियेटिव पैदा किया जाये। मकसद यह था कि देश की तरक्की के लिये, गांव की तरक्की के लिये जो भी प्राजैक्ट्स हैं, चाहे वे छोटी हैं या बड़ी, लोगों का कोओप्रेशन लिया जाये क्योंकि किसी भी चीज की कामयाबी का दारोमदार सबसे ज्यादा इस बात पर है कि लोग मदद करें, सहयोग दें और उस काम को अपने हाथ में लें। इस टीम ने यह महसूस किया कि इस मामले में हमको सबसे कम कामयाबी हासिल हुई है। उसने कहा कि जरूरत इस बात की है कि लोगों में पापुलर इनिशियेटिव क्रियेट किया जाये और किस तरह से यह हो सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुये यह रिपोर्ट पेश की गई है। यह रिपोर्ट बहुत बड़ी है। लेकिन आज हमारा ताल्लुक इस रिपोर्ट के वाल्यूम १ (खंड १) से है जिसके अन्दर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन (लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण) के मुताल्लिक राय है।

जहां तक कमेटी की राय का संबंध है उसके बारे में मैं अपने विचार बाद में हाउस के सामने रखूंगा। शुरू में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें देखना है कि आया आज इस बात की जरूरत है या नहीं। मेरा अपना ख्याल यह है और हाउस के बाकी आनरेबल मैम्बर साहिबान का भी यही खयाल होगा और वे भी इस बात को महसूस करते होंगे कि आज इस बात की सब से ज्यादा जरूरत है। हम सब का इस बारे में जाती तजुर्बा भी है और उस तजुर्बे की बिना पर भी यह कहा जा सकता है कि यह सारा काम तसल्लीबख्श ढंग से नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो एडवाइजरी कमेटीज़ (सलाहकार समितियां) बनी हुई हैं उनकी पावर्स बड़ी लिमिटिड हैं। दूसरी यह भी बात है कि जो मैम्बर्स मुकर्रर किये जाते हैं, नामिनेट किये जाते हैं वे दरअसल पापुलर एलिमेंट को, गांव की असली ताकत को जाहिर नहीं करते। इसलिये जरूरत इस बात की है कि वहां जो आफिशल इनफ्लुएंस अधिक है उसको कम किया जाये और उसका एक ही तरीका है कि तमाम इस प्रोसीजर को बदला जाये और एक डेमोक्रेटिक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन किया जाये यानी असली ताकत लोगों के नुमाइंदों के हाथ में दी जाये और वे खुद इस काम को करें। जब ऐसा किया गया तो उनके अन्दर यह फीलिंग पैदा होगी कि गांव के मामलात में उनकी कोओ-प्रेशन की सब से अधिक जरूरत है और वे उस कोओप्रेशन को आपको विलिंगली देंगे।

जहां तक स्टेट के काम का ताल्लुक है मेरी यह साफ राय है कि उसका सिर्फ एक ही काम होना चाहिये कि वह एडवाइस करे, गाइड करे। इस रिपोर्ट में जो तजवीज़ पेश की गई है उस के बारे में काफी कुछ कहा गया है। लेकिन जो सब से बड़ा प्वाइंट है वह यह है कि तमाम जिलेके अन्दर जो कम्युनिटी प्रोजैक्ट का काम है उसको तीन हिस्सों में तक्सीम किया जाये। प्राइमरी यूनिट पंचायत हो, उसके ऊपर पंचायत समिति बनाई जाये जो कि मौजूदा ब्लाक डिवेलेपमेंट एडवाइजरी कमेटीज़ को रिप्लेस करेगी। उसको ताकत अधिक दी जाये। उसका चेयरमैन नान-आफिशल हो और जो मैम्बर चुने जायें वे इलैक्टिड हों, पंचायतें खुद अपने नुमाइंदे चुन कर

भेजें। इसके ऊपर जिला परिषदें हों जोकि उनके बजट वगैरह को चैक करें, उनको एप्रूव करें और जितनी भी पंचायत समितियों के उस जिले में प्रेजीडेंट हों वे उनके मैम्बर हों। इसके अलावा एम एल० एज० और एम० पीस० को भी उसमें शामिल किया जाये। मैं महसूस करता हूं कि कम्युनिटी डिवेलेपमेंट की तहरीक को कामयाब बनाने का यह सब से बेहतरीन तरीका है क्योंकि इस तरीके से जो असली ताकत है वह लोगों के नुमाइंदों के हाथ में चली जायेगी और वे यह महसूस करेंगे कि यह सब काम उनकी भलाई के लिये हो रहा है। यह बात तजुर्बे की बिना पर भी कही जा सकती है।

आप जानते हैं कि दूसरे प्लान को खत्म होने में सिर्फ एक साल बाकी है। फिगर्स अगर मैं इस हाउस के सामने रखूं तो पता चलेगा कि इस मूवमेंट में जितनी तरक्की होनी चाहिये थी, नहीं हुई है और यह भी साबित हो जायेगा कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों ने उसके अन्दर जरा बेरुखी दिखाई है, दिल्चस्पी नहीं ली है। वे यह महसूस करते हैं कि असली ताकत आफिसर्स के हाथ में है जो मनमाने तरीके से काम करते हैं, लोगों को कान्फिडेंस में नहीं लेते। मिसाल के तौर पर आप लोन की बात को लें। इसके लिये ५५ करोड़ रुपये रखे गये थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरू के दो सालों में सिर्फ दस करोड़ इस मद में खर्च हुआ। एक दूसरा पहलू भी है। जो स्टाफ था उसकी बेहतरी के लिये, उसके इस्तेमाल के लिये आपने ट्रांस्पोर्ट की व्यवस्था की और उसके लिये रकम रखी थी और उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि उसमें से कितनी खर्च की गई। इससे आपको पता चल जायेगा कि उनका ध्यान लोगों की भलाई के बजाय अपनी हालत को दुरुस्त करने की तरफ ज्यादा था।

इसलिये मैं यह फिगर्स हाउस के सामने रखना चाहता हूं। इसके लिये जो रकम मुकर्रर की गई थी वह ६७ करोड़ थी। आप को यह जान कर हैरानी होगी कि उसमें से २६ करोड़ के करीब खर्च हो गया। इसके अलावा हाउसिंग के लिये भी रुपया मुकर्रर किया गया था। हमें भी गांवों में जाने का मौका मिलता है। अक्सर वहां पर मीटिगें अटेंड करता हूं। आपको इस किस्म की बहुत सी मिसालें मिलेंगी कि हाउसिंग के लिये जो रकम मुकर्रर की गई थी वह ज्यादातर स्टाफ को हाउसेज प्रावाइड करने के लिये खर्च की गई है। मैं सही फिगर्स तो नहीं दे सकता कि क्या है, क्योंकि यह बड़ा मुश्किल काम है, मगर मेरा यह ख्याल है कि अगर इस रकम को इसमें दाखिल कर दिया जायेगा तो इसकी तादाद बहुत ज्यादा हो जायेगी। इन सब बातों को देखते हुये मैं महसूस करता हूं कि आज सब से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इस सिलसिले को डिसंट्रलाइज किया जाय क्योंकि, यह बात मैं कई दफा कह चुका हूं और आज भी दोहराना चाहता हूं, इस स्कीम की कामयाबी के लिये कोई भी स्कीम किसी ढंग से बनाई जाय, उसके लिये रुपये की इतनी जरूरत नहीं जितनी लोगों के कोआपरेशन की और पापुलर इनिशिएटिव की। इसलिये मैं महसूस करता हूं हमें इस तरफ सब से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

दूसरी दुःख की बात यह है कि इस कमेटी को रिपोर्ट पेश किये हुये काफी अर्सा हुआ। मैं इस बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इतना अर्सा हो जाने के बावजूद हमने इस तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया है। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि हमारा काम सिर्फ इतना ही नहीं कि कमेटी मुकर्रर की जाये, वह अपनी रिपोर्ट पेश करे और इस हाउस में उस पर डिस्कशन हो जाय। सब से ज्यादा जरूरत इस बात के देखने की है कि जो सिफारिशें की गई हैं उनको इम्पिलिमेंट करने के लिये गवर्नमेंट ने कौन से कदम उठाये। आज हम देखते हैं कि एक दो स्टेट्स को छोड़ कर कहीं पर भी इस स्कीम को डिसेंट्रलाइज करने के लिये कोई खास कदम नहीं उठाया गया। जहां तक मैंने समझने की कोशिश की है, मेरा अपना खयाल यह है कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है

कि आज जिन लोगों के हाथ में ताकत है वह इस बात से शर्म महसूस करते हैं, वह यह नहीं चाहते कि असली ताकत लोगों के हाथों में आये। आफिसर्स वगैरह तमाम चीजों में डामिनेट करना चाहते हैं। राजस्थान के अन्दर बड़े अच्छे तरीके से काम हो रहा है। उन्होंने इस तरफ सबसे ज्यादा कदम उठाया है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं हो जाती। उसका सब से बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हर स्टेट के अन्दर इस स्कीम को लागू करने के लिये पूरी कोशिश की जाय। वर्ना इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। हमने जब ताकत हासिल की तो उसका सब से वाहिद मकसद यही था कि तमाम ताकत देश की आम जनता में तकसीम कर दी जाय। मैं यह महसूस करता हूं कि हिन्दुस्तान की ताकत को आम जनता में बांटने का सब से बेहतरीन तरीका ह है कि यह जो सेट-अप है उसे डिसेंट्रलाइज किया जाय। यह इस प्वांइट आफ व्यू से भी मुफीद है कि आज हमारे मुताल्लिक यह आम नुक्ता चीनी की जाती है कि हम टैक्सेज लगाते हैं। इस बात को कोई नहीं देखता कि जब से टैक्सेज की तादाद बड़ी है तब से डेवेलपमेंट के लिये कितना ज्यादा रुपया खर्च हो रहा है। अगर हमने यह तरीका इस्तेमाल किया तो यह जो हमारा तमाम क्रिटिसिज्म है वह बन्द हो जायेगा क्योंकि जब हम डेवेलपमेंट को तमाम ताकत लोगों के हाथों में दे देंगे तो वह अपनी भलाई के लिये खुद टैक्सेज लगायेंगे और लोगों को नुक्ता चीनी करने का मौका नहीं मिलेगा। इस प्वांइट आफ व्यू से भी इस बात की सब से ज्यादा जरूरत है कि हम इस तरफ सब से जबर्दस्त कदम उठायें।

आखिर में इस कमेटी ने जो बहुत जरूरी बात कही है वह मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं। आप भी महसूस करेंगे कि जो कुछ मैंने कहा है वह कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कहां तक सही है। सफा २३ पर यह कहा गया है कि दायित्व और शक्ति के बिना विकास आगे नहीं बढ़ सकता।

मैं यह महसूस करता हूं कि यह बिलकुल सही है। जब यहां अंग्रेजों की हुकूमत थी तो हमारा यही नारा था। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर तरक्की हो। मैं तो समझता हूं कि हमारी आजादी का सब से वाहिद मकसद यह था कि हमारे हिन्दुस्तान की तरक्की हो। इसलिये हमने यह स्लोगन लगाया कि हमें जिम्मेदारी और पावर दी जाय। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि वास्तविक सामुदायिक विकास तभी होगा जब जनता स्वयं अपना दायित्व महसूस करे और स्थानीय प्रशासन के ऊपर निगरानी रखे। इसके लिये निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना करने और उनको आवश्यक संसाधन, शक्ति तथा प्राधिकार दिया जाये। मेरी भी यही अपील है। मैं माननीय मंत्री जी से यह अपील करूंगा पुरजोर लफ्जों में कि हमें इस तरफ पूरा ध्यान देना चाहिये और इस डिमाक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिये जल्दी कदम उठाया जाय। मैं तो यह भी चाहता हूं कि देरी को अवायड किया जाय क्योंकि हर जगह यह कहा गया है कि तमाम मामले स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथों में छोड़ दिये गये हैं। मेरी तो अपनी राय यह है कि एक माडल लेजिस्लेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की रहनुमाई के लिये तैयार करना चाहिये और साथ में एक टाइम लिमिट भी कर दी जानी चाहिये जिसके अन्दर इस स्कीम को लागू कर दिया जाय।

†सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†श्री अजीत सिंह सरहदी (लुधियाना) : इस प्रतिवेदन से सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं के बारे में हमारी जानकारी काफी बड़ी है। इसमें बताया गया है कि कम

†मूल अंग्रेजी में

खर्च में कैसे अधिक सुचारू रूप से काम चलाया जा सकता है और जनता को साथ आने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है ।

मैं इस समय केवल लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण का प्रश्न लेता हूं कि पंचायतों को अधिक शक्ति देकर किस प्रकार जनता को इसके लिये उत्साहित किया जा सकता है । हमारा उद्देश्य कल्याणकारी राज्य है, और कल्याणकारी राज्य की बुनियादें जाहिर है बड़ी ठोस और पुख्ता होनी चाहियें। हमारे देश की ८० प्रतिशत जनता गांवों में रहती है । गांवों और शहरों की जनता की आय में बड़ी असमानता है । दो योजनाओं के काल में यह असमानता और अधिक ही हुई है। इसलिये हमारे सामुदायिक विकास खंडों का सबसे बड़ा और मुख्य काम यह है कि गांवों की जनता के लिये रोजगार जुटायें और साथ ही कृषीय उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय निकालें, जिससे गांवों की जनता के रहन सहन का स्तर ऊंचा उठ सके ।

सभी मानते हैं कि अभी तक गांवों की जनता में इन सामुदायिक परियोजनाओं के लिये कोई उत्साह पैदा नहीं हुआ है। मैं मानता हूं कि हमने अभी तक ३,००० सामुदायिक विकास खंड बनाय हैं जिनका विस्तार ४ लाख गांवों और १९ १/२ करोड़ जनता में है। इतना होने के बाद भी हम जनता में उत्साह पैदा नहीं कर पाये हैं । ये विकास खंड अधिकतर सरकारी ढांचे पर ही निर्भर हैं ।

पूर्वक्ता ने प्रतिवेदन का भाग पढ़कर सुनाया था कि विकास खंडों में जनता को उत्साहित करने के लिये नामजद व्यक्तियों की कुछ तदर्थ सलाहकार समितियां भी बनाई गईं, लेकिन नतीजा कोई ज्यादा नहीं निकला ।

पंजाब सरकार ने भी कुछ समय पहले इन परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिये एक समिति नियुक्त की थी । उस समिति के प्रतिवेदन में भी यही कहा गया है कि सामुदायिक विकास संगठन गुलामी की इस मनोवृति को दूर करने में असमर्थ रहा है कि सारे काम सारी पहलकदमी का दायित्व प्रशासकों का ही है । इस कारण वह गांवों में नये जीवन का संचार करने में असफल रहा है । इसके लिये समिति ने सुझाव दिया है कि गांव पंचायतें किसी प्रकार की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा का संगठन करें । मैं इस सुझाव से सहमत नहीं । तब फिर जनता में उत्साह कैसे पैदा किया जाये ?

इसके लिये आवश्यक है कि केवल प्रशासन का ही नहीं, बल्कि साथ ही न्यायिक प्रणाली का भी विकेन्द्रीकरण किया जाये । विधान इस प्रकार का होना चाहिये कि वह स्थानीय परिस्थितियों की विशेषताओं के अनुसार हो । गांव पंचायतों को राज्य की परिस्थिति विशेष के अनुसार पर्याप्त शक्तियां दी जानी चाहियें । पंचायत समितियों को विकास का पूरा दायित्व और उसके लिये अपेक्षित सभी शक्तियां प्रदान की जानी चाहियें ।

मुझे आश्चर्य इस बात पर है कि कुछ राज्यों ने ग्राम सभाओं के कृत्यों को सीमित कर दिया है । यह गलत है । ग्राम सभा तो एक ऐसा नगर राज्य होना चाहिये जिसमें सारी जनता सीधे-सीधे हाथ बटाये । उसे पंचायत के काम का पर्यवेक्षण करना चाहिये । इतना ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि खंड समिति को समूची जनता के आपस में मिलने बैठने का अवसर दिया जाना चाहिये । इनको अधिक दृढ़ बनाकर ही, हम कल्याणकारी राज्य की बुनियादें मजबूत कर सकेंगे ।

†श्री तंगामणि (मंदुरै) : इस संकल्प को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है । पहला भाग बलवन्त राय मेहता प्रतिवेदन से संबंध रखता है । इस प्रतिवेदन में यह सिफारिश की गई थी कि

---

†मूल अंग्रेजी में

लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण के लिये त्रिस्तरीय योजना अपनायी जानी चाहिये जिसमें पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला विकास परिषद् ये तीन अंग होंगे। पिछड़े ईलाके की पंचायत समितियों को राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त सहायता दी जानी चाहिये। इन सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया गया था। इस चर्चा का उद्देश्य यह है कि इन सिफारिशों को अमल करने के फलस्वरूप हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसका विश्लेषण किया जाय।

कई राज्यों में शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के लिये अधिनियम बना दिये गये हैं। संकल्प में मद्रास, आंध्र प्रदेश, व राजस्थान का उल्लेख किया गया है। उक्त तीनों राज्यों में पंचायत संबंधी कई अधिनियम पारित हो चुके हैं। तथापि जैसाकि समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है : शक्ति प्रत्यायोजन को सामान्यत: विकेन्द्रीकरण मान लिया जाता है तथापि इन दोनों में अन्तर है। शक्ति प्रत्यायोजन में अन्तिम दायित्व सरकार का ही रहता है जब कि विकेन्द्रीकरण में सरकार अपने दायित्व व जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है।

उक्त कथन के आधार पर मैं आपको मद्रास में हुये पंचायत के कार्य के बारे में बताऊंगा। मद्रास राज्य में १९५८ में पंचायत अधिनियम पारित हुआ। इसके अधीन राज्य में १५००० पंचायतें बनाई जानी थीं। इसके अतिरिक्त तीन प्रक्रमों में पंचायत संघों का निर्माण किया जाना था इसके अधीन १९६१ तक सारे राज्य में पंचायत संघ बन जायेंगे। राज्य सरकार की योजना के अनुसार २१ विकास परिषदें, ३८० पंचायत समितियां तथा १५००० पंचायतें स्थापित की जायेंगी।

तथापि जब व्यवहारिक रूप से कार्य किया गया तो कई कठिनाइयां सामने आईं। राजस्व विभाग वालों ने वर्तमान शक्तियों को छोड़ने में अनिच्छा प्रगट की। पंचायत अधिकारियों की शक्तियों को कम करना पड़ा तथा उन्हें राजस्व अधिकारियों के अधीन काम करना होता है। पंचायतों की आय भी इतनी अधिक नहीं होती है कि वे पूरे समय काम करने वाले कर्मचारी नियुक्त कर सकें अत: राजसरकार को इनका वेतन स्वयं देना चाहिये। इससे प्रशासन में अधिक सरलता होगी। यह व्यवस्था की गई है कि पंचायत समितियों के सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जायें तथापि अधिकांश पंचायत के सभापति स्वयं इन समितियों के सदस्य बन जाते हैं। इससे अच्छा यह है कि मतदाताओं को ही इन समितियों के सदस्य चुनने का अधिकार हो। वस्तुत: मैं राजस्थान और आंध्र प्रदेश में हुये पंचायत के कार्य के बारे में जानना चाहता हूं जिससे कि उनके अनुभव से अन्य राज्य लाभ उठा सकें।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : इस क्षेत्र में जो कुछ भी किया गया है उसे लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण कहना भ्रांतिपूर्ण है। क्योंकि इन संगठनों का देश की आर्थिक योजना में कोई स्थान नहीं है और न सामाजिक और राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति में ही ही इनका कोई महत्व है।

अभिप्राय यह है कि विकास योजनाओं में स्थानीय जनता को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर मिले। इस संबंध में मेहता समिति ने तत्वकालीन पंचायतों के कार्य तथा शासन व्यवस्था को ध्यान में रख कर ही त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की है, अर्थात्,

---

†मूल अंग्रेजी में

जिला परिषदें, पंचायत समितियों और पंचायतें, इन संस्थाओं में भाग लेने से गांव वालों को यह अनुभव होगा कि वे देश के आर्थिक पुनर्निर्माण में हिस्सा ले रहे हैं।

इस संबंध में अभी तक कोई संतोषजनक कार्य नहीं हुआ है । समुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "पंचायत राज पर विधान —एक तुलनात्मक अध्ययन" पुस्तिका से ज्ञात होता है कि इस दिशा में बहुत कम कार्य हुआ है । बंगाल तथा बिहार ने इस संबंध में कोई अधिनियम नहीं बनाये हैं। संघ क्षेत्रों में भी जहां के प्रशासन का दायित्व राज्य सरकारों पर है, इस संबंध में बहुत कम काम हुआ है , उदाहरणार्थ मनीपुर और त्रिपुरा में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम लागू कर लिया गया । हिमाचल प्रदेश में इस संबंध में कोई काम ही नहीं किया गया। मंत्री महोदय भले ही इस कार्य में बहुत उत्साह दिखाते हों तथापि मैं उन से यह पूछना मैं चाहता हूं कि वे संघ क्षेत्रों में यह त्रिस्तरीय प्रणाली कहां कहां लागू कर सके। यदि उन्होंने इसे लागू करने का प्रयत्न किया और उन्हें अन्य मंत्रालयों से कठिनाइयां महसूस हुई तो यह गम्भीर बात है ।

त्रिस्तरीय योजना के संबंध में यह ध्यान रखने योग्य बात है कि जब तक इस के तीनों प्रक्रम एक साथ एक स्थान में लागू नहीं किये जायेंगे इस योजना का अधिकतम लाभ नहीं उठाया जा सकेगा। तथापि विभिन्न राज्यों में जो अधिनियम पारित किये जा रहे हैं वहां इसकी उपेक्षा की जा रही है । किन्हीं राज्यों में व जिला परिषदें नहीं बना रहे हैं तो किन्हों में वे पंचायत समितियों की स्थापना को अनावश्यक समझ रहे हैं । पंचायतों में चुनाव के बारे में भी पृथक पृथक अधिनियम बनाये गये हैं इसी प्रकार यदि किसी स्थान में ५०० व्यक्ति एक पंचायत चुनेंगे तो कहीं ४००० या ६००० व्यक्तियों में एक पंचायत होगी। मेरा सुझाव है कि विकास तथा प्रशासनिक मामलों में सब से निचले स्तर पर एकरूपता अवश्य होनी चाहिये ।

वस्तुतः सच्चाई यह है कि गांव के लोगों में पंचायतों तथा सहकारी समितियों के बारे में कोई उत्साह नहीं है क्योंकि उन के पिछले अनुभव के अनुसार ये संस्थायें नौकरशाही व्यवस्था को अमल में लाने के साधन मात्र हैं। अतः हमें गांव वालों को यह बताना चाहिए कि उन्हें कुछ कार्य करने के लिये शक्ति संसोधन और जिम्मेदारी दी जा रही है । अतः उन्हें इस कार्य के लिये पर्याप्त धनराशि देनी चाहिये । मेहता समिति ने यह सुझाव दिया था कि स्थानीय राजस्व का ४० प्रतिशत इन संस्थाओं को दिया जाय । मेरा सुझाव है कि देश की समस्त आय का चौथाई भाग ग्राम-विकास प्रयोजनों के लिये दिया जाना चाहिये। वस्तुतः कार्यपालिका के पदाधिकारियों को पंचायत के प्रतिनिधियों की इच्छाओं के अनुसार कार्य करना चाहिये । यदि ऐसा किया जायेगा तो गांवों का कायाकल्प हो जायेगा : कठिनाई यह है कि हमारे संविधान में सत्ता के केन्द्रीयकरण का समर्थन किया गया है और उस से इन संस्थाओं को वैधानिक समर्थन नहीं प्राप्त होता है । अतः यदि आवश्यक हो तो हमें अपने संविधान में भी संशोधन कर इन संस्थाओं को यथासंभव प्रोत्साहन देना चाहिये ।

†**श्री रंगा** (तेनालि): मैं अपने से पूर्व भाषण कर्ताओं के मत से सहमत नहीं हूं उन के कथन का यह उद्देश्य प्रतीत होता है कि वे योजना आयोग तथा मंत्रि-मंडल के सहयोग से प्रशासन की एक ऐसी रूपरेखा निश्चित करना चाहतें हैं जिसे समस्त राज्यों के ऊपर हावी किया जा सके। यदि केन्द्र के मंत्री इन सदस्यों के दृष्टिकोण का समर्थन करेंगे तो सचमुच यह अच्छी बात नहीं होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय सदस्यों ने यह बताया है कि पंचायतों के संबंध में राजस्थान का अनुभव बहुत सफल रहा है । मैं आप को आंध्र प्रदेश का अनुभव बताना चाहता हूं। हम ने ३० या ३५ वर्ष पूर्व वहां, ब्रिटिश सरकार के विरोध के बावजूद भी पंचायतें कायम की थीं। लेकिन परिणाम यह हुआ कि वे पंचायतें जातीय , राजनैतिक तथा दलबन्दी का अखाड़ा बन गई । आज भी यह स्थिति है कि चुनाव में सफलता पाने के लिये उचित या अनुचित तरीके अख्तियार किये जाते हैं । राजनैतिक व सामाजिक दबाव डाला जाता है परस्पर झगड़े, मनमुटाव, पैदा कर लोगों को लड़ाया जाता है । अतः मेरा सुझाव है कि इन चुनावों में बहुमत से निर्वाचन के साथ साथ लाटरी डाल कर सभापति या सदस्य चुनने की प्रथा भी आरम्भ की जाय। इसका यह परिणाम होगा कि इस प्रकार की अनुचित वारदातें जो कि बहुमत प्राप्त कर चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिये की जाती थीं नहीं होंगी।

श्री तंगामणि ने विकेन्द्रीकरण और शक्तियों के प्रत्यायोजन के विभेद की ओर ध्यान आकर्षित किया है वस्तुतः तथ्य यही है कि गांव पंचायतों को कुछ शक्तियां दे दी जाती हैं तथापि अंतिम स्वीकृति राज्य सरकार पर निर्भर रहती है । फल यह होता है कि राज्य सरकारें या राज्यों के मंत्री अथवा अन्य अधिकारी उन पर अपना दबाव डालते हैं और राज्य की दूषित राजनीति को पंचायतों में पहुंचा देते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरह प्रत्येक राज्य में एक पंचायत अनुदान आयोग की स्थापना की जाय । उच्चन्यायालय के किसी न्यायाधीश को इसका प्रधान नियुक्त किया जाय । राज्य सरकारें जो रकम पंचायतों को देना चाहती हैं वह राशि इस आयोग को वितरण करने के लिये दे दी जाय ।

पंचायतों के चुनावों की प्रक्रिया की वैधानिकता या अवैधानिकता का निर्णय करने के लिये हमें एक आयोग नियुक्त करना चाहिये । यह आयोग अर्द्ध-न्यायिक प्रकार का होगा। उसका प्रधान एक न्यायाधीश रहेगा, जिसकी सहायता के लिये कुछ पंचायतों के प्रतिनिधि होंगे । यह न्यायाधीश अपने परामर्शदाताओं की सहायता से चुनाव संबंधी अनियमितताओं पर अपना निर्णय देंगे ।

इन पंचायतों के निमित एक स्वतंत्र लेखा-पालक और लेखा-परीक्षक समिति होनी चाहिये तभी पंचायतों का काम उचित तरीके से चल सकता है ।

राजनैतिक दलों को पंचायतों के चुनावों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । वस्तुतः उन के हस्तक्षेप के कारण गांवों की पारस्परिक दल बन्दी को बल मिलता है । वस्तुतः कुछ दिनों पूर्व श्री जय प्रकाश नारायण ने भी यही सुझाव दिया था । स्वतंत्र पार्टी ने इसे स्वीकार कर लिया है ।

†**श्री म० दा० माथुर** (नागौर): बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवदन को प्रकाशित हुए दो वर्ष से अधिक हो गये हैं तथापि ३ या ४ राज्यों को छोड़ कर किसी ने भी इसके अनुसार कार्य नहीं किया है ।

मैं श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी की इस बात से सहमत हूं कि जब तक संविधान में तदनुसार संशोधन नहीं किया जायेगा तब तक हम समिति में बतायी गई प्रणाली के अनुसार कार्य नहीं कर पायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सदस्यों ने राजस्थान में पंचायतों के कार्य की प्रशंसा की है। पंचायतें लोकतंत्र की बुनियाद हैं। देश में लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब कि शक्ति का विकेन्द्रीकरण कर उसे सब से निचले स्तर तक पहुंचाया जा सके। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक ग्रामिणों को विकास कार्यों के करने के लिये प्रेरणा प्राप्त नहीं होगी।

हमें यह स्वीकार करना होगा कि वर्तमान परिस्थितियों में मेहता प्रतिवेदन की कई बातें उचित नहीं ठहरती हैं उदाहरणार्थ प्रतिवेदन में कहा गया है कि पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् का प्रधान एक सरकारी अधिकारी को होना चाहिये। वर्तमान स्थिति में कोई इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं है कि गैर-सरकारी व्यक्तियों की एक संस्था का प्रधान कोई सरकारी अधिकारी हो। अतः इनका प्रधान गैर-सरकारी व्यक्ति ही होना चाहिये। राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव भी वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है जब कि प्रतिवेदन में इसका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से करने की सिफारिश की गई है। तथापि यह प्रणाली अधिक उपयोगी है।

वस्तुतः शक्तियों के विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता इस कारण हुई कि यह अनुभव किया गया कि सामुदायिक विकास का काम बिना जनता के सक्रिय सहयोग के पूरा नहीं हो सकता है। अतः जनता से सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से मेहता समिति नियुक्त की गई।

अब प्रश्न यह है कि हमने शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया है या केवल उनका प्रत्यायोजन कर दिया है। राजस्थान में शक्ति का सच्चे रूप से विकेन्द्रीकरण किया गया है। उदाहरणार्थ राजस्थान में पंचायत समिति का बजट १० करोड़ है जिसके व्यय करने का उन्हें पूरा अधिकार है। उसकी लेखा परीक्षा पृथक रूप से होती है। पंचायतों में नियुक्तियों के लिये एक स्वतन्त्र आयोग है। यही आयोग इसके प्राधिकारियों को चुनता है। इस प्रकार ग्रामीणों को कुछ ठोस अधिकार और जिम्मेदारियां दी गई हैं। ९ महीनों पूर्व पंचायतों के चुनाव हुए थे। यद्यपि यह एक प्रयोग था तथापि ग्रामीण लोग बहुत अच्छी प्रकार से काम कर रहे हैं यद्यपि कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है तथापि फिर भी इस क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है इसीलिये हम २ अक्तूबर को जिस दिन से यह विकेन्द्रीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया था एक महान दिवस मानते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हमें जनता में विश्वास हो। यदि उन्हें काम करने का अवसर दिया जायेगा तो वे अवश्य सफल होंगे।

अब हम तीसरी योजना आरम्भ करने जा रहे हैं। हमें चाहिये कि हम पंचायत समितियों को यह अधिकार देवें कि वे अपने अपने क्षेत्र के लिये योजनायें बना सकें। हमें उनको खाद्य उत्पादन तथा सामाजिक सुविधाओं की वृद्धि के लिये योजनायें बनाने का पूरा अवसर देना चाहिये। गांवों में ग्राम सेवकों, राष्ट्रीय विस्तार अधिकारी तथा सरपंचों को सभाय करके वहां के ग्रामीणों की आवश्यकताओं का पता लगाना चाहिये और तदनुरूप योजना बनानी चाहिये। जब इस प्रकार गांव स्तर से योजना बनेगी तभी उसे सच्ची योजना कहा जा सकता है। वस्तुतः लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण के द्वारा ही गांधी जी के राम-राज्य का स्वप्न साकार हो सकता है।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची–पश्चिम–रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां) : मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं था कि कल्याण कार्य पर धन व्यय न किया जाये। कबाइली क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था बहुत दिनों से चली आ रही है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से मानो हमने इस व्यवस्था की जड़ ही उखाड़ फेंकी है। हमने पंचायत अधिनियम बनाया और सोचा कि एक दिन में ही सारा परिवर्तन हो जायेगा। लेकिन यह धारणा गलत थी। मेरी शिकायत यह है कि तीसरी पंचवर्षीय

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जयपाल सिंह]

योजना में हम जो ३०० करोड़ रुपये व्यय करना चाहते हैं उसे जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है अर्थात् जनता नहीं चाहती कि इतनी राशि खर्च की जाये। ऐसा प्रतीत होता है कि हमने समस्या को जड़ से नहीं पकड़ा है। मेरा निवेदन है कि इस समस्या को ग्रामीण क्षेत्रों से शुरू करना चाहिये। बिहार में इस व्यवस्था की असफलता रही है। मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण से क्या मतलब है। मेरे क्षेत्र में पंचायत व्यवस्था बहुत लम्बे समय से चली आ रही है अतः विकेन्द्रीकरण का प्रश्न वहां नहीं उठता। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह कार्य बहुत कुछ अंशों में राजनैतिक आधार पर हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इस योजना को सफलता मिले तो यह आवश्यक है कि जनता का समर्थन इसे मिले। जनता को ऊपरी बातों से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता जैसा कि हम पिछली योजनाओं में करते रहे हैं। निश्चय ही हमने भूलें की हैं अब समय आ गया है जब कि हम अपनी उन भूलों को सुधार सकते हैं।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर): सभा में माननीय सदस्यों के भाषण एवं प्रतिवेदन से यह पता चलता है कि विकास कार्यक्रमों ने उतनी उन्नति नहीं की है जितनी कि जनता को आशा थी। और न इस कार्यक्रम के आशाजनित परिणाम ही निकले हैं। इसलिये उन्हें अधिक जनप्रिय और लाभदायक बनाने के लिये यह आवश्यक है कि इन्हें कुछ प्रेरणा दी जाये। इसके लिये मेहता समिति ने एक उपाय यह सोचा है कि इसका विकेन्द्रीकरण कर दिया जाये। मेरा विचार है कि "विकेन्द्रीकरण" से पूर्व "लोकतंत्रीय" शब्द का प्रयोग निरर्थक है क्योंकि विकेन्द्रीकरण का अभिप्राय ही लोकतंत्रीय व्यवस्था है। आपका अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि विकेन्द्रीकरण करने के पश्चात् जिन लोगों के पास सत्ता आयेगी उनमें काम करने के लिये उत्साह होगा और वे काम करेंगे। लेकिन इसमें एक कठिनाई यह है कि इन काम करने वालों की विचारधारा अपने आस पास रहने वालों तथा उनके नेताओं की विचारधाराओं के अनुसार प्रभावित होती रहती है। अतः उनकी आंखें आज भारत सरकार पर लगी हुई हैं कि सरकार की नीति क्या रहती है। हम देखते हैं कि सरकार ने जो संकल्प पारित किये हैं अथवा जो कार्य किये हैं वही उनकी नीति है लेकिन उनको देखने से यह स्पष्ट है कि सरकार अधिक से अधिक सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है और कम से कम अधिकार दूसरों को देना चाहती है। जनता के अधिकार यह कह कर उनसे ले लिये गये हैं कि सरकार समष्टिरूप से जनता का भला करना चाहती है। इससे प्रकट है कि सरकार की नीति विकेन्द्रीकरण के विपरीत है। अब तक जो वाद विवाद यहां हुआ है उससे यह स्पष्ट है कि सरकार तथा उसके समर्थक जनता के नाम पर सरकार को अधिक से अधिक अधिकार देने के पक्ष में है। और इसे ही हम केन्द्रीकरण कहते हैं। इसके विकेन्द्रीकरण के कारण ही जनता का उत्साह कम हो रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि कुछ और उपाय ढूंढे जायें।

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे)**: पिछले सत्र में जब इस पर चर्चा होने वाली थी तो मुझे उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई थी क्योंकि कृषि के अतिरिक्त यही एक ऐसा विषय था जिस पर मैंने तथा अपने मंत्रालय के सभी कर्मचारियों ने यथासंभव इस पर पूरा पूरा ध्यान केन्द्रित किया था।

जब हम लोकतन्त्रीय प्रक्रिया को बढ़ाने और इस सभा की सार्वभौम सत्ता की, जो इस देश की जनता पर है, बात करते हैं तो यह बात बहुत ही महत्व की है कि इससे न केवल उन लोगों को ही है

---

†मूल अंग्रेजी में

जिनके लिये कि यह प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है बल्कि उनके प्रतिनिधि संसद सदस्य एवं विधान सभाई सदस्यों को भी इस बात का अवसर मिलेगा कि वे इन कार्यवाहियों की जटिलताओं को जिनका कि विस्तार किया जा रहा है समझ सकें और चाहे जिस रूप में भी सभा इस प्रक्रिया की वांछनीयता निर्धारित करे उसके आधार पर इसके विरोधियों को चुनौती दी जा सके और देश में प्रगतिशील लोकतंत्र लाने वाले व्यक्तियों को इस बात का अवसर मिल सके कि वे इसके लिये सुरक्षात्मक उपबन्ध बना सकें ।

इसीलिये इस वाद-विवाद को मैं बहुत महत्व देता हूं क्योंकि इससे देश को यह जानने का अवसर मिलेगा कि इस सर्वोच्च संसद् के सदस्य इस प्रक्रिया विरोध के बारे में क्या विचारधारा रखते हैं तथा इसे क्या महत्ता देते हैं । इस समय इस प्रक्रिया की विस्तृत बातें इसका दार्शनिक आधार तथा इसके उद्देश्य बता कर सभा का समय नहीं लूंगा क्योंकि सराकार द्वारा बनाई गई समिति ने इस प्रक्रिया को पंचायती राज का नाम दिया है । वस्तुतः यह पंचायती राज्य ही हम अपने देश में लागू करना चाहते हैं । अतः मैं यह बात स्वीकार किये लेता हूं कि सभा ने इस बात को मान लिया है तथा स्वीकार कर लिया है कि इस सभा की जो लोकतंत्रीयता एवं सर्वोच्चता है वह सभी स्तरों पर यहां तक कि ग्रामीण स्तर पर भी बनी रहे। मैं यह भी मान लेता हूं कि यह स्वीकार कर लिया गया है कि लोकतंत्र जिसे अन्ततोगत्वा जीवित रहना है उसे भी प्रजातंत्रीय आधार पर निर्धारित करना है जिसका कि उपयोग नीचे की संस्थाओं में ही नहीं होता है बल्कि परिवारों में भी होता है ।

हमने पिछले दो वर्षों में क्या किया है यह मैं सभा को बताना चाहूंगा । श्री रामकृष्ण ने यह सुझाव दिया है कि इस सम्बन्ध में केन्द्र एक आदर्श विधि बनाये । लेकिन आप देखते हैं कि जब कभी भी केन्द्र द्वारा इस प्रकार की कोई आदर्शात्मक कार्यवाही की जाती है तो राज्यों द्वारा प्रेरणा-वश सोची हुई बात दब जाती है और उनके सोचने में रुकावट पड़ती है । क्योंकि वे राज्य यह सोचने लगते हैं कि केन्द्र ने जब यह विधि बनाई है तो निश्चय ही काफ़ी सोच विचार के बाद बनाई होगी क्योंकि वहां केन्द्र में देश के महान व्यक्ति बैठे हुए हैं । लेकिन परिस्थितियां देश के विभिन्न स्थानों में अलग अलग हैं । अतः यह स्वाभाविक है कि देश के एक भाग में जो प्रभावी होती है वह दूसरे भाग में भी उसी प्रकार प्रभावी होगी । ऐसी स्थिति में मैं अगर यह सोचूं कि मैं अथवा मंत्रालय यह करे कि वह प्रत्येक राज्य से इस बारे में अलग अलग से चर्चा करे और बाद को प्रत्येक राज्य को उन सभी विचारधाराओं से अवगत कराये जो कि उसे सभी राज्यों से प्राप्त हुई हैं । संक्षेप में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले कुछ महीनों से हम ऐसा ही कर रहे हैं । हम राज्यों को न केवल नई विचार-धाराओं से अवगत ही करा रहे हैं बल्कि उन राज्यों के जैसे कि राजस्थान, आंध्र तथा अन्य दूसरे राज्यों के अनुभवों से भी परिचित करा रहे हैं जिन्होंने कि अपने यहां पंचायती राज्य लागू किया है । यह पहला कार्य है जो कि हम कर रहे हैं ।

दूसरे यह बात कही गई है कि केन्द्र सम्पूर्ण देश के लिये एक समान ढांचा तैयार करने की अपेक्षा प्रत्येक राज्यों को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की अनुमति देकर भ्रान्ति उत्पन्न कर रहा है । आप जानते ही हैं कि संविधान ने प्रत्येक राज्य को स्वायत्तता का अधिकार प्रदान किया है । साथ ही मैं यह भी बता देना चाहूंगा कि जहां तक मूलभूत बातों का प्रश्न है हम समान रूप से उनको हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं । अतः पहली बात यह है कि जनता एवं उनकी संस्थाओं को उपयुक्त दायित्व दिये जायें । दूसरी बात यह देखनी है कि किन स्तरों पर विकेन्द्रीकरण हो रहा है । तीसरी बात यह देखनी है कि सुरक्षा के ऐसे कौन से उपाय अपनाये गये हैं जो कि इन लोकप्रिय संस्थाओं को अवांछित नियंत्रण से एवं सरकार के ऊपरी अधिकारियों के निदेशों से बचा सकें । ये कुछ मूलभूत बातें ऐसी हैं जिनकी सुरक्षा केन्द्र द्वारा की जानी चाहिये । और हम इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं ।

[श्री सु० कु० डे]

यहां तक कि जब किसी राज्य की विधान सभाओं में तत्सम्बन्धी कोई विधि प्रस्तुत की जाती है तो हम यह देखते हैं कि क्या इस विधेयक में मूलभूत सिद्धान्तों की पूर्ति हो गई है यदि नहीं तो उन कमियों को दूर करने के लिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि राज्यीय सरकारों ने हमारी बात सुनी है और उसका पालन भी किया है। आंध्र, राजस्थान और मद्रास राज्यों ने ही पंचायती राज्य सम्बन्धी विधियां नहीं बनाई हैं बल्कि मैसूर राज्य ने भी अधिनियम तैयार किया है। इन राज्यों में पंचायतों का चुनाव हुआ है तथा उच्च संस्थाओं के लिये भी प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया गया है। उड़ीसा ने भी अधिनियम बनाया है और शीघ्र ही इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाला है। आसाम ने भी विधि तैयार की है लेकिन अगर वहां ये झगड़े न हुए होते तो काफी प्रगति हो गई होती। आसाम ने विधि के अधीन निलम्बित उचित चुनावों का काम भी पंचायतों, समितियों तथा महाकुमा परिषदों के तथाकथित ढांचे के आधार पर आगे बढ़ाया। इस बात का विरोध किया गया कि आसाम में जिला परिषदों के स्थान पर महाकुमा परिषदों को कार्य करने की अनुमति क्यों दी। व्यक्तिगत रूप से तो मैं यह सोचता हूं कि ऐसा करने में कोई विरोध की बात नहीं है। यदि बाद को चल कर हम तथा राज्य सरकार यह अनुभव करती है कि महाकुपा परिषदें उपयुक्त नहीं हैं और इनके स्थान पर जिलापरिषदें होनी चाहियें तो यह कार्य उस विधि में एक साधारण से संशोधन के द्वारा बिना किसी कठिनाई के किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात देखने की यह है कि क्या वे वास्तव में कार्य करना चाहते ह और क्या वे वास्तव में ग्राम्य निकायों तथा खंड स्तरीय निकायों अथवा अन्य ऐसी संस्थाओं को जो कि उन्होंने खंड स्तरीय निकायों के स्तर पर नियुक्त की हों, अधिकार देना चाहते हैं। यह कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया है कि इस विधि में कोई त्रुटि तो नहीं है।

सता के हस्तान्तरण के बारे में श्री रंगा ने कहा है कि इन निकायों के ऊपर राज्यीय सरकारों का बहुत बड़ा नियंत्रण होगा अतः एक न्यायिक आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिये और इस आयोग को राज्य सरकारों तथा पंचायतों के बीच धन बांटने का अधिकार दिया जाना चाहिये। यह ठीक है कि न्यायिक व्यवस्था में मेरी बड़ी श्रद्धा एवं विश्वास है। लेकिन मेरा विचार है कि जैसे ही एक बार इस न्याय व्यवस्था को देश की सैकड़ो पंचायतों में धन बांटने का काम मिलेगा एवं उसका प्रशासन करना होगा त्योंही इनमें तथा प्रशासकीय संगठनों में कोई अन्तर नहीं रह जायेगा। इसलिये न्यायिक प्रशासन के नियुक्त करने की कोई बात उठती है तो उसकी नियुक्ति धन का वितरण करने के लिये नहीं बल्कि अन्य दूसरे प्रयोजनों के लिये होनी चाहिये। अर्थात् यह न्यायिक आयोग इस बात को देखे कि क्या इन खंड पंचायतों तथा अन्य परिषदों में कर्मचारियों की नियुक्ति कुछ उपयुक्त, ठीक कसौटी एवं मानदंड के आधार पर हुई है। यह कार्य विभिन्न राज्यों में विभिन्न रूप से किया जा रहा है। मैं इस न्यायिक आयोग की नियुक्ति को इसी रूप में लेता हूं जिस प्रकार केन्द्र में संघ लोक सेवा आयोग, और राज्यों में राज्य सेवा आयोग है ठीक उसी प्रकार यह आयोग भी पंचायत लोक सेवा आयोग के रूप में होगा। इसका कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। यह गर्भ में है। कुछ राज्य इसके बारे में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं।

चुनाव तथा अन्य प्रकार के झगड़ों की जांच और देखभाल करने के लिये एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण अथवा एक स्वतंत्र आयोग हो सकता है जैसा कि चुनाव आयुक्त है। निस्संदेह यह भी उपयुक्त समय पर बन जायेगा। इस समय हमारे सामने समस्या यह है कि इन निकायों का कोई रूप निर्धारित हो जाये। निस्संदेह इन निकायों के विकास में शुरू में काफी कठिनाई होगी। लेकिन इस बारे में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिये कि पंचायती राज एक तिलस्मान

होगा और यह प्रविधिक और प्रशासकीय कुशलता का साधन बनेगा । यह बात निश्चित है कि यदि कुशल खंड संगठन में हम कुशल और ईमानदार लोकप्रिय प्रतिनिधित्व समस्याओं की शक्ति एवं कुशलता और जोड़ दें तो कार्य बहुत ही शीघ्रता एवं तेजी से आगे बढ़ेगा । यह भी सच है कि यदि किसी अकुशल एवं बेईमान खंड संगठन को लोकप्रिय संगठन के साथ मिला दें जो कि उसके ऊपर नियंत्रण कर सके तो यह अकुशल एवं बेईमान सरकारी संगठन भी ठीक ढंग से काम करने लगेगा । हम यह बात सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये निकाय कोई रूप धारण करें और इन संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों को लोकतंत्र की उस प्रक्रिया को समझने की, जिसमें कि सरकारी संगठन को विशेष कार्य करना है, उचित प्रशिक्षा मिले क्योंकि जनता के संगठनों का एक दूसरा भी कार्य है और ये दोनों के कार्य एक दूसरे के सहायक हैं। यह बात पहले तो इन को बतानी है और इन संस्थाओं तथा इनमें काम करने वाले व्यक्तियों में प्रभावी रूप से संचरित करनी है ।

दूसरी बात यह है कि इन खंडों में काम करने वाले प्रतिनिधियों में भी प्रशासकीय एवं प्रविधिक क्षमता उत्पन्न करनी है ताकि वे पंचायत, खंड पंचायत समिति, और जिला परिषद् स्तर पर उपसमितियां बना सकें और इस प्रकार विभिन्न प्रकार खंड कार्यक्रमों जैसे उत्पादन, कल्याणकार्य, संचार तथा अन्य दूसरे कामों में खंडों में काम करने वाले कर्मचारियों की अधिक कुशलता से सहायता कर सके एवं उनका हाथ बंटा सके। सम्पूर्ण देश के सभी राज्यों में यह प्रशिक्षण कार्य चल रहा है । यह बात सुनिश्चित है कि जब तक देश की प्रविधिक कुशलता नहीं बढ़ती तथा हमारे संसाधन जैसे—खाद्य उत्पादन में भी बीज, उर्वरक कीड़े मकोड़े मारने की दवाई, औजार, औजारों के उपयोग का उचित प्रबन्ध आदि—का विकास नहीं होता तब तक पंचायती राज इन वस्तुओं का स्थान नहीं ले सकता । तीसरी योजना में यह कार्यवाही की जा रही है कि कृषि, जन स्वास्थ्य, पशुपालन, उद्योग आदि जैसे संसाधनों का विकास हो । हम साथ ही इस बात का भी प्रयत्न कर रहे हैं जन संगठन भी प्रविधिक एवं प्रशासकीय दृष्टि से विकसित हों ताकि वे इन सभी सुविधाओं का पूरा पूरा लाभ उठा सकें तथा उन सभी संगठनों की सेवाओं से भी लाभ उठा सकें जो कि उनके अधीन होंगे।

श्री जयपालसिंह ने अपने क्षेत्र में किये जाने वाले काम के बारे में प्रश्न किया है । मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि वहां बहुत अच्छा कार्य हो रहा है ; मैं उस क्षेत्र में कई बार जा चुका हूं । उनके जिले तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में शुरू होने से पूर्व खेती के विकसित तरीके बिल्कुल भी शुरु नहीं हुए थे । वहां पहिली बार लोग अच्छे ढंग के बीज, उर्वरकों, का प्रयोग कर रहे हैं, पहली बार उनको इस बात की जानकारी हुई है कि कीड़े मकोड़े मारने की दवाइयां क्या हैं और किस प्रकार नर्सरी का उत्पादन किया जाता है तथा अच्छे औजारों का प्रयोग किया जाता है । हम गांवों में चिकित्सा सेवा का विस्तार कर रहे हैं । लड़कों तथा लड़कियों को शिक्षा के विस्तार में काफी विकास हुआ है, स्त्रियों द्वारा किये जाने वाले काम में के क्षेत्र में भी काफी काम किया गया है जो कि उस क्षेत्र में बहुत ही प्रेरणावर्द्धक है और मैं ने सारे देश को इस बात की सिफारिश की है कि स्त्रियों द्वारा काम करने के क्षेत्र में जो प्रगति एवं काम उस क्षेत्र में हुआ है वह हम सभी के लिये अनुकरणीय है। इस सब के होते हुए भी वे कहते हैं कि वहां कुछ नहीं हुआ है और जो कुछ भी हुआ है वह सब जालसाजी है, यह सुनकर मुझे दुःख हुआ। जालसाजी के कुछ मामले हुए हैं और अब भी हो रहे हैं ।

[श्री सु० के० डे]

उनका कहना है कि उनके क्षेत्र में पंचायतें आदिकाल से हैं और वह पूछते है कि पंचायतों के द्वारा कार्य क्यों नहीं हो रहा है । यही एक पहेली है जो मेरे सामने है और जिसके लिये मैं उनके राज्य के साथ प्रयत्न कर रहा हूं । मेहता समिति द्वारा जिस पंचायत राज की सिफारिश की गई है उसको राजस्थान और आंध्र तथा अन्य दूसरे राज्यों ने अपना लिया है और उनके राज्य में भी बड़ी तेजी से इस व्यवस्था के अनुसार कार्य हो रहा है । वहां के विधान सभाई सदस्यों एवं उस क्षेत्र के संसद् सदस्यों से मैं इस कार्य के लिये उनका समर्थन मांग रहा हूं मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वे इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिये अपने मुख्य मंत्री को सहायता दें । और इस बात में सहायक बने कि वहां प्रत्येक कार्य पंचायतों के द्वारा हो । मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि उनके क्षेत्र के लोग इस कार्य को अन्य राज्यों की जनता की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से करेंगे क्योंकि वे लोग पंचायत राज्य से आदिकाल से ही परिचित है । अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य मुझे तथा अपने राज्य के मुख्य मंत्री को अपना पूरा पूरा सहयोग देंगे ताकि यह कार्य, जिससे कि वह पूर्णतः सहमत हैं, और भी अधिक तेजी से आगे बढ़ सके ।

श्री रंगा ने कहा है कि राजनैतिक दलों को इस बात की प्रतिज्ञा लेनी चाहिये कि वे पंचायत एवं उससे उच्च स्तर की संस्थाओं के चुनावों में भाग नहीं लेंगे । आशा है कि आप सभी लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि कोई भी मंत्री इस प्रकार का प्रतिबन्ध राजनैतिक दलों पर नहीं लगा सकता क्योंकि हम देखते हैं कि राजनैतिक दल छोटी छोटी संस्थाओं में भी कार्य करते हैं। माननीय सदस्य के सुझाव की उपादेयता को तो मैं समझता हूं कि राजनीतिज्ञों को इन संस्थाओं से अलग रहना चाहिये । मेरा विचार है कि उनका अभिप्राय उन लोगों से है जो वहां किसी राजनैतिक आदर्शों को ले कर तो जाते नहीं हैं बल्कि वहां जा कर अवरोध ही उत्पन्न करते हैं । राजनीति अच्छी भी होती है और बुरी भी । वस्तुतः मैं यह कहना चाहूंगा कि राजनीतिज्ञों को गांवों में जाना चाहिये और वहां लोगों को यह सिखाना चाहिये कि लोकतंत्र है क्या । यह अच्छी राजनीति है । म तो यहां तक कहूंगा कि सभी राजनैतिक दलों को गांवों में जा कर प्रजातंत्र के सम्बन्ध में पूरी पूरी जानकारी देनी चाहिये ताकि वे यह समझ सकें उन्हें क्या करना है एवं उनके प्रतिनिधियों को जिन्हें कि उन्होंने भेजा है क्या करना है ।

पंचायती राज अधिनियम एवं अन्य बातों के बारे में हमने कितनी प्रगति की है इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उड़ीसा तथा आसाम ने विधान बना लिये हैं उत्तर प्रदेश में यह विधान वहां की विधानसभा के सामने है और आशा है कि यह निकट भविष्य में पारित भी हो जायेगा । मध्य प्रदेश सरकार ने यह मामला अपनी विधानसभा को भेजा है और विधान सभा ने यह मामला प्रवर समिति को सौंप दिया है । आशा है कि वहां भी यह विधान शीघ्र ही पारित हो जायेगा । पंजाब सरकार ने भी ठीक यही कार्य किया है । पुराना द्विभाषी बम्बई राज्य में कुछ कारणों की वजह से यह कार्य आगे नहीं बढ़ सका है । बम्बई राज्य के विभाजन के तुरन्त बाद ही नये राज्य गुजरात और महाराष्ट्र ने उच्च अधिकारों वाली समितियों को यह मामला जांच के लिये भेज दिया है और उन समितियों को यह दायित्व दिये गये हैं कि वे ऐसी सिफारिशें करें जिनके आधार पर कि विधान बनाये जा सकें । मुझे इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये समितियां बहुत तेजी से कार्य कर रही हैं। और आशा है कि ये दोनों राज्य भी इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे । यह भी आशा है कि बिहार भी इस सम्बन्ध में हमें अच्छी सहायता देगा । आवश्यकता इस

बात की है कि लोगों में पंचायती राज अथवा लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण की जानकारी अच्छी होनी चाहिये ।

राज्यों में भी मुख्य मंत्री इतना स्वतंत्र नहीं है कि वह जो कुछ चाहे कर सके, उसे भी अपने साथ जनमत रखना पड़ता है । विधानसभा के सदस्यों को भी इस बात को समझना चाहिये और इसे स्वीकार करना चाहिये । अब प्रश्न यह उठता है कि विधानसभा के सदस्यों एवं उनसे नीचे के लोगो के समक्ष इस कार्य को कौन समझाये ।

लोगो में आम भावना है कि पहले कलक्टर स्वतंत्र रूप से कार्य करता था अर्थात् जो कुछ चाहता था वह कर सकता था लेकिन अब ऐसी बात नहीं है आजकल कलक्टर, तहसीलदार, तथा अन्य राजस्व पदाधिकारी किसी न किसी दबाव के अधीन रह कर कार्य करते हैं । अच्छी सरकार के एक सेवक के नाते से वह इस बात का इच्छुक है कि उस पर कार्य का जो अत्यधिक भार है उसमें और दूसरे लोग भी हाथ बटावें । यही कारण है कि विकास आयुक्त तथा अन्य सरकारी पदाधिकारी जो कि वस्तुतः बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वे सभी पंचायत राज्य की धारणा को पूरा पूरा सहयोग दे रहे हैं । वे इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि पंचायत राज्य विधिवत ढंग से बने तथा जल्दी से जल्दी बने । लेकिन बहुत से लोग नारे लगा लगा कर इसका कड़ा विरोध भी कर रहे हैं । वे इन नई योजनाओं से जो कि पंचायत राज से शुरू हो कर राज्य के स्तर तक बनने वाली है डरे हुए हैं । सरकार का प्रत्येक कार्य जनता के समर्थन के आधार पर होगा आपके विचारार्थ एक बात प्रस्तुत कर रहा हूं कि उस स्थिति में जब कि यह सदन केवल पारमर्शदात्री समिति ही हो और केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक अधिकारी को इस बात की छूट हो कि वह अपना कार्य मनमाने ढंग से करे तो यह निपूच्य है कि ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार भली प्रकार से कार्य नहीं कर सकती । इसके अतिरिक्त लोगो में इस बात की भी धारणा व्याप्त है कि गांव वाले बुद्धू और बेकार हैं और उन्हें कोई भी दायित्व-पूर्ण कार्य नहीं दिया जा सकता । उदाहरण के लिये यही बात लीजिये कि गांव वालों से संसद् सदस्यों को चुनने के लिये कहा जाता है उनमें से बहुत से यह भी नहीं जानते कि किस व्यक्ति को संसद् में जाने का अधिकार है । अगर हम उन्हें संसद् में अपने प्रतिनिधि चुनने का दायित्व दे सकते हैं तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि कैसे लोग यह बात कहते हैं कि ये ग्रामीण लोग अपनी पंचायतें चुनने के लिये उपयुक्त एवं सक्षम नहीं हैं और विशेषरूप से जब कि ये पंचायतें केवल हजार अथवा दो हजार रुपये ही व्यय करती हैं अथवा कृषि सम्बन्धी अथवा पशुपालन सम्बन्धी कार्यक्रमों को ही क्रियान्वित करती हैं ।

इस प्रकार की भावना रखने वाले व्यक्तियों की संख्या थोड़ी नहीं है । इनकी संख्या बहुत अधिक है । और इनके पीछे बहुत से प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिनके पास प्रकट तथा अप्रकट संसाधन भी है । वे जानते हैं कि यदि पंचायत राज और सहकारी राज सफल हो गये तो इन लोगों को जनता के शोषण का अवसर नहीं मिलेगा । पंचायत राज्य के जन्म से पूर्व ही बहुत से लोगों ने प्रचार कार्य करना शुरू कर दिया है । मंत्रालय इस सभा की समाज्ञा का पालन करने का प्रयत्न कर रहा है और सब से पहले पंचायत राज्य पर कार्य कर रहा है ताकि पंचायत राज्य कृषि कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सके लेकिन यह बात देश के बहुत से व्यक्तियों—विद्वान तथा नेता—को अच्छी नहीं लगी—उनका कहना है कि यह मंत्रालय अपना समय व्यर्थ में ही खो रहा है और अपनी विफलताओं को छिपाने का प्रयत्न कर रहा है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी ने पूछा है कि केन्द्र ने केन्द्र शासित क्षेत्रों में पंचायत राज्य स्थापित क्यों नहीं किया है ? यह सोचने की बात है कि जो क्षेत्र इतना छोटा है कि वह एक

तहसील भी नहीं है वहां किस प्रकार जिला परिषद् की स्थापना की जा सकती है। उदाहरण के लिये दिल्ली ही लीजिये यह बहुत छोटा है यहां पांच खंड हैं। यहां हमने पंचायतों की स्थापना की है। हमें यह बात विभिन्न निकाय के रूप में सोचनी है जिसका अध्यक्ष एक गैर-सरकारी सदस्य हो और जिसे इस कार्यक्रम को चलाने के लिये पूरा दायित्व दिया गया हो। इस प्रकार यह कार्यक्रम चलाया गया है। यही बात त्रिपुरा और मनीपुर के बारे में है क्योंकि ये भी बहुत ही छोटे छोटे राज्य हैं। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रत्येक राज्य में पंचायतें स्थापित की जायें जो कि पंचायत राज्य की आधार शिलाएं हैं। और इन पंचायतों को अपने अपने कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का पूरा पूरा दायित्व भी मिलना चाहिये।

यदि यह एक बार अच्छी तरह से क्रियान्वित हो जाता है तो ऊंचा रूप लेने में बहुत आसानी हो जायेगी। ऊंचा रूप तो खंड स्तर पर ही होगा उससे नीचे नहीं। हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषदें हैं जिन्हें विकास के मामले में बहुत काफी दायित्व दे दिये गये हैं। हमारे सामने एक कठिनाई यह भी है कि इस पंचायत राज व्यवस्था को क्षेत्रीय परिषदों के साथ किस प्रकार मिलाया जा सकता है। माननीय सदस्य श्री द्विवेदी को मैं यह बता देना चाहता हूं कि केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों के लिये यह इतना आवश्यक नहीं है। हिमाचल को छोड़कर अन्य स्थानों में जिला परिषद् की स्थापना करने का प्रश्न नहीं उठाता। महत्व-पूर्ण बात तो पंचायतें स्थापित करने की है।

एक माननीय सदस्य द्वारा यह भी सुझाव दिया गया है कि केवल विकास के लिये ही अधिकार नहीं देने चाहिये बल्कि प्रशासन के लिये भी अधिकार देने चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें सब से पहले यह प्रयत्न करना चाहिये कि ये संस्थायें अपने अन्तर्गत विकास कार्य करने के लिये प्रशिक्षित हो जायें। इतना होने पर वे प्रशासन का कार्य भी ले सकती हैं। बाद को विधि और व्यवस्था के प्रशासन का काम भी संभाल सकती हैं। ऐसा करने में कोई कठिनाई भी नहीं होगी। लेकिन यदि शुरू में ही विधि और व्यवस्था बनाने, प्रशासन, न्याय व्यवस्था, और विकास आदि का दायित्व दिया गया तो उन पर बहुत भार पड़ जायेगा और हो सकता है कि वे इसमें दब ही जायें।

संभवतः श्री रंगा ने यह सुझाव दिया है कि गांवों में बहुत गुटबन्दी है और पंचायत राज के वहां होने से काफी कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी। हमने यह सोचा है कि चूंकि वे गुट-बन्दी और दलबन्दी के शिकार हैं अतः ग्रामीण स्तर तथा उच्च स्तर की संस्थाओं को विशेष अधिकार देना परमावश्यक है। पहले ये ग्रामीण संस्थायें, अपना बहुत सा समय इन गुट-बन्दियों और दलबन्दियों में लगाया करती थीं क्योंकि उनके पास अधिक काम नहीं होता था। अतः जब तक हम एक बार एक ओर तो सरकारी संठगनों और दूसरी ओर लोकप्रिय संस्था जिला बोर्ड के समानान्तर कार्यों को दूर नहीं करते और इन निकायों के विकास कार्यों को करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरा पूरा दायित्व नहीं सौंपते तभी या तो ये निकाय अपने कार्यों के आधार पर जीवित रहेंगे अथवा उनके सामने कोई दूसरा विकल्प ही नहीं रहेगा। ग्रामीण स्तर पर सिद्धांत की कोई बात नहीं है। ग्रामीण स्तर पर सरकारी कर्मचारी हैं उनके पास उनके कार्यक्रम हैं। और जनता की निरन्तर बढ़ने वाली आवश्यकतायें हैं। उस स्तर पर ग्रामीण प्रतिनिधियों का यह कार्य है कि वे इन विकास कार्यों को जनता के संसाधनों के आधार पूरा करने का प्रयत्न करें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे जनता के सामने किस मुंह

से आयेंगे। मेरा यही निवेदन है कि यह पंचायत राज गांवों की गुटबन्दी को जो कि आजकल वहां व्याप्त है दूर कर देगा

श्री नरसिंहन् ने पूछा है कि क्या कलक्टर को जिला विकास परिषद् की अध्यक्षता करनी चाहिये। जैसा कि श्री माथुर ने बताया है मेहता समिति की सिफारिशें अब पुरानी पड़ गई हैं क्योंकि बहुत से राज्य अब बहुत आगे बढ़ गये हैं और वे खंड पंचायत समितियो के अध्यक्ष गैर सरकारी व्यक्ति नियुक्त करने लगे हैं और जिला परिषदों के भी अध्यक्ष गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किये जाने लगे हैं। मद्रास राज्य ने इस पर काफी सोच-विचार किया है। उस राज्य ने लोगों को प्रशिक्षित करने, कृषि, ने कार्यक्रमों का विस्तार करने, पंचायत राज्य की योजना के कार्यक्रमों से लोगों को परिचित कराने में काफी काम किया है। अपने निजी कारणों के आधार पर उन्होंने जिला विकास परिषदों के अध्यक्ष का काम करने के लिये कलक्टर की नियुक्ति की है जैसा कि बलवन्त राय समिति ने सुझाया है। कुछ स्पष्ट कारणों के आधार पर मैं मद्रास राज्य को यह सुझाव नहीं दे सकता कि वह इस मामले में दूसरी तरह कार्य करे। इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है कि जैसे ही जनता के ये संगठन कार्य करना प्रारम्भ करेंगे तो उनमें स्वतः ही इतनी शक्ति आ जायेगी कि कोई भी सरकार उस विकास को जोकि उनके काम करने से होगा, रोक सकेगी। अर्थात् सम्पूर्ण सरकारी संगठन चाहे वह किसी भी स्तर पर क्यों न काम करता हो वह अधीनस्थ ही रहेगा और स्तर पर कार्य करने वाले जनता के संगठन के प्रति कार्यशील रहेगा।

आपने सभा के विचार सुनने और सभा के सदस्यों को मेरे विचार बताने का जो अवसर मुझे दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यहां जो प्रश्न उठाये गये हैं उनकी जांच करने के लिये हम पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे और इसका सार राज्य सरकारों तक भेजने का प्रयत्न करेंगे और पंचायत राज को इस सभा ने जो महत्ता दी है उस महत्ता को राज्य सरकारों तक पहुंचाने और उनको अवगत कराने का प्रयत्न करेंगे।

श्री रामकृष्ण गुप्त : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस रिपोर्ट पर हुई बहस और उस के जवाब का ताल्लुक है, उस से साफ जाहिर है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में एक ही राय है .....

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे इस प्रस्ताव को मतदान के लिये प्रस्तुत करने दें अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि गणपूर्ति के अभाव में सभा की बैठक उठ जाये।

श्री राम कृष्ण गुप्त : मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं और मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि माननीय मंत्री ने भी इस बात का यकीन दिलाया है कि इस के लिए इस स्कीम को लागू करने के लिए पूरी कोशिश की जायगी। मैं थोड़ा सा सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी स्पीच में यह भी जाहिर किया कि मुल्क के अन्दर एक ऐसा बड़ा सैक्शन मौजूद है जो कि बड़ा एनफलुऐंशल और पावरफुल है और जो कि इस स्कीम के कामयाब होने में रुकावट डालता है। मैं चाहता था कि इस के बारे में और ज्यादा रोशनी डाली जाती लेकिन यह तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वह सैक्शन कौन सा हो सकता है और किस एलिमेंट को वह रिप्रेजेंट कर सकता है। जाहिर है कि जिसको इस पावर के डिसेंट्रलाइजेशन से नुकसान पहुंचेगा वह सैक्शन इसके रास्ते में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राम कृष्ण गुप्त]

रुकावट डालेगा । इसलिए मेरी अपील है कि इस की तरफ पूरा ध्यान दिया जाय । इस के लिए मैं एक छोटी सी मिसाल भी पेश करना चाहता हूं । माननीय मंत्री ने इण्डिविजुअल स्टेट्स के बारे में भी यह बतलाया कि वहां पर क्या क्या तरक्की हुई है । जहां तक पंजाब राज्य का सवाल है आप को यह जान कर हैरानी होगी कि वहाँ इस बारे में कि किस तरीके से बिल पेश हो और कैसे यह काम किया जाय एक स्पेशल आफिसर मुकर्रर किया गया है यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां इस के लिए कोई कमेटी वगैरह भी नहीं बनाई गई जो कि इस मामले पर विचार करे । इसलिए मैं उनका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि यह पावरफुल लिमेंट जिसका कि उन्होंने खुद अपनी स्पीच में जिक्र किया और मुझे बड़ी खुशी है इस बात में कि उन्होंने इस स्कीम के लागू होने में जो असली खतरा था उसे महसूस किया और मुझे आशा और विश्वास है कि उसको काबू में रक्खा जायगा । असली डेमोक्रेसी उसी रोज कामयाब होगी जिस दिन हम रिसपौंसबिल्टी और पावर डेवलपमेंट के वास्ते उनको मुकम्मिल तौर पर ट्रान्सफर कर देंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मतदान के लिये प्रस्ताव रखने से पूर्व नियम ३६० के अनुसार अध्यक्ष को दिये गये विशेषाधिकार का मैं पहिली बार प्रयोग करना चाहता हूं । इस विशेषाधिकार के अनुसार अध्यक्ष किसी भी समय सभा में प्रस्तुत किसी भी विचाराधीन मामले पर सदस्यों की विचारधारा को स्पष्ट करने के लिये वाद विवाद में भाग ले सकता है और अध्यक्ष की यह विचारधारा निर्णय नहीं मानी जा सकती ।

आंध्र प्रदेश के सदस्य श्री रामी रेड्डी को मैं ने भाषण देने के लिये बुलाया था ताकि वह स्वयं अनुभव की बात सभा को बता सकें लेकिन वह अनुपस्थित हैं । मेरा विचार था कि वह कुछ विस्तृत बातें बता सकेंगे । राजस्थान के एक माननीय सदस्य तथा श्री रंगा एवं अन्य सदस्यों ने इस वाद विवाद में भाग लिया है । मैं ने भी इस समय हस्तक्षेप करके पहिली बार कुछ कहने का अवसर निकाला । अभी हाल में मैं ने अपने जिले का दौरा किया था । मुझे दो समितियों की बैठकों को देखने का अवसर मिला । मैं नहीं जानता था कि वे लोग अपने यहां एक प्रकार की छोटी सी संसद् का विकास कर चुके हैं हर बार बैठक में काफी अच्छी उपस्थिति थी । ये समितियां ग्राम पंचायत और जिला परिषदों के बीच की कड़ी हैं । इस प्रकार की बहुत सी समितियां हैं । प्रत्येक ताल्लुक में तीन या चार समितियां हैं । इन समितियों के सदस्य ग्राम पंचायतों के प्रधान हैं । उन्होंने समितियों की कार्यवाहियों में विशेष रुचि दिखाई ।

पहली विकास योजनाएं इसलिये असफल रहीं क्यों कि सरकारी पदाधिकारी ही सारी कार्यवाही का संचालन करते थे । दस गांवों के लिये एक ग्राम विकास कर्मचारी और एक खंड के लिये एक खंड विकास पदाधिकारी था जिसकी सहायता के लिये बहुत से विकास पदाधिकारी थे । केन्द्र में कलक्टर था जिसकी सहायता के लिये जिले के और पदाधिकारी थे । अब तक लोगों की धारणा थी कि यह कार्य सरकारी पदाधिकारियों का है । लेकिन मैं अब देखता हूं कि परिवर्तन आ गया है । गाव वालों ने अब सोचना शुरू कर दिया है कि ये लोग तो सहायता करने के लिये हैं । ये लोग तो उनके अधीनस्थ हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

समिति की बैठक का पहिला घंटा तो प्रश्न पूछने में ही बीता जैसा कि यहां संसद् में होता है । खंड विकास पदाधिकारी तथा विस्तार पदाधिकारियों ने उत्तर दिये । वे लोग इन पदाधिकारियों से अनुपूरक प्रश्न भी पूछ रहे थे । प्रत्येक को वहां एक दिन आना पड़ता है । यह सब देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । आजकल ये समितियां धन भी व्यय कर रही हैं । इन समितियों को खंड विकास कार्य दिया गया है और उन्हें धन व्यय करने का पूर्ण अधिकार है । मेरा विचार है यह प्रक्रिया उन व्यक्तियों में अधिक उत्साह की भावना बढ़ायेगी, अब वे यह अनुभव करते हैं कि वे मालिक हैं ।

यह योजना बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है । वे काम का वितरण करते हैं और योजनाओं को प्राथमिकता भी देते हैं । मैं आशा करता हूं कि यह योजना अन्य स्थानों पर भी अपनायी जायेगी । अब तक इस योजना को इसलिये सफलता नहीं मिली है क्योंकि लोगों की धारणा थी कि यह कार्य सरकारी कर्मचारियों का है । लेकिन अब वे यह जानते हैं कि धन उनके हाथ में है, सरकारी कर्मचारी तो केवल उनकी सहायता करने के लिये ही हैं और उनका प्रयोग इस प्रयोजनार्थ किया जा सकता है ।

अब मैं प्रस्ताव को मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अध्ययन के लिये श्री बलवंत राय गोपाल जो मेहता की अध्यक्षता में नियुक्त किये गये दल के प्रतिवेदन में बताई गई और आंध्र प्रदेश, मद्रास तथा राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों में अपनाई गई लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण की योजना पर विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, ४ अगस्त, १९६० / १३, श्रावण, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

[बुधवार, ३ अगस्त, १९६०
१२ श्रावण, १८८२ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर —		२५९—८३
तारांकित प्रश्न संख्या		
७३	बंगाल तथा आसाम में चाय पर प्रवेश कर . . .	२५९–६०
७४	इंडिया आफिस लाइब्रेरी	२६१—६३
७५	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में प्रबन्ध . . .	२६३—६६
७६	दिल्ली में स्कूल	२६६—६८
७७	इस्पात का आयात	२६८—७१
७८	ऐतिहासिक स्मारक	२७१–७२
७९	वैज्ञानिक और प्रविधिक जानकारी की केन्द्रीय संस्था . .	२७३
८०	इंजीनियरिंग विशेषज्ञों का केन्द्रीय "पूल" . . .	२७४–७५
८१	केन्द्रीय आयुध डिपो, छेवकी	२७५–७६
८२	माउंट आबू में खेल-कूद का प्रशिक्षण	२७६—७८
८३	लुब्रिकेंट्स का निर्माण	२७८—८०
८४	खनिजों का अभिशोधन	२८०–८१
८५	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	२८२–८३
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२८३—३४४
तारांकित प्रश्न संख्या		
८६	शिक्षा का केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड	२८३
८७	कनाडा की फर्म से फालतू पुर्जों की खरीद . . .	२८४
८८	तेल के लिये छिद्रण-कार्य	२८५
८९	नौसेना विमान केन्द्र	२८५–८६
९०	खम्भात क्षेत्र में तेल	२८६
९१	पश्चिम बंगाल में लड़कियों की शिक्षा	२८७–८७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
९२	नये तेल शोधक कारखाने	२८८
९३	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१	२८८
९४	नयी दिल्ली में पत्थर के कोयले का संभरण	२८९
९५	विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों का सम्मेलन	२८९–९०
९६	पनडुब्बी-विध्वंसक युद्ध-पोत	२९०
९७	रिजर्व बैंक में अनुसूचित बैंकों के निक्षेप	२९०–९१
९८	इस्पात के कारखानों की लागत	२९१
९९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड का दिवाला निकलना	२९१
१००	नयी कोयला खानें चलाना	२९२
१०१	बैंकिंग के बारे में भारत-पाक करार	२९२
१०२	कोयला खान उपकरणों के पुर्जे	२९२–९३
१०३	पुनर्वास वित्त प्रशासन	२९३
१०४	ब्रिटेन में बैंक-दर	२९४
१०५	पुलिस द्वारा जब्त किये गये नोट	२९४
१०६	खनिज संसाधन	२९४–९५
१०७	संस्कृत संस्थाओं को अनुदान	२९५
१०८	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षक महाविद्यालय, आगरा	२९५
१०९	नाट्यशालायें	२९५–९६
११०	बरौनी का तेल शोधक कारखाना	२९६
१११	तेल अन्वेषण कार्य में विदेशी सहायता	२९६–९७
११२	अन्तर्राष्ट्रीय नाटक समारोह	२९७
११३	चलचित्र वित्त निगम	२९७
११४	जम्मू में लौह-अयस्क और चूने के पत्थर के निक्षेप	२९७–९८
११५	विश्वविद्यालयों में औद्योगिक बस्तियां	२९८
११६	केरल में मैग्नेटाइट के निक्षेप	२९८–९९
११७	कोयले की कमी	२९९
११८	चिन्ह लगा कर मतदान की प्रणाली	२९९
११९	पुनर्वास वित्त प्रशासन ऋण	२९९–३००
१२०	कनाट प्लेस में हत्या	३००

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
१२१	भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक संबंध	३०१
१२२	दिल्ली में शिक्षा सम्बन्धी कार्यकारी दल	३०१–०२
१२३	भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यकीय सेवा	३०२
१२४	नौ-सेना के छोटे जहाजों का निर्माण	३०२
१२५	विदेश जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों की जांच	३०३
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
१५०	सेना इंजीनियरिंग सेवा	३०३
१५१	केन्द्रीय सचिवालय में हिन्दी	३०४
१५२	आन्ध्र प्रदेश में पुरातत्व सम्बन्धी सर्वेक्षण	३०४–०५
१५३	उड़ीसा के लिये लोहे की चादरें	३०५
१५४	बम्बई के लिये "साफ्ट और हार्ड कोक"	३०५
१५५	भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग	३०५–०६
१५६	दिल्ली में भूतपूर्व सैनिकों के लिये बस्तियां	३०६
१५७	भारत में पाकिस्तानी	३०६–०७
१५८	पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार	३०७
१५९	उड़ीसा में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई	३०७
१६०	वाणिज्य शिक्षा	३०७–०८
१६१	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों की सूचियां	३०८
१६२	गाजीपुर जिले में स्मारक	३०८–०९
१६३	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	३०९
१६४	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त	३०९
१६५	उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में लम्बित मामले	३०९–१०
१६६	मानव भारती नर्सरी तथा शिशु शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, दिल्ली	३१०
१६७	आगरे का किला	३१०
१६८	गजेटिड आफसर	३१०
१६९	केरल में प्रविधिक शिक्षा	३११
१७०	भारतीय लोक प्रशासन संस्था	३१२
१७१	अमरीका से ऋण	३१२
१७२	इस्पात कारखानों में मजदूरों की छंटनी	३१२–१३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमश)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१७३	दुर्गापुर में रोलिंग मिलें	३१३
१७४	लड़कियों के लिये रिमाण्ड होम	३१३
१७५	जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक	३१३–१४
१७६	मेक्सिको बैंकिंग पद्धति के सम्बन्ध में रिपोर्ट	३१४
१७७	भ्रष्टाचार के मामले	३१४
१७८	चुनाव याचिका	३१४–१५
१७९	गुड़गांव में भारतीय वायुसेना के सिगनल केन्द्र में आग	३१५
१८०	सेना अधिनियम, १९५० में संशोधन	३१५
१८१	प्रामाणिक विधि शब्दावलि	३१५
१८२	डिफेंस कालोनी में बालक की हत्या	३१६
१८३	मोटर स्प्रिट	३१६
१८४	दिल्ली के गांवों में राष्ट्रीय छात्र-सेना दल के शिविर	३१६–१७
१८५	मकान के किराये का भत्ता	३१७
१८६	संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष निधि	३१७–१८
१८७	अन्दमान द्वीप समूह में गंधक	३१८
१८८	हिमाचल प्रदेश में बंजारे	३१८–१९
१८९	हिमाचल प्रदेश के न्यायिक आयुक्त के दौरे	३१९
१९०	ब्रिटेन से विमान वाहक पोत की खरीद	३१९–२०
१९१	भिलाई में उप-उत्पाद संयंत्र	३२०
१९२	विद्युत तथा सिंचाई सुविधाओं के लिये उपबन्ध	३२०–२१
१९३	अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा के लिये पाठ्य पुस्तकें	३२१
१९४	इस्पात सम्बन्धी आवश्यकता	३२१
१९५	उच्च-न्यायालय में काम के घंटे	३२२
१९६	अपराध निवारण ब्यूरो	३२२
१९७	राष्ट्रीय सेनाछात्र दल	३२२-२३
१९८	इस्पात संयंत्रों में प्रविधिक कर्मचारी	३२३–२४
१९९	दिल्ली में अपहरण की घटनायें	३२४
२००	निर्वाचन याचिकायें	३२४–२५
२०१	इम्फाल में पानी की कमी	३२५
२०२	दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये ऋण	३२५–२६

विषय

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		पृष्ठ
२०३	नौ-सेना नियम	३२६
२०४	स्थल सेना के मुख्य कार्यालय में असैनिक पद . . .	३२६–२७
२०५	भारतीय रुपये की विनिमय दर	३२७
२०६	निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा . . .	३२७–२८
२०७	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां	३२८
२०८	भूतपूर्व सैनिकों के लिये कृषि योग्य भूमि . . .	३२८
२०९	वैज्ञानिक और अर्हता प्राप्त इंजीनियर	३२९
२१०	राष्ट्र मंडल शिक्षा सम्पर्क एकक, लन्दन . . .	३३०
२११	निषिद्ध वस्तुओं का पकड़ा जाना	३३०
२१२	बिहार विधान सभा के लिये उप-चुनाव . . .	३३१
२१३	कृष्णा और खम्मम जिलों का भूतत्वीय सर्वेक्षण . . .	३३१–३२
२१४	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये समुद्र पार की छात्रवृत्तियां	३३२
२१५	"इंडियन आरकेलाजी (१९५८–५९)—ए रिव्यू" . .	३३३
२१६	पुरातत्वीय विभाग का उत्तर-पश्चिमी सर्किल . . .	३३३
२१७	पश्चिमी बंगाल में स्मारक	३३३
२१८	पंजाब में योग्यता-व-साधन छात्रवृत्तियां . . .	३३३–३४
२१९	पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कृषि बस्तियां	३३४–३५
२२०	पंजाब में इस्पात पुनर्वेल्लन मिलें (रीरोलिंग मिल्स) .	३३५
२२१	पंजाब के लिये लोहे की चादरें	३३५
२२२	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त .	३३५–३६
२२३	पंजाब में स्मारक	३३६
२२४	पचास हजार से अधिक आय पर आय-कर देने वाले . .	३३६
२२५	लोहे की चादरों का संभरण	३३६–३७
२२६	अजन्ता की गुफायें . . .	३३७
२२७	इस्पात का प्रतिधारण मूल्य . .	३३७
२२८	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, मद्रास .	३३८
२२९	परीक्षा-फलों की घोषणा	३३८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२३०	शिबपुर के वानस्पतिक उद्यान	३३८–३९
२३१	पंजाब में अनधिकृत ढंग से तम्बाकू की खेती . . .	३३९
२३२	नकदी संभालने के लिये विशेष वेतन . .	३३९–४०
२३३	नये वित्त आयोग की नियुक्ति . . .	३४०
२३४	एम० ई० एस० के कर्मचारी . . .	३४
२३५	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां . .	३४१
२३६	उड़ीसा डिवीजन में जीवन बीमा का काम	३४२
२३७	उड़ीसा के लिये जीवन बीमा निगम का लक्ष्य . .	३४१–४२
२३८	जिला कांगड़ा (पंजाब) में स्मारक . . .	३४२
२३९	अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ . . .	३४२
२४०	तेलुगु उपन्यास 'नारायण राव'	३४३
२४१	अधिक ऊंचाई पर काम करने वाले सैनिक . . .	३४३
२४२	लौह अयस्क का उत्पादन	३४३–४४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र— . . . .

(१) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू बंगाल वित्त (बिक्री-कर) अधिनियम, १९४१ की धारा २६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिल्ली बिक्री-कर नियम, १९५१ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २६ मई, १९६० के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ४/१९७/५८—फिन० (ई०) की एक प्रति ।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १४ मई, १९६० की एस० ओ० संख्या ११९२।

(ख) दिनांक ४ जून, १९६० की एस० ओ० संख्या १४२३।

(३) कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २ जुलाई, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७४२ की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र (क्रमश.)

(४) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा २ के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २ जुलाई, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७२३ की एक प्रति ।

(५) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा २ के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २ जुलाई, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७२४ की एक प्रति ।

(६) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा २ के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३० अप्रैल, १९६० की जी० एस० आर० ४८३ ।

(ख) दिनांक १ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६११ ।

(ग) दिनांक ११ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६३६ ।

(घ) दिनांक २ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ७२५ ।

(७) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १४ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५३० ।

(ख) दिनांक ११ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६३७ ।

(ग) दिनांक १६ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ७७८ ।

(८) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २३ अप्रैल, १९६० की जी० एस० आरं० ४३९ ।

(ख) दिनांक २१ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५५६ द्वारा संशोधित दिनांक ३० अप्रैल, १९६० की जी० एस० आर० ४८८ ।

(ग) दिनांक ७ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५१५ ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र--(क्रमशः)

(घ) दिनांक १४ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५३८।

(ङ) दिनांक २८ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५७६।

(च) दिनांक २८ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५७७।

(छ) दिनांक ४ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६१६।

(ज) दिनांक ४ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६१७।

(झ) दिनांक ४ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६१८।

(ञ) दिनांक ४ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६१९।

(ट) दिनांक ११ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६६०।

(ठ) दिनांक १८ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६८७।

(ड) दिनांक २५ जून, १९६० की जी० एस० आर० ७०१।

(ढ) दिनांक २५ जून, १९६० की जी० एस० आर० ७०२।

(ण) दिनांक २ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ७३१।

(त) दिनांक २ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ७३२।

(थ) दिनांक २ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ७३३।

(द) दिनांक ९ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ७६४।

(ध) दिनांक २३ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ८१७।

(न) दिनांक २३ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ८१८।

(९) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ और समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रत्याहृत (प्रसाधन) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २३ अप्रैल, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४४० की एक प्रति।

(१०) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन-शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ४ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६१५।

(ख) दिनांक ७ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५१४।

(ग) दिनांक २१ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५५५।

(घ) दिनांक १८ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६८६।

विषय पृष्ठ

भा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(११) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १४ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५३५।

(ख) दिनांक २८ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५७४।

(ग) दिनांक १६ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ७९२ द्वारा संशोधित दिनांक २८ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५७५।

(घ) दिनांक ४ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६२०।

(ङ) दिनांक २५ जून, १९६० की जी० एस० आर० ७०३।

(च) दिनांक २५ जून, १९६० की जी० एस० आर० ७०४।

(छ) दिनांक २ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ७३४।

(ज) दिनांक २ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ७३५।

(झ) दिनांक २३ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ८१९ द्वारा संशोधित दिनांक ९ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ७६५।

(१२) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २३ अप्रैल, १९६० की जी० एस० आर० ४४३।

(ख) दिनांक २३ अप्रैल, १९६० की जी० एस० आर० ४४४।

(ग) दिनांक १८ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६८९।

(घ) दिनांक २ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ७३७।

(१३) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १० जून, १९६० की जी० एस० आर० ६६२।

(ख) दिनांक १० जून, १९६० की जी० एस० आर० ६६३।

(ग) दिनांक ३० जून, १९६० की जी० एस० आर० ७५३।

(१४) सम्पदा शल्क अधिनियम, १९५३ की धारा ३८ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ११ जून, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६५७ की एक प्रति।

(१५) सम्पदा शुल्क अधिनियम, १९५३ की धारा ८५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत सम्पदा शुल्क नियम, १९५३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २ जुलाई, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १६१९ की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(१६) सम्पदा शुल्क और रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) अधिनियम, १९५७ की धारा ६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३० अप्रैल, १९६ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १०७८ में प्रकाशित सम्पदा शुल्क (वितरन) संशोधन नियम, १९६०।

(ख) दिनांक ३० अप्रैल, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १०८० में प्रकाशित रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) संशोधन नियम, १९६०।

(१७) संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) अधिनियम, १९५७ की धारा ५ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ३० अप्रैल, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १०७९ में प्रकाशित संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन नियम, १९६० की एक प्रति।

(१८) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (वितरण) (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, १९५७ की धारा ६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ३० अप्रैल, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १०८१ में प्रकाशित अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन नियम, १९६० की एक प्रति।

(१९) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, १९५६ की धारा १३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री-कर (पंजीयन और निकासी) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक, ११ जून, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६६१ की एक प्रति।

(२०) लोक ऋण अधिनियम, १९४४ की धारा २८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत लोक ऋण नियम, १९४६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १४ मई, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२३१ की एक प्रति।

(२१) आय-कर अधिनियम, १९२२ के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक १४ जून, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६९२ की एक प्रति।

(२२) पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, १९४८ की धारा १८ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त होने वाली छमाही के लिए पुनर्वास वित्त प्रशासन की रिपोट की एक प्रति।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ३५०

बावनवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थित ३५०

पैंसठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३५०–५१

श्री सैं० अ० मेहदी ने वित्त मंत्री की हाल की विदेश यात्रा के परिणामों की ओर उनका ध्यान दिलाया। वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

मंत्री द्वारा वक्तव्य ३५१–५२

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १४८४ पर १४ अप्रैल, १९६० को सर्वश्री रा० चं० माझी, प्रकाशवीर शास्त्री और यादव नारायण जाधव द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों को शुद्ध करने के लिए एक वक्तव्य दिया।

विधेयक––पारित ३५२–३६१

(१) त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि सुधार विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार के बाद, विधेयक संशोधित रूप में, पारित हुआ।

(२) स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) ने प्रस्ताव किया कि त्रिपुरा नगर पालिका विधि (निरसन) विधेयक पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ।

वधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव––स्वीकृत . . ३६१–३८२

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने प्रस्ताव किया कि मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव––विचाराधीन . . ३८२–३८५

विधि उपमंत्री (श्री हजरतवीस) ने प्रस्ताव किया कि धार्मिक न्यास विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण के बारे में प्रस्ताव . . . ३८५–४०३

श्री राम कृष्ण गुप्त ने लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण की योजना पर चर्चा करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया / प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गुरुवार, ४ अगस्त, १९६०/१३ श्रावण, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि

धार्मिक न्यास विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा तथा बागान श्रमिक (संशोधन) विधेयक पर विचार करना तथा उसे पारित करना।

GMGIPND—LSII—688AiLSD JCNo. 12063-60-61—5-9-60—135.